


“चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य
में चित्रित भारतीय स्त्रियों की दशा”



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ़ फिलोसफी
की डिग्री हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ हेरम्ब चतुर्वेदी

शोध कर्ता

अर्चना भट्टनागर

मध्य एवं आधुनिक इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2001

विषय - सूची

अध्याय - प्रथम :

पृष्ठ संख्या

पृष्ठभूमि - ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक

अध्ययन काल से पूर्व नारी की स्थिति १ - ८४

अध्याय - द्वितीय :

चौदहवीं, पन्द्रहवीं शताब्दी की महिलाओं का

सामाजिक स्तर ८५ - १०२

अध्याय - तृतीय :

सस्कारों में स्त्रियों की भूमिका १०३ - १३२

अध्याय - चतुर्थ :

स्त्रियों की वेशभूषा, आभूषण तथा प्रसाधन १३३ - १६१

अध्याय - पंचम :

मध्यकालीन स्त्रियों का आर्थिक योगदान १६२ - १९०

अध्याय - षष्ठम् .

मध्यकालीन स्त्रियों के आमोद प्रमोद के साधन १९१ - २१०

अध्याय - सप्तम :

उपसंहार २११ - २३३

सदर्भ ग्रन्थ सूची २३४ - २४५

प्राक्कथन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसका विषय है “चौदहवी-पन्द्रहवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य में चित्रित भारतीय स्त्रियों की दशा”।

उत्तर भारत में चौदहवी - पन्द्रहवी शताब्दी भारत वर्ष में तुर्की सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सिद्धान्तों और राजनीतिक परीक्षणों के चलते अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, संस्थाओं का भी विकास हुआ था। इसी काल में राज्य के सुदृढ़णीकरण के साथ उसके साम्राज्य में परिणत होने पर कार्य भी पूर्ण हुआ था। जब दक्षिण और ध्रुव दक्षिण के राज्य दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंग बन गये थे। इसी काल में राज्य सत्ता से पूर्णतया विमुख सूफी सतों व भक्त कवियों द्वारा आय जनता का मार्ग प्रशस्त किया गया। जहाँ एक तरफ दरबारी इतिहासकार राज्य से आश्रम अथवा धन लोलुपता में राज्य केन्द्रित अथवा राजनीतिक केन्द्रित इतिहास लिख रहे थे, वही आम जन के इतिहास की रचना ये ही सन्त आदि कर रहे थे।

अतः उपरोक्त कारणों के चलते इस समाज का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। किन्तु किसी भी समाज के अध्ययन के लिए स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन सामाजिक व सास्कृतिक परिवर्तनों का वास्तविक द्योतक होता है।

साहित्य और समाज का सबध सदैव अनन्य और अपूर्व माना जाता है। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है, इस उक्ति के साथ साहित्य और समाज के एक दूसरे का प्रतिरूप और आदर्श माना जाता है। सार रूप में साहित्य किसी भी देश,

काल, युग के विशिष्ट जनों एव सामान्य जनों दोनों के विचारों, व्यवहारों, कार्यों और सुख दुःख की अनुभूतियों का चित्रण करता है, अतः साहित्य को समकालीन समाज की जीवन धारा चेतना, आदर्श, मूल्य, व्यवहार और प्रगति अवनति का एक सामान्य एव बेबाक लेखा-जोखा माना जा सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में चौदहवी - पन्द्रहवी शताब्दी के हिन्दी साहित्य में चित्रित भारतीय स्त्रियों की स्थिति को साहित्यिक साक्ष्यों से खोजने एव उसके रूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

यह मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूँ, जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य की पूर्ति में अमूल्य सहयोग दिया। इनमें अग्रणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान् “डॉ हेरम्ब चतुर्वेदी” हैं जिनसे मुझे इस शोध प्रबन्ध के विषय की प्रेरणा मिली तथा नितान्त व्यस्तता में भी उनकी मुझ पर अनुकम्भा रही।

उनके योग्य मार्ग दर्शन तथा बहुमूल्य निर्देशन के लिए मैं उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। उनका स्नेह एव आर्शीवाद मुझे सदा ही प्राप्त होता रहा है। श्रीमती आभा चतुर्वेदी पत्नी श्री हेरम्ब चमुर्वेदी की भी मैं आभारी हूँ जिनका असीम स्नेह व आर्शीवाद मुझे मिलता रहा है, तथा उन्होंने मुझे घर का एक सदस्य मानकर मेरा समय-समय पर उत्साह वर्धन किया।

अध्ययन काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करने वाले दस्तावेजों, साक्ष्यों और ग्रन्थों को प्राप्त करने, अध्ययन करने और सार तत्व निकालने के लिए सदा से भारत में प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से अभूतपूर्व सहायता मिली, साथ ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन, ईश्वरी प्रसाद शोध संस्थान, इलाहाबाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी, राजकीय पुस्तकालय, इलाहाबाद आदि से सबधित सामग्री की कार्यपूर्ति और प्रस्तुतीकरण हेतु इन पुस्तकालयों के प्रति मैं निःसन्देह आभारी हूँ।

यह भी मेरे लिए एक गौरवपूर्ण एवं असीम प्रसन्नता की बात है कि मैं अपनी विभागाध्यक्षा (डा० रेखा जोशी) तथा अन्य अध्यापक, अध्यापिकाओं के प्रति भी आभार प्रदर्शित करूँ, जिन्होंने समय-समय पर शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया एवं इसकी सम्पूर्णता के लिए आर्शीवचन प्रदान किया।

इसके साथ ही मैं अपने श्वसुर श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, सास श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव एवं अपने पति श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग एवं प्रोत्साहन से यह शोध कार्य सरलता से पूर्ण हो सका।

मुझे अपनी माता श्रीमती चन्द्रा भटनागर एवं पिता श्री आदर्श कुमार भटनागर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, जिनकी प्रेरणा एवं स्नेहाशीष से प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न हो सका।

इसके साथ ही मैं अपने भाइयो श्री अखिलेश कुमार भटनागर एवं विशाल कुमार भटनागर, एवं बहन कु० वन्दना भटनागर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना दिखावा सा प्रतीत होता है किन्तु पग-पग पर दिये गये सहयोग एवं सहपरामर्शों को भुलाया नहीं जा सकता है।

अन्त मेरै श्रद्धा तथा उत्साह के अवलम्बन में पूज्य माँ को अपना यह शोध कार्य समर्पित करती हूँ।

उच्चन्ता भटनागर
अर्चना भटनागर

पृष्ठभूमि : ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक

चौदहवी शताब्दी भारतीय इतिहास मे महत्वपूर्ण एवं अनेक मायनो मे दिलचस्प अध्याय है। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सक्रमण एवं सधिकाल है। इलबारी तुर्कों की राज्य स्थापना के बाद अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316 ई०) द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोणो मे तथा प्रशासनिक तत्र मे अनेक मौलिक सुधार किये गये। ये परिवर्तन इतने आधार भूत थे कि इन्ही के परिणाम स्वरूप खिलजी द्वारा सत्ता ग्रहण को खलजी क्रान्ति की सज्जा दी जाती है इस काल मे अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल विद्रोहो के स्थाई उन्मूलन का प्रयास किया अपितु बाजार नियत्रण के विशेष सदर्भ मे उसके वित्तीय सुधार, सैन्य सुधार प्रशासनिक परिवर्तन तथा साम्राज्य प्रसार एवं उसके सुदृढीकरण की प्रक्रिया पूरे काल मे साथ-साथ चलते रहे। अतः यह काल अपने आप में महत्व पूर्ण है। इसके विषय मे हम विस्तार से अध्ययन करेगे। 1320 ई० मे खलजी वश के पश्चात ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वश की नीव डाली। जिसका एक शासक मुहम्मद बिन तुगलक अपनी विद्वता व ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने चार महत्वाकाशी योजनाए बनाई किन्तु अधिकारियो के अव्यवहारिक क्रियान्वयन के कारण इतिहास कारो के मध्य वह एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप मे चित्रित हुआ। फिरोज तुगलक (1351—1388 ई०) अपनी सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा उदारवादी सुधारो के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होने अन्ततः उसके तथा उसके वश के पतन की नीव रखी। इस वश के आतरिक ढहते ढाँचे को तैमूर के वाह्य

आक्रमण ने पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया। उनके परवर्ती तुगलक तथा सैयद वश के उत्तराधिकारी ऐतिहासिक रूप से महत्वहीन हैं। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बहलोल लोदी के शासन की स्थापना के साथ 1451ई0 से राजनैतिक स्थायित्व का काल पुनः स्थापित होता है। इसी वश के अतिम शासक इब्राहीम लोदी 1517-1526ई0 को परास्त करके बाबर 16वीं शताब्दी में मुगल काल की नीव रखता है।

अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा तथा दामाद था, वह अपने आप में एक उद्योगी तथा उत्साही सैनिक था। अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 1290ई0 में अलाउद्दीन को अपने चाचा के सिहासन पर बैठने के उपरान्त अमीर-ए-तुजुक का पद मिला। कुछ समय बाद इलाहाबाद के निकट कडा मानिकपुर का इक्कादार नियुक्त कर दिया गया था। खिलजी सैनिक जो शक्ति तथा धन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते थे, वह भी अलाउद्दीन को अनुकूल नेता मानते थे और उनको विश्वास था कि दिल्ली के सिहासन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

1292ई0 में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के नगर को जीतकर अपार धन एवं बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं लूट कर लाया। लूट का एक भाग उसने सुल्तान के पास भिजवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने उसे अवध का भी इक्कादार बना दिया, साथ ही उसे राज्य का सैन्य मंत्री अथवा 'आरिज -ए-मुमालिक' बनाया गया। इस पद का लाभ उठाते हुए उसने बड़ी सख्ती में नये सैनिकों की भर्ती की। मालवा के आक्रमण के दौरान उसे दक्षिण के देवगिरी राज्य की समृद्धि की सूचना मिली थी अतः वह इस राज्य को

यदि नये शासक इब्राहीम को उचित समर्थन प्राप्त होता तो वह अलाउद्दीन का कट्टर प्रतिद्वंदी होता। इसके अलावा शक्तिशाली हिन्दू सामन्त भी जिन्हे तुर्की प्रभुत्व का जुआ असहनीय हो रहा था, वे इससे मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर मगोल दिल्ली सल्तनत के उत्तर-पश्चिम प्रवेश द्वार पर प्रहार कर रहे थे। इसलिए परिस्थिति भयकर दिखाई पड़ रही थी और यदि अलाउद्दीन कम साहस वाला व्यक्ति होता तो उसका दिल टूट जाता। अलाउद्दीन ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली पर कब्जा करने की जुगत में हमेशा लगा रहा, जब अलाउद्दीन को यह खबर मिली की जलालुद्दीन के बंशजों व समर्थकों में फूट पड़ गयी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और दिल्ली की ओर अपनी सेना के साथ कूच कर गया, मार्ग में दक्खिन का धन जनता में लुटाता चला गया।

3 अक्टूबर 1296ई० को अलाउद्दीन ने बगैर इब्राहीम से युद्ध किये विजय प्राप्त की चूंकि इब्राहीम के अधिकतर सैनिक अलाउद्दीन से जा मिले थे। अलाउद्दीन ने साठ हजार अश्वारोही एवं साठ हजार पैदल सैनिकों के साथ बलबन के लाल किले पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वह दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। अलाउद्दीन ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला कार्य जनता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जिससे उसके सभी अपराधों को जनता भूल जाए इसके लिए अलाउद्दीन ने जो धन लूटा था, उसको जनता में पानी की तरह बहाया। यह नियम दिल्ली में कुछ रोज तक चलता रहा। इस प्रकार अलाउद्दीन के विश्वासघातों को भूलकर जनता उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगी। सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसके पक्ष में हो गये, इन अमीरों और पदाधिकारियों की सहायता से तथा चतुर कूटनीति द्वारा अपने दुश्मनों एवं समर्थकों को अपने मार्ग से हटाकर स्वयं अलाउद्दीन सिंहासन पर आसीन हुआ।

ऐसा कहा जाता है कि जो अपनों का सगा नहीं होता को दूसरों का सगा कभी नहीं हो सकता, इस बात को अलाउद्दीन ने अपने दिमाग में रखा था। सिहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम उन अमीरों और पदाधिकारियों को जो इब्राहिम को छोड़ कर आये वे कुछ को तो मृत्यु दण्ड की सजा दी कुछ को अधा करवा दिया, और जो शेष बचे उनको कारागार में डाल दिया। इन अमीरों और पदाधिकारियों पुत्र एवं स्त्रियों की सम्पत्ति को अपने कब्जे में करने के उपरान्त उन्हे दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया। अलाउद्दीन का यह सिद्धान्त था कि सबसे पहले विश्वासघातियों से लाभ उठाना चाहिए जो कि स्वयं के हित में हो उसके उपरान्त जब अपना काम निकल जाए तो उन्हे दण्ड देना चाहिए।

अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारम्भिक दिनों में विद्रोह का कारण अशान्ति थी। प्रथम विद्रोह मगोलों का हुआ। जोकि भारत में जलालुद्दीन फिरोज के समय से थे, वो लोग नये मुसलमान कहे जाते थे। 1299ई० में जब गुजरात के आक्रमण की सफलता के बाद सेना लौट रही थी तो रास्ते में लूट के सामानों के बटवारे से असन्तुष्ट होकर उन्होंने अलाउद्दीन के एक भतीजे एवं नसरत खाँ के भाई को मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन ने जब यह सुना तो उसने विद्रोहियों के दिल्ली में रह रहे परिवार की स्त्रियों तथा बच्चों का कत्ल करवा कर अपने भाई एवं पुत्र की मौत का बदला लिया।

दूसरा विद्रोह अकतखखाँ ने किया था जो सुल्तान के भाई का बेटा था। सुल्तान जब रणथम्भौर जा रहा था, तो रास्ते में तिलापट के निकट शिकार के लिए रूका जब वह शिकार के लिए रूका तो एक रोज वह बिल्कुल अकेला था इसका

फायदा उठाकर अकतख खाँ ने अपने सैनिकों के सहयोग से सुल्तान पर आक्रमण कर दिया जिस बक्त आक्रमण हुआ सुल्तान के अगरक्षक मौके पर पहुच गये और वीरतापूर्वक उन्होने दुश्मनों का सामना किया, किन्तु अकतख खाँ ने यह समझा कि सुल्तान की मौत हो गयी है, और इसकी घोषणा लौटकर सेना मे कर दी। सुल्तान के निवास पर कब्जा करने की नियत से अकतख खाँ ने अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, किन्तु सुल्तान बच गया था। सुल्तान ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अकतख खाँ और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तीसरा विद्रोह इससे भी अधिक भयकर हुआ, जब सुल्तान रणथम्भौर का घेरा डाले हुए था उस समय उसके दो भानजो 'अमीर उमर' और 'मगू खाँ' ने बदायूँ तथा अवध मे विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया किन्तु वफादार सूबेदारों ने उन्हे पराजित करके बदी बना लिया। चौथा विद्रोह सुल्तान की राजधानी दिल्ली मे ही हुआ, जिसमें 'हाजी मौला' नामक एक विद्रोही अफसर ने एक विरोधी 'फौज बनाकर दिल्ली के 'तमार्दी' कोतवाल को मार डाला और अपनी सफलता का फायदा उठाने के उद्देश्य से उसने सीरी के कोतवाल को मारने की कोशिश की लेकिन इसमे उसे सफलता नही मिली, उसने अपने उम्मीदवार को दिल्ली के सिहासन पर बैठाकर राज्य की शक्ति हासिल करने की कोशिश की। किन्तु मलिक हमीदुद्दीन नामक एक स्वामिभक्त अफसर ने विद्रोही को मार गिराया। यह विद्रोह एक के बाद एक कुछ ही प्रारम्भिक वर्षों मे हुए। इसलिए सुल्तान को लगने लगा कि शासन व्यवस्था मे कुछ दोष अवश्य है।

सुल्तान ने इन विद्रोहों के कारणों को जानने के लिए अपने मित्रो एव सलाहकारों के साथ बैठकर "मजलिस-ए-खलबत" या "मजलिस-ए-खास" मन्त्रणा की। इस मन्त्रणा से यह निष्कर्ष निकला कि शासन व्यवस्था मे कुछ मौलिक

कमियाँ हैं। विद्रोह के निम्नवत् कारण थे — (1) सुल्तान के जो गुप्तचर थे वह अयोग्य थे जिससे सुल्तान को अपने पदाधिकारियों एवं जनता के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती थी (2) मद्यपान सभी एक साथ बैठकर किया करते थे जिससे आपस में एक दूसरे के प्रति भाई चारे की भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिससे विद्रोह तथा षडयत्र के लिए बल मिलता था, (3) सामाजिक मेल-मिलाप, आपस में विवाह सबध, अमीरों का एक साथ उठना बैठना, इससे सुल्तान के विरुद्ध सभी सगठित हुए, (4) कुछ गणमान्य लोगों के अधिकार में बहुत ज्यादा धन होने के कारण उन्हें सोचने एवं विद्रोह करने का समय मिलता था ।

प्रशासनिक उपाय :

जैसे ही अलाउद्दीन की स्थिति मजबूत हो गई उसके अन्दर विश्वास भी मजबूत होता गया। अलाउद्दीन चाहता था कि जो कानून हो वह उसका स्वयं का रहे। अलाउद्दीन का यह भी सिद्धान्त था कि “राजा का कोई संबंधी नहीं होता राज्य में जितने लोग रहते हैं वो सभी उसके सेवक तथा प्रजा हैं,” अलाउद्दीन ने जिस वक्त नीति निर्धारित करने की योजना बनाई उस वक्त उसने किसी भी व्यक्ति या विशेष दल से प्रभावित हो कर नहीं किया।

तेरहवीं शताब्दी तक सुल्तान दो वर्गों के प्रभाव में थे, एक वर्ग अमीर और दूसरा वर्ग उलेमा का था। सुल्तान यह कभी नहीं चाहता था, कि पुराने अमीर फिर से राज्य में अपनी शक्ति की स्थापना करे। वह सभी को अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था। सुल्तान ने उन लोगों को इतना आतंकित कर दिया था कि किसी भी दरबारी में इतना साहस न था, कि वह सुल्तान को कोई राय दे सके, या जनता के लिए किसी प्रकार की रियायत के लिए कह सके। सिर्फ़ एक

ही व्यक्ति था जो कि स्वयं सुल्तान का दोस्त तथा दिल्ली का कोतवाल था, जिसका नाम 'अला-उल-मुल्क' था जो सुल्तान को राय देने का साहस कर सकता था।

अलाउद्दीन ने यह भी कहा कि “मैं यह बिल्कुल नहीं जानता कि कानून की दृष्टि मेरे क्या उचित है और क्या अनुचित, मैं अपने राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझूँगा उसी कार्य को करने की आज्ञा देता हूँ”। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन राज्य का पहला सुल्तान था जिसने कि धर्म पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, उसने “यास्मीन -उल-खिलाफत-नासिरी-अमीर-उल-मुमिनिन” की उपाधि धारण की। जबकि अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, फिर भी उसमे व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। वह राज्य की राजनीति मेरे धर्मान्धि उलेमा की सलाह के अनुकरण को अव्यवहारिक समझता था, क्योंकि अन्तिम न्याय के दिन उसका क्या होगा उसे इस बात की चिन्ता नहीं थी। उसने काजी ‘मुगीसुद्दीन’ से कहा “यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं। विद्रोह रोकने के लिए, जिनमे हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, मैं जनता को ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य और उनके हित के लिए उचित होते हैं किन्तु आजकल के लोग बड़े घृष्ण और सुनी-अनसुनी करने वाले होते हैं और मेरे आदेशों का पालन भली भाँति नहीं करते। अतः मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उन्हें कठोर दण्ड दूँ ताकि वे आज्ञाकारी बने। मैं यह नहीं जानता कि ‘शरीयत’ मेरे उसकी अनुमति है या नहीं”।

समकालीन इतिहासकार सुल्तान को ईश्वर का ‘नायब’ या ‘खलीफा’

मानते थे । उनका मत था कि “सुल्तान को परिस्थिति के अनुसार कठोर अथवा दयालु होना चाहिए” । लोगों में न्याय का प्रचार करने के लिए शक्ति और सत्ता सपने शासक की आवश्यकता है, और शासक के ऊपर किसी का अधिपत्य नहीं होना चाहिए । उसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया । उसने किसी धर्मयुद्ध की कल्पना भी नहीं की, और धार्मिक उद्देश्यों पर बल न देकर समयानुकूल और व्यावहारिक शासन व्यवस्था की विवेक पूर्ण ढग से स्थापना की ।

बाजार नियन्त्रण के विशेष संदर्भ में राजत्व नीति :

अलाउद्दीन के पास बहुत ही विशाल सेना थी । अलाउद्दीन को राजद्रोह का दमन ही नहीं बल्कि विद्रोह का उन्मूलन भी करना था एवं मगोलों से युद्ध भी होता था जो कि हर वर्ष राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर धावा बोला करते थे । अलाउद्दीन की एक इच्छा यह भी थी कि वह सपूर्ण भारत को विजय करना चाहता था ।

गल्ला मण्डी में भाव की स्थिरता अलाउद्दीन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जब तक वह जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई । कीमते कम या नीचे कर दी गयी । कीमते निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किये ।

सरकार सामन्तों एवं ‘खालसा भूमि’ से राजस्व उपज के रूप में वसूल करती थी इस प्रकार अलाउद्दीन ने अन्य कर वसूल करके अपनी स्थिति को मजबूत किया । किसी भी व्यक्ति को किसानों से सीधे अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी । दिल्ली के सभी व्यापारियों को ‘शाहना-ए-मण्डी’ नामक पदाधिकारी

के दफ्तर मे अपना नाम पंजीकरण कराना पड़ता था। राज्य की तरफ से यह सुविधा थी कि जिन व्यापारियो के पास पर्याप्त धन नही होता था उन्हे राज्य की ओर से अग्रिम धन दिया जाता था। इन व्यापारियो को निश्चित दर पर सामान बेचने की आज्ञा थी। इस नियम को किसी भी व्यापारी को तोड़ने की आज्ञा न थी। जो व्यापारी जनता को निश्चित मूल्यो पर सामान मुहैया नही कराता था और यदि सामानो को कम तौलता था तो उस व्यापारी के शरीर का उतना ही मास काट दिया जाता था। राज्य मे सट्टेबाजी दलाली और चोर बाजारी को खत्म कर दिया गया था तथा द्वाबा के पदाधिकारियो से यह लिखित मे गारटी ली जाती थी कि कोई भी व्यापारी अनाज को चोरी से गोदामो मे जमा नही करेगा। किसी भी व्यापारी को अनाज एव वस्तुओ को खरीदने से पहले प्रमुख व्यक्ति अमीरो एवं पदाधिकारियो को 'शाह-ने-मण्डी के दफ्तर से परमिट लेना पड़ता था। इस नियम को राज्य मे कठोरता से लागू किया गया था। अगर इन नियमो का कोई उल्लंघन करता था तो उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। इन सभी सुधारो के परिणाम स्वरूप सभी वस्तुए बहुत ही सस्ती हो गयी थीं। यहाँ तक कि राज्य मे घोडे, पशुओ, नौकर-चाकर एव गुलामो का मूल्य भी बहुत कम हो गया था। अलाउद्दीन के इस कार्य की लगभग सभी समकालीन इतिहासकारो ने भूरि भूरि प्रशसा की है। अलाउद्दीन के इस नियम को पूरे साम्राज्य मे लागू किया गया था या सिर्फ दिल्ली तक ही यह नियम सीमित थे। इस विषय मे लेखको मे आपस मे मतैक्य नही है। फिर भी अलाउद्दीन की प्रशसा करनी होगी कि उसने इस कठिन समस्या को हल करने की कोशिश की। इन सभी सुधारो से यह प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन का उद्देश्य बिलकुल साफ था। उसे सिर्फ इतने से ही सतोष नही था, कि, बाजार नियन्त्रण तथा रहन-सहन का खर्च कम करने से सारी समस्याए हल होगी।

सुल्तान यह भी चाहता था, कि राजस्व मे आर्थिक वृद्धि भी हो और इसके लिए सुल्तान ने अपने राजस्व विभाग के सुधार की ओर ध्यान दिया।

इसके अतिरिक्त गैर मुसलमानों को 'जजिया' देना पड़ता था। इसके लिए सुल्तान ने भूमि की नाप करवायी और वास्तविक उपज के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित किया।

अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन सभी भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई थेट, अनुदान या पुरस्कार के रूप मे थी। ये छोटी अक्ताओं के समान थे, अर्थात् विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये ऐसे भूखण्ड थे, जिनका राजस्व उनके वेतन या पुरस्कार के समान माना जाता था। अलाउद्दीन ने एक अन्य अध्यादेश द्वारा उपज का पचास प्रतिशत भूमिकर (खराज) के रूप मे निश्चित किया। अलाउद्दीन पहला ऐसा मुस्लिम शासक था, जिसने भूमि की वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया। इस पद्धति के अन्तर्गत सभी की भूमि पर पचास प्रतिशत की स्वीकृति दर से लगान वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त गैर मुलसमानों से लिया जाने वाला कर था।

अलाउद्दीन ने सबसे पहले भूमि का बन्दोबस्त करने के पहले पटवारियों और अभिलेखों से पता लगाया कि राज्य के गाँव मे कितनी भूमि खेती के लिए उपयुक्त है और उस पर कितना लगान उचित होगा। इसके लिए अलाउद्दीन ने योग्य एवं ईमानदार राजस्व पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन सभी सुधारों से परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय मे पर्याप्त वृद्धि हुई। इन सभी का बोझ व्यापारियों भूमिकरों, किसानों और जनता के सभी वर्गों पर पड़ा।

सुल्तान सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने के पक्ष में बिलकुल नहीं था फिर भी सुलतान के समय में अनेक व्यक्ति इसको का उपयोग करते थे इनस प्रथा को एकदम से खत्म करना या नष्ट करना सम्भव नहीं था। विशेष कर कि उन राज्यों में जो नवविजित थे।

सेना का गठन -

अलाउद्दीन जैसे महत्वाकाक्षी साम्राज्यवादी सुल्तान के लिए एक शक्तिशाली सेना को रखना अनिवार्य था। क्योंकि अपने उपयुक्त नियमों को लागू करना राजस्व सबधी कार्या को कार्यान्वित करना, तथा अपनी विजय की महत्वाकाक्षी सतुष्ट करने के लिए एवं देश को मगोलों के हमेशा आक्रमण से बचाने के लिए एक सुदृढ़ शक्तिशाली सेना का गठन करना आवश्यक था। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने स्थाई सेना की नीव डाली, जो हमेशा राजधानी की सेवा के लिए तैयार रहती थी। फौज में सेना की भर्ती 'सेना मत्री' द्वारा की जाती थी। सेना को राजकीय कोष से नकद वेतन मिलता था। एक सैनिक का वेतन दो सौ चौतीस टका प्रति वर्ष था और जो सैनिक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे उन्हें 78 टका अधिक मिलता था। सेना को युद्ध की सारी सामग्री राज्य के खर्चे पर मिलती थी। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेना मत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिकों का "हुलिया" (आकृति का विवरण) लिखने की परम्परा जारी किया चूंकि सैनिक लोग अच्छे घोड़ों की जगह खराब घोड़े रखकर राज्य को धोखा दिया करते थे इसके लिए अलाउद्दीन ने घोड़ों के शरीर पर निशान लगाने की प्रथा शुरू किया इसे 'दाग प्रथा' के नाम से जाना

जाता है। यह नियम काफी पुराने थे। भारत तथा और भी देशो में इस प्रथा का प्रचलन था। इतिहासकार 'फरिश्ता' के अनुसार सेना में चार लाख पचहत्तर हजार अश्वारोही थे''। किसी भी लेखक ने पैदल सेना की सख्त्या का वर्णन नहीं किया है फिर भी यह माना जाता है कि अश्वारोही सैनिकों से कही अधिक पैदल सेना रही होगी। अलाउद्दीन सेना के सगठन साज सज्जा एवं अनुशासन की ओर खुद बहुत सचेत रहता था।

उत्तर भारत की विजय -

अलाउद्दीन की सैन्य विजयों को हम दो भागों में बॉट सकते हैं। अलाउद्दीन का उत्तर पर विजय अभियान, गुजरात, रणथम्भौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़, एवं जालौर मुख्य है। 1299ई0 में अलाउद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना को 'उलूग खाँ' एवं 'नसरत खाँ' की देख रेख में गुजरात पर विजय प्राप्त करने भेजा इस राज्य पर कई बार तुर्की सेनाओं ने आक्रमण किया था परन्तु एक भी विजय के लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकी उस समय 'बघेल राजा कर्ण' गुजरात पर शासन किया करता था। अलाउद्दीन की सेना में अन्हिलवाडा को चारों ओर से घेर कर उस पर कब्जा कर लिया। कर्ण की रानी कमलादेवी आक्रमणकारियों के अधिकार में आ गई थी। परन्तु राजा कर्ण अपनी बेटी देवल देवी को लेकर वहां से भाग निकला और जाकर के देवगिरी के राजा रामचन्द्र के यहां शरण ले ली, इस प्रकार से आक्रमणकारी सेनाओं ने पूरे गुजरात राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध में जो माल लूटा गया था उसके बटवारे को लेकर के जो नये मुसलमान (भारत में बसे हुए मगोलो) थे, ने विद्रोह कर दिया। विजेताओं के विजय की

खुशी मे इन नये मुसलमानो ने विध्न डालने की कोशिश की, जिसको विजयी सेनाओ ने क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया ।

अलाउद्दीन ने उत्तर की विजय को आगे बढ़ाते हुए अपना दूसरा आक्रमण रणथम्भौर के किले पर किया । रणथम्भौर जो कि राजस्थान मे मुसलमानो की सैनिक चौकी थी, परन्तु अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वहाँ का राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वशज 'हम्मीर देव' राज्य किया करता था । अलाउद्दीन का रणथम्भौर पर आक्रमण करने का दो कारण था पहला कारण ऐसे किलो को जीतना जो कि दिल्ली का अंग रह चुके थे । दूसरा कारण हम्मीर देव ने कई विद्रोही मुसलमानो को अपने यहाँ शरण दिया था । इस कारण अलाउद्दीन ने उसको दण्ड देना उचित समझा । जिस बक्त उलूग खाँ एव नुसरत खाँ को हम्मीर देव के विरुद्ध आक्रमण पर भेजा गया था उन लोगों ने झैनपर अधिकार करके रणथम्भौर को चारो ओर से घेर लिया था । परन्तु इस युद्ध मे नुसरत खाँ मारा गया और अलाउद्दीन के सैनिक पराजित हुए एक बार पुनः राजपूतो ने रणथम्भौर पर अपनी विजय प्राप्त की । इन सबको देखते हुए अलाउद्दीन ने फैसला किया कि वह रणथम्भौर के आक्रमण पर जाएगा अलाउद्दीन ने पूरे एक वर्ष तक रणथम्भौर को चारो तरफ से घेरे रखा, किन्तु विजय की कोई किरण नजर नही आ रही थी इसलिए अलाउद्दीन ने छल का प्रयोग किया । इस प्रकार 'हम्मीर देव' के प्रधान मन्त्री रनमल को अपनी ओर मिलाया । रनमल की सहायता से जुलाई 1301 ई० को घेरे को सफलता पूर्वक खत्म करते हुए किले की दीवारो पर चढ गये एव हम्मीर देव तथा उसके परिवार बच्चे एव बचे हुए सैनिको को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया । अलाउद्दीन के हुक्म से हीरनमल को भी मौत की सजा दिया चूंकि रनमल ने स्वयं अपने स्वामी को धोखा दिया था इसलिए ये आदमी

विश्वास के काबिल नहीं था, इसलिए अलाउद्दीन 'रणथम्भौर' पर विजय प्राप्त करके दिल्ली लौटा ।

1303 ई० के शुरूआत में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने का मन बना लिया । 28 जनवरी को दिल्ली से कूच कर के चित्तौड़ को घेर लिया । अलाउद्दीन पूरे भारत पर राज्य करने की योजना बना रहा था । लेकिन मेवाड़ के स्वतंत्र रहते हुए इस योजना का पूरा होना नामुमकिन था । इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का यह पर्याप्त कारण था । अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को घेरने के उपरान्त चित्तौड़ नामक पहाड़ी पर अपना आसन जमा लिया फिर भी वह किले को अपने कब्जे में नहीं कर सका यह घेराव लगभग पाच माह तक चलता रहा लेकिन राजपूतों की बहादुरी की प्रशस्ता करनी होगी कि उन्होंने शत्रुओं को अपने किले पर कब्जा नहीं करने दिया राणा रत्न सिंह ने अलाउद्दीन की इतनी बलशाली सेना के आगे युद्ध करना उचित नहीं समझा । अत मेरा राणा रत्न सिंह ने 26 अगस्त 1303 ई० को हथियार डाल दिया, लेकिन राजपूतों की स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भीषण जौहर किया । अलाउद्दीन विजयी हुआ और विजय के उन्माद में उसने राजपूतों के नरसहार की आज्ञा दे दी । अमीर खुसरो जिसने कि यह अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा । उसने लिखा है कि "एक रोज मे 30 हजार राजपूत मारे गये । अलाउद्दीन चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र को वहां का शासक बनाकर दिल्ली लौट आया राजपूतों ने नये शासक को बहुत कष्ट पहुंचाया, इसलिए 1311 ई० मेरा अलाउद्दीन का पुत्र खिजर खाँ जो चित्तौड़ का शासक था अपने पद से स्वयं हट गया । इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपना विजय अभियान प्रारम्भ रखते हुए 1305 ई० मेरा मालवा के प्रान्त जो कि राजस्थान से लगा हुआ है ।

जिसका अधिकाधिक भाग दिल्ली सलतनत मे समाहित हो चुका था उसके जीतने के उद्देश्य से 'आइन-उल-मुल्क मुलतानी' को जालौर तथा उज्जैन पर अक्रमण करने के लिए 9 दिसम्बर 1305 ई० को राजा हरनद के विरुद्ध भेज दिया। इस युद्ध मे राजा हर नन्द पराजित हुए। इस विजय के उपरान्त उज्जैन चन्द्रेरी, माझू धार पर दिल्ली सेना का कब्जा हो गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने मालवा पर विजय हासिल की।

अलाउद्दीन ने इसके बाद 1308 ई० मे मारवाड़ पर कब्जा करने की योजना बनाई, क्योंकि राजस्थान मे केवल वही एक प्रदेश था जिसने तुर्कों की विजय को हमेशा पराजय मे बदला, सुल्तान की सेना ने राजस्थान के इस शक्ति शाली दुर्ग सिवाना को चारो तरफ से घेर लिया। यह घेराव काफी समय तक चलता रहा परन्तु अलाउद्दीन को सफलता की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अलाउद्दीन का धैर्य टूट गया। अलाउद्दीन ने अपने आप पर काबू न रखते हुए तीव्रता से अपनी सेना का सचालन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ के राजा शीतल देव को मजबूर होकर अलाउद्दीन से सधि करनी पड़ी। राजा को अलाउद्दीन के सामने उपस्थित होने की आज्ञा दी गयी लेकिन उसके किले को उसी के अधिकार मे रहने दिया गया। परन्तु राजा के राज्य को छीन कर दिल्ली सलतनत के अमीरो मे बॉट दिया गया। अलाउद्दीन ने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। उसने 'यास्मिन-उल-खिलाफत नासिरी- अमीर-उल-मुमिनिन' की उपाधि धारण की।

अलाउद्दीन पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया। बरनी मापन की पद्धति और उसके

उपकरणों के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं रहा। फिर भी वह बिस्त्रा के आधार पर राजस्व एकत्र करने की बात कहता है। इस पद्धति के अन्तर्गत सभी की भूमि पर पचास प्रतिशत की स्वीकृति दर से लगान वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था।

1305ई० में राजा कनेरदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मगर अपनी जुबान पर काबू न रख सका और हमेशा अपनी बहादुरी की चर्चा किया करता था इससे अलाउद्दीन का क्रोध भड़क उठा। उसने राजा को नीचा दिखाने के लिए अपने महल की नौकरानी के नेतृत्व में एक सेना भेजदी। उस स्त्री ने जालौर को चारों तरफ से घेर लिया। इन सब को देखते हुए कनेर देव पर काफी दबाव पड़ा। कनेरदेव आत्म समर्पण करने जा ही रहा था कि अचानक गुलेबी हिश्त की मृत्यु हो गयी। राजपूतों ने उसके पुत्र को पराजित किया और मौत के घाट उतार दिया। जब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में कुछ कुमुक जालौर पहुंच गयी तो दिल्ली सल्तनत की सेना ने राजा को परास्त कर दिया। राजा को और उसके सबधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तथा जालौर को दिल्ली की सल्तनत में समाहित कर लिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत पर पूर्ण विजय हासिल की।

दक्षिण नीति :

अलाउद्दीन ने उत्तर की सीमा को जीतने के उपरान्त दक्षिण राज्य को भी जीतने का सकल्प लिया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुलतान था जिसने विन्ध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की।

भारत मे उस समय दक्षिण मे चार शाक्तिशाली राज्य थे :-

- 1 पश्चिम मे देवगिरी का यादव राज्य जिसमे महाराष्ट्र सम्मिलित था और देवगिरी (आधुनिक दौलताबाद) जिसकी राजधानी थी, राजा राम चन्द्र देव यहाँ के शासक थे ।
- 2 पूरब मे तैलगाना का काकतीय राज्य जिसकी राजधानी वारंगल थी, यहाँ के राजा प्रताप रूद्र देव द्वितीय थे ।
- 3 कृष्णा नदी के दक्षिण मे स्थित होयसल राज्य जिसमें आधुनिक मैसूर तथा कुछ अन्य जिले सम्मिलित थे और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, होयसल में राजा बीर बल्लाल देव का राज्य था ।
- 4 सुदूर दक्षिण का पांड्य राज्य जिसकी राजधानी मदुरा थी। यहाँ पर राजसिहासन के लिए वीर पाढ़य तथा सुन्दर पाढ़य नामक दो भाइयो मे सघर्ष चल रहा था। सुन्दर पाढ़य अपने भाई वीर पाढ़य से पराजित होकर दिल्ली चला गया था और अलाउद्दीन से अपना सिहासन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगा ।

अलाउद्दीन सिर्फ यह चाहता था कि जो दक्षिण के राजा हैं वह उसकी अधीनता मे हो और हर वर्ष कर दे यदि इन शत्रों को दक्षिण के राजा स्वीकार करे तो अलाउद्दीन उनके राज्यो को उनके अधिकार मे छोड़ने को तैयार था। अलाउद्दीन का मकसद सिर्फ इतना था कि उस प्रदेश से अधिक से अधिक कर हासिल करे।

अलाउद्दीन ने 1294 ई० में देवगिरी के यादव राज्य को अपने हक मे करके वहा के राजा को अपना सामन्त बना लिया और बहुत अधिक मात्रा मे उससे धन वसूल किया। अलाउद्दीन नसरत खाँ के भतीजे छज्जू को दक्षिण के दूसरे राज्य तैलगाना को लूटने के लिए भेज दिया। किन्तु वहा के राजा प्रताप रुद्र देव ने उसे पराजित किया।

1294 ई० मे एलिचपुर का प्रान्त राजा रामचन्द्र देव ने अलाउद्दीन को सौप दिया था। रामचन्द्र देव ने तीन साल से राजस्व नहीं दिया था इसलिए अलाउद्दीन ने उसका दमन करने के लिए 1306 ई० - 1307 ई० में एक सेना सल्तनत के नाइब मलिक काफूर के नेतृत्व मे भेजी थी। मलिक ने एलिचपुर पर कब्जा कर लिया और वहा का सूबेदार एक तुर्की को बना दिया और खुद देवगिरी पर आक्रमण किया। राम चन्द्र देव ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन के सामने बहुत सा धन भेट स्वरूप दिया। अलाउद्दीन ने राम चन्द्र देव को 'रायरायन' की उपाधि से नवाजा और उसके राज्य को उसी के अधिकार मे रहने दिया। इन सबके अलावा नौसारी का जिला अलाउद्दीन ने रामचन्द्र देव को व्यगितगत जागीर के तौर पर दिया।

1303 ई० मे अलाउद्दीन ने तैलगाना पर धावा बोला था किन्तु उस युद्ध मे वो असफल रहा। यह बात अलाउद्दीन के दिल मे हमेशा खटका करती थी और वह जल्दी से जल्दी इस असफलता का जो कलक अलाउद्दीन पर लगा था उसको मिटाना चाहता था। 1308 ई० मे अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को इस की जिम्मेदारी दी और उसको जल्द से जल्द रवाना होने के लिए कहा। काफूर ने वारगल पहुँचकर उसको चारों ओर से घेर लिया। काफूर ने घेरने के उपरान्त

वारगल की भीतरी रक्षक सेना को काफी नुकसान पहुँचाया। वहाँ के राजा ने काफूर के सामने आत्म सर्मपण किया जिसमे तीन सौ हाथी, सात हजार घोड़े एवं काफी बहुमूल्य वस्तुए आक्रमणकारी को युद्ध की क्षति को पूरा करने के लिए भेट स्वरूप दिया और हर वर्ष कर देने का भी वचन दिया। वारगल को अपने अधीनस्थ करने के उपरान्त अलाउद्दीन ने 1310 ई० मे दक्षिण के तीसरे शक्तिशाली राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर एवं हाजी को विन्ध्य के उस पार एक बहुत ही विशाल सेना के साथ भेजा। 1309-10 ई० मे देवगिरी का राजा शकर देव था। काफूर अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ जा पहुँचा दिल्ली के मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए उसने गोदावरी नदी के पार एक रक्षा सेना को हमेशा तैनात रखा यह सावधानी इसलिए भी रखी गयी थी क्योंकि काफूर को शकर देव की वफादारी पर शक था। काफूर ने देवगिरी से द्वार समुद्र की ओर कूच दिया। काफूर इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि होयसल राजा को उसके आने की पूर्व सूचना न मिल सकी और वह चारों ओर से घिर गया तथा युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ उसकी राजधानी पर आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। वहाँ के मंदिर को लूटा गया। अतः ये होयसल राजा को मजबूर होकर भारी हरजाना देना पड़ा एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन की आधीनता स्वीकारनी पडी।

काफूर ने पाड़्य राज्य के लिए द्वार समुद्र से कूच किया जो कि दक्षिण प्रायदीप के आखिरी किनारे पर स्थित था। वीर पाड़्य तथा सुन्दर पाड़्य दो भाइयों मे राजगद्दी के लिए सघर्ष चल रहा था। वीर पाड़्य ने सुन्दर पाड़्य को पराजित कर दिया इसलिए वहाँ गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया। काफूर ने इसका फायदा उठाया और एक अपरिचित देश मे प्रवेश करने का साहस किया। वह मदुरा पहुँचा जिसे राजा वीर पाड़्य छोड़कर चला गयाथा। काफूर ने मंदिरों को नष्ट करके नगर को लूटा।

रामेश्वरम् पहुँच कर उसने विशाल मंदिरों को नष्ट कर दिया। वही पर उसने अलाउद्दीन के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। 1311 ई० में वह दिल्ली लौट गया और अपने साथ अपार धन सम्पदा ले गया जिसका मूल्य लगभग दस करोड़ टका था। इससे पूर्व इतना लूट का माल कोई भी अपने साथ दिल्ली नहीं ले गया था।

वारगल के प्रताप रूद्र देव ने सुल्तान को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि “मेरी राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है इसलिए कृपा करके किसी पदाधिकारी को यही भेज दीजिए। सुल्तान ने काफूर को देवगिरी भेज दिया। देवगिरी से वह गुलबर्गा पहुँचा और उस पर कब्जा जमा लिया इसके उपरान्त उसने कृष्णा तथा तुग़बद्द्रा नदियों के बीच के राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया। रायचुर तथा मुद्गल में उसने अपनी रक्षा सेनाएँ तैनात कर दी।

इस प्रकार समस्त दक्षिण भारत पर दिल्ली का अधिकार हो गया।

मगोलों के आक्रमण के कारण अलाउद्दीन के शासन काल में अत्यधिक अशान्ति रही। जिसके कारण पजाब, मुलतान तथा सिन्ध के साथ-साथ दिल्ली तथा गगा यमुना के उपजाऊ राज्यों के लिए भी असुरक्षा व मगोल आक्रमण का सकट पेदा हो गया। अलाउद्दीन एक योग्य और साहसी शासक था वह मगोलों को सफलता पूर्वक रोककर भारत के आन्तरिक आक्रमणकारी युद्धों को जारी रख सका। उसने मगोलों के कई आक्रमणों को असफल कर दिया था। अलाउद्दीन के शासन काल की शुरूआत से ही मगोलों ने उसे कष्ट देना शुरू कर दिया था। य1308 ई० तक अलाउद्दीन के ऊपर संकट छाया रहा।

मगोलो द्वारा किया गया पहला आक्रमण 1296 ई० मे हुआ। उस वक्त अलाउद्दीन को गद्दी पर बैठे कुछ ही महीने हुए थे। उसने एक 'अमीर जफर खाँ' को उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। यह युद्ध जालन्धर के निकट हुआ जिसमे भीषण नर सहार हुआ तथा मगोलो की पराजय हुई मगोलो द्वारा दूसरा आक्रमण 1297 ई० मे हुआ। इस बार सीरी के किले पर मगोलो ने जबरदस्त घेरेबन्दी कर दी। परन्तु जफर खाँ ने भी आक्रमणकारियो को परास्त कर दिया। तथा मगोल नेता को उसके 1700 अनुयायियो तथा उनकी स्त्रियो व बच्चो को बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिया। 1299 ई० मे अपने नेता कुतुलुग ख्वाजा की अध्यक्षता मे मगोल पुनः भारत आ धमके। इस बार वे लूटमार न करके बल्कि विजय के उद्देश्य से आये थे। सुल्तान के लिए यह अत्यन्त ही सकट का काल था। राजधानी की रक्षा के लिए उसने अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल 'अला-उल मुल्क' से राय ली। अलाउद्दीन ने दूसरे ही दिन मगोलो पर आक्रमण कर दिया। 'जफर खाँ' के नेतृत्व मे यह आक्रमण हुआ और उसने शत्रु को हराकर खदेड़ा किन्तु मगोलो ने उसे सेना के मुख्य भाग से हटाकर घेर लिया और मार डाला। इसके बाद भी आक्रमणकारियो का साहस छूट गया और वे अपने देश को भाग गये। परन्तु अलाउद्दीन को जफर खाँ जैसे जाँबाज सेनानायक का निधन अधिक नही खला क्योंकि वह उसकी महत्वाकांक्षा के कारण उसे खतरनाक समझता था। अलाउद्दीन जिस वक्त चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था उसी वक्त मगोलों ने चौथा आक्रमण किया। मगोल सेना मे कुल 12 हजार सैनिक थे। मगोलो ने 'तार्गी' के नेतृत्व मे दिल्ली के समीप पहुँचने के उपरान्त अपना खेमा स्थापित कर दिया मगोल इतनी तेजी से आये थे कि जो वहां के प्रान्तीय गर्वनर (इकतादार) थे वे

दिल्ली तक नहीं पहुँच सके। मंगोलो के कारण ही अलाउद्दीन को तीन महीने तक सीरी के दुर्ग में घेरे बढ़ी में ही रहना पड़ा था। मंगोलो ने दिल्ली के आस पास के राज्यों को लूटा और वहां से वापस चले गये। भविष्य में राजधानी पर मंगोल आक्रमण न हो इसके लिए अलाउद्दीन ने पंजाब मुल्तान एवं सिध में नये किलों का निर्माण कराया एवं जो किले पुराने हो चुके थे उनकी अच्छी तरह मरम्मत करवायी। इन किलों की रक्षा के लिए सुल्तान ने एक शक्तिशाली सेना भी रखी। इसके अलावा अलाउद्दीन ने एक बहुत ही विशेष सेना को रखा जो सीमा की रक्षा किया करती थी। इसका सेनापति 'गाजी तुगलक' था जिसने बाद में तुगलक वश की नींव डाली थी।

इन सभी व्यवस्थाओं के रहते हुए अली बेग के नेतृत्व में मंगोल सेना ने पंजाब पर आक्रमण किया। जिस वक्त पंजाब पर मंगोलों का आक्रमण हुआ उस वक्त अलाउद्दीन ने मलिक काफूर एवं गाजी मलिक के नेतृत्व में एक सेना आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए भेजी। इस सेना ने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया तथा उनके नेता को बन्दी बना लिया। मंगोलों के प्रमुख नेताओं को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया तथा अन्य बढ़ी बनाये गये सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1305ई० में गाजी मलिक को पंजाब का इक्कादार बनाया गया। 1306ई० में मंगोलों ने एक बार फिर आक्रमण किया। मुल्तान के समीप सिधु को पार करने के उपरान्त हमेशा की तरह लूट पाट करते हुए हिमालय की तरफ बढ़े। गाजी मलिक ने रास्ते में ही मंगोलों का मुकाबला किया और उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 50 मंगोलों को बन्दी बनाकर मौत के घाट उतार दिया और उनकी स्त्रियों और बच्चों को दासों के

रूप मे बेच दिया ।

मगोलों ने अतिम आक्रमण 1307-08 ई0 मे किया इनका नेता इकबाल मन्द नामक सैनिक था, लेकिन इकबाल अपनी सेना के साथ सिन्धु नदी को पार करने के उपरान्त अधिक आगे नही बढ पाया । चूँकि रास्ते ही मे दिल्ली की सेना ने उसकी सेना को घेर कर पराजित कर दिया । एक बडी सख्ता मे मगोल सैनिक बन्दी बनाये गये, इन बन्दियो को दिल्ली भेज कर मौत के घाट उतार दिया गया । 1308 ई0 के बाद मगोलो ने अलाउद्दीन के राज्य मे आक्रमण करने की (विश्व डालने) की जुरूत नही की ।

अलाउद्दीन ने अपने सबसे बडे पुत्र खिज्र खाँ को उत्तराधिकार से विचित करके अपने नाबालिग पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया । अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इस छः वर्ष के बालक को मलिक काफूर ने सिहासन पर आसीन किया । एव स्वय उसका अभिभावक बन कर राज्य का शासक बन बैठा । खिज्र खाँ एव उसका छोटा भाई शादी खाँ दोनो को अन्धा करवा दिया । उसके बाद अलाउद्दीन की विधवा से शादी करके उसके सारे जवाहरात एव सम्पत्ति अपने कब्जे मे करने के बाद उसको बदी बनवा कर अपने आदमियो को मलिक काफूर ने उसकी आँखे निकालने के लिए भेजा किन्तु अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खाँ ने उन आदमियो को रिश्वत देकर काफूर को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा । उन आदमियो ने इस कार्य को बडी सरलता से पूरा किया । इस प्रकार लोगो ने उसके भाई को अभिभावक माना । मुबारक दो-तीन महीने तक इस कार्य को करता रहा एव मौका पाकर अपने ही भाई को सिहासन से हटाकर अधा

बना दिया और खुद 'कुत्बुद्दीन मुबारक शाह' खलजी' के विरुद्ध सिहासन पर बैठ गया।

मुबारक ने अपने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर शासन का कार्य आरम्भ किया। क्योंकि उसके राज्य की जनता तथा अमीरों की सद्भावनाएँ साथ थीं। उसने सभी बन्दियों को मुक्त करके अपने पिता के समय के अध्यादेशों को रद्द कर दिया। उसकी नीति थी क्षमा करो और भूल जाओ। उन्होंने काफूर की हत्या करने वालों को दण्ड देकर अपने सम्मान को बरकरार रखा। मुबारक ने बाजार के ऊपर से जो अलाउद्दीन खलजी द्वारा स्थापित किया गया नियंत्रण था, उसे हटा दिया तथा जो भूमि जब्त कर ली थी, उन भूमियों को उचित अधिकारियों को लौटा दिया गया। जो कर था उसको भी कम कर दिया गया, इस प्रकार लोगों ने चैन की सास ली। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। जो दरबारी और पदाधिकारी थे उनका नैतिक आचरण गिरा जो नया सुल्तान गद्दी पर बैठा वह सुरा और सुन्दरी को लेकर घिर गया। सुखराव नाम के व्यक्ति का उस पर अधिक प्रभाव था। सुखराव एक निम्न जाति का था जिसने कुछ ही समय पहले इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। सुल्तान के आचरण को देखते हुए दरबारी लोग भी उसी के रंग में ढल गये। इसका असर शासन पर पड़ा जिससे शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गयी।

देश में जो विद्रोही धारणा के थे उन लोगों ने राज्य परिवर्तन से शीघ्र ही लाभ उठाने की कोशिश की। देवगिरी के राजाओं ने अपने स्वतंत्रता की फिर एक बार स्थापना कर ली। इस प्रकार राजपुताना का महत्वपूर्ण राज्य मारवाड स्वतंत्र हो गया। सुल्तान को एक बार फिर सारी व्यवस्था को दुर्स्त करना जरूरी हो गया।

‘एन-उल-मुल्क’ मुलतानी को गुजरात भेजा गया, जिसने वहाँ के विद्रोह को सफलतापूर्वक खत्म किया एवं जफर खाँ को वहाँ का ‘इक्कादार’ बना दिया। मुबारक शाह खलजी ने देवगिरी को फिर से जीतने की योजना भी बनाई। मुबारक ने 1317 ई0 में दक्षिण की ओर कूच किया। देवगिरी का राजा सुलतान के आने की सूचना पाकर अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, किन्तु वह पकड़ा गया सुलतान ने उसकी खाल खिचवा ली और उसके सिर को काटकर देवगिरी के फाटक पर लटका दिया गया। देवगिरी को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके तुर्की अफसरों के हाथों में दे दिया गया और राज्य में जगह जगह पर सेना का प्रबन्ध कर दिया गया। मुबारक शाह ने ‘मलिक यकलाकी’ को देवगिरी का ‘इक्कादार’ नियुक्त किया। अब सुखराव को मदुरा जीतने के लिए सुलतान ने भेजा। इसके उपरान्त वह स्वयं दिल्ली लौट आया।

दक्षिण में जो सफलता मुबारक को प्राप्त हुई थी, उससे सुलतान की महत्वाकांक्षा एवं विजय लिप्सा बढ़ गई। सुलतान ने अपने ससुर जफर खाँ और अपने सबसे ‘अजीज शहीम’ को बगैर किसी कारण के मौत के घाट उतरवा दिया और अपने शासन की ओर ध्यान न दे करके सुरा और सुन्दरी में डूब गया। यहाँ तक भी कहा जाता है कि वह दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आया करता था और भाँडो द्वारा अमीरों का अभद्र तरीके से अभिनन्दन करने की आज्ञा दे दी। इससे उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में अव्यवस्था फैल गयी तथा विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गयी। मलिक जो देवगिरी का इक्कादार था उसने विद्रोह शुरू किया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन दक्षिण के एक स्वामी भक्त अफसर ने मलिक को पराजित किया और उसे बदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। मुबारक ने मलिक के नाक और कान कटवा दिये। कुछ समय बाद मुबारक ने

उससे क्षमा कर दिया और समाना का इक्कादार बना दिया लेकिन उसके सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया ।

खुसरव के सौतेले भाई हिसामुद्दीन ने भी विद्रोह किया परन्तु वह भी केन्द्रीय सेनाओं से पराजित हुआ। उसको भी बन्दी बना कर दिल्ली भेजा गया लेकिन खुसरव को खुश रखने के लिए हिसामुद्दीन को सुलतान ने क्षमा कर दिया। खुसरव खुद दक्षिण मे एक राज्य बनाने की जुगत मे था जब इसकी सूचना सुलतान को मिली तो सुलतान ने अपने साथियों पर विश्वास न करते हुए खुद खुसरव को दिल्ली बुलाया और जिन लोगों ने खुसरव पर राजद्रोह का आरोप लगाया था उनको उनके पदों से मुक्त कर दिया तथा सभी को कारागार मे डाल दिया।

गियासुद्दीन तुगलक

गाजी तुगलक का जन्म एक निम्न वर्ग के परिवार मे हुआ था। तुगलक का पिता एक तुर्की गुलाम था, माता पजाब की जाटनी थी। केवल अपनी योग्यता एवं परिश्रम के कारण वह महत्वपूर्ण पद पर पहुँचा था। वह 1305ई0 मे पजाब का इक्कादार बना। मगोलो के आक्रमण के विरुद्ध उसको उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए भेजा गया था। अलाउद्दीन के शासन काल के अंतिम समय मे उसकी गिनती शक्तिशाली अमीरो मे होने लगी थी, किन्तु वह और उसका पुत्र जूना खाँ बहुत ही महत्वाकाशी थे, इन लोगो ने तेरहवीं शताब्दी के तुर्कों जैसी ही नीति अपनायी और खुसरव के खिलाफ युद्ध किया और युद्ध मे खुसरव को पराजित किया। इस युद्ध मे खुसरव को पराजित कर मार डाला। इसके पश्चात् एक विजेता

के रूप में उसने दिल्ली में प्रवेश किया। उसने सिहासन पर बैठने के पूर्व यह खोज करायी कि अगर अलाउद्दीन का कोई भी वशज हो तो उसे ही सिहासन पर बैठा दूँ परन्तु जब कोई न मिला तो 8 सितम्बर 1320 ई० को वह गियासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से सिहासन पर आसीन हुआ। वह पहला सुलतान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का प्रयोग किया था।

अमीरों तथा जनता को खुश रखना उसका सबसे पहला कर्तव्य था। उसने खलजी लड़कियों की शादी का भी इन्तजाम किया (जो लड़कियाँ अपने वश की पराजय के पश्चात बच गयी थीं) पूर्व सुलतान के जो लोग पक्ष में थे उनके साथ उसने बहुत कठोर व्यवहार किया और उनकी जागीरे छीन ली। निजामुद्दीन औलिया जिसको की खुसरव शाह ने 5 लाख टका दिये थे उसने वापस करने से मना कर दिया। इससे सुलतान क्रोधित हो गया और उसके एवं शेष निजामुद्दीन औलिया के मध्य एक कटुतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी क्रम में खुसरव द्वारा उलेमा (धर्माधिकारियों) को भी धन देकर चुप कराया गया था इन लोगों से भी आदेश द्वारा राज्य के धन को अवैधानिक रूप से प्राप्त किये जाने पर लौटाने के लिए कहा गया उलेमा के लगभग सभी सदस्यों ने खुसरव से प्राप्त धन लौटा दिया।

गियासुद्दीन ने किसानों के हित की रक्षा के लिए कार्य किया। शासन काल में भूमि की पड़ताल करने का परमिट खत्म कर दिया। उसके स्थान पर सुलतान ने ये आज्ञा दी की भू-राजस्व का अधिकाधिक भूमिकर खुद निर्धारित करना चाहिए। राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों को कमीशन नहीं दिया जाता था उसके एवज में उन्हे भूमि दी जाती थी इस पर किसी भी प्रकार का कोई

कर नहीं था। इसके अलावा उन्हे किसानों से थोड़ा बहुत शुल्क लेने की आज्ञा थी। इस विषय में गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन की भूमि मापन प्रथा को समाप्त कर दिया और फिर वही पुरानी व्यवस्था शुरू की, जो खलजी पूर्व के शासन में थी। उसने कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किये। बजर भूमियों को खेती के योग्य बनाया जिससे अनेक गाँव बस गये। राजस्व व्यवस्था में जब उचित सुधार हुआ उसके पश्चात गियासुद्दीन ने यातायात के साधनों को बढ़ाने की कोशिश की। जनता की सुविधा के लिए गियासुद्दीन ने अनेक किलों व पुलों आदि का निर्माण कराया। गियासुद्दीन को डाक व्यवस्था को सही ढग से चलाने का श्रेय जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक एवं खुसरव के शासन काल में न्याय विभाग ठीक नहीं था। गियासुद्दीन ने इसमें सुधार किया। तथा राजकीय ऋण वसूल करने के लिए जो शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं उसे खत्म कर दिया।

समाज सुधार के लिए उसने शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा था। खुसरव के शासन काल में जिन राज्यों ने दिल्ली प्रभुत्व से स्वयं को मुक्त कर लिया था उनका पुनः दमन करना गियासुद्दीन तुगलक का मुख्य लक्ष्य था। वह उन राज्यों को जीतकर दिल्ली में मिलाना चाहता था। वारगल के राजा प्रताप रूद्र देव ने दिल्ली से सबधं तोड़ लिया था। सुलतान ने अपने पुत्र जूना खाँ को जिसे उलूग खाँ की उपाधि मिली थी उसका दमन करने के लिए 1321ई० में दिल्ली भेजा। उलूग खाँ ने वारगल को घेर कर वहाँ के राजा को अत्यधिक परेशान कर दिया जिससे राजा को सधि के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने उसके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह बिना किसी शर्त के उसका आत्म सर्मपण चाहता था। तब प्रताप रूद्र देव ने आवेश में आकर घेरा डालने वालों का मार्ग काट दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी समाचार मिलना बद हो गया और

यह अफवाह फैल गयी कि गियासुद्दीन तुगलक की दिल्ली मे मृत्यु हो गयी है। शहजादा ने अपने मित्रों की राय से घेरा उठा लिया तथा सिंहासन पर कब्जा करने दिल्ली की ओर चल पड़ा। मार्ग मे उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस प्रकार यह प्रथम दक्षिणी आक्रमण असफल रहा।

जूना खाँ को देवगिरी पहुँच कर जब यह पता चला कि उसके पिता की मृत्यु का समाचार झूठा है तो वह सीधा दिल्ली पहुँचा और अपनी गलती के लिए पिता से क्षमा मागी। सुलतान ने उसे क्षमा प्रदान कर दिया। 1323 ई0 में उसको एक बार फिर वारगल भेजा गया इस बार धेरे का सचालन इतना मजबूत किया गया कि राजा तथा उसके परिवार के लोग एव सामत विजेताओं के चगुल मे फस गये। तिलगाना पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त इसे छोटे क्षेत्रों मे बाँट दिया गया। उसके पश्चात् वहा शासन करने के लिए तुर्की अमीर और पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। वारगल का नाम सुलतानपुर रखा गया। इस प्रकार वह दिल्ली सलतनत के एक प्रान्त की राजधानी बनायी गयी।

जब दिल्ली की सेनाए तैलगाना से दिल्ली वापस लौट रही थी उस समय रास्ते मे जूना खाँ ने उडीसा के उत्कल राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से काफी मात्रा मे धन को लूटा इस प्रकार तैलगाना एव उत्कल की लूट का सामान लेकर वह दिल्ली वापस आ गया।

बगाल मे सिहासन के लिए गियासुद्दीन, शिहाबुद्दीन एव नसीरुद्दीन इन तीनो भाइयो के बीच युद्ध चल रहा था। गियासुद्दीन ने 1319 ई0 मे शिहाबुद्दीन को उसके सिहासन से हटाकर खुद उस पर जा बैठा। नसीरुद्दीन जो कि बगाल की गद्दी खुद चाहता था, इसने सुलतान गियासुद्दीन तुगलक से सहायता के लिए

कहा सुलतान ने नसीरूद्दीन की बात मान ली और खुद बगाल के लिए कूच कर दिया। सुलतान ने एक योग्य अफसर को जिसका नाम ‘जफर खँ’ था उसको लखनौती पर धावा बोलने के लिए भेज दिया। बगाल का गियासुद्दीन इस युद्ध में पराजित हुआ और बन्दी बना लिया गया इस प्रकार नसीरूद्दीन दिल्ली सल्तनत की अधीनता में बगाल के सिहासन पर बैठा और बगाल को दिल्ली के राज्य में शामिल कर लिया गया इसके पश्चात् सुलतान लूट के साथ दिल्ली पुनः वापस आ गया।

1324ई0 मे शहजादा जूना खँ दक्षिण में था। मगोलो ने उत्तरी भारत पर धावा किया। लेकिन उन्हे पराजय का सामना करना पड़ा और उनके नेताओं को बदी बना कर उन्हें दिल्ली लाया गया।

मुहम्मद बिन तुगलक

मुहम्मद बिन तुगलक मे वह सभी गुण विद्यमान थे उसमे बुद्धि कुषाग्र, एव उसकी स्मरण शक्ति आश्यजनक थी एव ज्ञान पिपासा असीम थी। मुहम्मद बिन तुगलक भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, गणित दर्शन एव साहित्य एव काव्य का विद्वान था, उसको ललित कला एवं संगीत से बहुत अधिक प्रेम था। मुहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तिगत जीवन एव नैतिक स्तर बहुत उच्च कोटि का था। वह स्वभाव से बहुत ही कोमल था। समकालीन इतिहासकारों बर्नी तथा इब्नबतूता ने सुलतान की भूरि भूरि प्रशसा की है इन लेखकों का कहना था कि मुहम्मद बिन तुगलक दान भेट, पुरस्कार आदि खुले हाथो से दिया करता था। किन्तु मुहम्मद को नैतिकता मे हमेशा विश्वास रहा है और अपने धर्म के प्रति भी काफी सचेत था।

मुहम्मद तुगलक का पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था वह एक अनुभवी सेनानायक था एवं उसके नेतृत्व में कई युद्ध लड़े गये थे। मुहम्मद बिन तुगलक को सैनिक जीवन से बहुत ही लगाव था। सभी इतिहासकारों ने एक मत होकर मुहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की है। मुहम्मद एक निष्पक्ष व्यक्ति था स्वभाव से बहुत ही उदार था। लेकिन यह कहना होगा कि शासक के रूप में वह काफी हद तक असफल था। 26 साल शासन करने के बावजूद उसके हाथ एक भी सफलता नहीं लगी। मुहम्मद बिन तुगलक को उत्तराधिकारी के रूप में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य मिला जिसमें उत्तरी भारत तथा दक्षिण सम्मिलित था। परन्तु तुगलक की मृत्यु से पहले दिल्ली सलतनत का आकार बहुत ही छोटा हो गया था। दक्षिण भारत दिल्ली से आजाद हो गया था। बंगाल ने भी दिल्ली से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। मुहम्मद बिन तुगलक को जिस वक्त मृत्यु ने घेर रखा था उसी समय सिध भी उसके हाथों से निकल गया। जो राज्य दिल्ली साम्राज्य में थे वही विद्रोह एवं अर्तकलह चल रही थी मुहम्मद बिन तुगलक कि एक दिली इच्छा थी वह भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीते। किन्तु सिहासन पर बैठने के पश्चात उसको जो कुछ भी मिला था उससे भी हाथ धो बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक की महवाकाक्षा थी कि राजस्व व्यवस्था और मुद्रा को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा करना। परन्तु ये सभी योजनाएं विफल हो गयी, मुहम्मद ने अपने मृत्यु के पहले अपनी असफलता को माना।

समकालीन इतिहासकार बर्नी सुलतान की पाँच महत्वपूर्ण योजनाओं का मुख्य रूप से उल्लेख करता है : (1) दोआब में कर वृद्धि (2) देवगिरी को राजधानी बनाना (3) साकेतिक मुद्रा जारी करना, (4) खुरासान पर आक्रमण और (5) कराचिल की ओर अभियान।

आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने उपज बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाये तथा साथ साथ अधिक उपजाऊ प्रदेश दोआब मे कर वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि 1/10 से 1/20 के बीच मे थी जो कि अनुचित नहीं की जा सकती। क्योंकि इतनी वृद्धि से किसानों पर कोई दबाव नहीं पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य वश जिस वर्ष कर मे वृद्धि की गई उस वर्ष अकाल पड़ गया और उपज न हो सकी। भू राजस्व अधिकारियों ने निश्चित राशि को निर्दयता से वसूल करने का प्रयत्न किया। असहाय वर्ग घबरा गया किन्तु शक्तिशाली जमीदारों ने लगान देने से इन्कार कर दिया। किसानों ने अपना काम करना बद कर दिया धीरे धीरे स्थिति और खराब हो गई। दोआब के विद्रोहों को सख्ती से दबाया गया क्योंकि जो सुलतान उलेमा वर्ग को उनकी गलतियों के लिए क्षमा नहीं कर सकता था वह जमीदारों के विद्रोह को कैसे सहन कर सकता था।

विद्रोहों के जिम्मेदार दो मुख्य वर्गों (उलेमा तथा अमीर वर्ग) पर नियन्त्रण करने के लिए सुलतान ने ठोस कदम उठाये। सुलतान अकाल तथा बिमारी के प्रकोप को तो नहीं रोक सका, लेकिन उसने सबसे पहले उलेमा वर्ग से निपटने के लिए कूटनीतिज्ञता तथा कभी कभी शक्ति का भी प्रयोग किया। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष रूचि रखता था और उलेमा वर्ग की त्रुटियों के प्रति सजग था। इसलिए यह वर्ग स्वार्थी तथा चापलूस हो चुका था। इसलिए इसमे सुधार की आवश्यकता थी। अपने विशेषाधिकार का हनन उलेमा वर्ग के लिए असहनीय हो उठा तो उन्होंने सुलतान को 'काफिर' की सज्जा दी और लोगों को सुलतान के विरुद्ध विद्रोह के लिए भड़काना शुरू कर दिया। उलेमाओं का विरोध मुहम्मद तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए सुलतान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना तथा 'अब्बासी खलीफा' से मान्यता प्राप्त

करना एक राजनीतिक कदम था। अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने के लिए व प्रशासन में सुधार लाने के लिए मुहम्मद तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह में भाग लेने का सदेह था। उनके स्थान पर नये लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इन लोगों की नियुक्ति पुराने अफसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गयी। मुहम्मद तुगलक के अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त कई जातियों के लोग थे जिनमें मुख्यतः मगोल, विदेशी तथा हिन्दू भी थे। अमीरों द्वारा विद्रोहों का उल्लेमा वर्ग ने लाभ उठाया और कई अन्य कारणों ने समन्वित रूप से मुहम्मद तुगलक के विशाल साम्राज्य को जीते जी ही विघटित करना शुरू कर दिया।

(1) समकालीन इतिहास कार बरनी के अनुसार “चूँकि देवगिरी साम्राज्य के केन्द्र में था तथा सभी ओर से एक जैसी दूरी पर था। अतः इसे नई राजधानी के लिए चुना गया। किन्तु एक अन्य समकालीन इतिहास कार (मेहदी हुसैन) के अनुसार “दक्षिण में मुसलमानों की कमी के कारण देवगिरी को दूसरा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाना पड़ा। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया और यह मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र भी बन गया। यहाँ पर कई सूफी सत भी बस गये और यह इसी संस्कृति का प्रमाण है कि तदुपरात इसी स्थान से बहमनी राज्य का विकास हुआ। राजधानी परिवर्तन का कुछ भी कारण हो। इससे तीन बातें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं: (1) दक्षिण में जो कि सल्तनत का अग बन चुका था वहाँ अभी भी असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी। अतः सुलतान को विश्वास हो गया कि दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रशासनिक केन्द्र का होना आवश्यक है जहाँ से दक्षिण के किसी भी विद्रोह को दबाया जा सके।

(2) राजधानी परिवर्तन होने के बाद भी दिल्ली वीरान नहीं हुई, बल्कि पहले की ही तरह आबाद रही। पहले की ही तरह सशक्त रूप से प्रशासन चलता रहा और दिल्ली तथा दौलताबाद के बीच संपर्क बना रहा तथा दोनों मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बने रहे।

(3) दिल्ली से जो उलेमा दौलताबाद गये थे वे दिल्ली की शान को नहीं भूल पाये थे इसलिए उनकी नाराजगी बढ़ती गई तथा वे हर समय लौटने के बारे में सोचने लगे। सुलतान ने उनकी भावनाओं को समझ लिया तथा कुछ वर्षों बाद दिल्ली जाने की अनुमति मिल गयी। लोगों के मन में सुलतान के प्रति आदर कम हो गया। तथा जो लोग वहाँ रह गये थे। उन्होंने इसी प्रशासनिक केन्द्र तथा संस्कृति के प्रभाव से बहमनी राज्य के पनपने में सहायता की।

तीसरी मुख्य योजना मुद्रा व्यवस्था से सबधित थी। समकालीन इतिहासकार बरनी के अनुसार सुलतान विदेशी प्रदेशों को जीतना चाहता था, तथा इसके अलावा सुलतान बहुत ही खर्चीली प्रवृत्ति का था और उसका खजाना भी खाली हो रहा था। इसीलिए सुलतान को 'सांकेतिक मुद्रा' का प्रचलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परन्तु एक अन्य समकालीन इतिहासकार 'नैलसन राइट' ने दिल्ली के सुलतान के सिक्कों का वर्णन करते हुए बताया है कि 1327 – 30 ई० में जब सांकेतिक मुद्रा जारी की गई, उस समय भारत में ही नहीं, बल्कि सप्तसार भर में चॉदी की कमी हो गयी। बगाल की खानों में पर्याप्त मात्रा चादी नहीं मिली और न ही बाहर से आये व्यापारी इसे भारत में ला सके। ऐसी स्थिति में सुलतान ने इस बहुमूल्य धातु को बनाने के लिए थोड़े समय के लिए ताँबे तथा इससे मिश्रित काँसे के सिक्के जारी किये इन सिक्कों का मूल्य चादी के सिक्कों के

बराबर घोषित किया गया और सुलतान ने अपेक्षा की कि लोग इसे स्वीकार करे। उस समय सिक्के बनाने की कला भी साधारण थी। कोई पेचीदे डिजाइन भी उनमें नहीं थे। और न ही कोई सरकारी नियन्त्रण / सरकारी टकसाल भी थी। सरफ की दुकानों पर भी टकसाल का काम होता था। मध्यवर्ती जमीदार चांदी के सिक्के से हथियार खरीदने लगे। किन्तु जब सारी सम्पत्ति व अर्थव्यवस्था दयनीय सी नजर आने लगी तब निराश होकर सुलतान को साकेतिक मुद्रा बद करनी पड़ी।

मुहम्मद तुगलक ने लगभग तीन लाख सत्तर हजार घुडसवारों की एक विशाल सेना इकट्ठी की ताकि उसे खुरासान विजय के लिए भेजा जा सके इस सेना में दोआब के राजापूत तथा कुछ मगोल भी शामिल थे। सुलतान के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस विशाल सेना का क्या किया जाए। यदि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो ये सैनिक कानून व्यवस्था भग करके उत्पात मचा सकते थे। सुलतान ने ऐसी स्थिति में यही उचित समझा कि इस सेना के कुछ भाग को उत्तरी भारत की पर्वतीय शृंखला में सीमाओं को दृढ़ करने के लिए भेजा जाए। जब दक्षिण की सुरक्षा पूर्ण हो गई तो उसका ध्यान पर्वतीय सीमा की तरफ गया। ताकि उत्तर भारत में किलों की शृंखला को पूर्ण किया जा सके। खुरासान के विरुद्ध तैयार की गई कुछ सेना इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उपयोगी हो सकती थी। लेकिन कुछ कारणों से यह अभियान असफल ही रहा। पर्वतीय स्थानों पर सैनिक, वर्षा तथा बीमारी का सामना न कर सके।

इन प्रयोगों के निराशाजनक परिणामों तथा खुरासान अभियान के लिए बनाई गई सेना की बरखास्तगी ने सुलतान के लिए कई परेशानियाँ खड़ी कर दी। उलेमा वर्ग पहले से ही सुलतान से नारज था क्यों कि मुहम्मद तुगलक के धार्मिक एवं

प्रशासनिक विचार उनके विचारो से अलग थे। उलेमा अपने परपरागत विशेषाधिकारो मे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। सुलतान ने कई उलेमाओ की निर्दयता से हत्या करवा दी तथा दूसरो को बड़ी बड़ी सजाए दी। सुलतान किसी भी विद्रोही को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति मे भारत मे रह रहे सूफियो तथा सैयदो ने अपना अनादर समझा तथा सुलतान के विरुद्ध लोक मत तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। सुलतान एक ओर से उपद्रव को रोकने के लिए बढ़ता तो दूसरी ओर सघर्ष प्रारम्भ हो जाता। अतः 1351 ई0 मे सिध के विद्रोह को दबाते हुए सुलतान की मृत्यु हो गई।

फिरोजशाह तुगलक

20 मार्च 1351 ई0 मे मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक दिल्ली का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने मुहम्मद तुगलक के खोये हुए प्रदेशो को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से सिध तथा बगाल मे सैनिक अभियान किये गये। जबकि दक्षिण में स्वतंत्र मदुरा बहमनी तथा विजय नगर राज्य को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दृष्टिकोण से फिरोजशाह का शासन कमजोर रहा और इस कमजोरी को छुपाने के लिए उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखा। फिरोजशाह के शासनकाल के अतिम चरण मे गभीर रूप से राजनीतिक तथा आर्थिक सकट उत्पन्न हो गया। तथा उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही विशाल तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर कई स्वतंत्र राज्यो मे बट गया। सिध मे मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय जो अमीर शाही खेमे मे थे वह यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि गद्दी किसको मिलेगी। अतः उन्होने

यह फैसला किया कि उनकी सेना दिल्ली की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर नया सुलतान नियुक्त किया जाएगा। इस परिस्थिति में उलेमा वर्ग के कुछ लोगों ने फिरोज शाह से धार्मिक रियायतों का वायदा ले लिया। इसके उपरान्त अमीर तथा उलेमा वर्ग दोनों ने सुलतान फिरोज को शासक बनाने का निर्णय स्वीकार कर लिया। सुलतान ने सिध से लेकर दिल्ली तक के मार्ग तक आने वाली मन्दिरों, दरगाहों तथा खानकाहों को दिल खोलकर धार्मिक अनुदान दिया। उलेमा वर्ग नये सुलतान के पक्ष में हो गया। दिल्ली की सल्तनत सभालते ही उसने मलिक मकबूल को अपना वजीर बनाया तथा दोनों ने मिलकर मुहम्मद तुगलक द्वारा उत्पन्न मुसीबतों को समाप्त करने का प्रयास किया, तथा जिन लोगों को सरकार के कर्जे देने थे उन्हें माफ कर दिया गया। उपज के अनुसार लगान तय किया गया। खून खराबा व अत्याचार को समाप्त करने की आज्ञा दी गयी तथा सरकारी पदों को वशानुगत कर दिया गया। सभी वर्ग के लोगों पर सरकारी नियन्त्रण में ढील दे दी गयी। शायद इन्हीं बातों से प्रेरित होकर समकालीन इतिहास कार फिरोज शाह के काल को समृद्धि का काल मानते हैं। प्रशासन की ओर ध्यान न देकर उलेमा वर्ग को रियायते देना, सैनिक अफसरों के कार्यों में न्युनतम हस्तक्षेप इत्यादि करना शायद लोगों की सुलतान के प्रति वफादारी का कारण रहा हो किन्तु ये कारण ही तुगलक साम्राज्य के पतन के लिए भी जिम्मेदार थे।

फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। बगाल के इलियास शाह को सजा देने के लिए जब सैनिक कार्यवाही की गई तो किले पर विजय पाते ही सुलतान ने घोषणा कर दी कि वह किसी और मुसलमान का खून नहीं बहा सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसमें और असभ्य मगोलों में क्या फर्क रहेगा। अतः सुलतान 1354 ई० में दिल्ली लौट आया। इस

कार्यवाही से बगाल के शासक का साहस बढ़ गया। इसके उपरान्त 1359 ई० मेरा जब जफर खाँ ने जोकि बगाल के शासक से बचकर समुद्र के रास्ते से सिध तक पहुँच गया था, फिरोज तुगलक से सहायता के लिए अपील की थी तब एक और सैनिक अभियान भेजा गया। इस सैनिक कार्यवाही से कुछ प्रदेश सुलतान के पक्ष में आ गये थे परन्तु सैनिक दृष्टि से इसे सफल नहीं कहा जा सकता। इस अभियान के दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए जौनपुर शहर की स्थापना तथा फिरोजशाह द्वारा अपने लड़के फतह खाँ को उत्तराधिकारी नियुक्त करना तथा सिक्कों में अपने नाम के साथ उनका नाम भी अंकित करना।

सुलतान के गवर्नर आइन-ए-मुल्क-माहरू की इस शिकायत पर कि सिध का शासक मंगोलों की सहायता कर रहा है एवं उनको सलतनत के विरुद्ध भड़का रहा है तो सुलतान फिरोज शाह ने सिंध के शासक के विरुद्ध आक्रमण का आदेश दे दिया। सिधियों द्वारा रक्षात्मक तरीके अपनाए गये। इसके विपरीत सुलतान की सेना में महामारी फैल गई और लगभग तीन चौथाई सेना को मजबूर होकर गुजरात आना पड़ा। भागते हुए सैनिकों का सुलतान ने पीछा किया। सुलतान गुजरात पहुँचने के बजाय कच्छ के दलदल में फंस गया। जैसे तैसे वह गुजरात पहुँचा और फिर अपनी बहादुरी की बाते करने लगा। फिर सैनिक कार्यवाही हुई और इस बार तुगलक सेना सफल हुई। लगभग दो ढाई वर्ष के (1365-67 ई०) के अन्तराल पर फिरोज शाह दिल्ली लौट आया। इस बीच सुलतान फिरोज शाह का वजीर दिल्ली के अमीरों को झूठी सांत्वना देता रहा कि सुलतान सिध में विजय के ऊपर पुर्णविजय प्राप्त कर रहा है।

फिरोज शाह ने दिल्ली पहुँचने पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि सभी अफसर जो कि सिध अभियान में मारे गये हैं। उनकी जागीरे उनके उत्तराधिकारियों को बगैर किसी शर्त के दे दी गई है, वे सिपाही जिन्होंने गुजरात में खजाने से साठ प्रतिशत वेतन लेकर मुझे छोड़ दिया तथा दिल्ली भाग आये हैं उनकी जागीरे भी रखी हुई हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी शिकायत का मौका मिले। सरकारी पदों को वशानुगत करना तथा ज्यादातर सैनिकों को वेतन के बदले में जागीरे दे देना कुछ ऐसे कार्य थे जिससे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा सैनिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई तथा तुगलक साम्राज्य का स्थाई रूप से कायम रहना असभ्व हो गया।

फिरोज शाह की मृत्यु के बाद लगान प्राप्त करना कठिन हो गया क्योंकि लगान वसूली प्रायः सैनिक शक्ति के कारण होती थी और वह शक्ति अब लुप्त हो गयी थी।

इसी काल में भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहन दिया गया उसने अपनी प्रजा तथा उल्लेमा वर्ग को प्रसन्न रखने के लिए कई परोपकारी कार्य किये। पुराने भवनों की मरम्मत करवायी तथा कुछ नये मदरसों व मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुछ नये शहर जैसे हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली तथा जौनपुर आदि बसाये गये। गरीब किसानों में लगभग सौ लाख टका बांटा गया ताकि वे अपनी जमीन को आबाद कर सकें। अस्पताल व गरीबों के लिए दीवान-ए-खैरात से पैसे का प्रबन्ध किया गया। तोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तम्भ लाकर दिल्ली में स्थापित किये गये। प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि हॉसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवायी। इन नहरों के पानी से

शाही महल के अलावा 180 मील पूर्व पंजाब के प्रदेश की सिचाई की जाती थी। साथ ही उपज वृद्धि तथा अकाल से निपटने के लिए ठोस नीति अपनायी गयी।

उलेमा वर्ग को धार्मिक अनुदान दिये गये। दासों की सख्ता में असाधरण वृद्धि भी तुगलक साम्राज्य की राजनीतिक तथा आर्थिक विघटन का कारण बनी। दास जो कि सुलतान को उपहार में मिलते थे इनकी सख्ता 1,80,000 तक पहुँच गयी। सभी दासों को कोई न कोई पद दिया गया। दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई तथा उन पर होने वाले खर्च के लिए एक अलग खजाना रखा गया। इन दासों का वेतन 10 से 100 टके था।

फिरोज शाह ने अड़तीस वर्ष के लंबे कार्य काल में जो तरीके अपनाये उनमें राजनीतिक बुद्धिमता की कमी थी। दक्षिण सदैव के लिए तुगलक साम्राज्य से अलग हो गया। बगाल तथा सिध पहले की ही तरह विद्रोही हो गये। मालवा तथा खानदेश स्वतंत्र हो गये। सन् 1388 ई० में फिरोजशाह की मृत्यु पर उत्तराधिकार के लिए सघर्ष छिड़ गया।

अमीर तिमूर

अमीर तिमूर का जन्म 1336 ई० में ट्रास-आक्सीयाना में कैच नामक स्थान में हुआ था। तैमूर के पिता अमीर तुर्गाई बार्लस चगताई शाखा के प्रमुख थे। 1369 ई० में तैमूर समरकद के सिंहासन पर बैठा। वह अत्यधिक महात्वाकांक्षी व साहसी था। उसने ईरान, अफगानिस्तान और मैसोपोटामिया पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया था। इन सफलताओं से उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़

गई। हिन्दुस्तान की अपार धन सपदा ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य मूर्ति पूजा का नाश करना था।

अपनी सेना के अग्रगामी दल को तैमूर ने अपने पोते पीर मुहम्मद की अधीनता में भेज दिया था जिसने 1398 ई० में सुलतान को धेरकर उसपर अधिकार कर लिया था। तथा उसने स्वयं एक शक्तिशाली सेना लेकर अप्रैल 1398 ई० में समरकन्द से कूच किया तथा अक्टूबर में मुलतान के उत्तर पूरब में पचहत्तर मील दूर तालम्बा नामक स्थान को धेर लिया। नगर में लूटपाट के बाद वहाँ के निवासियों का कत्ल कर दिया। इसके उपरान्त पाक पटन, दिपालपुर, भटनेर, सिरसा और कैथाल होता हुआ, मार्ग में आग लगाता तथा लोगों की हत्या करता हुआ दिसम्बर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली पहुँच गया। सुलतान महमूद तथा उसके प्रधानमन्त्री भल्लू इकबाल ने तैमूर के आने पर उसका मुकाबला करने का प्रयास किया। तुगलक सेना से युद्ध करने से पहले तैमूर ने एक लाख हिन्दुओं को जिनको दिल्ली से आते समय उसने बंदी बनाया था उनका निर्भयता पूर्वक उनका कत्ल कर दिया जिससे उनके रहने से युद्ध के समय किसी भी प्रकार का सकट न उत्पन्न हो सके। अत 17 दिसम्बर को उसने युद्ध किया और महमूद को पराजित कर दिया। भारतीय सेना में 10 हजार अश्वारोही, चालीस हजार पैदल तथा एक सौ बीस हाथी थे। सुलतान महमूद गुजरात की ओर, भल्लू इकबाल बुलन्द शहर की ओर भाग गया।

18 दिसम्बर 1398 ई० में तैमूर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उलेमा के नेतृत्व में राजधानी के नागरिक विजेता के सामने उपस्थित हुए और दया की प्रार्थना की। तैमूर ने नागरिकों को जीवन दान देना स्वीकार कर लिया। किन्तु

आक्रमणकारी सेना के अत्याचार पूर्ण आचरण के कारण वहाँ नागरिकों को उसका प्रतिरोध करना पड़ा। इस पर तैमूर ने क्रोधित होकर नरसहार की आज्ञा दे दी। जोकि कई दिनों तक जारी रहा। दिल्ली के हजारों नागरिकों को बदी बना लिया गया तथा हजारों का वध कर दिया गया।

विजेता पन्द्रह दिन तक दिल्ली में रुका। उसकी इच्छा न तो वहा रहने की थी और न ही उस पर शासन करने की थी। 1 जनवरी 1399 ई० को उसने दिल्ली छोड़ दिया और समरकन्द जाने की तैयारी करने लगा। फिरोजाबाद होता हुआ वह मेरठ पहुँचा तथा 19 जनवरी 1399 ई० को उस पर कब्जा कर लिया। इसके उपरान्त हरिद्वार के निकट उसे दो हिन्दू सरदारों से युद्ध करना पड़ा। जिसमें हिन्दुओं की पराजय हुई। इसके बाद शिवालिक पहाड़ियों के किनारे किनारे बढ़ता हुआ वह कांगड़ा पहुँचा वहाँ भी उसने लूटपाट की तथा जम्मू को भी लूटा तथा वहाँ अत्यन्त क्रूरता पूर्वक नरसहार किया। 19 मार्च 1399 ई० को उसने स्वदेश लौटने के लिए सिन्धु को पार किया। भारत को जितना दुःख और क्षति तैमूर ने पहुँचाई उतना किसी आक्रमणकारी ने एक आक्रमण में नहीं पहुँचाया होगा।

जिस समय तैमूर लौट कर गया उस समय समस्त उत्तरी भारत में घोर दुःख और अराजकता व्याप्त हो गयी। तैमूर ने हमारे देश के उत्तरी पश्चिमी प्रान्तों दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी भागों को इतनी बुरी तरह लूटा तथा जलाकर नष्ट भ्रष्ट किया कि उन प्रदेशों को पुर्ण समृद्धि प्राप्त करने में कई वर्ष लग गये। लाखों पुरुषों, बच्चों व स्त्रियों को निर्ममता पूर्वक वध कर दिया गया था। सिध से दिल्ली तक दोनों ओर के कई मील तक की रबी की फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। उसकी सेनाओं ने हर जगह अनाज लूटा और बर्बाद किया अतः भारतीय

नगरों में वस्तुओं का अभाव हो गया । लाशों के सड़ने से पानी तथा वायु प्रदूषित हो गये । तथा सर्वत्र महामारी फैल गयी । मार्च 1399 ई० में नुसरत शाह जिसे पहले उसके प्रतिद्वन्द्वी ने मार भगाया था फिर दिल्ली लौट आया । किन्तु महमूद के प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल ने शीघ्र उसका पीछा करके मार भगाया । 1401 ई० में उसने महमूद को पुनः दिल्ली बुलाकर उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया । इस प्रकार तैमूर ने जाने से पहले दिल्ली सल्तनत को छिन्न भिन्न कर दिया ।

सैय्यद वंश :

खिज्र खाँ

खिज्र खाँ सैय्यद वश का प्रथम तथा योग्य शासक था इसके सिहासन पर बैठते ही पंजाब, मुलतान तथा सिध पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया तथा राज्य का विस्तार अब लगभग दुगुना हो गया ।

खिज्र खाँ को अपने शासन काल में कोई विशेष सफलता नहीं मिली उसमें इटावा, कटेहर, कन्नौज, पटियाली और कम्पिल को फिर से जीतने की कोशिश की, परन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली ।

लगभग हर वर्ष लूट पाट करने तथा राजस्व वसूलने के लिए वह सैनिक यात्राएं करता और लूट का माल लेकर वापस लौट आता । राज्य के जिलों से सैनिकों की सहायता के बिना वह राजस्व वसूली नहीं कर सकता था । उसके मंत्री ताज-उल-मुल्क ने अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसको सहयोग

दिया परन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली। दिल्ली तथा गुजरात तथा दिल्ली और जौनपुर में प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ हो गई और इन दोनों नये स्थापित राज्यों के शासकों ने दिल्ली को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने का प्रयत्न किया। उत्तरी पूर्वी पंजाब में खोक्खर नेता जसरथ ने अधिक उपद्रव मचाया। दोआब के सामन्त निरन्तर विद्रोह करते रहे। मेवात के नादिर ने भी विद्रोह किया। खिज्र खाँ ने लगातार हो रहे इन विद्रोहों का दमन करने के लिए कठोर सघर्ष किया। परन्तु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सामन्तों के साथ विद्रोहियों जैसे बर्ताव करता और उन्हे पूरी तरह कुचल देता अतः उसने सामन्तों के साथ समझौते की नीति से काम लिया। इन्हीं कष्टों और अव्यवस्था से जर्जरित होकर खिज्र खाँ 20 मई 1421 ई० को इस ससार से चल बसा। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार वह न्याय प्रिय तथा उदार शासक था। लेकिन वह अयोग्य था तथा उसमें शक्ति व चरित्र का अभाव था।

मुबारक शाह

जब खिज्र खाँ मृत्यु शैख्या पर लेटा हुआ था उसने अपने पुत्र मुबारक खाँ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और सिहासन धारण करते ही उसने मुबारक शाह की उपाधि ग्रहण की। अमीरों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया किन्तु उसे उनसे विशेष सहयोग नहीं मिला। अपने पिता की ही तरह उसे भी विद्रोहियों तथा अव्यवस्थाओं का दमन करने के लिए सैनिक यात्राएं करनी पड़ी। मुबारक शाह को भटिण्डा तथा दोआब में विद्रोहों का दमन करने में सफलता मिली। किन्तु नमक की पहाड़ियों के खोक्खर लोगों को वह दण्ड नहीं

दे सका। उसका नेता जसरथ महात्वाकाक्षी सामन्त था और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। मुबारक ने दिल्ली के खोये हुए प्रान्तों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। राज्य के बजीर सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिन्दू एवं मुस्लिम अमीरों ने सुलतान के विरुद्ध सघर्ष किया। 19 फरवरी 1434ई० को जब मुबारक यमुना नदी के किनारे एक नये नगर का निर्माण करने का निरीक्षण करने गया उसी समय षडयन्त्रकारी उस पर टूट पड़े और उसका कल्प कर दिया।

मुहम्मद शाह :

मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने मुहम्मद को सिहासन पर बिठाया। वह खिज्र खाँ का नाती और मुबारक शाह का पुत्र था। बजीर 'सरवर-उल-मुल्क' राज्य की शक्ति को अपने हाथों में रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकोष भण्डारों तथा हाथियों को अपने अधिकार में रखा। उसने सुलतान को फुसला कर 'खानेजहाँ' की उपाधि धारण की तथा राज्य के उच्च पदों पर उसने अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दी। बयाना, अमरोहा, नारनौल, कुहराम की जागीरे एवं दोआब में कुछ परगने उसने अपने उन मित्रों व अनुनाइयों को दे दी जिन्होंने मुबारक शाह की हत्या में भाग लिया था। परन्तु 'कमाल-उल-मुल्क' नाम का एक अमीर खिज्र खाँ के वश के प्रति वफादार था तथा मुबारक शाह के हत्यारों के विरुद्ध अपने क्रोध को छिपा के रखा था। वह उन्हे दण्डित करना चाहता था। इसके लिए उसने गुप्त तरीके से उसने अपने अनुयायियों का एक दल संगठित करके अपने अनुयायियों को लेकर ठीक समय पर आ गया और 'सरवर उल-

मुल्क' तथा उसके साथियों की हत्या कर दी। इसके उपरान्त 'कमाल-उल-मुल्क' वजीर नियुक्त हो गया। उसने भी महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दिया। परन्तु उसे भी पूर्ण सफलता नहीं मिली क्योंकि उसके पास कोई शक्ति शाली सेना नहीं थी। विद्रोह पहले की ही तरह होते रहे। जौनपुर के इब्राहीम शर्की ने सल्तनत के पूर्वी भाग पर आक्रमण करके कई परगनों पर अधिकार कर लिया। झलका के महमूद ने भी दिल्ली के आस पास आक्रमण किये किन्तु अपनी राजधानी माण्डू पर अहमदशाह के आक्रमण का समाचार सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। तथा वह यह सुनकर भी घबरा गया था कि लाहौर और सरहिन्द का सूबेदार बहलोल लोदी कुमुक लेकर दिल्ली सेना की सहायता के लिए भी आ रहा है। बहलोल लोदी समय पर आ गया और मालवा की सेना को खदेड़ कर उनका सामान छीन लिया। समय पर इस तरह की सेवा के लिए बहलोल को 'खाने जहाँ' की उपाधि मिली।

इसी समय दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया बहलोल लोदी स्वयं दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए बहलोल ने अफगानों की एक सेना इकट्ठी करके दिल्ली पर आक्रमण कर दिया परन्तु वह असफल रहा। इसी सकट पूर्ण स्थिति में 1445 ई० में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो गई।

अलाउद्दीन आलम शाह :

इसके उपरान्त मलिक और अमीरों ने मुहम्मद के पुत्र अलाउद्दीन को आलम शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा दिया। नया सुलतान अपने पिता से भी

ज्यादा अयोग्य था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सरकार की दुर्बलता का लाभ उठाया उसके भाग्य से नये सुलतान तथा वजीर हमीद खाँ मे झगड़ा हो गया। सुलतान अहमद खाँ वध करना चाहता था। हमीद खाँ ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया उसने सोचा कि अमीर अफगान को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर उसे पूर्ववत् शासन का सचालन करेगा। किन्तु बहलोल लोदी ने कुटिल नीति से दिल्ली पर अधिकार करके हमीद को अपने रास्ते से हटा दिया। अलाउद्दीन आलमशाह कमज़ोर शासक था। वह सम्पूर्ण राज्य बहलोल लोदी को सौंपकर स्वयं बदायूँ चला गया और वही रहने लगा। बहलोल लोदी ने खुतबा तथा सिक्को से आलम शाह का नाम हटवा कर 19 अप्रैल 1451 ई० को स्वयं को सुलतान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन आलम शाह एक साधारण अमीर की भाति बदायूँ मे रह रहा था और वहीं पर कुछ वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

बहलोल लोदी :

बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के शाहूखेल नामक कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ था। बहलोल मलिक काला का पुत्र था जो कि जसरथ खोक्खर को हराकर स्वतत्र सरदार बन बैठा था। बहलोल के चाचा सुलतान शाह को खिज्र खाँ ने 1419 ई० मे सरहिद का सूबेदार नियुक्त किया और इस्लाम खाँ की उपाधि धारण की। उसे पजाब के अफगानों को अपने नेतृत्व मे सगठित किया था अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्र कुतुब खाँ को छोड़कर बहलोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा उसकी मृत्यु के बाद बहलोल लोदी सरहिन्द का सूबेदार नियुक्त हो गया। बाद मे उसने लाहौर को भी

अपनी सूबेदारी मे सम्मिलित कर लिया। बहलोल चतुर तथा महात्वाकाक्षी पदाधिकारी था। वह वजीर हमीद को राजशक्ति मे भाग नहीं लेने देना चाहता था। उससे झगड़ा करने से सकट उत्पन्न हो सकता था अतः उसने चालाकी से काम लिया। उसने हामिद खाँ के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार किया। उसने उसे विश्वास दिला दिया कि उसकी कोई महत्वाकाक्षा नहीं है तथा वह सेनापति के पद से सतुष्ट है। एक दिन अपने अनुयायियों के साथ बहलोल लोदी वजीर का अभिवादन करने गया। बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खाँ ने जजीर निकाल कर चारों ओर कस दिया। वजीर को कारागार मे डाल दिया तथा बहलोल ने अलाउद्दीन आलमशाह को दिल्ली लौटने के लिए लिखा। परन्तु आलमशाह ने इस निमत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने 19 अप्रैल 1451 ई० को अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया।

बहलोल कुशल राजनीतिज्ञ था, वह अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझता था उसकी शाक्ति पूरी तरह अफगान अनुयायियों पर निर्भर थी इसलिए वह उन्हे सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। वह स्वयं को उन्हीं में से एक समझता था। वह सिहासन पर न बैठ कर स्वय उनके सामने कालीन पर बैठता था और अमीरों को अपने साथ बैठाया करता था।

सेना मे विश्वास बनाने के लिए तथा अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए वह खुले हाथों से दान, भेट, तथा पुरस्कार आदि दिया करता था। अपने मूल निवास से उसने अफगानों को बुलाकर उन्हे बडे बडे भू भाग जागीरों के रूप मे प्रदान की एव अपने कबीले के प्रमुख व्यक्तियों को पदोन्नति का उसने वचन दिया।

बहलोल लोदी ने राज्य में आन्तरिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा अमीरों और सूबेदारों को जिन्होने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। उन्हे दण्ड देने के लिए कठोर सैनिक वादी नीति का अनुसरण करने का निर्णय किया। उन्हे आतंकित करने के लिए वह कई बार स्वयं आस पास के जिलों में सेनाएं लेकर गया।

सिकन्दर लोदी :

बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए दो गुट बन गये। एक उसके तीसरे पुत्र निजाम खँ को जो जनता में सिकन्दर शाह के नाम से प्रसिद्ध था। दूसरे जो सुलतान के सबसे बड़े पुत्र बारबक शाह के समर्थक थे जो उस समय जौनपुर का शासक था। परन्तु अधिकतर पठान अमीर निजाम खँ के समर्थक हो गये और 17 जुलाई 1489 ई० को सिकन्दर शाह के नाम से सुलतान नियुक्त कर दिया गया।

सिकन्दर ने थोड़े ही समय में अपनी नीति, चरित्र और सुदृढ़ शासन व्यवस्था के द्वारा उसने दिखा दिया कि उसका चुनाव उचित था और दिल्ली के शासन के लिए वह बहलोल के पुत्रों में योग्य था। उसका प्रथम उद्देश्य अपने प्रतिद्वन्द्यों का दमन करके अपने अनुयायियों की शक्ति में वृद्धि करना तथा आन्तरिक व्यवस्था स्थापित करना था सिकन्दर का चाचा आलम खँ भी सिहासन के लिए उम्मीदवार था। सिकन्दर ने उसे रापड़ी में पराजित करके वहाँ से भगाया। आलम खँ ने इसा खँ के यहाँ शरण ली जो सिकन्दर का विरोधी था।

सिकंदर ने आलम खाँ को ईसा खाँ से पृथक करके अपने पक्ष में मिला लिया तथा इटावा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके बाद उसने ईसा खाँ को पटियाला के निकट युद्ध में पराजित किया। युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद ईसा खाँ की मृत्यु हो गयी। सिकन्दर खाँ का चचेरा भाई आजम हुमायूँ भी गढ़ी का उम्मीदवार था उसे भी सुलतान ने हराकर कालपी को छीनकर मुहम्मद खाँ लोदी के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद तातारखाँ लोदी को परास्त किया लेकिन झातरा की जागीर उसके हाथ में ही रहने दी। इस प्रकार सिहासनारोहण के एक वर्ष के अन्दर उसने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया और अपनी शक्ति को सुटूढ़ कर लिया।

सिकन्दर अपने बडे भाई बारबक शाह जो जौनपुर का शासक था को अपने अधीन करना चाहता था। उसने जौनपुर एक शान्ती दूत भेजा जो असफल रहा। किन्तु जौनपुर के भूतपूर्व सुलतान हुसैन शाह ने बिहार में शरण ली जो दोनों भाइयों के आपसी सघर्ष का लाभ उठाना चाहता था। सिकन्दर ने युद्ध किया। उसने बारबक शाह को जो अपनी सेना लेकर कञ्जीज तक पहुँच गया था को पराजित किया। हार कर बारबक शाह बदायूँ चला गया लेकिन वहाँ भी सिकन्दर ने उसे घेर लिया और आत्म समर्पण करने के लिए मजबूर किया। सिकन्दर ने नाम मात्र के लिए उसे जौनपुर का सुल्तान बना दिया और उसके राज्य को विभक्त करके अनुयायियों में बॉट दिया तथा उसके दरबार एवं महल में गुस्चर नियुक्त कर दिये। किन्तु बारबक शाह नितान्त अयोग्य शासक निकला। इसलिए सिंकंदर ने उसे हराकर कारागार में डाल दिया तथा जौनपुर में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया।

जौनपुर का दमन तथा अपने पैतृक राज्य पर निरकुशता स्थापित करने के बाद सिकन्दर अफगान अमीरों को उचित नियत्रण एवं अनुशासन में लाने के लिए प्रयास करने लगा। वह राज्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का इच्छुक नहीं था। उसने अपने सूबेदारों तथा अन्य पदाधिकारियों की आय व्यय के हिसाब की उचित जाँच पर जोर दिया। गबन करने वालों तथा हिसाब में गडबड़ी करने वालों को कठोर दण्ड दिया। अपने मुख्य अमीर मुबारक खाँ लोदी को जिसे जौनपुर का राजस्व वसूल करने के लिए रखा था उसे कठोर दण्ड देकर राज्य का गबन किया हुआ धन लौटाने के लिए कहा। सिकन्दर अमीरों तथा दरबारियों के किसी भी प्रकार के अशिष्ट अथवा असम्मानपूर्ण आचरण को वह सहन नहीं करता था। अमीरों ने बदला लेने के उद्देश्य से सिकन्दर को हटाकर उसके भाई फतह खाँ को सिहासन पर बैठाने का षडयत्र रचा। परन्तु समय से पूर्व इस षडयत्र का भेद खुल गया तो सुलतान ने बाईस अमीरों को दरबार से बाहर निकाल दिया इस प्रकार सिकन्दर को अमीरों पर उचित नियत्रण करने में सफलता मिली। जब सिकन्दर किसी अमीर के लिए फरमान जारी करता था तो वह अमीर छह मील चलकर उचित रस्म के साथ स्वीकार करता था।

शासक के रूप में सिकन्दर की सफलता का श्रेय उसकी उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था को जाता था। सिकन्दर का शासनकाल भौतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सिकन्दर अत्यन्त महत्वाकांक्षी था इसलिए उसने दिल्ली तुर्की सलतनत के खोये हुए प्रान्तों को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई। अपने भाई बारबक शाह का दमन करने तथा जौनपुर को दिल्ली राज्य में मिलाने के कारण उसका बिहार से

सघर्ष हो गया जो उस समय बगाल का एक भाग था। जौनपुर के कुछ जमीदारों का भूतपूर्व सुलतान हुसैन शाह से घनिष्ठ सबध था जो उस समय बगाल में रह रहा था। सिकन्दर इन जमीदारों की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने फाफामऊ (इलाहाबाद के निकट) के भील राजा पर जो विद्रोही जमीदारों का नेता था, आक्रमण किया। परन्तु राजा का पूर्ण रूप से दमन नहीं हो सका। 1494ई0 के आक्रमण में सुलतान की सेना को भारी क्षति हुई तथा घोड़ों की एक बड़ी सख्त नष्ट हो गयी। इसकी सूचना विद्रोही राजाओं ने हुसैन शाह को दे दी तथा सिकन्दर से लड़ने के लिए आमत्रित किया। हुसैन शाह एक बड़ी सेना लेकर सुलतान से लड़ने के लिए बिहार से आ गया सिकन्दर ने उसके मार्ग को रोका तथा बनारस के निकट भयकर युद्ध हुआ। जिसमें हुसैन शाह पराजित होकर भाग गया। सिकन्दर ने हुसैन शाह का पीछा किया और बिहार पर अधिकार कर के दिल्ली में मिला लिया।

धौलपुर तथा ग्वालियर को भी सिकन्दर जीतना चाहता था। 1502ई0 में कठिन तथा काफी लम्बे सघर्ष के बाद सुलतान को राजा विनायक देव के हाथों से धौलपुर छीनने में सफलता प्राप्त की। परन्तु ग्वालियर विजय के लिए सिकन्दर की शक्ति तथा योग्यता कम थी।

कई वर्ष तक लगातार वह मानसिंह पर जो सुदृढ़ किले तथा निकटवर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया। 1504ई0 में सिकन्दर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। वह उसे सैनिक छावनी तथा धौलपुर, ग्वालियर और मालवा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए आधार बनाना चाहता था। कई वर्ष के परिश्रम के बाद सुलतान ने मन्दैल, उत्तरगिर नरवर और चंदेली पर अधिकार कर लिया था। परन्तु

वह ग्वालियर को दिल्ली सलतनत मे मिला न सका। वह मालवा को भी जीतना चाहता था परन्तु उसकी यह इच्छा भी पूर्ण नहीं हो सकी।

1510 ई० मे उसने नागौड़ को जीत लिया। विजेता के रूप मे सिकन्दर को सफलता हासिल हुई सिकन्दर का स्वास्थ्य गिर गया और वह बीमार पड़ गया। 21 नवम्बर 1517 ई० को उसकी मृत्यु हो गई।

इब्राहीम लोदी :

सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त अफगान अमीरों ने सर्वसहमति से उसके पुत्र इब्राहीम को सिहासन पर बैठा दिया। सिहासनारोहण के उपरान्त उसने इब्राहीमशाह की उपाधि धारण की।

अपने पिता द्वारा आरम्भ किये गये विजय अभियान को पूरा करना इब्राहीम की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था। उसने सर्वप्रथम ग्वालियर विजय का सकल्प लिया। ग्वालियर राज्य के शासक ने इब्राहीम के भाई जलाल खाँ को शरण दी, अतः दोनों के मध्य यह युद्ध का एक बहाना था। तथा राजा मानसिंह की मृत्यु हो चुकी थी जो वीर शासक था। उसके बाद उसका पुत्र विक्रमाजीत उसका उत्तराधिकारी हुआ वह अपने पिता की योग्यता तथा राजनीतिक बुद्धिमता की तुलना मे निम्न कोटि का व्यक्ति था। ग्वालियर को घेरने के लिए इब्राहीम ने आजम हुमायूँ शेरवानी को तीस हजार घुड़सवार तथा तीन सौ हाथियों की सेना के साथ भेजा। इस कार्य में सहयोग करने के लिए आगरा से एक सेना भेजी गयी। आजम हुमायूँ उस किले को घेरने के लिए बहुत उत्साह के साथ जुट गया। जिसमे

किले के बाहरी दुर्ग पर दिल्ली की सेना का अधिकार हो गया तथा अन्त मे किले के रक्षकों को हथियार डालने पड़े। विक्रमाजीत दिल्ली सुलतान का सामन्त हो गया। यह इब्राहीम की महानतम सफलता थी।

विभिन्न दलों के आपसी प्रतिट्ठन्दिता के कारण इब्राहीम के शासन काल मे अशान्ति छायी रही। इब्राहीम के राजगद्दी पर बैठते ही स्वार्थी अमीरों के दल ने राज्य को विभाजित करने की नीति का समर्थन किया। इसमें उन्हें इब्राहीम के भाई जलाल खाँ को जौनपुर के सिहासन पर बिठाने मे सफलता भी मिली। अमीरों के दबाव मे आकर सुलतान को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि जलालखाँ जौनपुर मे अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था इब्राहीम पश्चाताप करने लगा। उसके अमीर खानेजहाँ लोहानी ने राज्य विभाजन की मूर्खता पूर्ण नीति की निन्दा की तथा जलाल खाँ को वापस बुलाने पर दबाव डाला। इब्राहीम ने यह कार्य हैवात खाँ को सौप दिया। हैवात खाँ जलाल खाँ को दिल्ली बुलाने मे असफल रहा। इसलिए उसने कुटनीति से काम लिया और जलाल खाँ के अनुयायियों को अपनी ओर मिला लिया। उन्होने जलाल खाँ को जौनपुर छोड़कर कालपी जाने को मजबूर कर दिया वहाँ पहुच कर उसने स्वय को स्वतंत्र घोषित करके सुलतान की उपाधि धारण की। उसने आजम हुमायूँ जो इब्राहीम की ओर से कालिंजर को धेरे हुए था। अपनी ओर मिला लिया अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके जलाल खाँ और आजम हुमायूँ शेरवानी ने अवध पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इब्राहीम को स्वय विद्रोहियों का दमन करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन आजम हुमायूँ ने जलाल खाँ का साथ छोड़ दिया और इब्राहीम के साथ मिल गया इस प्रकार अकेला होने पर जलाल खाँ आगरा की ओर बढ़ा और वहाँ की रक्षा सेना पर आक्रमण कर दिया। जलाल खाँ को वहाँ से भागकर ग्वालियर के राजा के यहाँ

शरण लेनी पड़ी। फिर वहा से वह मालवा भाग गया और अन्त मे गढ़कण्टक के गौड़ राज्य की ओर भाग गया जहा उसे गौडो ने गिरफ्तार कर लिया और बदी बनाकर इब्राहीम की ओर भेज दिया। सुलतान ने उसे हासी मे कैद करके रखने की आज्ञा दी लेकिन मार्ग मे ही उसका वध कर दिया गया। अब इब्राहीम अपने राज्य का निर्विरोध शासक बन गया। अब उसका कोई भी प्रतिद्वन्दी नहीं था।

जलाल खाँ के विद्रोह का दमन करने तथा राज्य पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने के बाद इब्राहीम का दिमाग चढ़ गया वह स्वेच्छाचारी तथा निरकुश शासक की तरह व्यवहार करने लगा। उसने तुर्कों से प्रेरित होकर यह घोषणा की कि “राजा का कोई सबंधी नहीं होता सभी उसके अधीन सामन्त तथा प्रजा होते हैं।” अफगान अमीरो पर उसने कठोर नियम लागू किये। अमीर इस अपमान को न सह सके और उन्होने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इब्राहीम ने आजम हुमायूँ और उसके पुत्र फतेह खाँ को ग्वालियर से बुलाकर कारागार मे डाल दिया। उसके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से क्रोधित होकर आजम हुमायूँ के दूसरे पुत्र इस्लाम खाँ ने विद्रोह कर दिया। अपने पिता की फौज का सेना पतित्व लेकर उसने आगरा के सूबेदार अहमद खाँ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वह स्वयं पचास हजार सेना लेकर युद्ध क्षेत्र मे उत्तरा। विद्रोही अमीरो ने एक विशाल सेना इकट्ठा की जिसमे चालीस हजार घुड़सवार, पैदलो की बड़ी संख्या और पांच सौ हाथी सम्मिलित थे। शेख राजू बुखारी नामक एक धार्मिक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करके तथा शान्ति से बात चीत करके झगड़े को निबटाने का प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा। परिणाम स्वरूप भयकर युद्ध हुआ। अन्त मे इब्राहीम की विजय हुई। उसने विद्रोहियो को परास्त कर दिया। इस्लाम खाँ मारा गया और सैयद खाँ बन्दी बना लिया गया। जो लोग सुल्तान के प्रति वफादार थे उन्हे विद्रोहियो की जागीरे

छीनकर दे दी और पुरस्कृत भी किया।

इस सफलता ने इब्राहीम को पहले से अधिक घमण्डी बना दिया। जिससे वह और अमीरों को दण्ड देने के लिए प्रेरित हुआ। दुर्भाग्य वश आजम हुमाँयू शेरवानी एवं कुछ अन्य अमीरों की कारागार में ही मृत्यु हो गई। जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ विद्रोह की आग भड़कने लगी। बिहार में सूबेदार दरिया खाँ लोहानी, खाने जहाँ लोदी, मिया हुसैन करमाली तथा अन्य अमीरों ने विद्रोह कर दिया। इधर सुलतान ने मूर्खतावश चन्देरी में शेख हसन करमाली की हत्या का आदेश दे दिया। इससे विद्रोहियों को विश्वास हो गया कि जब तक इब्राहीम गद्दी पर बैठा है तब तक उनका जीवन असुरक्षित है। वे सुलतान को गद्दी से हटाने के उपाय खोजने लगे कि इसी समय विद्रोहियों के नेता दरिया खाँ लोदी की मृत्यु हो गयी। लेकिन उसका पुत्र जो बिहार का जागीरदार था, ने मुहम्मदशाह के नाम से अपने को सुल्तान घोषित कर लिया। अनेक विद्रोही उसके नियन्त्रण में आ गये। और उसकी सेना की संख्या एक लाख घुड़सवार हो गई। उसने बिहार से लेकर सम्भल तक के सभी प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। गाजीपुर का सूबेदार 'नासिर खाँ लोहानी' भी उससे मिल गया।

पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ लोदी ने भी विद्रोह कर दिया। उसका पुत्र गाजीखाँ दिल्ली के पास भागा और अपने पिता को सूचना दी कि यदि इब्राहीम बिहार के विद्रोह को दबाने में सफल हो गया तो आपको भी लाहौर से वचित कर देगा। इसी डर से दौलत खाँ ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया तथा काबुल के शासक बाबर से बात चीत करके उसे भारत पर आक्रमण करने तथा इब्राहीम को सिहासन से हटाने के लिए निमत्रण दिया। बाबर स्वयं भारत पर अपना अधिकार

करना चाहता था। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसी समय आलम खाँ नामक एक अन्य अफगान अमीर जो इब्राहीम का चाचा था, मैदान मे आया। वह भी दिल्ली के सिहासन का अभिलाषी था इस उद्देश्य से उसने बाबर से बात चीत शुरू की। इस सबके परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 ई० को पानीपत का युद्ध हुआ जिसमे इब्राहीम लोदी पराजित होकर मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ दिल्ली सलतनत भी समाप्त हो गया।

हिन्दू समाज :

देश की बहुसख्यक जनता हिन्दू थी। उन दिनों उनकी सख्या 95 प्रतिशत से कम नहीं रही होगी। तुर्कों के आगमन से पहले वे शासक तथा सम्पूर्ण देश के स्वामी थे और सल्तनत युग मे भी अधिकाश भूमि पर उन्हीं का अधिकार था। उनमे से अनेक धनी एव समृद्ध शाली सामन्त थे शासन की निम्न शाखाए और विशेष कर राजस्व तथा वित्त विभाग उन्हीं के हाथों मे थे। खुत, चौधरी तथा मुकद्दम सब हिन्दू थे। इसके अलावा प्रमुख व्यापारी, व्यवसायी तथा साधारण दुकानदार भी अधिकतर हिन्दू ही थे। साहूकारों तथा लेन देन के पैसों पर उनका लगभग एकाधिकार था। सेनाओं के साथ हिन्दू बंजारे भी चला करते थे। मध्यकाल मे रसद का समुचित प्रबन्ध नहीं था, इसलिए यह वशानुगत बंजारे ही सैनिकों को रसद पहुँचाया करते थे। हिन्दुओं का एक बहुसख्यक वर्ग कृषि से ही जीवकोपार्जन करता था। अनेक हिन्दू अध्यापन, चिकित्सा आदि पेशे से जुड़े थे। ब्राह्मण वर्ग सामान्यतया अध्ययन व धार्मिक कृत्यों पर अपना समय बिताते थे।

भारत मे तुर्की शासन लगभग साढे तीन सौ वर्षों तक चला इस बीच दमन

तथा विजय की प्रक्रिया चलती रही व लाखो हिन्दू मारे गये तथा स्त्रियाँ व बच्चे मुसलमान बनाकर दासों के रूप में बेच दिये गये। उच्च तथा मध्यम श्रेणियों के हिन्दुओं को सैनिक तथा असैनिक सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इस युग में हिन्दू जनता को राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से बहुत दुःख उठाने पड़े। उन्हे अपने पदों से वंचित ही नहीं होना पड़ा बल्कि उन्हें घृणापूर्ण व्यवहार का शिकार भी होना पड़ा।

तुर्की सुलतान तथा उनके प्रमुख अनुयायी समृद्ध हिन्दू परिवारों से अपने लिए वैवाहिक सबध जोड़ने के इच्छुक थे। अतः इसके लिए वे हिन्दू सामन्तों को अपनी लड़कियाँ देने पर विवश करते थे। मुस्लिम कानून के अनुसार हिन्दू लड़कियों को पहले अपने धर्म से वंचित करके मुसलमान बना लिया जाता और तब उनके साथ विवाह किया जाता था। इस कारण हिन्दुओं को निरन्तर अपमानित होना पड़ता था।

हिन्दू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। तुर्कों को सुन्दर हिन्दू लड़कियों को अपनी पत्नियाँ बनाने का शौक था, इस कारण हिन्दुओं में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। उच्च तथा मध्य वर्गों में पर्दा प्रथा भी प्रचलित हो गयी थी। मध्य युग में नीची जातियों को छोड़कर अन्य लोगों में से विधवा विवाह का विचार ही जाता रहा था। समृद्ध परिवारों को छोड़कर साधारण हिन्दुओं में स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव था, हिन्दुओं का अपने धर्म में विशेष अनुराग था। उनमें से सुशिक्षित लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे किन्तु बहुसंख्यक जनता मूर्ति पूजा करती थी। लोग गूढ़ विश्वासों में फंसे हुए थे। फलित ज्योतिष, सामुदायिक तथा जादू टोनों में उनकी आस्था थी।

सामान्य रूप से व्यक्तिगत ईमानदारी तथा आचरण की शुद्धता का स्तर बहुत ऊचा था।

समाज तथा संस्कृति :

हिन्दुओं के सास्कृतिक कार्य हिन्दू राजाओं के दरबारों तथा हमारे मुख्य विद्या केन्द्रों और तीर्थ स्थानों तक ही सीमित थे। उथल पुथल तथा सकटों के उस युग में जबकि हिन्दुओं को राजाश्रय उपलब्ध नहीं था, यह स्वाभाविक ही था कि वे कालीदास, भवभूति बाण, तुलसी और सूर की रचनाओं से की जा सकती। संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में हिन्दुओं ने तुर्कों की श्रेष्ठता कभी स्वीकार नहीं की। तुर्कों की विजय से जो प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ा उसकी ओर ध्यान न देकर वे साहित्य सेवा में लगे रहे। इसके परिणाम स्वरूप काफी मात्रा में धार्मिक तथा साहित्यिक रचनाएं हुई। लेकिन वह बहुत उच्च कोटि की नहीं थी रामानुज ने ब्रह्म सूत्रों पर टीकाए लिखी, पार्थसारसी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रन्थ लिखे। जिसमें “शास्त्र दीपक” इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने प्रसिद्ध गीतगोविन्द की रचना की। हरकोली नाटक ललित विग्रहराज नाटक, प्रसन्न राघव (जयदेव द्वारा रचित : 1200 ई० के लगभग), हम्मीर मद मर्दन (जयसिंह सूरी द्वारा रचित : 1219 - 1229 ई०), प्रद्युम्नाथ्युदय (रविवर्मन), प्रतापरूद्र कल्याण (विद्यनाथ), पार्वती परिणय (वामनभट्ट बाण), गगादास प्रताप विलास (गगाधर विदाध माधव तथा ललित माधव) (रूप गोस्वामी) आदि अनेक उच्च कोटि के नाटक इसी युग में लिखे गये। हिन्दुओं के प्रसिद्ध कानून ग्रन्थ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने इसी युग में की। इसी विषय

का एक और महत्वपूर्ण ग्रन्थ दयाभाग भी जीभूत वाहन द्वारा लिखा गया । ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित भाष्कराचार्य इसी युग में हुए । योग वैशेषिक तथा न्यायदर्शनों पर भी अनेक टीकाए लिखी गईं । हेतु विद्या का उदय हुआ और इस विषय पर जैन तथा बौद्ध लेखकों ने कई ग्रन्थ लिखे, देवसूरी इस युग का महान जैन नैयायिक था । अनेक धर्म सुधारक भी इस युग में हुए, भक्ति आन्दोलन भी इसी काल की मुख्य उपज थी । विजयनगर के सम्राटों ने सस्कृत साहित्य को अधिक प्रोत्साहन दिया । उनके साम्राज्य में अनेक विद्वान निवास कर रहे थे । वेदों के टीकाकार सायण उनमें अधिक महत्वपूर्ण थे । सस्कृत साहित्य के प्रत्येक प्रकार का उदय हुआ लेकिन इस काल में ऐतिहासिक रचनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया । कल्हण की राजतरगिणी ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसे इतिहास ग्रन्थ कहा जा सकता है । इसका रचना काल लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य का रहा होगा ।

इस युग में धीरे धीरे हिन्दी साहित्य का भी विकास होने लगा हिन्दी के प्रारम्भिक लेखकों में पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्द्रवरदाई सार्वधिक चर्चित कवि थे । उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की । सारगधर दूसरे प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने रणथम्भौर के राणा हम्मीर देव के सबध में हम्मीर देव तथा हम्मीर रासो नामक दो प्रसिद्ध काव्य लिखे । जगनक ने आल्हा खण्ड नामक वृहत काव्य लिखा जिसमें महोबा के चन्देल नरेश परमर्दीदेव के आल्हा तथा ऊदल नामक दो महान योद्धाओं के वीरता पूर्ण कार्यों का वर्णन किया है । इस युग में मैथिली साहित्य का भी महान उदय हुआ । इस भाषा के एक महान लेखक विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी के अन्त में हुए । विद्यापति ने मौलिक हिन्दी तथा सस्कृत में अनेक ग्रन्थ लिखे । कई बगाली लेखकों ने भी साहित्य लिखा । स्मृति

पर रघुनन्दन मिश्र का ग्रन्थ सर्व विख्यात है, मीराबाई ने भी राजस्थानी भाषा में सुमधुर कविताएं लिखीं। इस युग में मराठी कवियों ने भी रचनाएं लिखीं जिनमें नामदेव अधिक प्रसिद्ध हुए। कवि गुरु नानक ने पजाबी भाषा में कविताएं लिखीं। हमारी आधुनिक भाषा के विकास का श्रेय भक्ति आन्दोलन के द्वारा ही हुआ।

प्राचीन हिन्दुओं का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति अर्थात् जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होने के तीन मार्ग हैं ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। सलतनत काल में अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया तथा धर्म सुधार का एक आन्दोलन शुरू किया जो कि भक्ति आन्दोलन के नाम से जाना गया। आन्दोलन की शुरूआत महान् धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से होती है जिन्होंने बौद्ध धर्म से सफलता पूर्वक टक्कर ली और हिन्दू धर्म को एक व्यापक दार्शनिक आधार पर खड़ा किया। शंकराचार्य ने एक तर्क संगत अद्वैत की स्थापना की तथा मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्गों में से प्रथम अर्थात् ज्ञान पर अधिक बल दिया किन्तु साधारण लोगों ने उनके विचारों का ठीक से स्वागत नहीं किया। साधारण जनता के मस्तिक को हिन्दू धर्म की ओर आकृष्ट करने तथा उसे जनता के जीवन का एक सक्रिय तत्व बनाने के लिए मध्ययुगीन धार्मिक विचारकों ने तीसरे मार्ग अर्थात् भक्ति को अधिक महत्व दिया।

इस धार्मिक विचारधारा के सबसे पहले प्रवर्तक वैष्णव आचार्य रामानुज थे जो कि 12वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने सगुण भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। दूसरे समाज सुधारक रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी रामानन्द हुए। जिनका जन्म इलाहाबाद के एक कान्य कुब्ज वश में हुआ था। वे राम के उपासक थे। उन्होंने प्रत्येक जाति के लोगों

को भक्ति का उपदेश दिया। रामानन्द के बारह शिष्य थे जिनमें एक नाई (सैन),
एक रैदास (चमार), तथा एक मुस्लिम जुलाहा (कबीर) था। इस सम्प्रदाय के
तीसरे आचार्य वल्लभाचार्य हुए। वे कृष्ण के उपासक थे, उनका जन्म 1479 ई०
मे बनारस के निकट हुआ था। वल्लभाचार्य के माता पिता तेलुगु ब्राह्मण थे। वे
तीर्थयात्रा के लिए भारत आये और यही बस गये थे। अपने जीवन के प्रारम्भ मे ही
वल्लभ ने अद्भुत साहित्य प्रतिभा का परिचय दिया। काशी मे ही उन्होने
विद्याध्ययन किया उसके बाद वे विजय नगर के सम्राट कृष्ण देव राय के दरबार
मे चले गये। वहाँ उन्होने कुछ शैव विद्वानों को शास्त्रार्थ मे हरा दिया था। उन्होने
शुद्धि द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। साधारण जनता के बीच वे सर्वाधिक लोकप्रिय
हो गये। लेकिन आगे चलकर उनके समृद्ध अनुयायियों मे अनेक दोष आ गये।

भक्ति आन्दोलन के महानतम सन्त चैतन्य थे। उनका जन्म बगाल मे स्थित
नदिया के एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। चौबीस वर्ष की आयु मे उन्होने ससार
से वियोग ले लिया और साधु हो गये और अपना शेष जीवन प्रेम तथा भक्ति का
सदेश देकर बिताया। उन्होने देश के उत्तर तथा दक्षिण के अधिकांश भागों का भ्रमण
किया और काफी समय तक वृदावन मे रहे। उनका विश्वास था कि प्रेम तथा
भक्ति, नृत्य संगीत से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है तथा सगुण ब्रह्म का दर्शन
हो जाता है। चैतन्य पुरोहितों के प्रभुत्व तथा धर्म के बाह्य रूपों और कर्मकाण्ड के
विरोधी थे। उन्होने जाति तथा धर्म के भेदभाव को त्यागकर सभी लोगों को अपना
उपदेश सुनाया। उनके अनुयायी उन्हे विष्णु का अवतार मानते थे। 1513 ई० मे
उनकी मृत्यु हो गई।

भक्ति आन्दोलन के एक और महत्वपूर्ण सत नामदेव थे। वे महाराष्ट्री थे और उनके शिष्यों में सभी वर्गों तथा जातियों के लोग सम्मिलित थे, कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म बदलकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था। वे स्वयं दर्जीं जाति के थे, उनका जीवनकाल पन्द्रहवीं शताब्दी का पूर्वांश्च माना जाता है। इस युग के अन्य सुधारकों की तरह उन्हे भी ईश्वर की एकता में विश्वास था। वे मूर्ति पूजा तथा कर्म काण्ड के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन है।

भक्ति मार्ग के प्रवर्तकों में कबीर तथा नानक भी दो सन्त हुए। कबीर का जन्म बनारस की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था लेकिन लोकलाज के भय से उसने बालक को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से उसे एक मुसलमान जुलाहा दम्पति अपने साथ उठा ले गये। उनके जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है परन्तु ऐसा माना जाता है कि वे 15वीं शताब्दी के अन्त में हुए। आरम्भ से ही वे चिन्तन शील तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे किन्तु रूढ़िवादी नहीं थे वे रामानन्द के शिष्य हो गये थे। कबीर नाममात्र के मुसलमान रहे होंगे, क्योंकि उनकी कविताएं हिन्दुओं के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों से ओत प्रोत थी। उनपर सूफी विचारों तथा क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ा था। कबीर ने गृहस्थ जीवन बिताया और जीवन के अन्य दैनिक कृत्य किये, फिर भी उच्च कोटि के भक्त हुए। कबीर ने जाति तथा धर्म के भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों में प्रेम का सदेश सुनाया। हिन्दू तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करना उनका एक मात्र उद्देश्य था। भक्ति मार्ग के अन्य सतों की तरह कबीर भी जाति व्यवस्था, कर्मकाण्ड तथा धर्म के बाह्य आडम्बरों को नहीं मानते थे उनका मानना था कि प्रेम तथा भगवत् भक्ति से

मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वे भजन गाया करते थे तथा वाह्य आडम्बरों के विरोधी थे।

कबीर की तरह ही गुरु नानक ने भी हिन्दू तथा इस्लाम के बीच एकता का सदेश दिया। उनका जन्म एक खत्री परिवार में 1497 ई० में तालबड़ी नामक गाँव में (आधुनिक नानकाना) में हुआ था। जो लाहौर के दक्षिण में 315 मील की दूरी पर आधुनिक पश्चिम पजाब के शेखूपुरा जिले में स्थित है। नानक के पिता पेशे से पटवारी थे। नानक ने शिक्षा ग्रहण की तथा आगे जाकर उन्होंने अपने बहनोई के यहाँ नौकरी कर ली। उनके बहनोई जयसिंह सुलतानपुर में गल्ले के व्यापारी थे और दाउद खाँ लोदी के यहाँ कार्य करते थे। नानक का धार्मिक जीवन सुलतानपुर से ही आरम्भ हुआ था। उन्होंने भारत के बाहर मक्का तथा मदीना तक की यात्रा की जालन्धर दोआब में स्थित करतार पुर में 1538 ई० में नानक की मृत्यु हो गई। नानक ने विवाहित जीवन व्यतीत किया था, उनके दो पुत्र हुए तथा भली भौति गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनका विश्वास था कि विवाहित जीवन आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होता। उन्होंने प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णुता का उपदेश देकर हिन्दू धर्म के बाह्य आडम्बरों जाति व्यवस्था तथा धार्मिक कटूरता का विरोध किया। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति तथा एकता ही उनकी शिक्षाओं का सार था। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने अगद नामक अपने एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।

भक्ति आन्दोलन काफी व्यापक था तथा सारे देश में उसका प्रचार हुआ। यह जनसाधारण का आन्दोलन था इसलिए उनमें गम्भीर जागृति उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना लोकप्रिय कोई आन्दोलन नहीं हुआ। इसके

दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, हिन्दू धर्म का सुधार करना जिससे वह तबलीग के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। दूसरा हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों सम्प्रदायों में मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सके। पहले इसी उद्देश्य में इसे सफलता मिली। इससे परम्परागत जाति व्यवस्था कुछ उदार हुई। वे अपने गूढ़ विचारों को भूलकर सुधारकों के इस सदेश में विश्वास करने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी लोग समान हैं तथा जन्म और मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। आन्दोलन का दूसरा उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम एकता की स्थापना करना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने यह विश्वास करने से इनकार किया कि राम रहीम, ईश्वर और अल्लाह एक ही ब्रह्म के नाम हैं। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के उत्कर्ष का मुख्य श्रेय भक्ति आन्दोलन को है सन्तों ने जनसाधारण की भाषाओं में अपने उपदेश दिये तथा धीरे धीरे हिन्दी, मराठी, बंगाली, मैथिली आदि आधुनिक भाषाओं को समृद्धि किया। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य के विकास के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण युग सिद्ध हुआ।

स्थापत्य

हिन्दुओं ने तुर्कों के आने से पहले स्थापत्य कला का चरम विकास कर लिया था। हिन्दु स्थापत्य की मुख्य विशेषताएँ थीं - (1) पतले तथा चौकोर खम्भे (2) पुरते (3) नोकदार तथा कैण्टीलीवर सिद्धान्त पर बनी हुई (एक साथ सपाट नहीं बल्कि ऊपर नीचे) मेहराबें तथा (4) सजावट की डिजाइन। हिन्दू इमारते सामान्य तथा रहस्यमयी थीं, चौड़ी तथा खुली हुई नहीं। हिन्दू शासकों को मंदिर तथा स्स्कृत विद्यालय बनवाने का शौक था। मध्ययुगीन हिन्दू स्थापत्य के

नमूने राजस्थान विशेषतया मेवाड़ मे पाये जाते हैं। मेवाड के अधिकतर शासक कला तथा स्थापत्य के पोषक थे। राणा कुम्भा ने अनेक दुर्गों तथा इमारतों का निर्माण कराया। कुम्भलगढ़ का किला तथा कीर्ति स्तम्भ उनके सबसे सुन्दर है। इस स्तम्भ की गणना भारत की सबसे आश्चर्यजनक मीनारो में की जाती है। इसमे अनेक हिन्दू देवी देवताओ के चित्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं और चित्रो के नीचे लेख उल्कीण है। चित्तौड़ मे जैन स्तम्भ भी काफी प्रसिद्ध है। विजय नगर के सम्राट भी कला के आश्रयदाताओ के रूप मे विख्यात थे। उन्होने सभागृहो महलो, सार्वजनिक कार्यालयो, मन्दिरो तथा नहरो का निर्माण कराया। वे सभी अत्यन्त सुन्दर माने जाते थे।

पृष्ठभूमि : अध्ययन काल से पूर्व नारी की स्थिति

नारी सस्कृति के उद्भव एवं विकास में न केवल केन्द्रीय भूमिका निभाती है बल्कि किसी भी देश की सस्कृति का मुख्य मापदण्ड भी नारी की स्थिति ही रही है ये उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, क्योंकि वही सास्कृतिक धरोहर की मूल वाहिका मानी जाती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण का पहला पाठ बच्चा अपनी माँ की गोद में ही पढ़ता है। प्राचीनकाल की स्त्रियाँ पराधीन होते हुए भी सम्मानजनक दृष्टि से देखी जाती थी। मनु के अनुसार नारी सम्मान के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न नहीं होता था और न ही स्त्री को दुखी रखकर कोई भी परिवार उन्नति ही कर सकता था। बल्कि वह घर जहाँ स्त्रियों की समुचित प्रतिष्ठा नहीं होती वह शाप का भागी होता है। सम्भवतः स्त्रियों की स्थिति में अवनति के लिए उत्तरदायी तत्व राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक सर्काणता ही मुख्य थे।

वैदिक युग में जहाँ तक नारी की स्थिति का प्रश्न है, उसका स्थान अपने घर में सम्प्राज्ञी के रूप में था। जहाँ वह घर के अन्य सदस्यों को निर्देशित करने का भी उसे अधिकार प्राप्त था। उसके बिना पुरुष अपूर्ण ही माना जाता था वह भी पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। पुत्री को उपनयन, वेदाध्ययन तथा यज्ञ सम्पादन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ-साथ ब्रह्मचर्य पालन भी करती थी। उन्हे दर्शन तथा तर्कशास्त्र में निपुणता हासिल थी। उन्हे से कई विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋचाओं की रचना की। उत्तर वैदिक काल में उन्हे यज्ञ के अधिकार से वचित कर दिया। किन्तु लालन पालन व उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं की गई। साधारणतया सोलह वर्ष तक वे अविवाहित रहते हुए शिक्षा प्राप्त करती थी। उन्हे स्वयं अपने लिए वर ढूँढ़ने का

भी अधिकार था सामाजिक धार्मिक कार्यों में पत्नी पति के समकक्ष मानी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी।

यह स्थिति ब्राह्मण रचनाकाल में भी देखने को मिलती है। धार्मिक क्रिया विधि अत्यन्त कठिन होने के कारण पुरुष पुरोहितों को ही प्राप्त था। इस प्रकार धीरे-धीरे स्त्रियों का कार्य क्षेत्र सीमित होने लगा।

प्राचीन काल से ही विवाह हिन्दू समाज में बहु विवाह की प्रथा रही है,
किन्तु सम्पूर्ण वैदिक साहित्य से यह स्पष्ट है कि स्त्रियों को भी पुर्णविवाह का
अधिकार था। परदा प्रथा का कोई भी उल्लेख हमें इस काल से नहीं प्राप्त होता है
वे सभा-समितियों, उत्सवों मेलों में भाग लेने के लिये जाया करती थी यही नहीं
कभी-कभी वे सम्पत्ति, विषयक, अधिकार के लिये भी जाया करती थी। वैदिक
साहित्य में अविवाहित कन्या को पिता की सम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है।
विवाह के समय पिता के घर से मिली सम्पत्ति व धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार
होता था। जिसे “स्त्री धन” के नाम से सम्बोधित किया जाता था।

बौद्ध युग में भी शिक्षित और शिक्षित विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। अध्यापन कार्य करने वाली स्त्रियाँ उपाध्याया कहलाती थीं। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार गुणवत्ती पुत्री पुत्र से श्रेष्ठ समझी जाती थी। स्त्रियों को आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हे ललित कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। किन्तु कालांतर में धीरे-धीरे नारी की स्थिति अवनति की ओर अग्रसर होने लगी तथा परिवार में पुत्र को ही श्रेष्ठ समझा जाने लगा। भगवत् गीताकाल में तो स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष समझा जाने लगा। पचतत्र में पुत्री के जन्म को चिन्ता का जन्म कहा गया है। उच्च वर्ग की कन्याओं को गुप्तकाल में

संगीत, नृत्य, चित्रकला, ललित कलाओं में प्रशिक्षित किये जाने का उल्लेख मिलता है।

मनु का काल स्त्रियों की स्थिति के सदर्भ में वास्तव में वास्तविक सक्रमण का काल था। इस काल के उत्तरार्ध में अल्प आयु में ही कन्या के विवाह पर जोर दिया जाने लगा। दूसरी सदी ई० पूर्व तक कन्याओं का उपनयन बद कर दिया गया क्योंकि विवाह के अवसर पर उपनयन स्स्कार भी कर दिया जाता था। मनु के अनुसार चूकि पति ही आचार्य था अतः घर-गृहस्थी के कार्य ही स्त्री के लिये अनुष्ठान की तरह ही था।

इसी काल से विधवा के पुनर्विवाह का भी विरोध किया जाने लगा और लगभग चार सौ ईसवी से धीरे-धीरे सती प्रथा लोकप्रिय होने लगी। इसी काल में मदिरों में देवदासियों को रखने की प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हो चुका था।

पाच सौ ईसवी से लगभग नवीं शती तक नारी की स्थिति निरन्तर बदतर होने लगी इस काल में पुत्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर परिवार के सुख का प्रतीक और पुत्री को उसके दुःख का मूल कहा गया। कम आयु में विवाह हो जाने से स्त्री शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ा बल्कि नारी के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गया। सती प्रथा भी उत्तर भारत के राजकीय घरानों तक सीमित थी। इस काल में गणिका आदर और प्रशंसा की पात्र थी। इस युग में सम्पत्ति विषयक अधिकारों में और अधिक वृद्धि हुई।

पूर्व मध्यकाल के सामन्तीय परिवेश में पुत्री का जन्म परिवार के लिए कष्टदायक माना जाने लगा। पूर्व मध्यकालीन सामाजिक जीवन आडम्बर पूर्ण होता जा रहा था। विधवा विवाह का निषेध था, बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसी प्रथाएँ

दृढ़ हो रही थी। समाज मे नारी की सुरक्षा की आवश्यकता ने पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं को जन्म दिया, स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे। साथ ही तत्युगीन युयद्ध के वातावारण मे पुत्र का जन्म पुत्री जन्म से अधिक महत्वपूर्ण था, एक और बड़ा परिवर्तन जो दसवीं शताब्दी मे हुआ वह है परदा प्रथा का प्रचलन। वैदिक काल के सह शिक्षा के वातावारण मे तो इसका प्रचलन बिल्कुल ही सम्भव नहीं था। भारतीय कृषक एव कामकाजी महिलाओं के सदर्भ मे हमे परदे का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता रहे। स्त्रियों के आवरण वस्त्रों में दुपट्टे, चादर, ओढ़नी आदि के कारण ही उच्च वर्ग की स्त्रियों के आने जाने के लिए पालकी, डोली, हिडोला आदि का उपयोग किया जाने लगा।

विवाह के सदर्भ मे हमे शास्त्रोचित आठों प्रकार के विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हिन्दुओं मे क्षत्रियों के लिए गाधर्व विवाह का उल्लेख मिलता है। इस काल के साहित्य मे स्वयंबर के आयोजनो का वर्णन है। जिसमे कन्या द्वारा स्वतंत्र रूप से वर खोजने की परम्परा थी, इस काल मे कन्याओं का अपहरण करके उनसे विवाह किया जाता था, जो राक्षस तथा गांधर्व विवाह की श्रेणी में आते हैं। कम उम्र में विवाह सरक्षकों की इच्छा पर किये जाने लगे। जिसमे अनेक प्रकार की सीमाएँ निर्धारित थीं। जबकि इस काल के साहित्यों से हमे अन्तर्जातीय विवाह के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं किन्तु अपनी जाति मे विवाह होने के कारण इस प्रकार के विवाह बहुत ही सीमित होने लगे। इसीलिए उनके उल्लेख हमें कम प्राप्त होते हैं। अलबेरुनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पत्नियों की सख्त्या उसकी जाति पर निर्भर करती थी। देवल के अनुसार शूद्र एक, वैश्य दो, क्षत्रिय तीन, ब्राह्मण चार और राजा को इच्छानुसार विवाह करने की अनुमति प्राप्त है किन्तु बहुविवाह प्रथा समृद्ध लोगों मे ही प्रचलित थी क्योंकि वे एक से

अधिक पत्नी रखने मे सक्षम थे। समाज मे बहुविवाह की प्रथा के चलते सामाजिक और पारिवारिक तनावों और जटिलताओं का वर्णन समकालीन साहित्य मे पर्यास रूप से मिलता है। आरम्भ मे विवाह के साथ-साथ दहेज दान स्वरूप दिया जाता था। किन्तु पूर्व मध्ययुगीन सामन्तीय परिवेश के कारण दहेज लेना व देना परिवारों के सामाजिक स्तर व उनकी प्रतिष्ठा का मानदण्ड बन गया। अत इस काल मे दहेज प्रथा प्रचलित हो गई। साहित्य के सदर्भों से इसके दो स्वरूपों का उल्लेख मिलता है, प्रथम श्रीफल “पान” अथवा “तिलक” के नाम से जाना जाता था। दहेज के अन्तर्गत बहुमूल्य रत्न, आभूषण, स्थाई सम्पत्ति, घोड़े, हाथी, रथ, अनुचर, उपचारिकाएं विलास एव जीवन की आवश्यकताओं की सामग्रिया सम्मिलित होती थी।

भारतीय समाज मे ईसा के पूर्व विशेष परिस्थितियो मे विवाह विच्छेद की भी व्यवस्था थी। किन्तु पूर्व मध्ययुगीन समाज मे सामाजिक रुढिवादिता के चलते विवाह विच्छेद की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इतिहास कार अलबेरूनी के अनुसार पति पत्नी का सबंध विच्छेद केवल मृत्यु द्वारा ही होता था क्योंकि उस समय विवाह विच्छेद की प्रथा नहीं थी।

प्रारम्भिक काल से ही माता का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। पूर्व मध्य काल में भी परिवार में उनका सम्मान और मर्यादायुक्त तथा आदर्शात्मक था। पूर्व मध्ययुगीन समाज मे पिता की तुलना में संतान को जन्म देने के कारण माता को महिमा अधिक सुस्थापित थी। माता के विषय मे यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि यदि माता विष भी दे तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध और वीरता के माहौल में वीर प्रसविनी होने के कारण भी माता का स्थान परिवार मे पिता से श्रेष्ठ

ही होता है। विवेच्ययुगीन साहित्यकारों के अनुसार प्रसूति की वेदना तथा शिशु के लालन पालन मे होने वाले कष्ट एवं बलिदानों का ऋण सन्तान कभी नहीं चुका सकती। अतः परिवार मे एवं समाज मे माता का स्थान सर्वोच्च है। नारी की स्थिति सास के रूप मे भी समस्त अधिकारों वाली थी। माता के पश्चात् नारी की स्थिति को समझने के लिए पत्नी के रूप मे उसकी भूमिका को समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस मे पत्नी को घर की मर्यादा, धर्म, अर्थ और काम की संचालिका माना जाता था। पत्नी को पुरुष की सगिनी कहा जाता है अतः पति की सेवा करना उसका धर्म था। समकालीन साहित्यों के अनुसार पत्नी की तुलना देवियों से की गई है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सवों, त्योहारों तथा दान मे भी पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। पति के अत्याचारों से बचने के लिए वह राज्य से प्रार्थना भी कर सकती थी क्योंकि इसके लिए उसे राज्य से सरक्षण प्राप्त था, दूसरी ओर पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर था, इसके साथ ही परित्यक्ता पत्नी के रहने और भोजन का प्रबन्ध भी पति को ही करना पड़ता था, यदि किसी पतिव्रता पत्नी को बिना किसी ठोस कारण के छोड़ दे तो राज्य की ओर से उसे दण्ड दिया जाता था। यदि पत्नी बिना पुत्र को जन्म दिये ही विधवा हो जाए तो पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी होती थी और यदि पत्नी भी जीवित न रहे तो पुत्री पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी होती है।

इसी प्रकार इस काल की नारियों की सामान्य स्थिति का बोध हमे पूर्व मध्ययुगीन समाज मे विधवा स्त्री की स्थिति के अध्ययन से हो जाता है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद दो प्रमुख कर्तव्य निर्धारित थे। एक तो पति के साथ ही सहमरण तथा अनुमरण अर्थात् सती होना और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समस्त जीवन व्यतीत कर देना। अवलोकित काल के धर्म शास्त्रकारों के अनुसार

विधवा के रूप में स्त्री के लिए अनेक कठोर सामाजिक प्रतिबन्ध, कठोर नियम व व्रत निर्धारित थे। यही नहीं संयम और प्रतिबन्ध के जीवन का सफलतापूर्वक पालन न कर पाने पर राजा विधवा स्त्री को उसे घर से निकाल भी सकता था। शुभ अवसरों व उत्सवों पर उसे उपस्थित होने का अधिकार नहीं था। इस युग में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का भी विरोध होने लगा और उन्हें भी कठोर सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता था। इस काल में विधवाओं का सम्पत्ति विषयक अधिकार स्वीकार किया गया। विधवाओं के साम्पत्तिक अधिकार मात्र उक्त सम्पत्ति के भाग तक ही सीमित था क्योंकि अपनी इच्छा से पति की सम्पत्ति को बेचने या गिरवी रखने या दान देने का किसी प्रकार का अधिकार उसे प्राप्त नहीं था।

साहित्य एवं कला में किसी भी युग की नारी की वेशभूषा एवं आभूषण का जो वर्णन प्राप्त होता है। उससे प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही भारत में वस्त्र धारण किये जाते थे। ग्रीष्म ऋतु में स्त्रियाँ दुकूल से निर्मित हल्की साड़ी तथा बस्त ऋतु में केसरिया साड़ी व लाल कच्चुक वस्त्र धारण करती थी। कुलीनों और सपन्न स्त्रियों के वस्त्रों का स्तर सामान्यवर्ग की स्त्रियों से भिन्न होता था। अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही स्त्रियाँ तरह-तरह के वस्त्र धारण करती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ विभिन्न आकार-प्रकार के रंग-बिरंगे, कढ़े हुए सुन्दर वस्त्र धारण किया करती थी। विभिन्न राज्यों में निर्मित कुछ विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख भी साहित्य में उपलब्ध है जैसे दुकूल जो कि बगाल से बनकर आता था। साड़ी, अंगिया (कच्चुकी) और लहँगा नामक वस्त्र महिलाओं में अति लोकप्रिय थे। इस युग से साहित्य ग्रन्थों में हमें भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहने जाने वाली साड़ी के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। फुँदिया, कसनिया, हटागी, चोली इत्यादि शरीर के ऊपरी भाग में

धारण किये जाने वाले भारतीय स्त्रियों के प्रचलित परिधान थे। इस युग में लहँगा तथा घाघरा स्त्रियों में अत्यन्त लोकप्रिय था। पर्दा करने के लिए महिलाएँ ओढ़नी का प्रयोग किया करती थी। जो आधुनिक प्रचलन में भी है। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ घर से बाहर जाते समय ओढ़नी, चुनरी या दुपट्टा अवश्य प्रयोग में लाती थी। पर्दे का प्रचलन उत्तर भारत की अभिजात वर्ग की स्त्रियों में एक सयतमार्गी, आशिक, परदे का प्रचलन था इसे घूँघट कहा जाता था। इसमें केवल चेहरे को छुपाया जाता था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में पैरों में चमाऊ अर्थात् जूते धारण करने का उल्लेख मिलता है।

अपने सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए महिलाएँ आभूषण धारण किया करती थीं। नख से लेकर शिख तक शरीर के प्रत्येक अंग को आभूषणों से अलकृत करना हिन्दू महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक था। बाल्यकाल से ही वे आभूषण धारण किया करती थी। बहुत कम उम्र की अवस्था में ही उनके कान छेद दिये जाते थे। रत्नों में मणि, मरकत, पद्मराग, लोहितक, मुक्ता, प्रवाल, पुष्पराग, वैदर्य, महानील, वज्र(हीरा) स्फटिक, सूर्यकांत तेषा का उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है। शरीर पर धारण किये जाने वाले जेवरातों में मौलि, पट्ट, मुकुट और कौटीर आदि इस युग में विशेष प्रचलित थे। 'शीशफूल' तथा 'शीश भूषण' नामक आभूषण माग में धारण किया जाता था। इसके अतिरिक्त माथे पर गुम्बज के आकार का गहना 'बोर' भी पहना जाता था। माथे पर बिंदी तथा टिकुली लगायी जाती थी, तथा राजपूत स्त्रियाँ भौंहों की सौन्दर्य वृद्धि हेतु एक विशेष प्रकार का आभूषण सोहाली भी धारण करती थी। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल सर्वाधिक लोकप्रिय था, इसके अतिरिक्त तलवट्टी, बाली, झुमका, ताटक, खूँट, कुण्डल इत्यादि का भी उल्लेख साहित्यों से प्राप्त होता है। अवलोकित काल में स्त्रियाँ नाक

मे भी आभूषण पहनती थी। नकफूली, बेसर, बेसनी, बुलाक, नकमोती, नथ, तिलफूल चन्द्रगुन, गजमोती इत्यादि नाक मे पहने जाने वाले आभूषणो का उल्लेख तत्युगीन साहित्य मे मिलता है। विभिन्न प्रकार के ग्रीवा भूषणो का उपयोग भी महिलाओ द्वारा किया जाता था। कण्ठ के आभूषणो मे एकावली, कोष्ठिकाहार, हारयष्टि इत्यादि थे। गले मे पहने जाने वाले आभूषणो मे सिकडी, हार, मोहनमाला, हँसली, कण्ठी, मुक्ताहार, आदि का भी उल्लेख प्रायः समकालीन साहित्य मे मिलता है। अवलोकित काल की स्त्रियाँ अपनी भुजाओ व हाथो को अलकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्त-अलकारों का प्रयोग करती थी जिनमे भुजबन्ध कलाई मे चूडियाँ, वलय हस्तफूल और उगलियों मे विभिन्न प्रकार की अगूठियाँ पहनती थी। भुजबन्ध को इस युग मे केयूर की सज्जा प्रदान की गई है। सलोनी, नामक एक अन्य आभूषण का भी उल्लेख मिलता है। बाहुओ के अन्य आभूषणो मे बाहुती, बरया अथवा वलया, अगद तथा बाहुरखा अथवा बोरखा उल्लेखनीय है। कलाई को सुशोभित करने वाले विविध आभूषणो मे कंकण, हथपूर, चूड़े, चूड़ी तथा वलय का उल्लेख मिलता है। पूर्वमध्ययुग मे दसो उगलियों में अंगूठी पहनना समृद्धि व सौन्दर्य का प्रतीक माना जाता था। स्त्रियो मे कमर में पहने जाने वाले आभूषणो का विशेष लगाव रहा है। काँची मेखली, आदि के साथ-साथ छुद्रघटी किनकिनी, एव घर्घर मल्लिका जैसे आभूषणो का भी उल्लेख अवलोकित काल के साहित्यों मे उपलब्ध है। पैरों मे पहने जाने वाले आभूषणो, का भी उल्लेख अवलोकित काल के साहित्यो मे उपलब्ध है। पैरो मे पहने जाने वाले आभूषणो मे पाजेब, पायल, नूपुर, झाझर, घुघरू इत्यादि स्त्रियो के अत्यन्त प्रचलित आभूषण थे। पूर्वमध्यकालीन साहित्य मे झकार करने वाली पायल को पादहँसिक भी कहा गया है। अनवट तथा बिछुआ विवाहित महिलाओ

विवाहित स्त्रियाँ माग मे सिन्दूर भरती थीं क्योंकि, यह अत्यन्त ही शुभ माना जाता है। अतः स्त्रियाँ अपनी माग मे सिन्दूर भरकर उन्हे मोतियो से अलंकृत करती थीं। मस्तक पर तिलक रचना स्त्री शृगार का एक प्रमुख अग है, जो कि शोभा एवं मगल के साथ सौभाग्य एवं सुहाग का भी प्रतीक है। माथे पर बिन्दी या तिलक कस्तूरी, चदन एवं कुमकुम आदि से अकित किया जाता था। समकालीन साहित्य मे चदन, गोरोचन, कस्तूरी और धनसार द्वारा कपोल चित्र अकित किया जाता था। स्त्रियाँ अपनी आँखो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए आँखो की देखभाल हेतु आँखो एवं भौंहो मे शलाका द्वारा सुरमा और अंजन अथवा काजल लगाया करती थीं।

सम्पन्न स्त्रियाँ अपने ओष्ठ एवं दाँतो को रगने के लिए पान का सेवन करती थीं। साथ ही मोम और आलता का प्रयोग भी उल्लेख में मिलता है। ताबूल का डिब्बा रखने वाली दासियो को ताबुलक वाहिनी कहा जाता था। स्त्रियाँ अपने हाथो एवं पैरो को रगने के लिए मेंहदी का प्रयोग करती थीं। पैरों एवं एडियो के शृगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यो का प्रयोग करती थीं, दर्पण स्त्रियो के शृगार विधि का अनिवार्य अग था। चित्रकला एवं मूर्तिकला मे स्त्रियो का बाये हाथ मे दर्पण लेकर व दाहिने हाथ मे शृगार करने मे व्यस्त दिखाया गया है। पुष्ट अपने कोमलता, सुगध एवं सुन्दरता के कारण सदैव से आकर्षित करते रहे हैं। पुष्ट का प्रयोग स्त्रियाँ आभूषण की तरह ही किया करती थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियो के आभूषण बहुमूल्य धातु स्वर्ण मुक्ता मड़ियो- आदि से बने हुए होते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ पुष्टो के द्वारा बने हुए आभूषणो को पहन कर अपने सौन्दर्य को निखारती थीं। गणिकाओं की शृगार विधियो का उल्लेख भी पूर्व मध्ययुगीन साहित्यिक रचनाओं से मिलता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तत्युगीन स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, शृगार एवं प्रसाधनो के द्वारा अपने प्राकृतिक

के अत्यन्त लोकप्रिय आभूषण थे।

इस प्रकार विवेच्य युगीन स्त्रियाँ सिर से लेकर पैर तक कलात्मक आभूषण पहनती थीं। शृंगार और सौन्दर्य का प्रतीक होने के साथ ही विभिन्न आभूषण हिन्दू स्त्री के लिए सौभाग्य एवं सुहाग के द्योतक भी माने जाते रहे हैं। इनका परित्याग वह विधवा होने के उपरान्त ही करती है।

शारीरिक लावण्य एवं सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए स्त्रियाँ कई प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग सदैव से करती रही हैं। कालान्तर में प्रसाधनकला में दक्षस्त्री को सैरन्ध्री कहा जाता था। विवेच्ययुगीन स्त्रियाँ सोलह शृंगार से अच्छी तरह परिचित थीं। सोलह शृंगार में मञ्जन, स्नान, वस्त्र, पत्रावली रचना, सिन्दूर, तिलक, कुण्डल, अञ्जन, ओष्ठ सिगार, कुसुमगध, कपोल पर लित लगाना, गले में हार पहनना, कचुकी पहनना, कमर में छुद्र घंटिका पहनना तथा पैरों में पायल पहनना की गणना होती थी। स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियाँ गोरोचन, कुंमकु, सुगन्धित कस्तूरी विलेपनों तथा चदन लेप का प्रयोग करती थीं। शृंगार सज्जा के पहले स्नान करने वाले जल में सुगन्धित पदार्थ जैसे मृगमद व कर्पूर आदि डाला जाता था। अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ शरीर को धूप से सुवासित करके सुगन्धियों का प्रयोग करती थीं। केशों के सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता था। केश विन्यास की कला में तत्युगीन स्त्रियाँ पर्यास निपुण थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियों के केश दासियाँ सजाया करती थीं। इन दासियों को 'केशकारिणी' कहा जाता था। केशों में विभिन्न प्रकार के सुगन्धित तेलों को लगाकर, कलात्मक ढग से गूथ कर स्त्रियाँ अपने केशों की बेणियाँ बनाती थीं। अपने केशों में पुष्प लगाकर सुशोभित करती थीं, साथ ही केशों को सोने- चाँदी से निर्मित चंद्रिकाओं से भी सजाया जाता था। हिन्दू समाज में

सौन्दर्य को निखारती थी। किसी भी समाज के अध्ययन के लिए, उसके संस्कारों का अध्ययन भी अनिवार्य होता है, हिन्दू समाज में संस्कारों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत व सुसंस्कृत बनाता है। संस्कार मनुष्य के जन्म से पहले ही प्रारम्भ होकर मनुष्य की मृत्यु तक निरन्तर बने रहते हैं। संस्कारों की संख्या के विषय में यद्यपि धर्मशास्त्राकार एक मत नहीं है। परन्तु अधिकाशतः संस्कारों की संख्या, सोलह मानते हैं इनमें - गर्भाधान, पुस्तक, सीमन्तोन्नयन जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासन, चूडा कर्म, कर्णवेध, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ केशान्त, समावर्तन, विवाह एवं अन्तेष्टि माने जाते हैं, परन्तु समाज में जितने संस्कारों का पालन किया गया वे ही अधिक प्रचलित हुए, संस्कारों की संख्या उनकी मान्यता पर ही निर्भर थी। गर्भाधान हिन्दू संस्कृति में सम्पन्न होने वाला प्रथम संस्कार है। विवाह के उपरान्त स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान है। बारहवीं शती तक साहित्य में इस संस्कार को सपन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है। अल्बेरुनी ने इस संस्कार का विस्तृत वर्णन किया है। कालान्तर में इस संस्कार का प्रचलन कम हो गया और अन्त में समाप्त हो गया था। पुद्ध की उत्पत्ति के लिए ही पुस्तक संस्कार होता था- इसके उल्लेख हमें पूर्वमध्ययुगीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार की समीन्तोन्नयन नामक संस्कार का मूल उद्देश्य यह था कि स्त्री स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर वीर पुत्र को जन्म दे। पुत्र जन्म के समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कार जातकर्म होता था जिससे कि अनिष्टाकारी शक्तियों का नवजात शिशु पर कोई प्रभाव न पड़े। अल्बेरुनी ने जात कर्म को तीसरा यज्ञ माना है। सन्तान को नाम प्रदान करने के लिए नामकरण संस्कार होता था। वैदिक युगीन बालिकाओं की शिक्षा का प्रारम्भ जिस उपनयन संस्कार द्वारा होता था आगे चलकर स्मृतिकारों ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया कन्या के

विवाह को ही उसका उपनयन सस्कार घोषित कर दिया गया। हिन्दू समाज का एक महत्वपूर्ण सस्कार विवाह संस्कार है, यह सामाजिक तथा धार्मिक संस्कार भी है। विवाह सस्कार की सम्पन्नता से ही गृह-यज्ञ प्रारम्भ होता है। अतः विवाह सस्कार को सभी संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है। इसके अन्तर्गत वर वधु की विभिन्न योग्यताएँ और गुण गौत्र और वर्ण आदि का विचार किया जाता था। धर्म के अनुसार यज्ञिक कार्य, सन्तानोत्पत्ति, वशोत्थान, गहिस्थ्य, तथा पितरों के लिए पिण्डदान आदि के लिए विवाह अति आवश्यक था मनुष्य के जीवन का अन्तिम सस्कार अंत्येष्टि -सस्कार था जिसे हिन्दू धर्म में बहुत अधिक महत्व प्राप्त था। अवलोकित काल के साहित्य से ये स्पष्ट होता है कि सतीनारी और शौर्यपूर्ण पुरुष के मृत्यु के पश्चात् चिता पर जलकर भस्म हो जाना, यह प्रथा ऐतिहासिक युग में प्रारम्भ हुई तथा पूर्वमध्यकाल के आगमन तक इस प्रथा ने अपनी जड़े मजबूत कर ली थी। यर्थाथ में सतीप्रथा इस युग में वैधव्य के दुःख से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन बन चुका था। समाज में विधवा स्त्री के लिए सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी। कुछ स्मृतिकारों ने इस धारणा का प्रचार करना भी बद कर दिया जो विधवा स्त्री अपने पति की चिता के साथ ही सती हो जाया करती थी वह सुख का जीवन व्यतीत करती थी। यह भी विश्वास दिलाया गया कि सती होने के बाद उसका पति से पुर्णमिलन होता है। तथा जो स्त्री पति के साथ सती नहीं होती थी उसे समाज तथा परिवार में तिरस्कृत माना जाता था।

पूर्व मध्ययुगीन स्त्रियों आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विभिन्न जीविका अपनाती थी गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कृषि कार्य में सहायता प्रदान करना सिलाई करना, टोकरी बुनना, कढ़ाई करना इत्यादि ऐसे कार्य थे, जिनके माध्यम से महिलाएँ अपने परिवार की आर्थिक सहायता करती थीं। इसके

अतिरिक्त धन अर्जित करने वाली महिलाओं में गणिकाये, देवदासियाँ, वाराँगनाये, सेवावृत्ति में सलग्र दासियाँ, ग्वालिन, नाउन, वारवनिताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है। समीक्षाधीन अवधि में समाज में गणिकाओं की सख्ता बहुत अधिक थी। इन्हे मनोरजन एवं नृत्य गान हेतु विशिष्ट अवसरों पर आमन्त्रित किया जाता था। उस काल में गणिकाओं के व्यवसाय को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये गणिकाये सौन्दर्य के साथ-साथ चौसठ कलाओं में निपुण होती थीं। राजदरबारों में इनकी कला का सम्मान किया जाता है। अलबेरूनी के अनुसार अभिजात वर्ग व शासकों का विशेष समर्थन व प्रोत्साहन प्राप्त था, क्योंकि इस व्यवसाय से राज्य को कर के रूप में आय होती थी। मंदिरों में ईश्वर की आराधना पूजा व ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए तथा देव मंदिर को गुजायमान रखने के लिए मंदिर में नर्तकियों का होना अनिवार्य था। इस पूर्वमध्ययुगीन विचारधारा के परिणाम स्वरूप देवदासी वर्ग की उत्पत्ति हुई। प्रायः सभी मंदिरों में देवदासियों का निवास था। यद्यपि हिन्दू समाज में सभी वर्गों ने देवदासी प्रथा को मान्यता नहीं दी थी, ब्राह्मण तथा सन्यासी वर्ग इसके सख्त विरोधी थीं। परन्तु विरोध के बाद भी शासक वर्ग के सरक्षण में यह प्रथा काफी विकसित तथा प्रचलित हुई।

पूर्व मध्ययुगीन समाज में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग था जिनका कार्य उच्च वर्ग की सेवा करना था वह उनके स्नान, वस्त्र, प्रसाधन, शव्या, आसन आदि कार्यों की जानकारी का ध्यान रखती थी, तथा केशविन्यास, माला गूथना, चन्दन विलेपन, अगराज बनाना इत्यादि कार्यों में अत्यन्त निपुण होती थीं। सम्पत्ति के रूप में भी दासियों का आदान-प्रदान होता था। धनिक वर्ग कन्या के विवाह के समय दहेज के साथ दासियों को भी भेजते थे। दासियों को धात्री, परिचारिका, प्रेष्या, भूजिष्या, दूती आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। हिन्दू धर्म शास्त्रकारों ने

स्त्री के सम्पत्ति विषयक अधिकार का वर्णन किया तथा कन्या को भी पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारिणी माना। परन्तु अधिकाश धर्मशास्त्रकारों ने पुत्र के अभाव में ही पुत्री को परिवार की सम्पत्ति का स्वामी माना है। पति एवं पत्नी दोनों को ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिवार की सम्पत्ति का संयुक्त स्वामी माना जाता था। पूर्वमध्ययुगीन व्यवस्थाकारों के अनुसार पत्नी के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति पर था यहाँ तक कि परित्यका पत्नी के प्रति भी उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व पति पर ही था। समीक्षाधीन अवधि में स्त्रीधन की परिभाषा अत्यन्त व्यापक हो गयी थी। उत्तराधिकार में प्राप्त धन, खरीदी हुई सम्पत्ति, बैटवारे में प्राप्त सम्पत्ति, स्नेहियों से प्राप्त धन, इत्यादि पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि इस युग में विधवा स्त्री को पति की सम्पत्ति को बेचने, गिरवी रखने या किसी को देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतीय दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत विविध अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों के फैसले के लिए न्यायालयों की समुचित व्यवस्था थी।

अबलोकित काल के साहित्य से यह पता चलता है कि इस युग में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। किन्तु फिर भी स्त्रियों के आमोद-प्रमोद की तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था थी। विभिन्न धार्मिक त्योहारों, उत्सवों, उद्यान, क्रीड़ा, झूला, नृत्य, संगीत तथा सामाजिक एवं धार्मिक परिचर्चा में स्त्रियाँ भाग लेती थीं। हिन्दुओं के धार्मिक त्योहार प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋतुओं में सम्पन्न होते थे तथा स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा अत्यन्त ही उल्लास के साथ मनाये जाते थे। हिन्दू समाज में इन महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में बसन्त पञ्चमी, होली, दिपावली, शिवरात्रि, एकादशी इत्यादि के त्योहारों का विस्तृत वर्णन इस युग के साहित्यों से प्राप्त होता है। विवाह स्वयंवर एवं अन्य अवसरों पर उत्सवों का

आयोजन किया जाता था। स्त्रियाँ वस्त्र-आभूषणों को पहनकर गीत एवं नृत्य में भाग लिया करती थीं।

साहित्य में वर्णित कन्दुक-क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, दोलाकेलि-गुडियों का खेल, कथा कहानी एवं पशु-पक्षी, विनोद इत्यादि महिलाओं के मनोरजन के विविध लोकप्रिय माध्यम थे। स्त्रियाँ ललित कलाओं में भी अत्यन्त निपुण होती थीं। जैसे चित्रकला नृत्य एवं संगीत इत्यादि। ये स्त्री शिक्षा के अनिवार्य अग बन चुके थे। सगीत तथा नृत्य कला को यथोचित सम्मान राजदरबार में मिलता था। इसलिए पूर्व मध्यकाल में नृत्यांगनाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। वैदिक युग में स्त्री शिक्षा अत्यन्त संतोषजनक थी। किन्तु पूर्व मध्ययुग तक नारी शिक्षा का महत्व कम हो गया था। परदा प्रथा, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के बन्धनों के कारण स्त्री शिक्षा अवरुद्ध हो गई, लेकिन अभिजात वर्ग की महिलाएं घर पर ही निजी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थीं। इसमें स्त्रियों को व्यवहारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, धर्मशास्त्र एवं गृहविज्ञान सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। पूर्व मध्ययुग राजनीतिक क्षेत्र में केवल राजपरिवारों की स्त्रियाँ ही भाग लेती थीं। सामान्य वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। शासन संचालन में भी स्त्रियों ने बुद्धिमता का परिचय दिया तथा युद्ध क्षेत्र में भी वीरता का प्रदर्शन किया एवं मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध किया तथा कुशलता पूर्वक संचालन भी किया। स्त्रियाँ सदैव से ही पुरुषों की अपेक्षा धर्म के प्रति अधिक आकृष्ट थीं। धार्मिक क्रिया कलापों तथा ईश्वर में उन्हें अपार श्रद्धा थीं।

साहित्य के माध्यम से किसी समाज के विचार, परम्परा, विश्वास, कार्य और लक्ष्य की सीधी अभिव्यक्ति होती है। इसा की दसवीं शती से लेकर तेरहवीं शती तक

बौद्ध एवं जैन धर्म प्रधान साहित्य के साथ ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा इतिहास एवं साहित्य दोनों की विधाओं से सयुक्त अनेकानेक ग्रन्थों की रचना की गई जिनसे भारतीय समाज और संस्कृति पर विपुल प्रकाश पड़ता है।

अध्याय- द्वितीय

चौदहवी, पंद्रहवी शताब्दी की महिलाओं का सामाजिक स्तर

कन्या जन्म और उसको लेकर प्रचलित मान्यताएं-

भारतीय परम्परा के सैदान्तिक पहलू के अनुसार पारिवर्क सन्तुलन हेतु पुत्र व पुत्री मे कोई भेद प्रतीत नहीं होता और यह अवधारणा शास्त्रोचित भी है।¹ किन्तु हमारे अध्ययन काल के विवेचन से यह धारणा अनेकानेक कारणों से परिवर्तित हुई तथा निश्चित रूप से समाज मे पुत्र और पुत्री की स्थिति का अन्तर द्रष्टिगोचर होने लगता है। बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवेश के कारण कालान्तर मे पुत्री का जन्म परिवार में बहुत सुखदायक प्रतीत नहीं होता।² इस्लाम के आगमन तथा तुर्की सल्तनत की स्थापना के कारण बढ़ती विलासिता की पूर्ति इस्लामी प्रभाव मे पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियों के क्षेत्र संर्कीण एवं अधिकार कम होने लगे।³ हालांकि राजपरिवारों में विशेष रूप से हिन्दु राजघरानों मे जैसा कि राजा रत्नसेन के घर पद्मवती के जन्म से स्पष्ट होता है।⁴ समकालीन कतिपय ग्रथों मे पुत्री जन्म को एक विशेष शुभ अवसर के रूप

¹ वृहदारण्यक उपनिषद्, 4 4 18

² ए० एस० अलतेकर, पोजीशन आफ कुमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, दिल्ली 1962 पृ० 3

³ अमीर खुसरो कृत लैलामजनू उद्घृत शिवली शैर उल आजम, भाग-२ पृ० 123 विद्यापति पदावली पृ० 256

⁴ जायसी कृत पद्मभावत सम्पादित वासुदेव शरण अग्रवाल, झासी, पृ०-६०, पद संख्या-

मे भी वर्णित किया गया है एव इस अवसर पर खुशिया मनाई जाती रही है⁵ अतः यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में पुत्र का जन्म निःसदेह महत्वपूर्ण कार्य था, एक तो वश चलाने के लिये और दूसरा युद्ध के बातावरण मे योद्धाओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, तथापि पुत्री का जन्म भी परिवार मे स्वीकार्य था एव उसे भी महत्वपूर्ण माना जाता था।

इसी साक्ष्य मे ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दु राजकुलो मे स्त्री शिक्षा का भी प्रयास महत्व था⁶ लड़कियो का शिक्षित व प्रशिक्षित होना, उनकी सुन्दरता के साथ-साथ एक सकारात्मक गुण माना जाता था⁷ शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र मे चौदहवी, पन्द्रहवी शताब्दियो मे प्रायः काल की आवश्यकतानुसार धार्मिक ग्रथो के पठन पाठन पर विशेष जोर होता था⁸ ऐसा प्रतीत होता है कि सुन्दरता व शिक्षा के गुणो से युक्त विदुषी कन्याए परिवार मे सम्मान की भागी होती थी⁹

51, तथा पृष्ठ-61, पद सख्या-52

5 चादायन, डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशन, आगरा प्रथम सस्करण 1967, पद-32, पृ०-30-31, “महर की कन्या चादा के जन्म के अवसर पर बधावे बजे तथा उत्सव मे छत्तीस जातियो एव सम्पूर्ण नगर को आमन्त्रित किया गया।”

6 जायसीकृत पदमावत सम्पादित वासुदेव शरण अग्रवाल, झासी, पृष्ठ-62 पद सख्या-53

7 वही

8 वही

9 वही तथा अलतेकर पूर्वोक्त पृष्ठ 9 तथा, गौरी शकर हीरा चन्द्र ओझा, मध्यकालीन भारतीय सस्कृति इलाहाबाद 1957 पृ० 119 .

बाल विवाह :

समय समय पर परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण जिस प्रकार सस्थाओं का प्रारूप बदलता रहा, उसी प्रकार नई नई विचारधाराओं का समागम होने के कारण विवाह की आयु में भी सदैव परिवर्तन होते रहे। परिवर्तित राजनीतिक व सामाजिक परिवेश के कारण मध्य युगीन भारत में अल्प आयु में विवाह का प्रचलन अधिक हो गया था स्त्रियों की सुरक्षा व इस्लाम के प्रभाव के कारण भी विवाह की आयु घटती चली गयी तथा बाल विवाह प्रचालित हो गया।¹⁰ अलबेरूनी के अनुसार हिन्दू बहुत छोटी अवस्था में विवाह करते हैं अतः उनके माता पिता अपने पुत्रों का विवाह निश्चित करते हैं। बारह वर्ष से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह करने का विधान नहीं है।¹¹ हमें अपने अध्ययन काल में इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं¹² बारह वर्षीय कन्या को विवाह योग्य स्थानी मान लिया जाता था —

बारह बरिस माँह भइ रानी। राजै सुना सजोग स्थानी।¹³

ढोला मारू रा दुहा नामक एक राजस्थानी कृति में हमें मारवानी के विवाह का उल्लेख मिलता है। मारवानी की आयु विवाह के समय मात्र डेढ वर्ष एवं उसके बर की आयु मात्र तीन वर्ष की थी।¹⁴ विवेच्य युगीन साहित्य में राजपूतों में बाल

10 अमीर खुसरो, देवलरानी, खिज्र खाँ पृष्ठ स0 93

11 अलबेरूनीज इडिया भाग - 2, सचाऊ, पृ० 261 तथा अलतेकर पूर्वोक्त पृ० 58

12 मुल्ला दाउद कृत चादायन पृ० 290 पद 296

13 पदमावत, जायसी, माता प्रसाद गुप्त, पृ० 63, पद - 54

14 ढोला मारू रा दुहा नागरी प्रचारिणी सभा द्वितीय सस्करण दोहा - 91, पृ० 21 दौध बरसरी मारूनी, त्रिहुन वरसानरूकन्त बलपनाय परायण पछाई, अतर-पदयोन अनत

विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं ।¹⁵ विवाह के सबध में कोई आयु सीमा सम्बन्धी स्थापित मानदण्ड नहीं थे । ऐसा समकालीन साक्ष्यों के विवेचन से प्राप्त होता है । अभिभावकों की इच्छा ही विवाह का एकमात्र निर्णायक आधार हुआ करती थी । स्त्री को विवाह आयु में परिवर्तन या विदाई अवधि का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी कभी कभी एक बालक का विवाह भी एक युवती से हो जाता था जो बालक से बहुत अधिक आयु की हुआ करती थी, इस प्रकार के बाल विवाह का उल्लेख विद्यापति की पदावली में मिलता है ।¹⁶

विवाह :

हिन्दू सस्कृति में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है जिसे एक सामाजिक, धार्मिक सस्कार के रूप में ग्रहण किया गया । पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व का विकास, वश का उत्थान तथा परिवार का सयोजन विवाह से ही सम्भाव्य है । विवाह स्त्री पुरुष की पूर्णता तथा उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यजना का आधार है । वश, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह संस्था से ही बनी रही है ।

विवाह के संबंध में यह मान्यता रही है कि विवाह के साथ साथ दुःख सम्प्रकृत है क्योंकि विवाहोपरान्त पुत्री को माता पिता से अलग होना पड़ता है तथा अपरिचितों के बीच नया जीवन व्यतीत करने को वह विवश होती है—

15 दाउद कृत चादायन डा० माता प्रसाद गुप्त पृ० 32 पद - 34 -35

16 विद्यापति की पदावली, सम्पादक श्री बसन्त कुमार माथुर, भारती भाषा भवन, दिल्ली 1952 पद - 258 (बाल विवाह) पृ० 460

“कबीर हसि हसि कत न पाइए, जिनि पाया जिनि रोइ

जे हासै ही हरि मिलै, तौ नहीं दुहागणि कोई ।”¹⁷

उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में ऐसी मानसिकता की स्थापना हो चुकी थी जिसके अनुसार विवाह हो जाना अथवा पति प्राप्त कर लेना ही स्त्री की एक बड़ी उपलब्धि होती थी ।¹⁸ इसी लिए पुरुष पर आश्रित स्त्री को मर्यादानुसार एक विवाह करने पर ही बल दिया गया तथा कबीर स्त्रियों के बहुविवाह पर विशेष रूप से कटाक्ष करते हैं ।¹⁹ वैसे भी सुहागिन स्त्री को मध्य कालीन मान्यता के अनुसार सुखी स्त्री माना गया साथ ही बहु विवाह को व्यभिचार कहकर कल्पित करके स्त्रियों से उच्च नैतिक स्तर की प्रत्याशा की गयी,

“एक सुहागनि जगत पियारी ।

सकल जीव जत की नारी ॥

खसम मैर वा नारि न रोवै । उस रखवाला और होवै ॥

रखवाले का होइ बिनास । उतहि नरक इत भोग विलास ॥

सुहागनि गालि सो है हार । सतनि विष बिलसै ससार ॥”²⁰

17 कबीर ग्रन्थावली , सम्पादित, माता प्रसाद गुप्त पृ० 17 साखी 29,

18 वही

19 डा० राम कुमार वर्मा, संत कबीर इलाहाबाद 1966 पृ० 5, पद 3

20 कबीर ग्रन्थावली, पूर्वोक्त पृ० 365-66 पद 9 तथा मृगावती सम्पादित डा० माता प्रसाद गुप्त, आगरा 1968 पृ० 76 पद -97

अतः उस काल मे सखियाँ व बुजुर्ग सभी नवविवाहिताओं को सदा सुहागिन रहने का शुभ सदेश व आर्शीवाद देते थे जिसका प्रचलन आज भी है।

जरम सुहागिनी होइहु रानी। जब लगि गाग जउन मह पानी ॥²¹

इसी प्रकार मृगावती के सपत्नी कलह खण्ड से मध्य कालीन भारत मे प्रचलित बहुपतीत्व प्रथा पर प्रकाश पडता है वही यह भी स्पष्ट होता है कि सुहागिन की यह अवधारणा जोर पकड़ती जा रही थी कि मात्र विवाहिता होने पर सुहागिन मानना पर्याप्त होगा अपितु सुहागिन उस स्त्री को मानना चाहिए जिसे मायके व ससुराल दोनो ही स्थानो पर समान भाव से स्नेह व आदर प्राप्त हो इसी प्रकार सुहागिन स्त्रियाँ प्रायः प्रशसा की पात्र होती थी—

जहेंसोवै सुख सेज्या, सोहागिनी, तीनीभुअन अजिआरि।

लै पालक तह डोसा समकै देखा रूप उन्हारि । ''²²

समकालीन साक्षो से ऐसा विदित होता है कि बहुविवाह तथा विशेष कर बहुपतीत्व की प्रथा राजघरानो एवं समृद्ध परिवारो तक ही सीमित थी जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक कलेश, प्रतिद्वन्द्विता एव गृह कलह व राजनैतिक दावपेच पर्याप्त देखने को मिलते हैं।²³

21. मृगावती पूर्वोक्त पृ० 305, पद 353

22 मृगावती पूर्वोक्त, पृ० 342 पद 396

23 मृगावती पूर्वोक्त पृ० 340 पद - 394 तथा दाउद दलमई कृत चादायन बम्बई 1964 छन्द 13 पृ० 95-96

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि सजातीय पत्नियाँ अन्य पत्नियों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानती थी ।²⁴

अपनी रचना चदायन में मौलाना दाउद दलमई ने दास मेहर की चौरासी पत्नियों का उल्लेख किया है ।²⁵

यही नहीं बहुविवाह प्रथा के कारण सपत्नियों में द्वेष होना स्वाभाविक था जिसके परिणाम स्वरूप गृह कलह का भी उल्लेख तत्युगीन अनेक रचनाओं में मिला है ।
इस प्रकार सौतिया डाह हो जाना स्वाभाविक था जिसके अनुसार नारी सब कुछ सहन कर सकती है, किन्तु पति प्रेम का बँटवारा नहीं सहन कर सकती ।²⁶

सौतों के मध्य की कलह का विस्तृत वर्णन मृगावती में प्राप्त होता है -
लागिसी करइ सौति कर दाई ।

“खरभरि सुनी सासु बहुअन कै आई तेहिवां धाई ।

बहुअन्ह जूझि बिसरि गई सासु जो पहुँची आई ।²⁸

उपरोक्त पद से यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्त्री दूसरी पत्नी के रूप में किसी घर में प्रवेश करे फिर भी उससे आशा की जाती थी कि वह पति के समक्ष पूर्ण समर्पण करेंगी, उपरोक्त पद से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों और विशेषतः पत्नियों से उपेक्षा की जाती थी वे पतियों की इच्छाओं को क्षीरोद्धार

24 वही

25 मौलाना दाउद दलमई कृत चन्दायन, प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, बम्बई 1964 छन्द 13 पृ० 95-96

26 चन्दायन पृ० 243-244, छन्द 25

27 दाउद कृत चन्दायन, पृ० 156 छन्द 17

28 मृगावती पृ० 343-344 पद - 398-399

मानेगी इससे यह भी सुस्पष्ट है कि किसी भी मूल्य पर विवाहित स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता है।²⁹

दहेज प्रथा :

वैदिक युग से ही कन्या विवाह के साथ कन्या को धन आदि से समृद्ध करके विदा करने का प्रचलन रहा है, विशेष रूप से वस्त्र आभूषण आदि प्रदान किये जाते थे।³⁰ यह प्रथा शनै शनै दान से पृथक होकर विशुद्ध रूप से दहेज का रूप धारण करने लगी। अतः पूर्व मध्ययुग में इसके सस्कार सामाजिक धार्मिक न होकर सामाजिक आर्थिक हो गये क्योंकि उस युग के सामन्तीय परिवेश में दहेज लेना व देना सामाजिक स्तर का द्योतक हो गया।³¹ प्रारम्भ में तो यह प्रथा राजपरिवारों कुलीनों व सम्पन्नों में ही अधिक प्रचलित थी। अलबरूनी ने हिन्दुओं की विवाह विधि का वर्णन करते हुए लिखा है कि दहेज का सामान्य प्रचलन नहीं था, अपितु पति अपनी पत्नी को उपहार देता है जिस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता किन्तु स्वेच्छा से पत्नी इसे वापस कर सकती थी।³² यह प्रथा हिन्दुओं के साथ साथ मुस्लिमों में भी प्रचलित हो गई जहाँ इसे जहेज के नाम से सम्बोधित किया गया।³³ पूर्व मध्य काल में शनैः शनैः दोनों

29 मृगावती, पूर्वोवत, पृ० 318- पद 369

30 अथर्ववेद 14 1 13 मनु 7 1 94 साथ ही देखिए धम्मपद टीका 1 7 3

31 ए०ए० अलतेकर, पोजीशन आफ विमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ० 71

32 अलबेरूनीज इण्डिया सचाऊ भाग 2 पृ० 154

33 के०पी० जायसवाल रिसर्च इस्टीट्यूट पटना, खण्ड 1, अफसाना ए-बादशाही या तारीख ए अफगानी के फ्लो प्रिण्ट के पृ० 439 पर दहेज का उल्लेख

समुदायो द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इस काल मे दहेज प्रचलित हो गया ।³⁴
 अतः साहित्यिक साक्ष्यो से यह सुस्पष्ट है कि विवाह के दौरान लडकी के पिता से
 यह अपेक्षा की जाती थी कि वह दहेज मे अनेक प्रकार की वस्तुए अपनी पुत्री व
 दामाद को देगा ।³⁵ चादायन के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज परिवार
 सामन्त एव धनी वर्ग दहेज के रूप मे अचल के साथ साथ चल सम्पत्ति भी प्रदान
 करते थे—

“गाउ तीस मल दइजे पाए ।³⁶

जहाँ तक दहेज का प्रश्न है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि धनी सामन्त
 वर्गो मे यह प्रथा प्रचलित थी और वे अधिक से अधिक दहेज देना अपनी प्रतिष्ठा
 एव समृद्धि का द्योतक मानते थे ।³⁷ सामन्त वर्गो व राज घरानो मे दहेज के अन्दर
 सुन्दर कीमती वस्त्र स्वर्ण रत्न आभूषणो के साथ साथ घोड़ो तथा हाथियो तक के
 दिये जाने का उल्लेख मिलता है ।³⁸ ये उपहार वर तथा वधू पक्ष की सामाजिक
 स्थिति के अनुसार ही दिये जाते थे, तथा इन उपहारों मे विशेष कर बहुमूल्य
 जवाहरात, तथा धातुए, आभूषण, स्थावर सम्पत्ति घोड़े, हाथी, रथ, अनुचर और
 उपचारिकाए, तथा जीवन की आवश्यकताओं और विलास की अन्य सामग्रिया

34 ऋतु जायसवाल, “बीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्राम द 10 टू द 13 सेन्चुरी एस द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डीफिल० उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ० 56 से 58

35 सूरसागर पृ० 543 पद 4808 तथा पृ० 543 - 544 पद 4810

36 चादायन पूर्व पृ० 40 पद 42

37 जायसी कृत पदमावत पृ० 478 पद 386

38 वही, पृ० 477, पद 385 मृगावती पृ० 121, पद 150 तथा मधुमालती पृ० 147 पद 456

सम्मिलित होती थी ३९ दहेज प्रथा को सामान्यतः धनिको एव सम्पन्न वर्ग के लोगो मे ही आश्रय मिलता था, सामान्य जनता इस प्रथा से कम आकर्षित थी। उपहार के इस स्वरूप को बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों एव राजस्थान मे दहेज अथवा दाइज ४० के नाम से जाना जाता था ।

परदा प्रथा :

जिस प्रकार से वर्तमान ग्रामीण भारतीय परिवेश मे हम आज भी बहुतायत से स्त्रियों के चेहरे को आवरण युक्त देखते हैं उसी प्रकार पूर्व मध्य कालीन भारत मे भी चेहरे को आवरण युक्त रखने की प्रथा थी अवश्य ही ऐसा सित्रियों की कुलीनता का परिचायक था, कुल मिलाकर इस पर्दे को “घूंघट” कहा गया है। जैसा कि समकालीन साहित्यिक कृतियों से सुस्पष्ट है । ४१ मात्र कुलीन व समृद्धपरिवारों की स्त्रियों द्वारा ही इसका प्रयोग होता हो ऐसा भी नहीं है, तत्कालीन समाज मे वेश्या द्वारा भी चेहरे को आवरण युक्त रखने का विवरण मिलता है । ४२ दुपट्टे के महत्व की ओर सकेत करते हुए अमीर खुसरो ने उसकी तुलना सुलतान के ताज से की है । ४३ प्राचीन काल मे पर्दा उतना लोकप्रिय नहीं

39 दाउद कृत चादायन पृ० 40 पद 42

40 ढोला मारू रा दुहा, दोहा 595 पृ० 143 मे प्रसग है कि ढोला और मारवानी के विवाह अवसर पर राजा पिगल दहेज के रूप मे रत्न जटित आभूषण हाथी और अनेक दासियों देते हैं -

“सोवान जटित सिगार, बहु मारवणी मुकलई
गाय हेवार दासी बहुत, दिहिन पिगल शाय”

41 पृथ्वी राज रासो भाग 4 दोहा 286 पृ० 684 दोहा 299 पृ० 658 के एम० अशरफ लाइफ एण्ड कन्डीशन आफ दी पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान पृ० 139

42 पृथ्वी राज रासो, भाग 4, पृ० 658, दोहा 289

43 अमीर खुसरो कृत मतलाउल अनवार, पृ० 226

था परन्तु सामान्यतः घूँघट करना उस काल के नारीत्व का सामन्य लक्षण था इसीलिए पर्दा प्रथा लोकप्रिय हुआ ।⁴⁴ रामायण और महाभारत से सीता और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए एस० एम० जाफर महोदय ने मुखावरण को हिन्दू नारी का धार्मिक कर्तव्य माना है ।⁴⁵ पूर्व मध्य काल मे सामाजिक समारोहों मे स्त्रियों के उठने बैठने की अलग व्यवस्था होती थी, जो कि पूर्णतः आवरण युक्त होती थी ।⁴⁶ मुखावरण की प्रथा हिन्दू समाज मे मुसलमानों के आगमन के बाद आई, इस तथ्य को विद्वान इतिहासकार अस्वीकृत करते हैं ।⁴⁷ हिन्दू समाज मे महिलाओं का एकात निवास और घूँघट से चेहरे को ढक कर रखना सम्मान का प्रतीक माना जाता था तथा पर्दा प्रथा समाज मे केवल कुलीनता का प्रतीक था ।⁴⁸ मध्य काल मे प्राचीन काल से चली आ रही पर्दा प्रथा मुस्लिम रीति रिवाजों से बल पाकर और सशक्त हो गयी। पहले जो शर्म या पर्दा आखों में थी वह अब वस्त्र के आवरण की स्थूल हो चुकी थी ।⁴⁹ घूँघट का प्रचलन शनैः शनैः बढ़ता ही गया और स्त्रियों से विशेष रूप से बड़ों के समक्ष व ससुराल मे इसके पालन की आशा की जाती थी ।⁵⁰ कबीर जैसे समाज सुधारक घूँघट को मात्र मर्यादा का आडम्बर मानते थे इनके मतानुसार घूँघट का महत्व तो बस नई नवेली वधू के

44 विन्सेन्ट ए स्मिथ दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया पृ० 261

45 एस० एम० जाफर, समकलचरल ऐस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, दिल्ली 1972 पृ० 198-199

46 हरिवश पुराण, अध्याय 19, उद्घृत सम कलचरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया

47 एस०एम० जाफर पृ० 201, एन०सी० मेहता का लेख - पर्दा, लीडर, इलाहाबाद मई 1928, एन०एन०ला एन्शियेन्ट हिन्दू पालिटी पृ० 144

48 केठ० एम० अशरफ, लाइफ एण्ड कन्डीशन्स ऑफ दी पीपुल आफ हिन्दुस्तान पृ० 172

49 सूर सागर पूर्व भाग दो पृ० 16 पद 2439

50 सूर सागर भाग 2 पूर्व पृ० 120, पद 2968, पृ० 123, पद 2980, पृ० 198, पद 3358

साथ सम्बद्ध था, क्योंकि बाद मे घूँघट नहीं अपितु उसका प्रचलन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी से वधू का उचित मूल्याकान सम्भव होता था कि वह स्त्रियोंचित व्यवहार करती है अथवा नहीं। घूँघट काढने का गौरव तो दस पाँच दिन ही है कि यह बहु अच्छी आई है सच्चा घूँघट कबीर उसे मानते हैं जो पवित्र हृदय एव आचरण का परिचायक हो।⁵¹ घूँघट का प्रचलन इतना अधिक हो गया था कि हर अवसर पर स्त्री से घूँघट की अपेक्षा की जाती थी जैसे शादी व्याह तीज त्योहार मनोरजन तथा दैनदिनी कार्यों के दौरान भी घूँघट उसके वस्त्राभूषण का अविभाज्य अंग बन गया था।⁵² स्त्री से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह ससुराल मे घूँघट अवश्य काढेगी विशेष रूप से ससुराल के बुजुर्गों के प्रति आदर स्वरूप।⁵³

विवाह विच्छेद :

समकालीन साहित्यिक श्रोतों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतः कुलीन वर्गों मे विवाह विच्छेद का विशेष प्रचलन नहीं था।⁵⁴ हालाकि उपरोक्त साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि इस वर्ग में बहु विवाह की प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी। समृद्ध पुरुष बहु विवाह करने के पश्चात भी सभी पत्नियों को एक साथ रखते थे स्त्रियों के परित्याग अथवा उनसे

51 रामकुमार वर्मा, सत कबीर पृ० 124, पद 34 सा० म० प्र० लि० इलाहाबाद 1966

52 सूर सागर भाग 2 पूर्व पृ४ 85 पद 2784

53 मृगावती, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 344 पद 399

54 कुतुबन कृत मृगावती, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 318 पद 369

सबध विच्छेद 55 करने की प्रथा को सम्भवतः अप्रतिष्ठ माना जाता था। इसी करण वश हमे अपने अध्ययन काल मे ऐसा एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। कुँअर के माध्यम से जहाँ एक तरफ यह स्पष्ट होता है कि उच्च कुल मे विवाहित स्त्री को स्वामी द्वारा परित्याग का प्रचलन नहीं था, हालाकि उस काल मे बहुविवाह की प्रथा सामान्य थी फिर भी यह सामान्य प्रचलन था कि अभिजात्य पुरुष प्रायः बहुविवाह करते थे। किन्तु दोनो अथवा सभी पत्नियों को साथ ही रखते थे। ऐसा ही उस काल के दिल्ली सुलतानो व मुगल बादशाहों के हरम के अध्ययन से भी स्पष्ट व स्थापित हो जाता है ५६ प्रथम पत्नी के गर्भवती न होने की दशा मे भी तथा वश को आगे बढ़ाने के लिए भी दूसरा विवाह अत्यन्त आवश्यक हो जाता था ऐसा समकालीन साक्ष्यों के प्रमाण से ज्ञात होता है ५७ हालाकि बहुविवाह के पश्चात पारिवारिक शान्ति एवं सतुलन बिगड़ने का उल्लेख हमे कम से कम कबीर साहित्य में तो प्राप्त होता है कबीर इस भावना को मुखरित करते हैं ५८ कि प्रायः अन्य स्त्री के आगमन से गृह क्लेश स्वाभाविक हो जाता है अत घर की शान्ति के लिए कबीर इस प्रथा के विरुद्ध बोलते पाये जाते हैं। सम्भवतः पूर्व मध्य काल से विवाह विच्छेद की अनुमति लगभग समाप्त प्रायः हो गयी, इसका मुख्य कारण हिन्दू धर्म संस्कार मे ढूँढ़ा जा सकता है जहाँ धर्म शास्त्र कार विवाह को एक पवित्र संस्कार समझते थे अतः विवाह

55 वही

56 कुतुबन कृत मृगावती, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 318, पद 369

57 राम कुमार वर्मा, सत कबीर पृ० 122 पद 32, सा० म० प्रा० लि० इलाहाबाद 1966

58 कबीर ग्रन्थावली, डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 194 पद 81

विच्छेद अकल्पनीय था ५९ अपितु ऐसा चलन पूर्व मध्यकाल से ही प्रारम्भ हो गया था जैसा कि अलबेर्नी के कथन से स्पष्ट हो जाता है ६०

गृहणी तथा पत्नी के रूप में :

हिन्दू परिवार मे पत्नी को गरिमायुक्त पद प्राप्त रहा, प्राचीन काल से ही इसका स्थान महत्वपूर्ण रहा उसे तथा उसके कर्तव्यों को परिवार के सचालन की धुरी के रूप मे मान्यता प्राप्त रही पतिव्रत धर्म एव पति की सेवा उसका कर्तव्य माना गया। ऐसी स्त्री जो इस धर्म का पालन नहीं करती है उसे आदर योग्य नही माना जाता ६१ इसी मे स्त्री एव परिवार का सुख निहित माना जाता था ६२ पति सेवा के बिना स्त्री का कल्याण सम्भव ही नही माना जाता था, पति चाहे मूर्ख हो रोगी हो, पत्नी को पूर्ण समर्पण भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए —

“इहि विधि वेद मारग सुनौ

कपट तजि पति करौ पूजा, कहा तुम जिय गुनौ

कत मानहु भव तारौगी और नाहि उपाइ

ताहि तजि क्यों विपिन आइ, कहा पायौ आइ

५९ ऋतु जायसवाल, वूमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्राम दी १० टू दी १३ सेन्चुरी एस डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी०फिल० उपाधि प्राप्त अप्रकाशित शोध प्रबन्ध

६० अलबेर्नीय इण्डिया सचाऊ भाग २, पृ० १५४

६१ कबीर ग्रन्थावली माता प्रसाद गुप्त पृ० १३० पद २ साथ ही देखिए सूरसागर पृ० ९७, पद ३५२

६२ सूरसागर नदुलारे बाजपेयी पृ० ४३०- पद १४१८

विरध अरू बिन भाग हूँ कौ, पतित सौ पति होइ

जउ मूरख होइ रोगी, तजै नाही जोइ

यह मै पुनि कहत तुम सौ, जगत मै यह सार

सुरपति, सेवा बिना क्यों, तारौगी संसार।''⁶³

अतः पत्नी को दासी के रूप मे व पति को स्वामी के रूप मे प्रतिबिम्बित करने का प्रयास मध्य कालीन साहित्य मे किया जाता था। पति की उदासीनता बहुत बड़ा दण्ड माना जाता था। उससे यह प्रत्याशा की जाती थी कि पति चाहे तो उसका अग भी चीर दे किन्तु पत्नी उफ तक न करे।⁶⁴ जहाँ कहीं भी स्त्री का उल्लेख हुआ है वहाँ उसे पतिव्रता पत्नी के रूप में गरिमा प्रदान की गई है स्त्री के मूल्याकन का उस काल मे उसकी स्वामी निष्ठा का आधार थी।⁶⁵ जहाँ कही भी पति का उल्लेख है वहाँ पत्नी को ऐसे दर्शाया गया है जैसे प्रियतम की सेवा ही उसका एक मात्र कर्तव्य है।⁶⁶ जो भी स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती थी उसकी उस काल के साहित्यकारों ने घोर निदा की है क्योंकि वह कुल लाज व कुल धर्म को वरीयता देते हुए उसके महत्व को स्पष्टतः रेखांकित करते थे।⁶⁷ ऐसी स्त्रियों को कुलटा आदि विशेषणों से सम्बोधित करने मे मध्ययुगीन साहित्यकारों

63 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० 485, पद 1634

64 रामकुमार वर्मा सत कबीर पृ० 125 पद 35 तथा पृ० 120 पद 30

65 वही, पृ० 68 पद 1

66 वहीं, पृ० 53 पद 50

67 सूर सागर भाग दो, पृ० 130 पद 3019

को कोई हिचक नहीं है।⁶⁸ प्रायः स्त्रियों की प्रशसा करते हुए इसी गुण को मुख्य आधार माना जाता था।

“ए कुलवति सुरूप सुलखिनि” अवट की पुजाई कोइ

‘बरी’ बियाही उत्तम सुबसी अरू घी कि सरबारि होइ’⁶⁹

विधवा स्त्री

चूंकि समाज में सुहागिनों का महत्व था अतः विधवाओं के लिए जीवन बहुत दुश्कर होता था, सामान्यतया आलोच्यकालीन समाज में विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय नियन्त्रित और दुखद थी।⁷⁰ अलबेरुनी ने समकालीन समाज में उसकी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि विधवा के रूप में जीवित रहने पर उसके साथ सम्पूर्ण जीवन दुर्व्यवहार किया जाता है।⁷¹ कुतुब अपनी मृगावती में लगभग यह दशा चित्रित करता है।⁷²

माँ बनने के लिए स्त्री को अत्यन्त कष्ट कारी परिस्थितियों के दौर से गुजरना पड़ता है फिर भी मध्य युग में चूंकि माँ का स्थान बहुत ऊँचा था अतः

68 सूरसागर भाग एक्, पृ० 564-65 पद 1294, तथा चादायन, पृ० 49 पद 21

69 कुतुबनकृत मृगावती, पृ० 333 पद 386

70 दी रेहला आफ इन्बतूता अनुवाद डा० महदी हुसैन, बडोदा 1953, शकुलता राव शास्त्री बुमैन इन सेकेन्ड लाज पृ० 123, लाइफ एण्ड कडीशन आफ पीपुल आफ हिन्दुस्तान पृ० 189, ए राशिद सासोइटी एण्ड कल्चर इन मेडीवल इण्डिया, कलकत्ता 1969, पृ० 144

71 अलबेरुनी का इण्डिया, भाग 3 अनुच्छेद 69, पृ० 155

72 कुतुबन कृत मृगावती पृ० 239 पद 280

शायद उस स्त्री से भी यह उम्मीद की जाती थी कि वह एक उपलब्धि के रूप में इस प्रक्रिया के कष्ट को सहजता से सहन करे।⁷³ माता के रूप में स्त्री की स्थिति सदैव दयालु सहदय रूप में की गई है। उससे माता के रूप में यह प्रत्याशा रहती थी कि वह अपने बच्चों के अवगुणों, कुकृत्यो एव अपराधों को नित्य क्षमा करती रहेगी चाहे वह पुत्र अपनी माता को उत्पीड़ित क्यों न करे।⁷⁴ हालाकि कबीर जैसे साहित्यकार ऐसे पुत्रों की निंदा करते हुए उन्हे माया के वशीभूत मानते हैं।⁷⁵ स्त्रियों की दशा के रूप में अपने ससुराल पक्ष के साथ सबंधों की विवेचना आवश्यक हो जाती है। प्रायः सास को प्रताडित करने वाला चित्रित किया जाता है⁷⁶ साथ ही जेठ से भय का आभास होने के सकेत मिलते हैं किन्तु सास और नन्द की मुख्यतः विरोधी भूमिका रहती है जो सहजता से नवागन्तुक, नवविवाहिता को स्वीकार नहीं कर पाती।

“ननदी तौन दिये बिनु गारी रहति

सासु सपने हु नहि ढरकौ

माई निगोड़ी काननि मै लियै रहै, मेरे पायानि कौ खरकौ ।”⁷⁷

यहाँ तक कि सास और ननद को गाली देते हुए भी चित्रित किया गया है,

73 कबीर ग्रन्थावली पृ० 317 पद 24

74 कबीर ग्रन्थावली पृ० 209 पद 110 तथा रामकुमार वर्मा, सत कबीर पृ० 102 पद 12

75 सत कबीर रामकुमार वर्मा पृ० 113 पद 23

76 रामकुमार वर्मा, संत कबीर पृ० 115 पद 25 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ० 282 पद 27-28

77 सूर सागर भाग 2 पृ० 36 पद 2534 साथ ही देखे पृ० 37 पद 2539 पृ० 37 पद 2538 तथा मृगाक्षती पृ० 340 पद 394 पृ० 343-44 पद 398, पृ० 342 पद 396

“सासु ननद हारी दैगारी, सुनति नही कोउ कहति कहारी ।”⁷⁸

शायद उपरोक्त का कारण घर के भीतर का वर्चस्व रहा हो । सास एव ननद जो बहू के काफी पूर्व से घर मे सुस्थापित थी किन्तु बहू के आगमन से एक असुरक्षा का भाव जागृत होता था अज्ञात का भय । बहु अज्ञात थी कैसी होगी, कैसा आचरण होगा, कैसे व्यवहार करेगी अतः आक्रामक व्यवहार को ही सुरक्षा कवच मानकर बहुओ के साथ सासों एव ननदो के ऐसे व्यवहार के ढेरो उल्लेख हमे प्राप्त होते है ।

78 सूर सागर भाग 2 पृ० 94 पद 2834 तथा विद्यापति पदावली पृ० 99 पद 73 पृ० 112 -13 पद 82

संस्कारों में स्त्रियों की भूमिका

हिन्दु समाज मे सस्करो का सयोजित विधान-प्राचीन काल से ही रहा है। मनुष्य का वैयक्तिक और समाजिक विकास करने के किए ही जीवन मे सस्कारो की सयोजना की गई। सस्करों के माध्यम से ही मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियो का पूर्ण रूपेण विकास करके अपना तथा समाज दोनो का कल्याण करता था। सस्कार का मूल आधार धर्म है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत, परिष्कृत एव सुसस्कृत बनाता है। सस्करों के विभिन्न क्रमिक रूप मनुष्य के जन्म के पहले से ही प्रारम्भ होकर उसकी मृत्यु के बाद भी निरन्तर बने रहे।¹

सस्कारो का प्रचलन वैदिन युग से ही रहा है। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन विभिन्न प्रकार के सस्कारो से आवृत्त रहा है जो समय-समय पर सम्पादित किये जाते रहे है। सस्कारो के विषय मे सूत्रो तथा स्मृतियो मे विस्तार से लिखा गया है। मनुष्य के जीवन मे कितने सस्कार होने चाहिए इस विषय मे धर्म शास्त्रकारो मे मतभेद है। किन्तु प्रायः अधिकाश धर्म शास्त्रकार संस्कारों की सख्ता सोलह ही मानते है- गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केसान्त, समावर्तन, विवाह और अन्त्येष्टि।²

- 1 डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध प्रबन्ध “ द सोसाइटी आफ नार्थ इण्डिया इन द सिक्सटीन्थ सेन्वरी ऐज डिपिक्टेड थू कन्ट्रैम्प्रेरी हिन्दी लिट्रेरचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय।
- 2 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फॉम द 10 टू द. 13 सेन्वरी ऐज द डिपिन्टेड इन कन्ट्रैम्प्रेरी हिन्दी लिट्रेरचर” इलाहाबाद

वस्तुतः सस्कारों की सख्ता इतिहासकारो अथवा धर्मशास्त्रकारो की मान्यता पर ही निर्भर करती थी। समाज में जितने सस्कार स्वीकार किये गये तथा समय-समय पर जिन सस्कारों का ज्यादा प्रयोग किया गया वे ही अधिक प्रचलित हुए।

गर्भाधान हिन्दू समाज में किया जाने वाला प्रथम सस्कार है, वस्तुतः विवाह के उपरान्त ही स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान है। वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक इस संस्कार का प्रचलन रहा। अलबेरूनी के अनुसार विवाह के बाद सन्तान प्राप्ति के लिए व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गर्भाधान नामक यज्ञ करे ३ किन्तु लज्जावश इस संस्कार का प्रचलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने गर्भाधान सस्कार को निषेक, चतुर्थीकर्म अथवा चतुर्थी होम नाम से ही अभिहीत किया है ४

स्त्री के गर्भाधारण के समस्त काल का बहुत महत्व था प्रत्येक मास में किस तरह से शैने-शैने- विकास द्वारा अन्ततोगत्वा शिशु का क्रमिक विकास होता है, उसका पूर्ण विवरण हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है।

“हरितै विमुख होइनर जोइ । मरिकै नरक परत है सोई ॥

तहौं जातना बहु विधि पावे । बहुरौ चौरासी मे आवै ॥

चौरासी भ्रमि नर तन पावै । पुरुष वीर्य सोंतिय उपजावै ॥

विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ०-147-148

3 अलबेरूनी इडिया, सचाउकृत, भाग-२, पृ०-156

4 ऋतु जायसवाल, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेस्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एस द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर पृ० 149 एवं वाद टिप्पणी ९, पृ० 149

मिलि रज वीर्य बेर सम होई । द्वितीय मास सिर धैर सोई ॥

तीजे मास हस्त पग होहि । चौथे मास कर अँगुरी सोहि ॥

प्रान वायु पुनि आइ समावै । तरकौ इत उत पवन चलावै ॥

पचम मास हाड बल पावै । छठे मास इद्री प्रग टावै ॥

सप्तम चेतनता लहै सोइ । अष्टममास सपूर्ण होइ ॥

नीचे सिर अरू ॐचै पाई । जठर अग्नि कौ व्यापै ताई ॥

कष्ट बहुत सो पावै उहाँ । पूर्व जन्म सुधि आवै तहाँ ॥

नवम मास पुनि विनती करै । महाराज मम दुख यह है ।

तै जो मै बाहर परौ । अहनिसि भक्ति तुम्हारी करौ ॥

अब मोपै प्रभु कृपा करीजै । भक्ति अनन्य आपुनी दीजै ॥

अरू यह ज्ञान चित्त तै टरै । बार-बार यह विनती करै ॥

दसम मास पुनि बाहर आवै । तब यह ज्ञान सकल बिसरावै ॥⁵

गर्भ के तीसरे माह में पुस्तवन नाम सस्कार का आरोपण किया जाता है ।

पुत्र की उत्पत्ति के निमित्त यह संस्कार सम्पन्न होता था ⁶ वस्तुतः पुत्र की उत्पत्ति हिन्दू परिवार में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थी- पुत्र से ही वश और कुल की निरन्तरता बनी रहती थी-, श्राद्ध व पिण्डदान आदि का अधिकार केवल पुत्र को ही दिया

5 हरदेव बाहरी व डा० राजेन्द्र कुमार सम्पादित, सूरसागर सटीक भाग-1, लोक भारती प्रकाशन, तृतीय स्कन्द- पृ०-181

6 आपस्तम्ब गृहसूत्र-14 ९, ऋतु जायसवाल के शोध प्रबन्ध के उद्धृत

गया था। अतः इस सस्कार के द्वारा पुत्र उत्पन्न होने में बाधा पैदा करने वाली स्थितियों का देव-पूजन के माध्यम से निवारण किया जाता था। सम्भवतः पुसवन सस्कार का धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ कुछ आयुर्वेदिक महत्व भी था।⁷ सीमान्तोन्नयन सस्कार गर्भ के चौथे महीने में आयोजित होता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्त्री स्वस्थ एव प्रसन्नचित्त रहकर वीर पुत्र को जन्म दे।⁸ अलबेरूनी ने तत्युगीन भारतीय समाज में प्रचलित इस सस्कार का उल्लेख किया है। स्त्री के सुख तथा विध्न बाधाओं से उसकी रक्षा हो सके इस लिए इस सस्कार का सम्पादन किया जाता था।⁹

हिन्दू विधिवेत्ताओं के द्वारा निर्धारित सोलह प्रमुख सस्कारों में से कुछ का ही पालन प्राय अधिकाश हिन्दुओं में पाया जाता है जिनमें, जातकर्म, नामकरण, चूणाकरण, उपनयन, विवाह तथा मरणोपरान्त के कर्म- अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सस्कार जातकर्म (जन्म अनुष्ठान) पुत्र जन्म के समय सम्पन्न होता था। यह सस्कार इसलिए सम्पादित किया जाता था कि नवजात शिशु पर किसी भी प्रकार की अनिष्टकारी शक्ति का कोई प्रभाव न पड़ने पाये। बालक स्वस्थ प्रखर बुद्धि वाला बनाना ही इस सस्कार का प्रमुख उद्देश्य होता था।¹⁰

विशेषरूप से इस अवसर पर ब्राह्मणों की सहायता से जातकर्म सस्कार करवाया जाता था:

7 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिट्रेरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पृ०-१४९

8 पूर्वोक्त पृ०-१५०

9 अलबेरूनीज इण्डिया, सचाऊ भाग-२ पृ०-१५६

10 देखिए डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

“‘जातकर्म कर पूजि पितर सुर पूजन विप्र करायौ

दोईं लख धेनु दर्द तेहि अवसर बहुतहि दान दिवायौ । 11

इस पूजन के उपरान्त दो लाख गाये तथा बहुत सा दान देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है ।

विवेच्ययुगीन मे हमें शिशु जन्म के समय नाल काटने से सबधित कर्मकाण्ड का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण स्स्कार रहा होगा जिसको सपने कराने हेतु दाई इत्यादि महगे एवं अधिक नेग की आशा करती थी । विशेष रूप से यह नेग पुत्र जन्म के अवसर पर स्वतः ही बढ़ जाता था— :

“जसंदा नार न छेदन दैहौ,

मनिमय जटित हार ग्रीवा की, वहै आजु हौं लै हो ।

औरनि के है गोपखटिक बहु, मोहि ग्रहएक तुम्हारौ ।

मिटि जू गयो सताप जनम कौ, देख्यो नद दुलारौ ।

बहुत दिननि की आसा लागी, झगरनि झगराँ कीनौ ।

मन मे बिहौसि तबै नदरानी हार हिय कौ दीनौ ।” 12

11 सूरसारावली पृ० 65 पद 392

12 सूरसागर, दशम् स्कन्ध, पृ०-338-पद-15

पुत्र जन्म के अवसर पर मगलगीत गाने को प्रथा बड़ी आम थी।¹³ मगल गीत गाने के साथ-साथ उक्त अवसर पर चौक पूरने या लगाने तथा नृत्यगायन का कार्यक्रम भी आयोजित होता था:

“जौ पाड़ तौ मगल गाड़, मोतियनि चौक पुराड़
रस करि नाचौ गाड़ बजाड़, चदन भवन लिपाड़”¹⁴

अतः यह एक हर्ष एव उल्लास का अवसर माना जाता था।

समकालीन साहित्य से हमें इस बात के सकेत प्राप्त होते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर अनेक आयोजन सम्पन्न किये जाते थे।¹⁵ पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बधाई देने की भी प्रथा थी.

“रधुकुल प्रगटे हैं रधुवीर देस-देस तै टीकौ आयौ रतन कनन मनि हरि
घर-घर मगल होत बधाइ अति पुर बासिनि मीर,
आनंद मगन भये सब डोलत कछु न सोध सरीर,
मागधबदी सूत लुटाये गो गयद हय चीर,
देत असीस सूर चिरजीवौ रामचंद्र रनधीर।”¹⁶

13 डा० रामकुमार वर्मा, सतकबीर, इलाहाबाद, पृ०-१ पद-१ तथा सूरसागर नदुलारे बाजपेयी द्वितीय खण्ड पृ०-७१ पद-२७२४

14 उपरोक्त एव मृगावती पृ० २१९-२२० पद-२५८

15 मृगावती पृ० ९-११ दोहा १३-१५

16 सूरसागर सटीक नवम स्कन्ध पृ०-२४८- पद१८

शिशु जन्मोपरान्त छठवे दिन छठी पूजन नामक विशेष सस्कार सपत्र किया जाता था।¹⁷ छठी के दिन शिशु को विधि विधान से स्नान कराया जाता था तथा सभी लोगों को इस सस्कार मे सम्मिलित होने तथा भोजनोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए आमत्रित किया जाता था।

“पॉचउ दिवसु छठी भई राती, नेउता गोबर छठी अउजाती
 घर-घर कहै कर टेका’ आवा, अह तेहि पाठे (पाढ़े) बाजबधावा
 महरी सहस ‘सात’ इकआइ, आग मूड सेहुर अन्हवाई
 बाभन सभा आइ जो बईठी, काढि पुरानु रासि गनि दीठी”¹⁸
 छठी पूजन बालक तथा बालिकाओं दोनों ही के जन्मोपरान्त एक महत्वपूर्ण सस्कार था जैसा कि समकालीन साहित्य से विदित है:
 “भई छठि राति छठी सुख मानी, रहस कोड सो रैनी बिहानी,
 भा विहान पडित सब आए, काढि पुरान जनम अरथाए,
 उत्तिम धरी जनम या तासू चॉद उवा भुई दिया अकासू
 कन्या रासि उदौ जग किया, पढुमावती नाड़ जिसु दिया।”¹⁹
 छठी के गाने बजाने तथा आयोजन के साथ बारहवे दिन आयोजित बरही नामक संस्कार का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है।

17 पदमावत- पृ०-६१- पद ५२ पृ० ६२- पद - ५३

18 चादायन, माता प्रसाद गुप्त पृ० ३१-पद-३३

19 जायसी कृत पदमावत, पृ० ५६२ पद-५२

“बरहै दिन बरहै भौ मारी, नग्र लोग जो नेवता झारी,
 दुःखी लोग बैसाइ जैवावा, अमनैकन्ह घर घोर पठावा
 मारन्ह घोरा दै बहुराये, भाटिनि सबै पटोर ऐन्हाये
 जो जाचक जहौं लगु आवा, जो जस तेहि तस तै बहुरावा
 नग्र छत्तीसो जौनि-सर्वाई, सबके राजे दीन्ह बधाई²⁰

इसमे ‘छठी’ की भाति खाने पीने आदि के साथ धार्मिक सस्कार भी सबद्ध था।²¹ ‘छठी’ अथवा ‘बरही’ के आयोजन मे खास तौर से गौरी-गणेश के पूजन का आयोजन होता था।²² तथा अनेक प्रकार के ईश्वर की वदना गाई जाती थी। साथ ही ईश्वर की आरती के साथ-साथ नवजात शिशु की भी आरती उतारी जाती थी, नाइन इस अवसर पर सबके महावर लगाती थी, तथा उसका नेग पाती थी, इसी अवसर पर प्रायः शिशु के लिए झूला अथवा पालने आदि का निर्माण करवाया जाता था।²³ इसी प्रकार इस अवसर पर शिशु को काजल तथा रोली लगाने तथा विधि विधान से स्नान कराने का आयोजन होता था जो मगल गीतों के मध्य सम्पन्न होता था:

“पालनौ अति सुन्दर गढ़ि लयाउ रे बढ़ैया

20 मझन कृत मधुमालती सपादक डा० शिवगोपाल मिश्र पृ०-१८ जन्मौति खण्ड

21 उपरोक्त

22 सूरसागर सटीक, पृ०-३५२-३५४ पद-४०

23 उपरोक्त

सीतल चदन कटाउ धरि खराद रग लाउ विविध चौकरी बनाउ धाउरै
बनैया, पचरग रेसम लगाउ हीरा मोतीनि गढाउ, बहु विधि जरि-करि जरार लयाउ
रे जरैया।’’²⁴

इस कार्यक्रम का पूर्ण आयोजन प्रायः रनिवास तक ही सीमित हुआ करता
था। इस अवसर पर महिलाओं मगल गीत का गायन होता था। तथा नवजात शिशु
की न्योछावर उतारी जाती थी तथा इसी दिन ब्राह्मणों द्वारा नवजात शिशु की जन्म
पत्रिका अथवा कुण्डली भी बनवाई जाती थी।²⁵ जन्म मूहर्त्त विचारने का प्रचलन
तथा जन्म समय देखकर भविष्यकाल के सबध मे जानकारी प्राप्त करने की पद्धति
विशेष रूप से प्रचलित थी।

“भोर मौ पडित जन आये, रासि बारागन जो गरह गनाये
पडित गुनि-गुनि कहा विचारी, होई नरेस छत्रपति मारी”²⁶

नामकरण-

हिन्दू समाज मे सतान को नाम प्रदान करना भी एक सस्कार माना जाता
था। जिसे नामकरण सस्कार कहा जाता है। हिन्दू दर्शन मे नाम का अत्यधिक
महत्व रहा है। जो शुभ कर्मों और भाग्य का आधार माना जाता है।²⁷

24 उपरोक्त पृ०- 354- पद-41

25 मृगावती पृ०-11 दोहा-15

26 मझनकृत मधुमालती, पृ०-17 जन्मौति खण्ड, तथा चांदायन, सम्पादक माता प्रसाद
गुप्त पृ०-29-30 छन्द-32 एव पृ० 31, छन्द 33

27 जयशक्ति मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन- पृ०-271

समकालीन साहित्यो मे नामकरण सस्कार का सविस्तार वर्णन किया गया है

“गनि गुनि ‘पत्रा’ देखहु कौन गरह दहु सुद्ध

नाउ धरहु ‘निरमल’ के लखन देखि ‘ओ’ बुद्धि”²⁸

नामकरण के लिए काल और नार्माथक शब्दो वग भी विचार आवश्यक था।²⁹ हिन्दू धर्मशास्त्रकारो ने नामकरण के चार आधार निर्धारित किये। देवता नाम, मासनाम, नक्षत्र नाम, और व्यवहारिक नाम सतान को प्रदान किये जाते थे। नामकरण सस्कार सम्पन्न कराते समय विभिन्न देवी देवतओ और अपने कुल देवता का पूजन अर्चन होता था।³⁰

अन्नप्राशन-

इसी प्रकार शिशु जन्मोपरान्त अन्नप्राशन का आयोजन भी आवश्यक सस्कार के रूप मे सम्पन्न किया जाता था। अन्नप्राशन मे भी विशेष उबटन स्नान, पूजापाठ सम्पन्न कराने के पश्चात खीर जिसमे शहद एव घी अलग से डाला जाता था, वह बच्चे को चटाई जाती थी।³¹

28 कुतुबन कृत मुगावती पृ०-11 पद-15 पृ० 12-पद-16

29 जायसी कृत पदमावत पृ०-61 पद-52

30 ऋतु जायसवाल अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन द कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर पृ० - 153- 154

31 सूरसागर सटीक पृ०-374 पद-89 तथा पृ०-1 पद-17

कर्ण छेदन

बालक तथा बालिकाओं दोनों के ही प्रारम्भिक जीवन काल में कर्ण छेदन एक आवश्यक सस्कार माना जाता था, जिसमें स्नान ध्यान पूजा पाठ के साथ-साथ लोकगायन तथा खाने-पीने का विशेष आयोजन होता था:

“विधि विहँसत- हर हसॅत हेरि हरि जसुमति के धुक धुकी सुउर की

रोचन मरि लै देत सीक सौ सावन निकट अति ही चातुर की

कचन कै दै दुर मगाइ किए कहौं कहौं छेदनि आतुर की

लोचन भरि-भरि दोउमाता कन छेदन देखत जियमुर की।”³²

वर्षगांठ

इसी प्रकार विभिन्न संस्करों के सम्पन्न होते -होते एक वर्ष बीत जाता था, और वर्षगाठ के आयोजन को विशेष सस्कार के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाता था.

“अरी मेरे लालन की आजु बरषगाँठि

सबै सखिनि कौं बुलाइ, मगल गान करावो

चदन अँगन लिपाई मुतियनि चौक पुराइ

उमगि-अँगनि आनद सौ तूर बजावौ”³³

32 सूरसागर सटीक-भाग-1 पृ०-414 पद-180

33 सूरसागर- पृ० 376 पद-94

आज भी परम्परागत भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति दोनों में ही वर्षगाठ का विशेष महत्व है तथा इसका आयोजन सभी घरों में एक आम बात है।

विद्याध्यन

पाच वर्ष की आयु पर बालक तथा बालिका को विद्याध्यन अर्जित करने हेतु विधिवत् विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जाता था। सामान्यतः हिन्दु समाज में विद्यारम्भ के लिए कोई निश्चित अवस्था न थी। वे लिखना, पढ़ना, बोलना व्यवहारगत विधि विधान से परिचित होने के साथ-साथ भाषा साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष धर्म एवं गणित का विशेष रूप से अध्ययन करते थे:

“पुनि पडित कुँअर मनलावा, एक वचन बहुअर्थ पढावा
जो अस बोल कुअर औरावा, चित्र उरेहे अर्थ बुझावा
थोरे दिन भा कुअर सयाना, वेद-वेद बहु या भाति बखाना
अमर औ अमरु सतभावा पिगल कोक कठ औराबा
व्याकरण जे जेतिरू गीता, गीत गोविन्द अर्थ कोकीता
औ जो ग्रथ ग्यान जोग, पढा अनेग कुमार
निपुन भौ गुन विद्या, बादि न को उपार”³⁴

इसी प्रकार कन्याओं की भी पाच वर्ष की आयु से शिक्षा प्रारम्भ होने का उल्लेख पदमावत में प्राप्त होता है तथा इन्हे भी वही परम्परागत विषयों का ज्ञान दिया जाता था:

“अही जन्मपत्री सो लिखी, दै असीस बहुरे जोतिषी

पाच बरिस महँ मई सोबारी, दीन्ह पुरान पढै बैसारी

मै पदुमावति पडित गुनी”³⁵

योग्य राज कन्याओं के वेद, कामशास्त्र³⁶ छन्दशास्त्र, ज्योतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण धर्मशास्त्र, उपनिषद, तत्रविद्या, गणित, कल्पशास्त्र, सगीतशास्त्र तथा चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी।³⁷ मलिक मुहम्मद जायसी रचित समकालीन साहित्य ‘चित्ररेखा’ से भी नारी शिक्षा की प्रत्यक्ष झलक मिलती है, नियका चित्ररेखा का विद्यारम्भ पाच वर्ष की अवस्था से होता है। वह गुरु गणेश के निरीक्षण में अध्ययन करती है। उसका अध्ययन क्रम तब तक निरन्तर चलता रहा है जब तक वह पूर्ण विदुषी नहीं हो जाती है:

“पाच बरिस महँ भई सो बारी, रसना अंब्रित बैन संवारी

लाग पढावई गुरु गनेसू भई पंडित सम सुनी बरेसू”³⁸

इसके अतिरिक्त समकालीन साहित्यकार मझनकृत ‘मधुमालती’ से भी विक्रम राजकुमारी मधुमालती के विद्यारम्भ का उल्लेख मिलता है। वह पूर्ण शिक्षित

35 पदमावत पृ0562-पद-53

36 मझन कृत मधुमालती डा० माता प्रसाद गुप्त दोहा- 550 पृ० 395

37 जायसी कृत ‘पदमावत’, दोहा-168, पृ०-161

38 मलिक मुहम्मद जायसी कृत ‘चित्ररेखा’ पृ०-81

थी। उसने कामशास्त्र का अध्ययन किया था 39 मधुमालती अपनी माता के आग्रह पर अपनी प्रिय सहेली प्रेमा को पत्र लिखती है ।:

“समाचार जेत इहां के रहे, तै सम लिखि कागर पर कहे ।”40

वह राजकुमार मनोहर के पास भी प्रेम-पत्र प्रेषित करती है। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपनी अभिन्न सहेली प्रेमा को पत्र लिखकर निमत्रित करती है ।41

मधुमालती की सखी चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा भी शिक्षित थी। एक अवसर उसने राजकुमार मनोहर को अपनी सहेली मधुमालती का पत्र पढ़कर सुनाया था। साथ ही उसने अपनी सखी के पत्र का उत्तर कागज पर स्याही से सुन्दर रीति से लिखकर दिया था ।42 कुतुबन प्रणीत पुस्तक की नायिका मृगावती भी शिक्षित थी ।43 उसे कामशास्त्र का ज्ञान था। राजकुमार पंदमावती की शिक्षा पाच वर्ष की आयु से सुन्दर वातावरण में आरम्भ होती है। उसे विविध प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती है। वह पुराणों का अध्ययन करती है। अध्ययन के बल पर वह पूर्ण विदुषी बन जाती है। रूप लावण्य के साथ-साथ उसकी विद्वता की प्रसिद्धि चतुर्दिक फैल जाती है ।44 वह चित्रकला तथा वीणा वादन में भी निपुण थी ।45 समकालीन साहित्यों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हिन्दू राजाओं ने अपने

39 मझन कृत मधुमालती दोहा- 450 पृ०-395

40 वही, दोहा- 400 पृ०-349

41 वही, दोहा०-433, पृ०-379

42 वही, दोहा० 423, पृ०- 370

43 कुतुबन कृत ‘मृगावती’ पृ०-143

44 जायसी कृत पदमावत दोहा-53 पृ० 62

45 वही- दोहा- 168 पृ०-161

आत्मजो की सर्वांगीण एवं सम्पूर्ण शिक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया था। साधारण तथा राजपुत्रों को वेद, वेदाग, व्याकरण, ज्योतिष⁴⁶ कामशास्त्र⁴⁷ स्मृति, काव्य धर्मशास्त्र, दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक तथा शारीरिक शिक्षा सहगामी थी⁴⁸ राजपुत्रों की शिक्षा भी प्रायः पाच वर्ष की आयु से आरम्भ होती थी⁴⁹

विवाह संस्कार-

हिन्दू संस्कृति में प्रारम्भ से ही विवाह का अपना महत्वपूर्ण स्थान है जो समाजिक, धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित है। विवाहोपरान्त व्यक्ति की नवीन सामाजिक धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थिति प्रारम्भ होती है। निःसदेह विवाह एक स्त्री के जीवन की एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अवस्था है। समाज में विवाह का उल्लेख करते हुए अलबेर्नी लिखता है “कोई भी राष्ट्र एक सुव्यवस्थित वैवाहिक जीवन के बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता क्योंकि यह उन्नत मन के वीभत्स आवेशों के कोलाहल को रोकता है और यह उन सभी कारणों को नष्ट करता है जो कि मनुष्य के अन्तर्मन में छिपी हुई पशुता को उद्भेदित करते हैं जिसका कारण सदैव विनाश कारी होता है।⁵⁰ विवाह शब्द के अनेक पर्याय प्राप्त हैं जैसे- उद्वाह, परिणय, उपयम, पाणिग्रहण आदि। संस्कार के नियम के आधार पर पाणिग्रहीता शब्द परिणता स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। विवाह का सामान्य

46 मङ्गन कृत 'मधुमालती- छद-57, पृ०-47

47 कुतुबन कृत मृगावती- पृ० - 143

48 मङ्गन कृत मधुमालती- छद-58, पृ०-48

49 वही, छन्द-56, पृ०-46-47

50 अलबेर्नीज इण्डिया भाग-2 (सचाउ) पृ० -154

अर्थ था 'विशिष्ट रूप से वहन करना' अर्थात् विवाह में वधु को विशेष रूप से पिता के घर से पति के घर में ले जाना है। 51 विवाह का अभिप्राय है समाज द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए स्थापित दामपत्य सबध की स्वीकृत पद्धति। मध्यकालीन 'कवि मङ्गन' भारतीय नारी वर्ग की इस मर्यादा के पोषक थे, उन्होंने वैधानिक विवाह को ही मान्यता प्रदान की है। वे मधुमालती और राजकुमार तथा प्रेमा और ताराचद का विवाह विधिपूर्वक सपन कराते हैं। साथ ही कन्यादान दहेज, गौना, विदा, इन समस्त रीतियों का यथाविधि उल्लेख करते हैं। आज भी यदि किसी की कन्या बड़ी हो जाती है और कन्यादान नहीं हो पाता है तो लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं-

" सबन्ह कहा धी वैस जो होई, पिता ग्रिह मल बोल न कोई

आठ बरित लहि दुहिता बारी, नवांए रहै पिता कहँ गारी "

कन्यादान के पश्चात ही किसी प्रकार का संभाग विहित माना जाता है-

" जौ लगि - पिता न सकल्पै, करै न कन्यादान

तो लगि होई न सुरत रस और सबै रस मान "52

प्राचीनतमकाल से विवाह सस्कार पद्धति में समय-समय पर अनेक विधान जुड़ते चले गये। जो आज भी समाज में प्रचलित है। हिन्दू दर्शन के अनुसार मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तानोत्पत्ति नहीं करता तो वो पितृऋण से उत्तरण नहीं हो सकता अतः प्रजनन हेतु गृहस्थाश्रम में विधिवत् प्रवेश

51 ऋतु जायसवाल, "वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी-फ्रॉम द टेन्थ टू थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर" इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ०- 155

52 मङ्गन कृत मधुमालती पृ०-40

भी अनिवार्य है ।⁵³ इसी प्रकार गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ भी विवाह सस्कार से होता है अतः विवाह का मानव जीवन में प्रारम्भ से ही महत्व रहा है । जिसके अभाव में मनुष्य अनेक प्रकार के मागलिक कार्य से अनुष्ठान जुड़ते चले गये । अतः इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर आज तक मूलतः विधिविधान अनेक परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान समय में भी प्रचलित है । वैवाहिक अनुष्ठानों के अन्तर्गत सर्वप्रथम कन्या विवाह में उपयुक्त वर खोजने का उल्लेख प्राप्त होता है । उक्त पुरोहित यथा सामर्थ्य धनधान्य, फल-फूल मिठाई वगैरह वर पक्ष को प्रदान कर कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखता है ।⁵⁴ इसी प्रकार वधु पक्ष द्वारा विवाह के पूर्व की रस्मों के अनुसार टीका करने की प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है इसे लगन भेजना भी कहते थे । इसके अन्तर्गत पुरोहित से ही नारियल व स्त्राभूषण मुद्राएं व मिष्ठान फल आदि वर पक्ष को पहुंचाने की प्रथा थी ।⁵⁵ वरच्छा तथा तिलक भी विवाह से पूर्व होने वाली रस्म है इसके बाद ही विवाह की तैयारी की जाती है ।

“मिला सुबस अस उजियारा, भा बरोक औ तिलक सँवारा”⁵⁶

सर्वप्रथम वर पक्ष के स्वागत हेतु जनवासे की व्यवस्था की जाती थी, जहा पर शादी हेतु वर पक्ष की बारात के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी । जनवासे में

53 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम टेन्थ टू थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध- पृ०-१५७

54 पदमावत समय, छद 19-20, तथा पृ०-३७२ छद-९ चादायन पृ०-३३ छद-३५

55 ऋतु जायसवाल, “वीमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी फ्रॉम द टेन्थ टू द थर्टीन्थ सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर” इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध- पृ०- १५७

56. जायसी कृत पदमावत- पृ०-३११, पद- २७४

खाने-पीने इत्यादि का उत्तम प्रबन्ध किया जाता था ।⁵⁷ इसी प्रकार कन्या के घर पर बदनवार⁵⁸ सजाने का उल्लेख मिलता है जिसे शुभ माना जाता था इसी प्रकार मडप की सरचना का भी उल्लेख मिलता है, जिसे समकालीन इतिहासकार माडव कहकर सम्बोधित करते हैं:

“आये नाथ द्वारका नीके रच्यों मांडवो छाय

ब्याह केलि-विधि रची-सकल सुख सौज गनी नहि जाए”⁵⁹

उक्त मडप को भाति-भाति से अलकृत करने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है।

“माडव ऊँचा त्रिव किया खरे, तेहि तर पाट पटोरा परे”⁶⁰

पाच व्यक्तियों के सहयोग से ही मडप की स्थापना की जाती थी

“पच जना मिली मडप छायौ, तीनि जना मिलि लगन लिखाई

सखी सहेली मगल गावै, सुख-दुख माथै हल्द चढाई

नाना रगै भावरि फेरी, गाठ जोरि-बावै पति ताई”⁶¹

मडप के साथ-साथ मंगल कलश की स्थापना भी आवश्यक मानी जाती थी।⁶² जिसे शगुन का प्रतीक होने के नाते शगुन कलश भी पुकारा जाता था।⁶³

57 मुधमालती-मझनकृत पृ०-132, पृ०-143, पद-446 ब्याहखण्ड

58 वही

59 सूरसारावली पृ०5108 पद-639 तथा कबीर ग्रथावली पृ० 280 पद-24

60 मधुमालती- पृ० -132, कबीर ग्रथावली- पृ०-280 -पद- 24

61 कबीर ग्रथावली पृ०-280 पद-24

62 सूरसागर भाग-1 पृ०-219 पद-645

इसी के साथ लगभग मंगलगान का कार्यक्रम शुरू हो जाता था 64 कन्या पक्ष द्वारा
सुहाग नामक गीत मुख्य होता था जो विवाह के समय गाया जाता था:

“चॉट सुरुज मनि माथे मागू और गावाहे सब नखत सोहागू”65

सर्वप्रथम हमे विवाह विधि के अन्तर्गत वर पक्ष के वधु के घर आगमन
का उल्लेख मिलता है। वर पक्ष को ‘बारात’ सम्बोधन से पुकारा जाता था और इनके
आगमन मे स्वागतार्थ वधु पक्ष द्वारा मगलगीत गाने की प्रथा थी।

“दुलहनी गावहू मंगल चार

हम घरि आये हो राजाराम भरतार

तनरत लाई, मै ‘मनरत’ करिहु पचतत बाराती

रामदेव मौरै पाहुँनै- आए है, मै जोबन मैमाती

सरीर सरोवर बेदी करिहूं, ब्रह्मा वेद उचार

रामदेव सगी भॉवरि लैहूं, धनि धनि भाग हमार

सुर तैतीसू कौतिग आए, मुनियर सहस अढ़यासी

कहै कबीर हम व्याहि चले है, पुरुष एक अविनासी”66

63 मधुमालती- पृ०- 132

64 सूरसागर भाग-1 पृ०-219 पद-645, कबीर ग्रंथावली, पृ०-280 पद-24

65 जायसी कृत पदमावत पृ०-312 पद-275, चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ०- 52 पद-
54

66 कबीर ग्रंथावली पृ०-140, पद-1, तथा डा० राम कुमार वर्मा सत कबीर पृ०-
114- पद - 24, जायसी कृत पदमावत पृ०-320 पद-282

तत्पश्चात् विधि के अन्तर्गत वेदी के निर्माण के एव हवन का उल्लेख प्राप्त होता है। हवन की वेदी के लिए चारों ओर प्रदक्षिणा करने पर वर-वधू पति-पत्नी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भावर से सम्बोधित किया गया ।⁶⁷ भावर के दौरान वर-वधू को सम्बद्ध व एकीकृत करने के लिए दोनों के वस्त्रों को एक गाठ से जोड़ने की प्रक्रिया भी सम्पन्न की जाती थी:

“गौठि जोरि कै भाँवरि दिही

रीति चार कुल मही से किही”⁶⁸

भावर के पश्चात् ही कन्यादान की मागलिक रीति भी सपन्न होती थी, जिसमें अन्तर्तः वधू के माता पिता मंत्रोच्चारण के मध्य अपनी पुत्री को वर के हाथों में सौप देते थे:

“पुनि दै भावरि कुवर पानि वर, वरदायिनी कर राखि

कन्यादान कीन्ह त्रिपविक्रम, देख पित्तर दै साखि”⁶⁹

इसी के साथ मगलगान, वर वधू की आरती व न्योछावर जैसे अनुष्ठान भी किये जाते थे। जिनके परिणाम स्वरूप हिन्दू विवाह का संस्कार सम्पन्न होता था। कन्यादान का सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व तो था ही इस पूरी प्रक्रिया का एक धार्मिक महत्व भी होता था इसे मुक्ति के मार्ग में किये गये सत्कर्म के रूप में उल्लिखित किया गया है:

67 पूर्वोक्त

68 मृगावती, पृ०-१२१ पद-१५०

69 मधुमालती पृ०-१४४ पद-४४७

“सबन्ह कहा धी वैस जो होई, पिताग्रिह मल बोल न कोई

आठ बरिस लाहे दुहिता बारी, नवए रहै पिता कह गारी”

“जौ लागि पिता न सकल्पै करै न कन्यादान

तौ लागि होइ न सुरत रस और सबै रसमान’’⁷⁰

इसी प्रकार कुछ अन्य छोटे-छोटे संस्कारों का उल्लेख हमें विवाह के अन्तर्गत समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। जैसे वर का वधु के हाथ को स्पर्श करना तथा कगन की गाठ खोलना अन्य मगल चिन्हों की पूजा इत्यादि करना और इन सब के साथ स्त्री परिजनों का उत्साहपूर्वक गालिया गाना पूरी वैवाहिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अग था:

“कर कवै ककन नहि छूटे, राम सिया क परस मगन भये कौतुक

निराखे सखि सुख कूटे, गावत नारि गारि सब दै-दै तात

म्रात की कौन चलावै, तब कर डोरि छुटे रघुपति जू

जब कौसिल्या माता आवै, पुगी फल जुत जल निरमल धरि-

आनि भारि- कुड़ी जो कनक की, खेलत जूप सल जुबतिनी मै

हरै रघुपति जिति जनक धी, धरै निसार अजिर ग्रहमंगल

विप्र वेद अभिषेक करायै, सूर अमित आनन्द जनक पूर

सोई सुकदेव पुरानिनि गायो।’’⁷¹

70 मुधमालती- पृ०- 59-60

71 सूरसागर सटीक पृ०-250 पद-25

विवाहोपरान्त कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को अपने सामार्थ्यानुसार दहेज दिये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है मध्यकाल मे दहेज का प्रचलन अधिक था और बड़ी मात्रा मे दहेज दिये जाने का विवरण हमे प्राप्त होता है।

“उत्सव भयो परम आनंद को बहुत दायजो दीन्हों

भये विदा दसरथ नृप नृपसो, गयन अवधपुर कीन्हो”⁷²

दहेज में प्रायः दिये जाने वाली वस्तुओं का सविस्तार उल्लेख हमे समकालीन सहित्य सूरसागर मे प्राप्त होता है:

“ताराचन्द महथ औराजा, भोर होत तौ दायज साजा

पीठि वाहि, पाखर सोनवानी, आये है सै सहस पलानी

और गज मैमन्त सिह समाना, दायज दीन्ह जगत सम जाना

अमरत समै-जरावन जरा, झापि सहस झापि के धरा

सोनरूप बहुलादि चलावा, मानिक मुक्ता गन तन आवा

कपरा नाड़ जहा लगि, जो मोहि कहै न जाइ

बहस सहस दस आदि कै आगे दिया चलाइ

चेरी सहस तौ सग चलाई, जेहि देखि परै चाद मुरझाई

औ संग यौ ते साठि सहेली, लरिकाई संग साथ जो खेली

बरियाती जत गोहने लाये, बागा सौ सौ तिन्ह समपाये

भाजन सोने रूप को दिये, पाट पाटबर-गनत न आये

पालकी आठौ टूक जरावा, सुरग पटोरे बीनि उचावा

अग्र कपूर जो प्रमल, कुकम सादि-जवादि

बादाम, छुहारा और चिरौजी बसह, सहसदिय लादि' 73

अर्थात उस काल मे समृद्ध लोगो या अभिजात्य वर्ग द्वारा सभी जडाड वस्त्र दिये जाने, स्वर्ण, चादी, माणिक्य, मुक्ता इत्यादि दिये जाने का उल्लेख प्राप्त है प्रायः दहेज का सामान इतना अधिक होता था कि गिना नहीं जाता था, साथ मे नौकरानिया तक दिये जाने का उल्लेख है, अगर, कपूर, कुकुम, बादाम, छुआरा और चिरौजी वगैरह तक दिये जाने का उल्लेख प्राप्त है।

प्रायः हमे समकालीन साहित्य मे विवाहोपरान्त गौन के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सम्भवतः विवाह कम उम्र मे होने के कारण कुछ वर्ष पश्चात ही गौने का प्रावधान था। गौना ही मूलत. उसकी विदाई होती थी जब कन्या अपना गृह त्यागकर पति के घर के लिए प्रस्थान करती थी।

“हरख मयरे आयेस पावौ, साधि सुदिन प्रस्थान करावौ

आग्या होइ तौ गौन कराई, अपने जन्म भूमि तह जाई

गौन करैं कर साज कराई, अपने जन्मभूमि कह जाई

जौन करै कर साज नराई मधुमालती के संग चलाई

उन्ह की सेवा करि उन्ह बेरा, चाद सताइस जी उन्ह केरा” 74

73 सूरसागर-2 पृ०- 134, तथा पदमावत पृ०-477, पद - 385

74 मधुमालती- पृ० -149

ऊपर से स्पष्ट होता है, कि गौने हेतु भी दिन आदि पडित से विचार करवा कर निर्धारित होता था, जब अन्तः लडकी जन्मभूमि या पितागृह परित्याग के लिये तैयार होती थी:

“सुनि कुञ्ज्ञि कर गौन अवादा भौ त्रिप दुनौ घर बिसमादा

सुनतहि बात रूप मंजरी, भई अचेत मूरछि भुइ परी

विक्रमराय समुझावै, धी के रहे जस नैहर पावै

ससुरै धी कर होई, निरवाहा मैके काज न धी कर आहा

छाड़ा बाप भाई धरमारा, आजु गौन परदेश हमारा”⁷⁵

किन्तु पितृगृह का परित्याग एव ससुराल के विषय मे अनभिज्ञता के कारण दुख एवं सशंका का वातावरण निर्मित होता था और कम उम्र की वधुये प्राय घबड़ाकर मूर्छित तक हो जाती थी, अन्तः माँ बाप आदि बडे बुजुर्ग लडकियों को समझा बुझा कर विदा हेतु तैयार करते थे। गौने के समय प्रायः माताए एव परिवार की अन्य बड़ी बूढ़ी महिलाए कन्या को नये जीवन के दायित्वो कर्तव्यो आदि की शिक्षा प्रदान करती थीं, ताकि नव-वधु का वैवाहिक जीवन सफल एव सुखमय हो सके। जिसका विस्तृत विवरण मझनकृत मधुमालती मे प्राप्त होता है-

“फुल अपने कर करबै काजा, सेइब स्वामी छाडि सब काजा

सासुहि उतर न दीजै काऊ, सैदुइ जुनि परवारब पाऊ

75 मधुमालती- पृ० 163 पद-502 गौन खण्ड, पृ०-169, पद 522, तथा जायसी कृत पदमावत् पृ० 465-66 पद-378

हसि कै पैलब सासु के गारी उलटि उतर न दीजै बारी
 सासु कबोल प्रछि सिर लीजै, ॐ बोल सुन उतर न दीजै
 सौतिन्ह सौ जो करब मिताई रहब एक जनु जननी की नाई
 ॐ बोल जनि बोलहू, रिस राखेहू मन भारि

सतति लाज धरब जित कुल नहि आवै गारि''⁷⁶

मझन सम्पूर्ण काव्य के माध्यम से भारतीय समाज को जो शिक्षा देना
 चाहते हैं वह है माता की पुत्री को शिक्षा, आज भी अपनी लड़कियों को विदा
 करते समय माताएं सजल नयन हो पति सेवा का प्रथम पाठ पढ़ाती हैं वह उसे
 कहा तक कार्य रूप में परिणत करती है कहा नहीं जा सकता, किन्तु शिक्षा का
अक्षर-अक्षर व्यवहारिक रहता है और यदि वे उसे सुनकर सच्चा अर्थ समझ लेती
 हैं, वर्तमान युग में शिक्षा और विलम्ब से विवाह होने के कारण सम्भवतः ऐसे
उपदेशों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, किन्तु अनुभव गम्य होने के कारण
 सदैव ही मान्य रहेगी और उनकी शिक्षाएं विपत्ति के समय आलोक स्तम्भः

“साई सेवा करब चित लाये, जनि डोले चित दाये बाये

महादुष्ट जो पुरुष को जाती चित्त परखत रहबै दिन राता

कहेहु सेवादि न जानेहु जैसे सगरी रैनि गोड चापब जैसे

जौ धै बाह उकारै सगा, बेलसि सेज सुख मानेहु रंगा''⁷⁷

76 मधुमालती कथा-152

77 मझन कृत मधुमलती पृ०-46

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकालीन साहित्य में कन्यादान गौना, विदा की समस्त रीतियों के द्वारा विवाह सम्पन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है।

सती-

मध्यकालीन हिन्दू समाज में विधवा स्त्री के लिए सती होकर अपना जीवन समाप्त कर देना अथवा जीवित रहकर कठोर सामाजिक नियमों का पालन जीवन पर्यन्त करते रहना यहीं दो प्रारब्ध्य थे ।⁷⁸ हिन्दू समाज में पति के साथ स्वयं को प्रज्ञवलित अग्नि में भस्मकर लेने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित हो चुकी थी।⁷⁹ धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि पति की मृत्यु के साथ सती हो जाने वाली स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा।⁸⁰ सती होने के समय स्त्री अपने पूर्ण श्रृंगार में होती थी। जिस प्रकार वह विवाह के समय होती थी:

“पदुमावती नइ पहिरी पटोरी, चली साथ होइ पिय की जोरी
सुरुज छपा रैनी होइ गई, पूनिवं ससि सो अमावस भई
छोरे केस मोति कर छूटे, जानहूं रैनि नखत सब टूटे
सेदूर परा जो सीस उधारी, आगि लाग जनु जग अधियारी

78 देखिए डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध ग्रंथ पूर्वोक्त

79 पदमावत् पृ०- 874 - पद-650

80 जायसी कृत पदमावत् पृ०-872 पद- 648

सारस पखि न जियै निनारे है, तुम्ह बिनु का जियौ पियारे
 नेवछावरि कै तन छेरि आवौ, छार होइ सगि बहुरिन आवौ
 दीपक प्रीति पतगा जेडँ जनम निबाह करेडँ
 नेवछावरि चहुँ पास होइ कठ लागि जिउदेउ' 81
 जब स्त्री सती होने के लिए जाती थी तो हाथ में सिघौरा (सिदूर पात्र)
 लिए होती थी, 82 क्योंकि सिघौरा ही वास्तव में सुहाग का प्रतीक माना जाता था:
 “सती होइ कह सीस उधारी, धन मह बिज्जू धाय जस मारी
 सदुर जरै आगि जनु लाई, सिर की आगि सभारि न जाई” 83
 अर्थात् सिर उधाड़ना वैधत्य का चिन्ह समझा जाता था।
 अलबेरुनी के अनुसार विधवा के रूप में जब तक स्त्री जीवित है उसके
 साथ बुरा व्यवहार किया जात है 84

निस्सदेह हिन्दू स्त्री के जीवन में सबसे दुःखद घटना उसके पति की मृत्यु
 होती थी। हिन्दुओं में, निम्न वर्गों के लोगों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में विधवा
 विवाह की अनुमति न थी। विधवा को या तो अपने मृत पति की चिता पर या पति
 की मृत्यु के तुरन्त बाद एक अलग चिता पर जलकर मर जाना पड़ता था। यदि ये
 दोनों बातें न होती थीं अर्थात् वह पति की मृत्यु के बाद जीवित रह जाती थीं तो

81 पूर्वोक्त

82 कबीर ग्रथावली पृ०-219, पद 128

83 पदमावत, पृ०- 496, पद - 402

84 अलबेरुनी का भारत भाग-3, अनुच्छेड 69, पृ०- 199

उसे एक सादा और पवित्र जीवन बिताना पड़ता था। जिसमें किसी तरह का आकर्षण नहीं रहता था ४५ हिन्दू विधवाओं की दयनीय स्थिति और सती प्रथा की चर्चा करते हुए अलबेरुनी लिखता है कि “यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती उसे सामने केवल दो ही रास्ते बच जाते हैं” या तो वह आजीवन विधवा रहे अथवा जल मरे और दूसरी बात अर्थात् उसके जल मरने को उत्तम समझा जाता है क्योंकि विधवा के रूप में जीवित रहने पर उसके साथ सम्पूर्ण जीवन, दुर्व्यवहार किया जाता है। जहा तक राजाओं की पत्नियों का सबध है उन्हे, चाहे वे चाहे या न चाहे जल कर मर ही जाना पड़ता है और इस प्रकार यह प्रबंध किया जाता है कि वे कुछ ऐसा न कर बैठे जो उनके स्वर्गीय महान पति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो इस सबध में उन्हीं विधवाओं को छोड़ा जाता है जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई होती है और उन्हे जिनको की बच्चे होते हैं, क्योंकि पुत्र अपनी माँ का उत्तरदायी सरक्षक समझा जाता है ४६ सती प्रथा से सबधित धार्मिक कृत्य या तो पति के शव के साथ या उसके बिना ही किये जाते थे। पहली स्थिति में यानी पति के शव के साथ इस प्रकार के धार्मिक कृत्य को ‘सहमरण’ या ‘सहगमन’ अर्थात् पति के साथ मर जाना या उसके साथ इस ससार से चला जाना कहा जाता था और दूसरे प्रकार के धार्मिक कृत्यों को अनुमरण या अनुगमन अर्थात् पति के बाद मरना या उसके पीछे पीछे इस लोक से चला जाना था फिर भी सहमरण की प्रथा लोकप्रिय थी⁸⁷

85 किसोरी प्रसाद साहू कृत मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष पृ०- 226

86 अलबेरुनी इण्डिया-2 सचाउ पृ०- 155

87 कुतुबन की मृगावती पृ० - 336 पद-423, कबीर साखी सार साखी-34-36, पृ०- 172-173, तथा जायसी की पदमावत (पदमावती - नागमती सती खण्ड) दोहा-

जो महिलाएं सती नहीं होना चाहती थी उनसे आधा की जाती थी कि अपने माता-पिता के साथ भक्ति और सादगी का जीवन व्यतीत करेगी। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो महिलाएं अपने मृत पति के साथ जल मरती थीं वे पूर्व पापों से उद्धार पाकर सीधे स्वर्ग चली जाती थीं ।⁸⁸ साथ ही ऐसा विश्वास भी किया जाता था कि यदि पति अपनी मृत्यु के बाद नर्क गया है और उसकी पत्नी सती हो गई तो वह पति को नर्क से बापस ला सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्त्री अपने मृत पति के साथ जल मरती थीं उसके बारे में विश्वास किया जाता था कि फिर से जन्म न लेगी और यदि जन्म लेगी भी तो स्त्री के रूप में नहीं बल्कि पुरुष के रूप में। जो स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरान्त सती न होती थीं तो विधवा का जीवन बिताती थी। उसके बारे में यह आशा की जाती थी कि वे पुनः स्त्री के रूप में जन्म लेने से मुक्ति पा सकेंगी। अतः सभी विधवाएं जो पति की मृत्यु के समय गर्भवती न रहती थीं, अपने पति के शव के साथ पवित्र अग्नि की शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझती थी। ब्राह्मणी विधवा से अपने पति की चिता में ही जल जाने की आशा की जाती थी। जबकि अन्य जातियों की विधवाओं के लिए अलग चिता सजाई जाती थी। जो विधवा अपने मृत पति के साथ जल जाना चाहती थी उसे इस काम से रोका नहीं जाता था ।⁸⁹

648/1, 649/2, 650/3, 651/4 पृ०- 872-875

88 मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष किसोरी प्रसाद साहू पृ०-228

89 वही

जौहर-

जौहर प्रथा राजपूत नारीत्व की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, इसमे सदेह नहीं है।

इसके कई प्रमाण हमे समकालीन साहित्य मे मिलते हैं:

“चदन अगर मलैगिरि काढा, धर-घर कीन्ह सरा रचि ठाढा

जौहर कहैं साजा रनिवॉसू, जेहिसत हिएँ कहा तेहि आँसू

“पुरुखन्ह खरग समारे चदन होवरे देह

मेहरिन्ह सेदुर मेला चहाहि भई जरि खेह।”⁹⁰

इसको स्त्रियो के शौर्य का प्रदर्शन माना जा सकता है। राजपूत युग के सामन्ती परिवेश की कुप्रथाओं में एक जौहर प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार जीवित महिलाएं समूह में अत्मदाह कर लेती थीं अथवा सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेती थीं।

स्त्रियों की वेशभूषा, आभूषण तथा प्रसाधन

स्त्रियों की श्रगारिक अभिरूचि वेशभूषा तथा आभूषणों की विविधता का जो चित्रण किसी भी युग के साहित्य और कला में उपलब्ध होता है, उसमें प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्थिति की रूपरेखा निश्चित हो जाती है। प्राचीन काल से ही भारत में ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण करने की प्रथा रही है।¹ भारतीय साहित्य के अध्ययन से महिलाओं में धारण किये जाने वाले वस्त्रों में चार प्रकार के वस्त्र परिलक्षित होते हैं। साड़ी² चुनरी³ लहगा⁴ चोली, कचुकी अथवा अगिया⁵ हमारे अध्ययन काल में सारी या साड़ी महिलाओं का प्रचलित परिधान था समकालीन साहित्य में “सुरग पटोरी” का उल्लेख मिलता है:

“पटोरी” रेशमी वस्त्र से निर्मित एक प्रकार की साड़ी का सम्बोधन है, सामान्यता इसे पटोर वस्त्र से निर्मित किया जाता था। इसी प्रकार साहित्यिक कृति में हमें विरोदक साड़ी का भी उल्लेख मिलता है:

- 1 गौरी शकर, हीरा चन्द्र ओझा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति प्र० स० 1945, पृ० 42, ड० ३० मोती चन्द्र कृत प्राचीन वेशभूषा भारती भण्डार प्रयाग पृ० १५, एस०बी० गुप्त कास्ट्र्यूम टेक्सटाइल्स कास्मेटिक एण्ड काफयर इन एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया पृ० १४७
- 2 चादायन, माता प्रसाद गुप्त पृ० ८१ पद ८३ पृ० १४९ पद १५३ पृ० २८७ पद ३९३ तथा सूरसागर खण्ड २ पृ० ३५१ पद ३९३४ पृ० ४९१ पद १६६१
- 3 सूरसागर प्रथमखण्ड पृ० १३ पद ४४
- 4 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० १३ पद ४४ पृ० ४८१-८३ पद १९१६, पृ० ४९१ पद १६६१
- 5 सूर सागर खण्ड एक, पृ० १३ पद ४४, पृ० ४८२-८२, पद १९१६, पृ० ६०८ पद २०९३

मलमल या रेशम की उत्तम प्रकार की साड़ियाँ सम्पन्न वर्ग की महिलाओं में अत्यधिक लोकप्रिय थीं⁶ स्वाभाविक ही उच्च मूल्य एवं किस्म के कारण, वे ही इसे पहनने में सक्षम थीं, क्योंकि जन साधारण के लिए इतने मूल्य की साड़ी हेतु धन उपलब्ध नहीं था। साधारण वर्ग की महिलाएं साधारण किस्म के वस्त्र धारण करती थीं, तथा वे बहुमूल्य वस्त्रों की अपेक्षा इसी में कुछ रगीन व अलकृत परिधान पहन कर अपने शौक पूरे करती थीं जैसे कि, चादायन के एक उल्लेख से सुस्पष्ट हो जाता है कि एक ग्वालिन फुदिया से मिलती हुई सिदूरी रग की साड़ी ‘मेधवाना’, और ‘कुसियारा’ धारण किये हुए हैं तथा, जोगिया चौकड़िया वाला चीर पहने हैं।⁷ सिर पर वह ‘मूँगिया ओढ़नी’ तथा चुँदरी पहने हैं।⁸ एवं सावन जैसे महीने में एक ‘खण्ड छाप’ की गुजराती साड़ी तथा ‘कुसुंभी साड़ी’ पहनती है।⁹ “खीरोदक” नामक साड़ी भी हमारे अध्ययन काल में प्रचलित थी:

“पहिरि चाद खीरोदक सारी।”¹⁰

अनेक अवसरों पर महिलाएं अपनी साड़ी के साथ साथ ‘कोछा’ अथवा ‘कछनी’ भी पहनती थीं, जिसका उल्लेख हमें समकालीन कृति ‘मृगावती’ में विशेष रूप से प्राप्त हुआ है।¹¹

6 पाताल चीर (पतली साड़ी) विद्यापति की पदावली - पद 164 पृ० 270 साथ ही देखे जायसी का पदमावत साहित्य सदन चिरगाँव, 1961 सर्ग 27 दोहा 329/39, पृ० 395

7 चादायन सपादक माता प्रसाद गुप्त, पद 83 पृ० 81-82

8 वही

9 वही

10 वही, पृ० 149 पद 153

11 कोछा अथवा कछनी के उल्लेख समकालीन साहित्य में प्राप्त हैं - मृगावती सम्पादक डा० शिव गोपाल मिश्र, पृ० 149 कछनी हेतु, मीराबाईं की पदावली सम्पा० परशुराम चतुर्वेदी प्रयाग 1884 पद 8 पृ० 103

वक्ष ढाकने हेतु धारण करने वाले विभिन्न परिधानो मे “अगिया” अथवा “कचुक” का विवरण हमे समकालीन हिन्दी कृतियो मे मिलता है। अगिया को “कचुकी” या चोली भी कहा जाता था, जैसा कि साहित्यिक उल्लेख से सुस्पष्ट है:

“कचुकी” पहिरि सनाह के भेसा”

अथवा

“चोली” कसनि जो खोलइ ताही । 12

फुदिया, कसनिया, हटागी, चोली इत्यादि अत्यन्त प्राचीन काल से ही स्त्रियो द्वारा धारण किये जाने वाले प्रचलित परिधान हैं, जिनका उल्लेख समकालीन साहित्य में यत्र तत्र मिलता है। फुदिया, कसनिया, चोली (पतागी) 13 के ऐसे रूप प्रतीत होते हैं जो आगे और पीछे से खुले हुए होते थे तथा उन्हे किसी डोरी की सहायता से बाधा जाता था। फुदिया की डोर में कभी कभी फुदना लगा होता था तथा इससे परिधान मे गाठ लगाई जाती थी, समकालीन साहित्य मे पुंदिया के वर्णन से ऐसा ही प्रतीत होता है। सम्भवतः कसनिया पीछे की ओर से बाधा जाने वाला ऐसा ही परिधान था।

अगिया का प्रयोग प्रायः स्त्रियाँ आन्तरिक वस्त्र के रूप मे करती थी, अगिया को हटागी के नाम से भी जाना जाता था। उच्च वर्गीय स्त्रियाँ जडाऊ दार अगिया पहना करती थी:

12 मझनकृत मधुमालती मिश्र प्रकाशन इलाहाबाद 1961 , दोहा 206 तथा 451, पृ० 174, 396, कुतुबनकृत मृगावती डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 203 पद 239, कुसुम्मी चोली पदमावत दोहा 337/7 पृ० 407, मृगावती पृ० 261 छन्द 302

13 चादायन, सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, पद 267 पृ० 254

“बहु नग जरे जराऊ अंगिया”¹⁴

लहगा महिलाओं में पहना जाने वाला अधोवस्त्र है। इस युग में “लहगा” तथा “घाघरा” स्त्रियों में अत्यन्त प्रचलित पोशाक था।

“कटि “लंहगा” नोलौ बन्यो, कोजो”¹⁵

व

“घाघर बाधि आइ पगु दीन्दे”¹⁶

विवेच्ययुगीन साहित्य में “पटोर” लहगे का भी विवरण हमे प्राप्त होता है, साहित्य में पटोर वस्त्र से निर्मित लहगे को पहन कर चलती हुई स्त्री की तुलना, लहराते हुए समुद्र से भी की गई है।¹⁷

लहगे की तरह घाघरा भी अत्यन्त लोकप्रिय परिधान था। घाघरा वैसे तो मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित था।¹⁸ (अलतेकर, दि पोजीशन आफ बुमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० 296) परन्तु कुछ खास पेशेवर वर्ग की महिलाएं भी इसे पहनती थीं।¹⁹ सम्बवतः उनको इसे पहनकर काम करने में सुविधा होती होगी।

14 चादायन दाउदकृत 94/1

15 सूर सागर प्रथम खण्ड, पृ० 13 पद 44

16 मृगावती कुतुबनकृत पृ० 213-14, पद 251

17 चादायन, डा० माता प्रसाद गुप्त 25/2 तथा, पदमावत, पृ० 132 पद 117

18 अलतेकर, दि पोजीशन आफ बुमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० 296

19 मृगावती कुतुबन कृत पृ० 213-14 पद 25

शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए महिलाएं चुदरी का प्रयोग करती थीं, जिसे “मडिला” या “चूदरी” के रूप में जाना जाता था २०

उच्च वर्ग की हिन्दू महिलाएं जब भी घर के बाहर जाती थीं तो चुनरी का प्रयोग करती थीं:

“पहिरै राती “चूनरी” सेत उपरना सो है” २१

“चुदरी” (कपड़े का बड़ा टुकड़ा जिससे सिर और शरीर का ऊपरी भाग ढका जाता था) का भी उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है २२

समकालीन साहित्य “चीर” (सूती कपड़ा) का भी पर्याप्त विवरण हमें मिलता है:

“नव सत साजि चीर चोली बनी” २३

महिलाएं साड़ी के साथ कभी कभी एक डोरी का भी प्रयोग करती थीं जिसे निबिन्ध २४ कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन सहित्य में विभिन्न प्रकार तथा रंग के चमाऊ (चमड़े के) जूते (पाई पादत्री) पहनने का भी उल्लेख हमें मिलता है २५

२० चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ० ८१- पद ८३ सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० १३ पद ४४

२१ सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० १३ पद ४४

२२ चादायन “चूदरी” पद ८३ पृ० ९१

२३ चांदायन, दाउद कृत ४२/३, ४७/३, ५०/५, ५१/१, ९७/६, ९०/३, ९४/२, २६, १७३/२, २२४/२ इत्यादि, सूरसागर खण्ड २ पृ० ५७ पद २६४६

२४ विद्यपति की पदावली पद ७६ दोहा ८प० १२४ पद ८४ दोहा २ पृ० १३४

२५ मुल्ला दाउद कृत चादायन सम्पादक, माता प्रसाद गुप्त पद ९५ पृ० ८३

आभूषण :

महिलाओं की आभूषणों के प्रति सौन्दर्य प्रियता प्राग्वैदिक काल से विद्यमान रही है। आभूषण वैभव व सम्मन्नता के साथ अलकरण का प्रतीक है। हिन्दू स्त्री के लिए सुहाग या विवाहित जीवन का तात्पर्य समग्र देह पर अंलकारों का प्रयोग था। केवल वैधव्य की अवस्था में वह अपने अलकारों और जवाहरातों को उतार देती थी और सिर से सिदूर को मिटा देती थी।²⁶ मध्य कालीन इतिहासकारों व साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में स्त्रियों के विभिन्न आभूषणों का विस्तृत वर्णन किया है। शीश के आभूषणों में हमें एकाध उल्लेख मुकुट के भी प्राप्त होते हैं:

“बुঁঘট মুকুট বিরাজজ সীস, মনি কুঁডল তাটক বিলোল”²⁷

इसी प्रकार “जड़ाऊ टीका” तथा शीशफूल का भी विवरण प्राप्त होता है।

“टीকা গুথি মাগ মোতিনি কী শীশ ফূল সির ধারতি

টীকা ধরযো জরাঊ”²⁸

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है शीशफूल लोकप्रिय शीश आभूषण था।²⁹ सम्भवतः महिलाएँ इसे मांग की वृद्धि हेतु धारण करती थीं। इसे शीश भूषण भी

26 विद्यापति ठाकुर कृत पदावली बगीय पृ० 117

27 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 531 पद 1798

28 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० 614-15, पद 1216 तथा पृ० 89 पद 2808

29 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 171 पद 3229 तथा पृ० 89 पद 2808 तथा सूरसागर खण्ड एक, पृ० 614 पद 1216

कहा गया है। समृद्ध महिलाएं स्वर्ण व मोतियों से निर्मित शीशभूषण पहनती थीं।³⁰ साथ ही हमें शीश के आभूषणों से सबधित बेदी का भी उल्लेख समकालीन हिन्दी साहित्य में प्राप्त होता है:

“कुडल तट तरिकन लै साजत नासा बेसरि धारत है

“बेदी” भाल माग सिर पारत, बेनी गूथि सवारत है’’³¹

केश सज्जा हेतु बालों की बेनी अथवा बेणी बनाने व उसे माग के साथ मोतियों से सुसज्जित करने का उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है.

“बेनी गूथी माग मोतिनी की सीस फूल सिर धरति ”³²

मस्तक पर शृंगार के लिए स्त्रिया सिंदूर की ही बिन्दी लगाती थीं।³³

महिलाएं अपनी सौन्दर्य वृद्धि हेतु अपने कानों में विभिन्न प्रकार के कर्ण आभूषण अत्यन्त ही चाव से पहनती थीं। “कर्ण फूल” कान में धारण किया जाने वाला अत्यन्त ही लोकप्रिय आभूषण था।³⁴

“मानौ कर्नफल चारा कौ

बेसरि बनी सुभग नासा पर, मुक्ता परम सुढार”³⁵

30 चादायन 75/5

31 सूर सागर खण्ड 2 पृ० 79 पद 2755

32 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 614 पद 1216 तथा सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० 89 पद 2808

33 सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० 172 पद 3231

34 कर्णफूल के लिए देखिए विद्यापति की पदावली पृ० 263 पद 261

35 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170-71 पद 3228

अन्य लोकप्रिय कर्णाभूषणो मे “खूँट” एक गोलाकार कर्णाभूषण था जिसका आकार दीप के समान होता था। जिसे “खूँट” कहकर सम्बोधित करते थे 36

तेहि पर “खूँट” दीप दुइ बारे। दुइ ध्रुव दुओ “खूँट” बैसारे 37

समकालीन साहित्य मे हमे कुछ ऐसे उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि कर्ण आभूषण के प्रति महिलाओ मे विशेष रुचि रही है। तथा आधुनिक काल मे भी महिलाए कानो मे अलकरण के लिए विभिन्न प्रकार के कर्ण आभूषणो को अत्यन्त चाव से पहनती हैं। कुछ ऐसे भी कर्ण आभूषण हैं, जो प्राचीन काल मे भी प्रचलित थे तथा आज भी कुछ परिवर्तित रूप मे प्रचलित हैं। कुडल एक ऐसा ही चिर परिचित कर्ण आभूषण है जो कान मे धारण किया जाता था:

कुडल तर तरिवन लै साजत, नासा बेसरि धारत है 38

राजकीय वर्ग की महिलाए कान मे स्वर्ण कुडल धारण करती थी:

“कुंडल कनक रचे उँजिअरे” 39

समकालीन साहित्यो मे हमे हीरे जवाहरात आदि से जडे हुए कुडल का उल्लेख प्राप्त होता है :

36 चादायन छन्द 226 दोहा 2 पृ० 124 तथा छन्द 9 दोहा 2 पृ० 131

37 जायसी कृत पदमावत पृ० 124-125 पद 110

38 सूरसागर द्वितीय खण्ड, पृ० 79 पद 2755 तथा चांदायन पृ० 82 पद 84

39 जायसी कृत पदमावत पृ० 124-25 पद 110

“कुडल सुवन जरै लइ हीरा”⁴⁰

तथा

“मनि कुडल चमकहि अति लोने, जनु कौधा लौकहिं दुहुँ कोने ”⁴¹

कान मे पहनने वाले आभूषणो मे ‘खुम्भी’ नामक एक आभूषण प्रचलित था। जो कुकुरमुत्ते की टोपी के आकार का होता था कान के छेद मे पहना जाता था।

“पहिरे खुभी सिघल दीपी, जानहुँ भरी कचपची सीपी।”⁴²

उल्लिखित काल मे महिलाए नाक को सुशोभित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कलात्मक आभूषणो का प्रयोग करती थी। नकफूली (छोटी कली के आकार का एक नाक का आभूषण) जिसका डठल नाक से सटा होता है।

“उवइ अगस्ति नाक काई फूली”⁴³

“बेसर” या “बेसरि” भी नाक मे पहना जाने वाला एक अर्ध चद्राकार आभूषण था जिसका निर्माण इस प्रकार से होता था, कि वह नाक से लटकता रहता था,

“बेसरि बनी सुमग नासा पर मुक्ता परम सुदार”⁴⁴

40 चांदायन माता प्रसाद गुप्त, पृ० 82 पद 84

41 जाएसी कृत पदमावत पृ० 124-25 पद 110

42 जायसी कृत पदमावत पृ० 124-25, पद 110 पृ० 44-45 पद 38

43 चांदायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 82 पद 84 तथा छन्द 93 दोहा 3 पृ० 131, (यहाँ इसे नाककाई फूली कहा गया है)

44 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170-71 पद 3228, विद्यापति की पदावली पृ० 608 पद

नथ या नथिया भी नाक में महिलाएं बडे चाव से पहनती थी, इनमे से कुछ इतनी लम्बी होती थी कि होठों तक लटकती थीं:

“नासा नथ मुक्ता के मारहि, रहयो अधर तट जाइ”⁴⁵

उल्लिखित काल मे गलों मे पहने जाने वाले विभिन्न आभूषणों मे हार सर्वप्रमुख था:

“लम्बित सोभए हार बिलोल”⁴⁶

हार विभिन्न मोतियों तथा स्वर्ण धागो से प्रायः निर्मित होता था और वक्ष स्थल तक लटकता रहता था। हार को मोहन माला का पर्याय मान कर सोने के मनको से बना कण्ठ आभूषण कहा गया।⁴⁷ स्वर्ण, रजत व अन्य धातुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कलात्मक व विविधतापूर्ण नमूनों मे कण्ठा आभूषणों को निर्मित करवाया जाता था।⁴⁸ अन्य उल्लिखित ग्रीवाभूषणों मे सिकड़ी⁴⁹ गले मे पहनने वाली जजीर या श्रृंखला का एक पूर्व मध्य कालीन रूप प्रतीत होती है। गले के पास छाती के ऊपर दोनों धन्वाकार हड्डियों को “हसली” कहते हैं, इन्हीं पर मडित होने के कारण एक अन्य ग्रीवाभूषण का नाम हसली⁵⁰ पड़ा जो प्रायः गले

2093 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 79 पद 2755 पृ० 88 पद 2801

45 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 614 पद 1216

46 विद्यापति की पदावली पृ० 125-26 पद 944 तथा सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 234 पद 3480

47 चादायन पद 34 पृ० 82-83

48 स्वर्ण मातियों, हीरों तथा सुगन्धित पुष्पों के अनेक हारों का उल्लेख समकालीन साहित्य मे मिलता है मातिम हार, विद्यापति की पदावली पद 24 दोहा 4 पृ० 45

49 चादायन दाउद कृत छन्द 95 दोहा 4 पृ० 13

50 चादायन दाउद कृत छन्द 359 दोहा 2 पृ० 285 तथा पद 329 पृ० 326-327

मे पहनने पर इन हड्डियों पर टिका सा रहता है यह आभूषण वस्तुत अत्यन्त प्राचीन है। कण्ठ मे धारण करने वाले आभूषण को एक नाम कठसिरी भी दिया गया है।

“कठसिरी उर पटिक विराजत, गुजयोतिन केहार”⁵¹

समकालीन साहित्य मे दो लर के कठ आभूषण को ‘दुलरी’ तथा तीन लर वाली को इसी प्रकार ‘तिलरी’ कहकर सम्बोधित किया गया है।

“कठसिरी से, दुलरी, तिलरी उर मानिक मोती हार रंगकौ”⁵²

महिलाए गले की शोभा बढ़ाने के लिए हार इत्यादि धारण करती थी, जो प्रायः समृद्ध वर्गों मे रत्नजडित तथा स्वर्ण के होते थे।

“कचनहार दिये नहि मानति”⁵³

सुहागिन स्त्रियाँ गले मे मगलसूत्र धारण करती थीं

“एक सुहागनि जगन पियारी, सगले जीअ जंत की नारी सुहागनि गलि सो है हासू”⁵⁴

51 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 608 पद 2093 (1475) तथा पृ० 623 पद 2158 (1540)
सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170-71 पद 3228

52 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 608 पद 2093 (1475) तथा पृ० 614-115 पद 1216
(1498) तथा पृ० 623 पद 2153 (1540)

53 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 491 पद 1661 चादायन माता प्रसाद गुस पृ० 162, पद
166, सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० 215 पद 634 तथा कबीर गन्थावली पृ० 370 पद 2

54 संत कबीर राम कुमार वर्मा, पृ० 170 पद 7

कुछ हार मोतियों के बने होते थे तथा उन्हे स्वाभाविक रूप से मोतियों का हार अथवा मोतिन हार कहते थे ।⁵⁵

भुजाओं की शोभा बढ़ाने के लिए हाथ के ऊपरी भाग में, अर्थात् बाहु पर महिलाएं बाजूबद⁵⁶ भी धारण करती थीं ।

बहुंटा, कर ककन, बाजूबंद ऐसे पर है तौकी⁵⁷

हाथों को सुसज्जित करने वाले आभूषणों में अगद और केयूर अधिक प्रचलित थे ।⁵⁸ ये भी बाजूबद के ही रूप थे 'बाजू बद' की तरह भुजाओं में टाड़या "टड्डे"⁵⁹ भी महिलाएं धारण करती थीं जो बाह में कसे हुए होते थे ।

कलाई को सुशोभित करने के लिए स्त्रियाँ ककण और बलय नामक अलकृत आभूषणों को धारण करती थीं⁶⁰

मध्य युगीन साहित्य में उल्लिखित हस्त अकलारों में सलोनी नामक आभूषण का भी उल्लेख मिलता है ।⁶¹ वह भी सभवतः बाजूबंद की ही भाँति भुजा में धारण किया जाता रह होगा । मध्य कालीन इतिहास कारों ने स्त्रियों द्वारा

55 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० 491 पद 1661 पृ० 623 पद 2158 (1540) मृगावती पृ० 40 छन्द 50

56 सूरसागर खण्ड 2 पद 3228 पृ० 170-71

57 सूरसागर खण्ड 1 पृ० 623 पद 2158 (1540)

58 ढोला मारू रा दुहा दोहा 481 पृ० 114

59 जायसी कृत पदमावत पृ० 126-27 पद 112

60 विद्यापति की पदमावती पद 38 दोहा 8 पृ० 67, सूर सागर खण्ड 2 पृ० 88 पद 2801

61 दाउद कृत चादायन 266/3, चादायन (माता प्रसाद गुप्त) पद 260 पृ० 253

बाजुओं की सौन्दर्य वृद्धि हेतु धारण किये जाने वाले आभूषणों में 'बरया' अथवा 'बलया' का वर्णन किया है

अइस न देखेउ काहु कलाई। बरया जनु चरचहि ही, सुहाई ६२

व

"बरया" फूटि का गही जो नाहा पहुँचिउ टूटि उबरि गई बाहो ६३

इसी प्रकार बाहु रखा अथवा बोरखा^{६४} (जो कि राजपूत स्त्रियों में विशेष प्रचलित था) का उल्लेख भी समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है। जो बाजुओं की सौन्दर्य वृद्धि के लिए धारण किया जाता था।

अवलोकित काल में स्त्रियों कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलकारों को धारण करती थी जिनका विवरण समकालीन साहित्य में प्राप्य है। इन आभूषणों में ककण, हथपूर, चूड़े, चूड़ी, तथा वलय का उल्लेख हमें मिलता है। ककण अथवा कगन ६५ (जिसे ककन भी कहा जाता था) कलाई पर धारण किया जाने वाला एक प्रमुख आभूषण था। यह प्रायः दोनों सिरों पर घुड़ी वाला ठोस अलकार था।

"कर कगन भर पहिर कलाई" ६६

62 मृगावती कुतुबनकृत डा० माता प्रसाद गुप्त पृ० 50 छन्द 64 तथा बरया कुतुबन कृत मृगावती दोहा 203 एवं 260 पृ० 136 तथा 159 पृ० 209 पद 239

63 मृगावती कुतुबनकृत पृ० 204 छन्द 240

64 ढोला मारू रा दुहा दोहा 481 पृ० 114

65 विद्यापति की पदावली पद 171 दोहा 6 पृ० 277

66 चादायन सम्पादक माता प्रसाद गुप्त पृ० 82 पद 84, सूरसागर खण्ड 2 पृ० 88 पद 2801 तथा विद्यापति पदावली पृ० 84-85 पद 62 मृगावती कुतुबनकृत पृ० 239 पद

विभिन्न धातुओं से निर्मित रग बिरंगी चूड़ियो 67 (जिन्हे बालाया, बलया अथवा तार भी कहा जाता था) के उल्लेख समकालीन साहित्य में हमें मिलते हैं। स्वर्ण एवं काच के अतिरिक्त हाथी दात, शख, पत्थर एवं पुष्पों की अलकृत चूड़िया बनती थी, हतपूर या हतपूर से अभिप्राय कदाचित हाथ फूल से है, हाथ फूल पांच जजीरों वाले उस बलय को कहते हैं जो करमूल अथवा कलाई पर पहना जाता है, इसकी प्रत्येक जजीर हाथ की पाचों उगलियों में पहनी गई अगूठियों के साथ बधी होती थी 68 विवेच्य युगीन साहित्य में दोनों हाथों की दसों अगुलियों में महिलाओं द्वारा अगूठी पहने जाने का भी विवरण हमें मिलता है 69 दसों उगलियों में अगूठी धारण करना वैभव, समृद्धि, सपन्नता एवं अभिरूचि का प्रतीक माना जाता था:

“दस अगुरिन्ह अगूठी पगवाइ”⁷⁰

सम्पन्न वर्ग की महिलाएं प्रायः हीरे जवाहरातो व अन्य बहूमूल्य नगों से निर्मित जड़ी हुई अगूठियाँ पहनती थीं:

“ओ पहिरे नग जरी अगूठी, जगबिनु जीव जीव नहीं भूठी”⁷¹

203, सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 170 पद 508 तथा पृ० 491 पद 1661 (1043)
पदमावत पृ० 346 पृ० 296

67 विद्यापति की पदावली पद 38 दोहा 8 पृ० 67 बालाय, चूड़ी, ढोला मारू रा दुहा दोहा 349, पृ० 81 सूर सागर प्रथम पृ० 491 पद 1661 (1043) • पृ० 530-31 पद 1798,

68 चादायन का सास्कृतिक परिवेश डा० ज्ञान चन्द शर्मा पृ० 167

69 चादायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 92-93 पद 329

70 चादायन माता प्रसाद गुप्त, पृ० 82 पद 84

71 जायसी कृत पदमावत, पृ० 126-27 पद 112

प्रायः अगूठी के लिए मुद्रिका अथवा मुद्री का भी सम्बोधन समकालीन हिन्दी साहित्य में हमें प्राप्त होता है।

“हाथ मुद्रिका प्रभु दई, सदेश सुनायौ”⁷²

अगूठे में पहनी जाने वाली दर्पण युक्त एक विशेष प्रकार की अगूठी को “आरसी” कहा जाता था जिसके उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होते हैं⁷³

स्त्रियो द्वारा धारण किये जाने वाले विविध आभूषणों में कमर अथवा कटि प्रदेश को अलकृत करने वाले आभूषणों का विशेष आकर्षण रहा है। कटि प्रदेश में धारण किये जाने वाले प्रमुख अलंकारों में विशेषकर छुद्र घटियो⁷⁴ का उल्लेख किया जा सकता है। इस आभूषण को सोने के तारों में छोटी छोटी घटिकाओं को पिरो कर बनाया जाता था तथा चुंबरूओं की भाँति यह भी स्त्रियों के चलने पर मधुर संगीत लहरी उत्पन्न करती थी⁷⁵ इसी प्रकार कमर के लिए ‘किनकिनी’ भी एक विशेष आभूषण था:

“मनि किकिनी कर मधुर बिराव”⁷⁶

72 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 170- पद 508 तथा पृ० 530-31 पद 1798

73 दाउद कृत चादायन 94/4 तथा 95/6

74 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 608 पद 2093 (1475) पदमावत पृ० 346 पद 296

75 सूर सागर प्रथम खण्ड पृ० 623 पद 2153 (1540)

76 किकिनी के लिए देखिए विद्यापति की पदावली, पृ० 18-19 पद 13 तथा पद 13 दोहा 2 पृ० 26 एवं पद 171 दोहा 2 पृ० 277

पदाभूषणों मे पायल अथवा पाजेब 77 अवलोकित काल की स्त्रियो का अत्यन्त प्रचलित आभूषण था। वस्तुतः पायल, जजीर और झूलनो से युक्त चादी अथवा स्वर्ण निर्मित एक पदाभरण था। स्त्रियो के अन्य चरणाभूषणों मे ‘नूपुर’ भी था, 78 जिसे यदा कदा बहूमूल्य एवं जड़ाऊ बनाने के लिए जवाहरातो तथा विभिन्न प्रकार के मोतियो का प्रयोग किया जाता था:

“‘चरन महावर नुपुर मनिमय, बाजत भाँति भली’”⁷⁹

अथवा

“‘रतन जटित पग सुमग पावरी, नूपुर परम रसाल’”⁸⁰

नर्तकियो द्वारा धारण किये जाने वाले चरणभूषणों मे घुघरू⁸¹ तथा झाझर⁸² का उल्लेख किया जा सकता है, जो अत्यन्त लोकप्रिय थे। ये आभूषण पैरो को अलकृत करने के साथ ही सगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि ये पदाभूषण आज भी महिलाओं मे लोकप्रिय हैं और स्त्रियाँ इन्हे बड़े चाव से पहनती हैं। चूड़ा⁸³ पिण्डलियो पर धारण किये जाने वाले खोखले अथवा

77 दाउद कृत चादायन 122/7 पैजनिया चांदायन माता प्रसाद गुप्त पद 94 पृ० 92-93
पद 179 पृ० 82 पद 84 पदमावत पृ० 346 पद 296

78 सूर सागर द्वितीय खण्ड पृ० 79 पद 2755

79 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 1744 पद 3237

80 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 9 पद 2409

81 घुघरू (जिसे घुघरी अथवा घुघरा भी कहा जाता था) का उल्लेख समकालीन साहित्य मे मिलता है ढोला मारू रा दुहा दोहा 539 पृ० 129, मृगावती पृ० 87 दोहा 3 पृ० 21 दोहा 27

82 ढोला मारू रा दुहा, दोहा पृ० 114 दोहा 481

83 दाउद कृत चांदायन 359/3,4, कबीर ग्रन्थावली पृ० 225 पद 138

ठोस कडे का नाम है। यह पहनने वाले के सामर्थ्य पद एवं मर्यादा के अनुरूप स्वर्ण, रजत अथवा रंगा आदि धातुओं से निर्मित होता था। इसे पादचूड़ की भी सज्जा दी जाती थी। अनवट तथा बिछुआ या बिछिया⁸⁴ मध्य युगीन विवाहित महिलाओं में अति लोकप्रिय आभूषण था, जिसे पैर की उगलियों में धारण किया जाता था। आज भी इन आभूषणों को सौभाग्य चिन्ह मानकर धारण करने का पर्याप्त प्रचलन है। अनवट नामक पादभूषण को पैर के अंगूठे में पहना जाता था⁸⁵ तथा बिछुआ पॉव की अन्य अगुलियों में विशेषता अगूठे के साथ वाली उगली में पहना जाने वाला आभरण था⁸⁶ कभी कभी पाव में एक से अधिक बिछुए भी स्त्रियाँ धारण करती थीं वस्तुतः ‘बिछुआ’ और ‘अनवट’ अत्यन्त प्राचीन काल से ही महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता था⁸⁷ स्त्रिया जब उन पादभूषणों को पहन कर चलती थीं तब उनसे कर्ण प्रिय सुमधुर ध्वनि निकलती थीं:

“ पग जेहरि बिछियनि की झमकाने, चलत परस्पर बाजति ”⁸⁸

इस प्रकार अवलोकित काल की महिलाएं शरीर के अन्य अंगों की भाति अपने पैरों को भी विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पदाभूषणों से अलंकृत किया करती थीं, जो इनकी सौन्दर्य प्रियता एवं आभूषण प्रियता का परिचायक हैं। पैरों में

84 दाउद कृत चादायन (माता प्रसाद गुप्त) पृ० 326 – 27 पद 329

85 माता प्रसाद गुप्ता पृ० 326 पद 228 जायसीकृत पदमावत पृ० 133-34, पद 118

86 कबीर ग्रंथावली पृ० 225 पद 138, पदमावत पृ० 349 पद 299

87 जायसीकृत पदमावत पृ० 133-34 पद 118

88 सूर सागर खण्ड द्वितीय पृ० 83 पद 2774 चांदायन, माता प्रसाद गुप्त पृ० 326 पद 328
सूरसागर प्रथम खण्डपृ० 623 पद 2158 (1540)

विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहने जाने के कारण सम्भवत स्त्रियों को जूते धारण करने में किंचित् असुविधा का अनुभव होता था ४९

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अवलोकित काल की स्त्रियों विभिन्न प्रकार के आभूषणों के प्रयोग में विशेष रुचि रखती थी। स्त्रियों द्वारा धारण किये जाने की एक लम्बी परम्परा है, जो युगों के अनुरूप किंचित् परिवर्तनों एवं सशोधनों के साथ आज भी मान्य है। भारतीय स्त्रियों प्रायः सिर से पाँव तक शरीर के प्रत्येक अग को विभिन्न प्रकार के कलात्मक आभूषणों से अलकृत करती थी। अलकार एवं श्रृंगार के साथ ही आभूषण हिन्दू स्त्रियों के लिए सुहाग एवं सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह माने जाते रहे हैं, अतः स्त्रियों के जीवन में इनका विशेष महत्व रहा है, केवल वैधत्य की अवस्था में हिन्दू स्त्री अपने अलकारों का त्याग करती है।

प्रसाधन

प्रसाधन से अभिप्राय है सुवेश और साज सज्जा। मानव मन निसर्गतः श्रृंगाराभिमुख रहा है सौन्दर्य तथा शारीरिक लावण्य के प्रति आकर्षण के कारण स्त्रियों विभिन्न प्रसाधनों का प्रयोग चिरकाल से करती रही हैं और उनकी इस चिरन्तन प्रवृत्ति की सत्यानुभूति पूर्व मध्य कालीन साहित्य (एवं कला कृतियों) से भी सिद्ध होती है। अवलोकित काल में भारतीय स्त्रियों सोलह श्रृंगार

89 दाउद कृत चादायन 163/1

(षोडस श्रृगार) से भली भौति परिचित थी, मध्य युगीन साहित्य में नारियों के सोलह श्रृगारों का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है।⁹⁰

नारियों के सोलह श्रृगारों में, उबटन, सुगन्धित स्नान, वेणी, माग, काजल, बिदी, तिल, चित मेंहदी, महावर, पुष्प माला तथा पान-रचना, सुन्दर वस्त्र एवं विविध आभूषण परिगणित किये जाते हैं।⁹¹

दर्पण⁹² अदर्शिका या आइना श्रृगार विधि का अभिन्न अग व उपकरण था। स्त्रियों दर्पण में अंग प्रत्यग की छवि निहार कर तदनुरूप श्रृगार करती थी।

“कै सिगार दरपन कर लीन्हा, दरसन दे खिगरव जिय कीन्हा”⁹³

जैसा कि उपरोक्त विवरण से सुस्पष्ट है महिलाएं किसी न किसी रूप में आइने का प्रयोग करती थी, आइना अथवा शीशा श्रृगार प्रसाधन हेतु भी महिलाओं के उपयोग की एक आवश्यक सामग्री थी।⁹⁴

उबटन लगाने का प्रचलन तत्कालीन स्त्रियों की श्रृगारिक पद्धति में सम्मिलित था, इसे वे अपने मुख एवं शरीर के अन्य अंगों को आभायुयक्त एवं सुन्दर बनाने के लिए प्रयोग में लाती थीं।

90 दाउद कृत चादायन 163/1

91 दाउद कृत चादायन 287/25, विद्यापति की पदावली पद 73 दोहा 4 पृ० 111

92 जायसी कृत पदमावत पृ० 93 पद 83

93 जायसीकृत पदमावत, पृ० 93 पद 83

94 वही

“कुमकुम उबटि कनकतन गोरी, अग सुगन्ध चढाई कि सोरी⁹⁵ ”

समकालीन साहित्यकार जाएसी ने मञ्जन और स्नान मे भेद माना है, उबटन द्वारा मैल आदि की सफाई मञ्जन और उसके पीछे सुगन्धित जल से स्नान होता था। ⁹⁶ शारीरिक कान्ति की वृद्धि के लिए चदन का लेप⁹⁷ भी प्रयुक्त होता था, कांति की वृद्धि के साथ ही चदन लेप शरीर को सुगन्धित भी करता था कतिपय विशिष्ट अवसरों पर कुमकुम⁹⁸ तथा सुगन्धित कस्तूरी⁹⁹ विलेपनों (अगरागो) का प्रयोग मध्ययुगीन स्त्रिया स्वय को आकर्षक बनाने के निमित्ति करती थी महिलाएं अपने शारीरिक आकर्षण की वृद्धि हेतु अनेकों युक्तिया अपनाती थीं। स्त्रिया प्रायः सुगन्धित तेलों के प्रयोग के पश्चात ही स्नान करती थीं:

कारिख तेल धलिमुख मॉजा 100

स्नान भारतीय जीवन का एक अनिवार्य नित्यकर्म है, इसके अतिरिक्त हिन्दुओं मे धार्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान को एक पावन कर्तव्य माना जाता है। हिन्दू समाज मे प्रत्येक धार्मिक और मागलिक अवसर पर स्नान का विधान रहा है।¹⁰¹ स्त्रिया अपनी श्रृंगार सज्जा प्रारम्भ करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की

95 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 250 पद 3519

96 पदमावत पृ० 347 पद 297

97 जायसी कृत पदमावत पृ० 258-59 पद 226, पृ० 333 पद 290 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ० 308 पद 9 तथा लोर कहा माता प्रसाद गुप्त पृ० 14 पद 7

98 जायसी कृत पदमावत पृ० 333 पद 290 पृ० 326 पद 285 चादायन पृ० 47 पद 50

99 वही

100 विद्यापति की कीर्ति लता, तृतीय पल्लव, छन्द 24 दोहा 101 पृ० 184 आखिरी कलाम पृ० 343 पद 11

101 मुल्ला दाउद कृत चांदायन 41/1 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ० 370 पद 2

सुगन्धित वस्तुओं तथा मृगमद¹⁰² तथा कर्पूर¹⁰³ आदि से जल को सुवासित कर उससे स्नान करती थी¹⁰⁴ स्नान के पश्चात विलेपन का विधान था, मध्य कालीन स्त्रियां शरीर को सुवासित रखने तथा त्वचा की शोभा एवं काति में अभिवृद्धि हेतु अगर 105 चदन¹⁰⁶ कस्तूरी¹⁰⁷ केसर 108 जैसे द्रव्यों के उलोपन का प्रयोग करती थी। समकालीन साहित्य में स्नान क्रिया तथा तत्पश्चात विलोपन द्वारा शरीर को सुवासित करने की क्रिया को सोलह श्रृंगारों में स्थान प्रदान किया गया क्योंकि इन विलोपनों के प्रयोग द्वारा शरीर का अंग प्रत्यग निखर उठता था:

“अगर चदन बेना कस्तूरी, मलयागिरि कचोरन्ह भरी

कुकुहं मेलि अरगजा किया, ढावहि ढाव राखे ते लिया

चोवा भेद सिला रसफुलएल मिवसैनी बहु तबुल्ल

सबै बासु रस बैर सहि परिमल फूल तबुलल”¹⁰⁹

102 विद्यापति की पदावली पद 135 एवं 145 तथा पद 180 पृ० 190 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 74 पद 2736

103 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 71 पद 2724

104 दाउद कृत चादायन 52/12, 448/1 तथा 249/3

105. डा० ज्ञान चद शर्मा, चादायन, सास्कृतिक परिवेश पृ० 156, मृगावति पृ० 193 पद 228 कबीर ग्रन्थावली पृ० 308, पद 9 जायसी कृत पदमावत पृ० 400 पद 332, सूरसागर खण्ड पृ० 71 पद 2724

106 जायसी कृत पदमावत पृ० 400 -332 पृ० 333 पद 290

107 विद्यापति पदावली पद 135 एवं 145 पृ० 180 एवं 190

108 जायसी कृत पदमावत पृ० 333 पद 290 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 233 पद 3477

109 मृगावति, पृ० 193 पद 228

विवेचन से स्पष्ट होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही स्त्रियों अपने शारीरिक लावण्य तथा सौन्दर्य के प्रति जाग्रत थी। विभिन्न प्रसाधनों के सुरुचिपूर्ण प्रयोग द्वारा अपने शारीरिक सौन्दर्य में वृद्धि करना स्त्रियों को सदैव ही प्रिय रहा है।

केश विन्यास :

समकालीन साहित्य में उल्लिखित स्त्रियों अपने केश विन्यास का एवं प्रसाधन के विषय में पूर्णतया सजग थी। केश विन्यास के प्रति स्त्रियों की विशेष रुचि रही है, केशों को सुरुचि पूर्ण विन्यास के द्वारा अपने सौन्दर्य में अभिवृद्धि करना स्त्रियों को चिरकाल से ही प्रिय रहा है सुन्दर केश विन्यास वस्तुत एक कला भी होती है।

अभिजात और धनिक वर्ग की स्त्रियों के केश प्रायः दासियाँ प्रसाधित करती थी, जो सेविकाओं के रूप में नियुक्त की जाती थीं। ऐसी सेविकाओं को केश कारिणी¹¹⁰ की सज्जा से तत्कालीन साहित्य में संबोधित किया गया है।

स्नान के पश्चात केशों को विन्यस्त कर माग निकाल कर¹¹¹ माग को मोतियों से अलकृत कर¹¹² अगरू चंदन तथा बेला चंपा¹¹³ इत्यादि से

110 अलतेकर बुमैन पोजीशन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ० 300

111 दाउद कृत चादायन 52/2, 75/2

112 जायसी कृत पदमावत पृ० 821,22 पद 615

113 दाउद कृत चादायन 252/3, विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6 लोरकहा पृ०

14 पद 7

सुगन्धित कर उन्हें विभिन्न कलात्मक ढग से गूथकर स्त्रिया अपनी केश राशि की बेणियाँ बनाती थी । 114

प्रसाधनों में पुष्प प्रयोग :

पुष्प सदैव अपनी सुगन्ध कोमलता एवं सुदरता के कारण लोकप्रिय रहे हैं। देव अर्चना से लेकर वैयक्तिक श्रृंगार तक पुष्पों के विविध प्रकार के प्रयोग के उदाहरण हमें समकालीन साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन काल से पुष्पों को विविध आभूषण निर्मित कर स्त्रियाँ उनसे अपने अग प्रत्यग को सुसज्जित करती थी । 115 श्रृंगार विधियों के अनेक वस्तुओं में पुष्प का विशेष महत्व था, स्त्रियां अपने केशों को पुष्पों से सुशोभित करती थीं तथा पुष्पों को आभूषणों की भाँति पहनती थीं । 116 मध्य युगीन साहित्य में पुष्पहारों की गणना आभूषणों के अन्तर्गत की गई है । 117 प्राय. वे महिलाएं जो स्वर्णाभूषणों व अन्य प्रसाधनों का प्रयोग आर्थिक सामर्थ्य के चलते नहीं करती थीं वे उनके स्थान पर पुष्प सज्जा करती थीं। स्त्रियों द्वारा अपनी केशराशि से बनाई गई बेणियों के लिए अन्य भी अनेक शब्दों का प्रयाग मध्यकालीन साहित्य में उपलब्ध है, यथा जूड़ा । 118

114 दाउद कृत चादायन 76/2-3 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 57 पद 2027 पृ० 61 पद 2670 पृ० 79 पद 2137 पदमावत पृ० 594 पद 471

115 विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6

116 विद्यापति की पदावली पद 42 दोहा 6 लोर कहा पृ० 14 पद 7 जायसीकृत पदमावत पृ० 594 पद 471

117 चांदायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 205 पद 210

118 जायसी कृत पदमावत पृ० 872 पद 648, पृ० 821 22 पद 615

वेणी¹¹⁹ खोपा 120 आदि। वेणी केशों को पीछे कर गूथकर बनाई जाती थी बेणी की तुलना समकालीन साहित्य कारों ने काले नाग से की है:

बेनी कारी पुहुप कै निकसा जमुना आइ¹²¹

खोपा एक प्रकार के बालों के जुड़े को कहा जाता है जो प्रायः दक्षिण भारत का केश विन्यास है।¹²² मध्य कालीन साहित्य में उल्लिखित सम्पन्न वर्ग की स्त्रियाँ अपने केशों के अलकरण हेतु भी कतिपय आभूषणों का प्रयोग करती थी।¹²³ स्त्रियों द्वारा जूड़ को स्वर्ण अथवा चादी से निर्मित चाद्रिकाओं से अलकृत किये जाने के उल्लेख हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। बालों को सुसज्जित करने के लिए महिलाएं रक्जड़ित हार का प्रयोग करती थी।¹²⁴

माग में सिदूर भरना विवाहित हिन्दू स्त्रियों में शुभ एवं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है अतः मध्य युगीन स्त्रियाँ भी अपनी माग सिन्दूर एवं मोतियों से अलकृत करती थीं।

रचि पत्रावली माग सेदूरा, भरि मोतिन्ह औमानिक पूरा 125

119 मृगावती पृ० 141, चादायन 252/3 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 57 पद 2027 पृ० 61 पद 2670 पृ० 79 पद 2137

120 दाउद कृत चादायन छन्द 207 दोहा 45 पृ० 114 जायसी पृ० 70 पद 61

121 जायसी कृत पदमावत पृ० 594, पद 471

122 जयसीकृत पदमावत पृ० 70-71 पद 61

123 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170 -171 पद 3228, कीर्तिलता तृतीय पल्लव छन्द 24 दोहा 101

124 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 170-171 ४४ 2610

125 जायसी कृत पदमावत पृ० 347 पद 297 तथा दाउद कृत चांदायन छन्द 52 दोरा 2 पृ० 109 पद 64 पृ० 62

समकालीन साहित्य में कुमकुम तथा केसर जैसे सुगन्धियों से भरी देदीप्यमान मांग के भी उल्लेख प्राप्त हैं।

“मोतिनि माग सवारि प्रथम हि, केसरि आड सवारि”¹²⁶

विवाहित स्त्रिया सिदूर रखने के लिए एक सुदर डिबिया (सिदूर का पात्र) रखती थी जिसे “सिघोरा”¹²⁷ कहा जाता था। यह एक विशेष महत्व की वस्तु थी जिसे सुहाग व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था।

तिलक रचना :

मस्तक पर तिलक रचना का हिन्दू सस्कृति में विशेष महत्व है तिलक की रचना शोभा एवं मगल हेतु की जाती है, एवं इसे विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य एवं सुहाग का प्रतीक माना जाता है। समकालीन साहित्य में तिलक का वर्णन नारी श्रृंगार के एक प्रमुख अग के रूप में किया गया है।¹²⁸ स्त्रियों द्वारा माथे पर लगाया जाने वाला तिलक कस्तूरी, चंदन एवं कुमकुम आदि से निर्मित किया जाता था।¹²⁹ कस्तूरी, चंदन और कुमकुम का प्रयोग केवल मस्तक को ही सुसज्जित करने के लिए ही नहीं किया जाता था वरन् यह शीतलता एवं सुगन्धि

126 सूरसमागर खण्ड 2 पृ० 57 पद 2027 पृ० 73 पद 2732 पृ० 234 पद 3480

127 दाउद कृत चादायन छद 88 दोहा 2 पृ० 124 तथा छन्द 253 दोहा 1 पृ० 68 पद 59 पृ० 239 पद 247-48 तथा जायसीकृत पदमावत पृ० 333 पद 290

128 जायसी कृत पदमावत पृ० 347 पद 297 पृ० 872 पद 648 तथा कबीर ग्रन्थावली पृ० 370 पद 2

129 विद्या पति कृत कीर्तिलता द्वितीय पल्लव छन्द 24 दोहा 136 पृ० 84

प्रदान करता था ।¹³⁰ तिलक एक वैवाहिक महिला के श्रृंगार का प्रतीक था, निस्सदेह दुर्भाग्यवश यदि वह विधवा हो जाती थी तो अपने मस्तक से तिलक अथवा बिदी पोछ देती थी ।

आलोच्यकाल मे नारिया अपनी ढोड़ी पर तिल बनाकर अपने मुख की शोभा मे बृद्धि करती थी¹³¹ समकालीन साहित्य मे तिल बनाकर श्रृंगार को नारी के सोलह श्रृंगारो मे से एक माना गया है:

तेहि कपोल बाए तिल परा । जेइ तिल देख सो तिल तिलजरा

जनु धुँधची वह तिल करमुहॉ । विरह बान सोधा सामुहा

अगिनि बान तिल जान हूँ सूझा । एक कटाक्ष लाटक दुइ जूझा

सोतिल काल मेटि नहि गएऊ । अब वह गाल काल जग भएऊ

देखत तैन परी परिछाही । तेहिते रात स्याम उपराही

सोतिल देखि कपोल पर गंगन रहा धुव गाडि

खिननि उठै खिन बूढ़े डोलै नहि तिल छाडि ।¹³²

130 जायसी कृत पदमावत पृ० 326 पद 285

131 मृगावती पृष्ठ 44 पद 56

132 जायसी कृत पदमावत पृ० 123-24 पद 109

अंजन या काजल :

अंजन या काजल का प्रयोग भारत वर्ष मे चिरकाल से ही किया जाता रहा है। अजन का ही एक प्रकारान्तर काजल है स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य वृद्धि हेतु नेत्रो मे शलाका द्वारा सुरमा और काजल का प्रयोग करती थीं :

“प्यारी नैननि कौ अजन लै अपने नैननि अजत है”¹³³

तथा

“नैन रेख कज्जल की, देखी सोभा कस देही”¹³⁴

समकालीन साहित्य कृतियो मे काजल को नारी शृंगार का एक अग माना गया है। ¹³⁵ मध्ययुगीन स्त्रियां सुरमा और काजल की स्याही से अपनी भौंहो का भी शृंगार करती थीं ।

“बरूनी(?) सघन बनावरि स[जी]

भारथ जीति करन तर भजी

करन अरजुन भई जसि क[या] (फुनि वह करन वहरोवहि यथा

सहज बरूनि जनु काजर दिया। यहइ सिगार बीर रस किया ”¹³⁶

133 दाउद कृत चादायन 287/3, सूरसागर खण्ड 2 पृ० 79 पद 2137 पृ० 202 पद 3382 पृ० 140 पद 3063

134 मझन कृत मधुमालती पृ० 153 पद 482

135 ढोला मारू रा दुहा, पृ० 82 दोहा 353

136 कुतुबनकृत मृगावती पृ० 43 पद 54

अधर रंजन :

अधरो का सौन्दर्य उनकी लालिमा में निहित माना जाता है। अधरो की प्राकृतिक लालिमा को कृत्रिम साधनों से रजित कर अधिक गहरा करने का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। समकालीन साहित्य में अधरो के श्रृंगार हेतु मोम अलतक (आलता) के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है¹³⁷ अवलोकित काल में ताम्बूल के सेवन द्वारा दातो तथा ओष्ठों को रगने का विशेष प्रचलन था।¹³⁸ पान के सेवन के पश्चात ही नारी का श्रृंगार सम्पूर्ण माना जाता है।¹³⁹

भारतीय स्त्रियों चिरकाल से ही अपने हाथ तथा पाव को रजित करने हेतु मेहदी का प्रयोग करती रही है। हाथों का श्रृंगार हथेली पर मेहदी रचा कर ही पूर्ण माना जाता था।¹⁴⁰ समकालीन साहित्य में नख रंजन के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं:

“तरुवन्ह जानु रकत गा आई, कै महदी रे सुहागिनि लाई”¹⁴¹

137 ढोला मारू रा दुहा 353 पृ० 82 विद्यापति पदावली पृ० 243 पद 178

138 चादायन विश्वनाथ प्रसाद पृ० 67-88 पद 58 चांदायन माता प्रसाद गुप्त पृ० 348 पद 350

139 चादायन 248/2, ढोला मारू रा दुहा 353 पृ० 82, मृगावती माता प्रसाद गुप्त पृ० 73 पद 56 पृ० 221 पद 260 तथा सूरसागर खण्ड 2 पृ० 61 पद 2670 पृ० 57 पद 2644

140 लोरकहा डा० माता प्रसाद गुप्त, पृ० 14 पद 7

141 कुतुबन कृत मृगावती पृ० 50 पद 64

इसी प्रकार पैरो को आलता से रजित करना भी विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह माना जाता है।¹⁴² अवलोकित काल में एडियो के शृंगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था।

“लटपटि पाग महावर के रंग ”¹⁴³

पूर्व मध्ययुगीन साहित्यिक रचनाओं में गणिकाओं की शृंगारिक विधियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है वे अपने मुख का भली भाँति मण्डन करती, सिन्दूर लगाती, बेणी गूथती, टीका लगाती, दिव्य वस्त्र धारण करती, केश जाल को उभार कर सज्जित करती तथा विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पुष्पों द्वारा शृंगार करती थीं।¹⁴⁴ इसी प्रकार समीक्षा धीन साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि मध्य युगीन स्त्रियों विभिन्न प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधनों से भली भाँति परिचित थी। सिर से नख तक शृंगार वस्त्र और आभूषणों के प्रयोग के द्वारा वे अपने प्राकृतिक सौन्दर्य में और अधिक वृद्धि का प्रयास करती थीं।

142 विद्यापति पदावली प्रथम संस्करण 1952 पद 91 दोहा 12 प० 145 तथा पद 129 दोहा 10 प० 204

143 सूर सागर खण्ड दो, प० 151 पद 3121 प० 174 पद 3237 विद्यापति पदावली रामबृक्ष शर्मा बेनीपुरी द्वारा सम्पादित पद 62 प० 89

144 कीर्तिलता (डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव) पद 134 - 40 प० 79 तथा कीर्तिलता (चिरगांव, झासी) साहित्य सदन, प्रथम संस्करण द्वितीय पल्लव छन्द 24 दोहा 136 प० 84, तथा पदमावत प० 44-45 पद 38

मध्यकालीन स्त्रियों का आर्थिक योगदान

विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में भारतीय नर नारियों को वैदिक काल से एक ही स्तर पर आका जाता था।¹ परदा प्रथा के प्रभाव के कारण मुसलमान तथा हिन्दु दोनों की स्त्रियों की शिक्षा की ओर उचित अभिरूचि लेने से वचित रही।² तथा मध्यकालीन भारतीय स्त्रिया अपने विशेषकर कुलीन एवं समृद्ध वर्ग की स्त्रिया अपने अभिभावकों द्वारा नियुक्त निजी शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थी।³ कुलीन वर्ग व मुसलमान शासकों के लोगों में पुत्रियों की शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था थी। कुछ ऐसी भी शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था थी जहां हिन्दु बालक तथा बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर तक सह शिक्षा का प्रबन्ध था।⁴ मुस्लिम बालिकाएँ भी प्राथमिक विद्यालय तक सह शिक्षा प्राप्त करती थी। इसके बाद की इनकी शिक्षा वैयक्तिक गृहों या किसी संस्था विशेष में होती थी।⁵ इन मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं व वैयक्तिक आश्रमों के शैक्षणिक केन्द्रों के अतिरिक्त मनोरजनात्मक तथा पौराणिक कथाएँ शिक्षा का एक उत्तम साधन थी। हिन्दू स्त्रियों इस कथा पद्धति से विशेषरूप से प्रभावित थीं।

- 1 नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग-10 विं ० स० १९८६ पृ० ५३३,३८ में प्रकाशित श्रीमति अन्नपूर्ण देवी द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा शीर्षक लेख।
- 2 एफ० इ० की० इण्डियन एजुकेशन इन ऐन्सियेन्ट एण्ड लैटर टाइम्स ओ० य० पी०, लदन द्वितीय संस्करण, १९३८, पृ० ७७
- 3 वही
- 4 ए एल श्रीवास्तव, मेडियवल इण्डियन कलचर, आगरा, प्रथम संस्करण, १९६४, पृ० ११३
- 5 रेखा मिश्रा, वीमेन इन मुगल इण्डिया (१५२६-१७४८) दिल्ली, नवम्बर १९६७, पृ० १२

निरूपित काल मे पुरुषो और स्त्रियो की शिक्षा मे कोई विभेद दृष्टिगोचर नहीं होता ।

विद्यालय की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त तत्कालीन बालिकाओं के गृहविज्ञान की भी विशेष शिक्षा-प्रदान की जाती थी । प्राथमिक शिक्षोपरान्त बालिकाएँ, प्रौढ़ स्त्रियो की, देखरेख मे गृह-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करती थी । उच्च शिक्षा, प्राप्त करने का अवसर सौभाग्यशालिनी स्त्रियो को ही प्राप्त होता था ।⁶ समकालीन ग्रथो से कुलीन परिवार की महिलाओं की उच्च शिक्षा की पाठचर्या का ज्ञान होता है । योग्य राज कन्याओं को वेद, कामशास्त्र⁷, छन्द शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, तत्र-विद्या, गणित, उपनिषद, सगीत शास्त्र⁸ कल्पशास्त्र चित्रकला⁹ गृह-विज्ञान¹⁰ आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी । हिन्दू बालिकाओं को पारिवारिक सुख शान्ति के लिए विश्वश्रेष्ठ विनयपाठ की विशेष शिक्षा दी जाती थी ।¹¹

चन्दबरदाई रचित प्रसिद्ध रचना ‘पृथ्वीराज रासो’ मे राजकुमारी सयोगिता की शिक्षा का उल्लेख उपलब्ध है । राजकुमारी सयोगिता मदना ब्राह्मणी द्वारा

6 एस० एम० जाफर, कलचरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रुल इन इन्डिया, पेशावर प्रथम सस्करण 1929 पृ० 85 ।

7 मझनकूत ‘मधुमालती’, डॉ० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित तथा मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि०, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित, 1961, दोहा, 550, पृ० 395 ।

8 जायसी कृत ‘पदमावत’ साहित्य सदन चिरगाँव (झासी) प्रथमावृत्ति, 2012 वि० स० दोहा 168 पृ०-161 ।

9 वही ।

10 चन्द बरदायी कृत ‘पृथ्वीराज रासो’ साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर, (राजस्थान) प्रथम सस्करण, वि०स० 2011 तृतीय भाग, दोहा, 17-पृ० 221 ।

11 वही दोहा-28 कवित उ० प्र० - 226-27 ।

सचालित विद्यालय मे अध्ययन करती थी। जहौं अन्यान्य कुमारियो के सग कन्नौज नरेश जयचन्द की सुपुत्री भी विद्या अध्ययन करती थी।¹² राजकुमारी सयोगिता के साथ रजोगुण-युक्त एक सौ दस छात्राएँ भी अध्ययन करती थी, जिनमे एक सौ पाँच विविध देश के नरेशो की राजकन्याएँ सम्मिलित थी।¹³ रूपवती सयोगिता की शिक्षा के लिए राजा जयचन्द ने उत्तम चरित्र युक्त वृद्ध शिक्षिका को नियुक्त किया था।¹⁴ उसे आरम्भ मे गृहविज्ञान एवं धर्म शास्त्र की शिक्षा दी गयी।¹⁵ सयोगिता यौवनावस्था के प्रारम्भ मे जब बारहवर्ष नौ मास और पाँच दिन की हो गयी तो-शिक्षिका मदना उसके हृदय मे पटुता और सुघडता की शिक्षा उतारने लगी।¹⁶ तदुपरान्त शिक्षिका के सयोग से संयोगिता नियम और विनयपाठ पढ़ने लगी।¹⁷ नारी शिक्षा की प्रत्यक्ष झलक मलिक मुहम्मद जायसी रचित 'चित्ररेखा' से भी मिलती है। नायिका चित्ररेखा का विद्यारम्भ पाँच वर्ष की अवस्था से होता है। वह गुरु गणेश के निरिक्षण मे अध्ययन करती है जब तक वह पूर्ण विदुषी नहीं हो जाती तब तक उसका अध्ययन क्रम निरन्तर चलता रहता है—

“पाँच बरिस मँह भई सोबारी, रसना ओंब्रित बैन सँवारी।

लाग पढावई गुरु गनेसू, भई पडित सम सुनी बरेसू।¹⁸

12 वही, तृतीय भाग दोहा-1, पृ०-224।

13 वही दोहा-16, पृ० -221।

14 वही, दोहा:13, पृ०-219 तथा पृ० -245।

15 वही, दोहा-17, पृ०-221।

16 वही, दोहा-4, पृ०-216।

17 वही, विन्य मगल, 19, पृ० 222।

18 मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'चित्ररेखा' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, प्रथम सस्करण, अप्रैल 1959, पृ०-81।

इसके अतिरिक्त मझनकृत मधु मालती से भी विक्रम राजकुमारी मधुमालती के विद्याध्ययन का उल्लेख मिलता है। वह पूर्ण शिक्षित थी। उसने 'कामशास्त्र' का अध्ययन किया था।¹⁹ मधुमालती अपनी माता के आग्रह पर अपनी प्रिय सहेली प्रेमा को पत्र लिखती है। कवि मझन मधुमालती के पत्र लिखने का वर्णन इस प्रकार करता है—

“समाचार जेत इहा के रहे, तै सम लिखि कागर पर कहे”²⁰

वह राजकुमार मनोहर के पास भी प्रेमपत्र प्रेषित करती है। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपनी अभिन्न सहेली प्रेमा को पत्र लिखकर आमन्त्रित करती है।²¹ मधुमालती की सखी चित्रसेन की राजकुमारी प्रेमा भी शिक्षित थी। एक अवसर पर उसने राजकुमार मनोहर को अपनी सहेली मधु मालती का पत्र पढ़कर सुनाया था। साथ ही उसने अपनी सखी के पत्र का उत्तर कागज पर स्याही से सुन्दरीति से लिखकर दिया था।²² कुतुबन कृत 'मृगावती' की नायिका मृगावती भी शिक्षित थी। उसे काम शास्त्र का ज्ञान था।²³ राजकुमारी पदमावती की शिक्षा पाँच वर्ष की आयु से ही आरम्भ होती है। उसे विविध प्रकार की शिक्षाये दी जाती है साथ ही पुराणों का अध्ययन भी करती है। अध्ययन के बल पर ही वह पूर्ण विदुषी बन जाती है। रूप लावण्य के साथ-साथ उसके विद्वता की प्रसिद्धि

19 मझनकृत 'मधुमालती' मित्र प्रकाशन प्रा० लि०, इलाहाबाद, 1961 दोहा 450 पृ०- 395।

20 वही दोहा- 400 पृष्ठ -349 कवि।

21 वही दोहा-433 पृष्ठ -379।

22 वही दोहा-423 पृष्ठ -370।

23 कुतुबन कृत मृगावती सम्पादक डा० शिव गोपाल मिश्र प्रथम संस्करण, हि सा स द्वारा प्रकाशित प्रयाग शक सम्वत् 1885, पृष्ठ 143।

चारों दिशाओं मे फैल जाती है। जायसी ने पद्मावत मे इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—

पॉच बरसि मँह भई सो वारि। दीन्ह पुराण पढ़ै बैसारी।

मै पद्मावती पडित गुनि, चहुँखण्ड के राजन्ह सुनी॥

सिहाल दीपराज हार बारि, महा सुख्म दैव औतारी।

एक पदुमिनी औ पडित पढ़ी, कहूँ केहि जोग दैय असि गढ़ी॥

जा कहूँ लिखि लच्छि घर होनी, असि सो पाव पढी औलानी।

सप्तदीप के बर औ ओनाही, उत्तर पावही फिरि-फिरि जाही॥²⁴

वह चित्रकला तथा वीणावादन मे भी निपुण दिखाई पडती है²⁵ निरूपित काल की साक्षर हिन्दू महिलाओं मे लखीमा देवी, विश्वास देवी²⁶ तथा कवि विद्यापति की पुत्रवधू चन्द्रकला²⁷ की भी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध स्थानो मे तत्कालीन शिक्षित नारियो मे सूर्यमती²⁸ लीलावती, राणकदेवी, लल्लेश्वरी (लल्लेयोगेश्वरी) को सस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन था। वह कश्मीर के प्रारम्भिक समाज तथा शिक्षा सुधारकों मे से एक थी। उसने सस्कृत के स्थान पर सुलभ कश्मीरी भाषा को अपने सिद्धान्तो के प्रचार का माध्यम बनाया²⁹

24 जायसी कृत पद्मावत सा० स० चिरगौव ज्ञासी प्रथमावृत्ति वि० स० 2012 दोहा 53 पृष्ठ – 53।

25 वही दोहा-168 पृष्ठ-161।

26 विद्यापति कृत कीर्तिलता सा०स०चि०ज्ञा० प्र०स० 1962 पृष्ठ-10।

27 आर०-आर० दिवाकर बिहार थू द एजेज, औरियन्ट लॉगमैन, 1959 पृष्ठ-414।

28 ए०बी० कीथ ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिट्रेचर, लण्डन प्र० स० 1920 पृष्ठ-28।

29 आर० के० परमकृत ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन काश्मीर (1320-1819)

तारा³⁰ और आनन्दी³¹के नाम आते हैं। तुर्क अफगान कालीन कुछ ज्ञान प्राप्त एवं निपुण शासक नारी-शिक्षा की ओर अग्रसर थे। उन्होंने अपने राज्य में बालिकाओं के लिए विद्या अध्ययन हेतु अनेक विद्यालयों का निर्माण कराया।³² माबार का सुल्तान स्त्री शिक्षा के लिए बहुत उत्सुक था। इन्बतुता ने उसके राज्य का भ्रमण किया और माबार (हनौर) की नारियों के बारे में वह लिखता है—

“हनौर का शासक सुल्तान जलालउद्दीन बहुत शक्ति शाली तथा मृदु स्वभाव का था। वहाँ की समस्त स्त्रियों को कुरआन कठाग्र था। हनौर नगर में बालिकाओं के तेरह तथा बालकों के लिए तेर्ईस विद्यालय थे।³³ नारी शिक्षा की यह स्थिति देखकर इन्बतुता को आश्चर्य हुआ। सल्तनत काल के मालवा के सम्राट गियासुददीन खिलजी (1463-1500 ई०) भी नारी शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रखते थे उनके दरबार में पद्रह हजार स्त्रियाँ थीं। सम्राट की आज्ञा से उन स्त्रियों को अनेक प्रकार की कलाओं व्यवसायों और संगीत की शिक्षा प्रदान की गई। नारियों को विभिन्न समूहों में बाट कर किसी न किसी कला के साथ जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए एक समूह को राजमहल की पहरेदारी अस्त्रों, शस्त्रों की सुरक्षा और चाऊस (सेना तथा दरबार की पक्कियों को ठीक करने वाली) के लिए नियुक्त किया गया था। कजा (न्यायाधीश), एहतिसाब (धर्मिक नियमों की जाँच) अजान (नमाज के समय से सूचनार्थ) खुतबा (एक प्रकार का धार्मिक प्रवचन), इमामत (नमाज पढ़ाने के नेतृत्व), बाज (धार्मिक प्रवचन), नियामत

पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिं० ने दिल्ली अगस्त 1969, पृष्ठ-109।

30 मनुशर्मा राणा सागा हि० प्र० पु० बनारस प्र० स० पृष्ठ-42।

31 वही।

32 एस० एम० जाफर एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया पेशावर, प्र० स०, 1936 पृष्ठ-198।

33 दि रेहूला ऑफ इन्बतुता, ओरियन्टल इन्सिट्यूट, बडौदा, 1953 पृ० 179, पुनः देखिये वायजेज डि इन्बतुता (अरबी मूल ग्रन्थ), भाग 4, पृ० 67।

(परामर्श दाता), इफ्ता (धार्मिक परामर्श दाता), किरअत (उचित स्वर में कुरआन पाठ), और विद्या अध्यन का कार्य भार स्त्रियों को सौंपा गया था। स्त्रियों की बस्ती में अलग से मदरसा बनाया गया था। स्त्रियों सम्राट को कुरआन और हडीस सुनाती थी। यहाँ मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के अन्तःपुर की लडकियों की शिक्षा का उल्लेख है। इन लडकियों में से प्रत्येक को उनकी कला के अनुसार किसी न किसी कला की शिक्षा दी जाती थी। कुछ को नृत्य और संगीत की कला अन्य को पढ़ना सस्वर पाठ करना, वीणावादन, ढाल चलाना तथा कुछ को मल्लक्रीडा सिखाया जाता था।³⁴ राजपरिवारों की पढ़ी लिखी और विदुषी नारियों का उल्लेख उपलब्ध है। उदाहरण के लिए इल्तुतमिश की पटरानी शाह तुरकान को शासन व्यवस्था की अच्छी तरह से ज्ञान था अपने बेटे रुकुनुद्दीन को (जो कि उसका अतिप्रिय पुत्र था) विलास में ढूबा हुआ देखकर शाह तुरकान ने शासन का कार्य-भार अपने हाथ में ले लिया और स्वयं निर्णय देना शासन के कार्यों का सम्पादन रजाज्ञा आदि प्रेषित करना शुरू किया।³⁵

इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरणों में रजिया सुल्तान का नाम है। रजिया सुल्ताना एक योग्य पिता की पुत्री थी। युद्ध कला में अच्छी तरह से प्रवीण थी। इतना ही नहीं युद्ध कला के अतिरिक्त एक योग्य राजा के लिए जिन प्रशसनीय गुणों की आवश्यकता होती है वे सभी गुण उसमें थे। वह अपने पिता इल्तुतमिश के शासन काल में शासन व्यवस्था में भाग लिया करती थी। रजिया सुल्ताना अपने

34 जे ब्रिग्स, तारीख-ए-फरिश्ता, भाग 4, पृ०-236, तथा मुल्लाअब्दुल बकी, नहाबन्दी, मासीर ए रहीमी भाग-1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल, 1924, पृ० 145, खाजा निजामुद्दीन अहमद, तबक्कात ए अकबर भाग-3 बिब, इण्ड, कलकत्ता 1939, पृष्ठ 544-545।

35 मेनहाज उज शिराज तबक्कात-ए-नासिरी, अनुवादक मेजर एच० जी० रेवर्टी लन्दन, 1881, पृ०-632।

काल की पूरी तरह से योग्य शासिका एवं विदुषी नारी थी ३६ रजिया सुल्ताना को अश्वारोहण और सैन्य सचालन के बारे में भी अच्छा ज्ञान था ३७ उसे नारी कर्तव्यों के ज्ञान के साथ ही राजनीति और राज्य से सम्बन्धित समस्तपक्षों का ज्ञान था ३८ वह कुरआन का पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ करती थी ३९ गुलाम वश के सुल्तान नासि उद्दीन के समय के इतिहासकार मिहिनाज-उस-सिराज ने अलाउद्दीन जहौं रोजा की पौत्री राज कुमारी माहमलिका के जिसे जलाल-उ-दुनिया भी कहते हैं-विद्वता की बड़ी प्रशस्ता की है। उसके द्वारा लिखे गये लेख को “राजकीय मोती” की सज्जा दी है ४० इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में सुल्तान जलालउद्दीन की पत्नी का नाम है। बरनी लिखता है कि जलालउद्दीन के मरने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे को दिल्ली का सिहासन प्रदान किया और ‘मलिका जहौं’ स्वयं सरक्षिका बनी। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था और शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। उसके शासन काल में राज्य से सम्बन्धित समस्त प्रार्थनापत्र उसके ही सामने रखे जाते थे। और वह उस पर स्वयं निर्णय देती एवं आज्ञा प्रदान करती थी ४१ इसी प्रकार सुशिक्षित स्त्रियों में सुल्तान अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा का नाम है। फिरोजा एक विदुशी स्त्री थी। उसे सकुन निकालने की विद्या का अच्छी तरह से

36 वही, पृ० (637-638)

37 ए० एल० श्री० मेडियेवल इण्डियन कल्चर, शिवलाल अग्र० एण्ड कम्पनी, आगरा प्र० स० पृ०-168।

38 जान एच पूल, फेमस विमेन ऑफ इण्डिया, सुशील गुप्त (इण्डिया), लि , कलकत्ता 12, द्वारा प्रकाशित, दि० स० , 1952, पृ० (83-84)।

39 जे ब्रिग्स, तारीख-ए-फरीशता भाग 1, पृ० 2/7।

40 मिनहाज-उस-सिराज, तबक्कातए-नासरी अग्रेजी अनुवाद, लन्दन, 1881 पृ० 392, तथा एस० एफ० जाफर एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, पेशावर, प्र० स० 1936, पृ० 192।

41 जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोजशाही सैयद अहमद खा द्वारा सम्पादित विभ इण्ड कलकत्ता, 1862 पृ० 238।

ज्ञान था अच्छी ज्योतिष विद्या के ज्ञान के साथ ही उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में भली-भाति ज्ञान था ।⁴² गियासुउद्दीन तुगलक की बेटी खुदाबन्द ज्यादा पूर्णतः साक्षर महिला थी वह वाद-विवाद करने में निपुण थी। फिरोज तुगलग के साथ काफी समय तर्क-वितर्क में बिताया करती थी ।⁴³ सुल्तान बहलोल लोदी के राजमहल की सभी स्त्रियाँ पूरी तरह से साक्षर थीं। उसके समय में दरबार में सत्तर गुलाम स्त्रियों को कुरआन अच्छी तरह से कठाग्र था। जब वह अपना वस्त्र बदलता था तो स्त्रियाँ कुरआन की पक्कियाँ पढ़ती थीं ।⁴⁴ इसी प्रकार सिकन्दर लोदी के समय में साधारण परिवार के स्त्रियाँ भी फातिहा (कुरआन का प्रथम अध्याय जो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के लिए पढ़ा जाता है) पढ़ लेती थीं ।⁴⁵ वाकयात-ए-मुश्ताकी में उल्लिखित है कि सिकन्दर लोदी के शासन काल में दरबार में दिलदार गाचा नाम की एक अत्यन्त विदुषी महिला थीं।

इस प्रकार इस काल में स्त्री शिक्षा केवल राजघरानों और समृद्ध व्यक्ति तक ही सीमित थी। उनकी स्वतंत्रता का हास पर्दा प्रथा से हुआ जिसके कारण शिक्षा की धीरे-धीरे अवनति होती चली गयी। समाज के निम्न वर्ग और गरीब परिवार की स्त्रियों को शिक्षा का उचित अवसर और अवकाश मिलना कठिन था। इसलिए ग्रामीण स्थानों का नारी-समूह यदि अशिक्षित रह गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विद्यार्जन के क्षेत्र में कुछ हिन्दू शासक भी तुर्क-अफगान सुल्तानों

42 जयन्त कृष्ण दवे, गुजराती साहित्य का इतिहास, हिन्दी-समिती, सूचना विभाग उ० प्र० (लखनऊ) प्र० स० 1963, पृ० 83।

43 महदी हुसैन द तुगलक डाइनेस्टी, थाक्केर, स्पिक एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० कलकत्ता, 1963, पृ० 80।

44 निजामुद्दीन अहमद, तबक्कात-ए-अकबरी, भाग-3 बिब इण्ड०, कलकत्ता 1939, पृ० 54 7।

45 सैयद अतहर अब्बास रिजवी, उत्तर तैमुर कालीन भारत भाग-1, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम युनीवर्सिटी, अलीगढ़, प्र० स० 1958 पृ० 123।

से कम नहीं थे। हिन्दू शासकों ने अपने आत्मजों की सर्वांगीण और सम्पूर्ण शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध करते थे। राजाओं के पुत्रों को वेद वेदाग, व्याकरण, ज्योतिष⁴⁶, कामशास्त्र⁴⁷, सगीत⁴⁸ स्मृति, काव्य धर्मशास्त्र, दर्शन, शास्त्र आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हे मानसिक शिक्षा के साथ-साथ पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। मानसिक और शारीरिक शिक्षा सहगामी थी।⁴⁹ राजकुमारों की शिक्षा प्रायः पाच साल की उम्र से शुरू होती थी।⁵⁰ महाकवि चन्द्रवरदाई द्वारा रचित ग्रन्थ पृथ्वी राज रासो में प्रसिद्ध राजपूत शासक पृथ्वी राज चौहान की शिक्षा का उल्लेख है। इस-ग्रन्थ से पता चलता है कि राजकुमार पृथ्वीराज ने अपने कुल के पुरोहित गुरु राम से विद्याप्राप्ति किया था उनके गुरु ने उन्हे चौदह तरह की विधाओं में निपुण कराया और पाटी पर सुन्दर लिपि में लिखने की कला भी सिखाई इसके बाद पृथ्वीराज ने बहतर कलाओं में दक्षता प्राप्त करके निबंधों की जानकारी प्राप्त की साथ ही साथ प्रत्येक काम के कारणों की पूरी जानकारी प्राप्त करके वह चौरासी प्रकार के विज्ञानों के ज्ञाता बन गये। यहाँ कवि चन्द्रवरदाई ने चौहान राजा पृथ्वी राज की शिक्षा का उल्लेख इस प्रकार किया है—

46 मझन कृत “मधुमालती”, मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि० इलाहाबाद, 1961 छन्द 57, पृ० 47।

47 कुतबन कृत “मृगावती” हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग शक सम्वत् 1885,- पृ० 143।

48 चन्द्रवरदाई रचित “पृथ्वीराज रासो” प्रथमभाग, साहित्य संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रकाशित, प्र० स० वि० स० 2011 दोहा-63 पृ० 29।

49 मझन कृत “मधुमालती” मित्र प्रकाशन (प्रा०) लि०, इलाहाबाद 1961, छन्द 58, पृ० 48।

50 वही छन्द 56, पृ० (46-47)।

“कोइक दिन गुरू राम पै, पढ़ी सु विधा अथ ।

चवदे विद्या चतुर वर, लाई सीखपर लिप्प ।

कला बहुतरी करी कुसल, अति निबद्ध जिय जानी ।

हेत आदि जानत निपुन, चतुरा सीति विज्ञान ।⁵¹

इसके साथ ही पृथ्वीराज ने सुन्दर कला एवं छत्तीस तरह के शास्त्रों के सचालन की शिक्षा प्राप्त की और सत्ताइस तरह से शास्त्रों के पढ़ने एवं शब्दों के शुद्ध उच्चारण में निपुण हो गये - कवि लिखता है

“सबद आदि दै निपुन अति सास्त्रह सत्ताबीस ।⁵²

महाकवि चन्द्रबरदाई ने लिखा है कि राजकुमार पृथ्वीराज उस समय की प्रचलित सस्कृत प्राकृत अपभ्रश, पिशाचिका, मागधी, एवं सुरसेनी—इन छः भाषाओं का ज्ञान रखते थे। “पृथ्वी राज-रासो मे पृथ्वी राज की शिक्षा का उल्लेख इस प्रकार है—

“सस्कृत प्राकृत चैव, अपभ्रश पिशाचिका

मागधी, सूरसेनी च षट् भाषश्चैव ज्ञायते ।”⁵³

51 चन्द्रबरदायी रचित, पृथ्वीराज रासो, भाग-1 साहित्य स० राजस्थान, विश्वविद्यालय
उदयपुर, प्र० स० 2011, दोहा-6061 पृ० 28।

52 वही, खण्ड-एक (आदि -कथा) दो०-64 पृ०-29।

53 वही, श्लोक-65 पृ० 29।

वह छत्तीस लक्षणो से युक्त-चित्रकला एव सगीत का भी ज्ञाता था ।⁵⁴
महाभारत कालीन वीर अर्जुन (पार्थ) के समान ही पृथ्वी राज धनुर्विद्या मे भी
पारंगत था । कवि ने उसका वर्णन इस प्रकार किया—

“पृथ्वीराज चौहान, बन पारथ बली, बडह ।”⁵⁵

मध्यकालीन हिन्दी ग्रथ मृगावती मे हमे राजपरिवारो मे शिक्षा के सदर्भ
प्राप्त होते है यह स्पष्ट होता है कि उक्तकाल मे मानसिक एव शारीरिक दोनो प्रकार
की शिक्षाए प्रदान किये जाने पर जोर था ।⁵⁶ शिक्षा के अन्तर्गत पुराणो की व्याख्या
नाट्य शास्त्र, छन्द शास्त्र, अमर कोष, अश्व विद्या, काम शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र
तथा सगीत आदि मे निपुण किया जाता था ।⁵⁷ मझन कृत मधुमालती जो मध्यकाल
की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है उसमे इनके अतिरिक्त व्याकरण, ज्योतिष, योगशास्त्र
का भी उल्लेख हमे मिलता है ।⁵⁸ इस प्रकार हम कह सकते है कि विवेच्य काल
मे निश्चित पाठ्यखंड के अन्तर्गत सुनियोजित शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । यह
शिक्षा विशेष रूप से अभिजात्य को सुलभ थी । उपरोक्त काल मे हमें शिक्षाओ के
केन्द्रो के रूप मे मदरसों मकतबो के साथ-साथ सूफी सतो के खानकहो के विशेष
उल्लेख मिलते है । हालाकि खानकहो मे मूलतः धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा पर
बल दिया जाता था ।⁵⁹

54 वही, दोहा-64 पृ० 29 ।

55 वही, समय-6 (आखेट वीर वरदान) कवित 63, पृ० 128 ।

56 कुतुबन कृत ‘मृगावती’ पृ० 101-102 उद्घत-साहू-पूर्वोक्त पृ० 170 ।

57 वही ।

58 मझन कृत “मधुमालती” प०-47-48-छन्द, उद्घत साहू पुर्वोक्त पृ० 171 ।

59 साहू पूर्वोक्त पृ० 172 से 175 ।

अलबेरुनी ने अपनी पुस्तक में प्रचलित हिन्दू समाज के विभिन्न सामाजिक वर्गों का विस्तृत वर्णन किया है। जाति प्रथा की चर्चा करते हुए वह अपनी व्याख्या इस प्रकार आरम्भ करता है। “हिन्दू अपनी जाति को वर्ण अर्थात् रंग कहते हैं। तथा वशावली के दृष्टिकोण से उन्हे जातक अर्थात् जन्म कहते हैं। प्रारम्भ से ही ये चार जातियाँ ६० ब्राह्मणों का उल्लेख करते हुए अलबेरुनी लिखता है — ब्राह्मण सर्वोच्च जाति के हैं जिनके विषय में हिन्दू ग्रन्थों में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। चूंकि ब्राह्मण ही परमात्मा की शक्ति का दूसरा नाम है। तथा सिर ही शरीर का सर्वोच्च भाग है। अतः ब्राह्मण ही समस्त जातियों के सिरमौर है। इसीलिए हिन्दू उन्हे मानव जातियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ६१ हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों से उद्धृत करते हुए अलबेरुनी लिखता है क्षत्रियों को हृदय आत्मित करने वाला वीर और उच्च विचार वाला, भाषण के लिए तैयार व उदार होना चाहिए, उसे आपत्तियों से निश्चित होकर केवल उन महान कार्यों की पूर्ति की अभिलाषा करनी चाहिए जिनसे चिर आनन्द की प्राप्ति हो ६२ अलबेरुनी वैश्यों का उल्लेख इस प्रकार करता है। “वैश्य का यह धर्म है कि वह कृषि करे तथा ब्राह्मणों को उनकी आवश्यकताओं से निवृत्त करे ६३ चौथा वर्ण शूद्र था जो अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा किया करता था। अलबेरुनी आगे लिखता है “ शूद्र के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हे अन्त्यज कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। जिनकी गणना किसी भी जाति में नहीं होती। किसी विशेष शिल्पकार या पेशा करने वालों के रूप में उनकी गणना होती

६० अलबेरुनी इण्डिया, १ (सचाऊ) पृ०-१००।

६१ अलबेरुनी इण्डिया-१ (सचाऊ) पृ० १००-१०१।

६२ वही, पृ० १०३।

६३ वही, पृ० १३६।

है। उनके आठ वर्ग होते हैं। जो कि धोबी, चमार और बुनकर को छोड़कर परस्पर वैवाहिक सबध जोड़ते हैं। क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने की किसी ने कृपा नहीं की। ये आठ श्रेणिया हैं- धोबी, चमार, मदारी, डोम तथा ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याधा और बुनकर ये गावों या नगरों के निकट चार जातियों से पृथक निवास करते हैं।⁶⁴ हादी, डोम, डोम्ब चाण्डाल तथा ब्राधातऊ की गणना निम्नतम वर्ग में होती थी। और उन्हे किसी भी जाति या कबीले में स्वीकृत नहीं माना जाता था अलबेरुनी लिखता है “ वे दूषित कार्य करते हैं जैसे गाव की सफाई करना तथा अन्य सेवा में उन्हे एक मात्र वर्ग का समझा जाता है। तथा अपने पेशे से वे पहचाने जाते हैं। वास्तव में उन्हे अवैध बच्चों की तरह माना जाता है क्योंकि सामान्यमतानुसार वे शूद्र पिता व ब्राह्मणी माता के व्याभिचारों से उत्पन्न सन्तान हैं। अतः वे जाति भ्रष्ट पतित हैं।⁶⁵ विभिन्न जातियों और वर्गों के विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख करते हुए अलबेरुनी लिखता है। चारों जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवसाय और जीवन प्रणाली के अनुसार हिन्दू उसे विशिष्ट नाम से पुकारते हैं। उदाहरणार्थ जब तक ब्राह्मण अपने घर में रहते हुए अपना कार्य करता है तब तक उसे उसके नाम से पुकारा जाता है। जब वह एक डोम का कार्य करता है तो उसे ‘इश्तन्’ कहते हैं। यदि वह तीन अग्नि कार्य करता है तो वह ‘अग्नि होत्रिन्’ कहलाता है। और जब वह अग्नि को नैवेद्य चढ़ाता है तो ‘दीक्षित’ कहते हैं। यह प्रचलन ब्राह्मणों की तरह अन्य जातियों में भी है। निम्न श्रेणी की जातियों में हादी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। क्योंकि वह स्वयं को गदगी से दूर रखते हैं। तदुपरान्त डोम है, जो सारंगी बजाते हैं और गीत गाते हैं। और भी निम्न श्रेणी के लोग मारने की ओर अदालत द्वारा आरोपित

64 वही- पृ०-101

65 वही- पृ० 101-102

दण्डो को कार्यान्वित करने का पेशा करते हैं। सबसे निकृष्ट बधातऊ है जो कि केवल मृत पशुओं का ही मास नहीं, बल्कि कुत्ते तथा अन्य जानवरों का मास भी खाते हैं।⁶⁶ मौलाना दाउद दलमई द्वारा रचित एक समकालीन हिन्दी कृति चादायन में हिन्दुओं की विभिन्न जातियों का अल्लेख हमें मिलता है, जैसे वाम्मन अर्थात् ब्राह्मण, खतरी क्षत्रिय गौर, ग्वाला, गहरवार अर्थात् गहडवाल, राजपूत अग्रवाल, अग्रवाल वैश्य तिवारी ब्राह्मणों की एक उपजाति, हजमनान, हजाम या नापित गन्धी जो अन्न और सुगन्धित तेल बेचता है, सोनी सोनार और ठाकुर क्षत्रियों की एक उपाधि।⁶⁷

हमने इनका उल्लेख मात्र इसलिए किया है कि हम अब उनकी स्त्रियों की जानकारी भी प्राप्त कर ले। इन वर्गों की स्त्रियों के योगदान का भी मूल्यांकन हम अपने अध्ययन के आधार पर कर सकते हैं क्योंकि इन वर्गों की महिलाएँ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपने पुरुषों के साथ कार्य करके अपने परिवार व अपने पेशे को भी सम्मान व समृद्धि दिला रही थीं।⁶⁸

जैसा कि विदित ही है कि प्राचीन काल से ही नारी का प्रमुख कार्यक्षेत्र परिवार ही था, और परिवार के अभ्युदय के लिए वे स्वार्थों का उत्सर्ग करने में अपना जीवन सार्थक मानती थीं। मध्ययुगीन साहित्य में नारी के प्रमुख कर्तव्यों की विवेचना करते हुए लिखा गया है कि उनके मुख्य कर्तव्य थे परिवार के जनों की सेवा करना, भोजन बनाना एवं बच्चों का पालन पोषण करना। आत्म सयम और

⁶⁶ वही- पृ०- 102

⁶⁷ चौदायन, डा० परमेश्वरी लाल गुप्ता, द्वारा सम्पादित एवं हिन्दी ग्रथ रत्नाकर (प्रा०) लि० बम्बई द्वारा प्रकाशित, प्रथम सस्करण, छन्द-26 पृ०-90

⁶⁸ देखे, डा० हेरम्ब चतुर्वेदी का लेख 'कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमैन ऑफ द प्रोफेशनल व्लासेज टूर्वर्ड्स द मेकिंग ऑफ इण्डियन हिस्ट्री', अध्ययन खण्ड वर्ष पृ०-1

कुशलतापूर्वक धर के सभी कार्यों का प्रबन्ध करना इत्यादि⁶⁹ इन गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे भी कार्य थे जिनके द्वारा महिलाएँ धनार्जन करती थीं और अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सहायक होती थीं। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मध्य काल में स्त्रिया विभिन्न जीविका अपनाती थीं। और समाज द्वारा उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जीविका के द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रियों का मध्ययुगीन समाज में एक पृथक वर्ग था। इनके अन्तर्गत गणिकाये, देवदासिया, वारागनाये, सेवावृत्ति में रहने वाली दासिया, ग्वालिन, नाउन तथा बारबनिताओं का उल्लेख किया जा सकता है।⁷⁰ साधारणतया सौन्दर्य यौवन व कार्यकुशलता द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रियां गणिकाये कहलाती थीं।⁷¹ समय-समय पर जैसे कि सार्वजनिक भोजो, व्योहारों, शादी-विवाह आदि में मनोरंजन के लिये वेश्याओं व नर्तकियों को आमंत्रित किया जाता था, इनके निवास हेतु नगरों से अलग मुहल्ले बने हुए थे सामान्यतः इन्हे रगी, गणिका, पातुरु⁷² नर्तकी तथा वेश्या⁷³ आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा का समाज से विलोप हो जाने के कारण वेश्यावृत्ति में वृद्धि हुयी तथा लोगों का समाज में वेश्यावृत्ति में झुकाव अधिक होने के कारण मध्यकाल में इनकी संस्थाओं में और भी वृद्धि हो गयी, जब विधवाये, त्यागमय एवं कठोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करने में असमर्थ होती तो उन पर दुराचारी होने का

69 अमीर खूसरो कृत हश्त -बहिश्त पृ० 28, पी.एन.ओझा, नार्थ इण्डियन शोसल लाइफ, दिल्ली, 1975, पृ० 119 अलबेर्सनी इण्डिया सचाऊ भाग-1 पृ-181

70 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन, पृ० 42 पद-44, पृ०-69, पद 71 पृ०-186 पद-191, सूरसारावली पृ०-142 पद-885

71 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन पृ०-187 पद-192

72 कुतुबन कृत मृगावती पृ०-209 पद-246 पृ- 212-213 छन्द-250

73 माता प्रसाद गुप्त कृत चादायन पृ-244 पद-252

आरोप लगाकर घर से निकाल दिया जाता था। परिवार के इस निष्ठुर व्यवहार से पीड़ित विधवा स्त्री जीवन यापन हेतु कभी-कभी वेश्यावृत्ति को अपनाने को बाध्य हो जाती थीं। गणिका का जीवन सगीत और ललित कला का सम्मिश्रित स्वरूप था। यही उनका प्रधान व्यवसाय भी था। आज की तुलना में मध्यकालीन समाज में गणिका आदर व सम्मान की पात्र थी। जनजीवन के सास्कृतिक कार्य कलाप और विलासमय जीवन की वह महत्वपूर्ण अंग बन चुकी थी।⁷⁴ उदार चरित्र और सदाचार गणिकाओं की महारानियों तथा अन्य कुलीन स्त्रियों से भी यदा कदा तुलना की गयी है। गणिकाओं में श्रेष्ठ गुण की अपेक्षा की जाती थी। विशेष गुणों तथा व्यवहार से परिपूर्ण वे समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की अधिकारिणी होती थी। ये गणिकाये प्रायः सुन्दर होती थी, अपने कपोल व शरीर के अन्य अगों में विशेष रेखाकृति बनाती थी, जो चदन गोरोचन और कस्तूरी की होती थी।⁷⁵ उनके केश अत्यन्त लम्बे होते थे। आँखे बड़ी-बड़ी होती थी तथा उनकी सुमधुर आवाज उनके सौन्दर्य में और अधिक वृद्धि करती थी।

देवदासी प्रथा को वस्तुतः शासक एव अभिजात वर्ग ने प्रश्रय प्रदान किया था। सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर में पांच सौ देवदासिया थीं जो अपने नृत्य द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव तत्पर रहती थीं।

ग्रामीण समाज में बसने के कारण अहिरों के लिए प्रायः गवार अथवा गवारिन शब्द का प्रयोग किया गया है।⁷⁶ अपने श्रम से धर्नाजन करने के कारण वे

74 अलबेर्सनी इण्डिया-भाग-2 सचाउ पृ०- 157 तथा विद्यापति की कीर्तिलता द्वितीय पल्लव, छन्द-24, दोहा-136, पृ०-84, छन्द-25 दोहा, 132-133

75 ऋतु जायसवाल “बीमेन्स योजीशन एण्ड रोल इन नार्थ इण्डियन सोसाइटी- फ्राम द 10वी टू 13वी सेन्चुरी एज द डिपिक्टेड इन कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल उपाधि हेतु शोध प्रबन्ध पृ० 187-189

76 सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० 316 पद-3759

कीमती वस्त्रो जैसे लहगा इत्यादि धारण करती थी ।⁷⁷ वे पूरे साजो शृंगार के साथ रहती थी उनके लिए प्रायः ग्वालिन शब्द का प्रयोग भी हुआ है ।⁷⁸ मध्यकाल में ये पेशेवर जातियों के रूप में ऊभर कर आ चुके थे। इनकी स्त्रिया इनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य के द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती थी ।⁷⁹ उन्होंने इस काल में यादव जाति नाम का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया था और वे आज तक उत्तर भारत में इसी नाम से पहचाने जाते हैं ।⁸⁰ इस जाति विशेष की स्त्रिया न केवल अन्य कार्य में हाथ बटाती थीं बल्कि वे अपने परिवार के पुरुषों के लिए खाना आदि बनाकर गाव के बाहर चारागाह तक पहुँचाती थीं ।⁸¹ गाय भैसो द्वारा प्राप्त दूध से वे दही जमाती थीं और इसी से मक्खन निकालती थीं दही और मक्खन का कारोबार वे मुख्यतः करती थीं और इससे घर की आमदनी भी बढ़ाती थीं ।⁸² जायसी के पदमावत से हमें कायस्थ जाति एवं उनकी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। जब वो लिखते हैं—

कैथिनि चली न समाइ न आगा ।⁸³

कायस्थ मूलतः लेखक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे अतः धन एवं पद के दृष्टिकोण से मध्यकालीन भारत में वे एक महत्वपूर्ण समूहों के रूप में स्थापित हो

77 सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ०-२५०, पद-३५१९

78 देखें सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० ५६ पद-१७२ पदभावत पृ०-१३०-३१ पद-१३५

79 हेरम्ब चतुर्वेदी, “द रोल ऑफ प्रोफेशनल कास्ट वूमन” अध्ययन खण्ड

80 हेरम्ब चतुर्वेदी, द सोसाइटी ऑफ नार्थ इण्डिया इन द १६ सेन्चुरी---१ अप्रकाशित शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विं० विं० पुस्तकालय पृ०- १०३

81 वही

82 वही

83 पदमावत- पृ० १७७ पद- १८५

गये थे ४४ मध्यकाल में हमे पालकी ढोने वाले कहारों के निरन्तर उल्लेख मिलते हैं। उनकी स्त्रिया उनके कार्यों में किसी न किसी रूप में मदद करती थी⁸⁵ उस काल में धोबी भी समाज के आवश्यक अग थे जिनके बिना लोग साफ सुधरे कपड़े भी नहीं पहन सकते थे उनकी स्त्रिया अर्थात् धोबिने न केवल धुलाई आदि में उनकी मदद करती एवं घर का काम-काज देखती अपितु लोगों के यहा पकड़ा पहुँचाने के कार्य में सदैव उन्हीं के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं^{४६} इसी प्रकार हमें नाड़ की पत्नी नाइन के उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं। तीज त्योहार में ये महिलाओं के साथ श्रृंगार से लेकर अपने जजमान के यहा ये अनेक प्रकार के कार्य करती थीं जिसके लिए इनको अलग से इनाम दिया जाता था^{४७} नाइन के साथ अपरिहार्य रूप से कनछेदन, विवाह आदि उत्सवों पर हमें सदैव बारिन का उल्लेख भी मिलता है, जो इन अवसरों पर हमें सदैव बारिन का उल्लेख भी मिलता है, जो इन अवसरों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। इसीलिए इनको इस कार्य के लिये अलग से न्योछावर दिये जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में सुनारों का बहुत महत्व था। उनकी पत्नी या सुनारिन को भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्रदान की जाती थी। मध्यकाल के समृद्धि के द्योतक थे तथा लोगों के आवश्यकता के अनुसार आभूषण आदि का निर्माण करते थे। पदमावत में जायसी राजकुमारी की सखियों के रूप में एक सुनारिन का भी उल्लेख करते हैं---

चली सोनारी सुहाग सुहाती---⁸⁸

84 हेरम्ब चतुर्वेदी शोध प्रबन्ध पूर्वोक्त पृ०-८१

85 वही - पृ० ८५-८६

86 वही पृ० ८६-८७ तथा १६८

87 वही- पृ० ८७-८८

88 पदमावत, उद्धृत हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त-९९

इसी प्रकार हमे कोरी या रस्सी बनाने वालों की महिलाओं के सदर्भ मिलते हैं चूंकि महिलाएं और पुरुष दोनों मेहनत से कार्य करते थे अतः सामाजिक स्तर में काफी नीचा स्थान होने के बावजूद वे सुख से जीवन यापन करते थे ।⁸⁹ इसी प्रकार हमे तेलीयों की स्त्रियों के उल्लेख भी मध्यकाल में प्राप्त होते हैं जो अपने पतियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर तेल निकालने का कार्य करती थी।⁹⁰ चर्म शिल्प में प्रवीण चमार जाति का महत्व मध्यकाल में काफी था उनकी स्त्रिया चमारी अथवा चमारिन अपने जाति के पुरुषों के साथ चप्पल व जूतों के निर्माण एवं चर्म शिल्प के अन्य उत्पादों की रगाई के कार्य में बराबरी की हिस्सेदारी करती थी।⁹¹ इसी प्रकार मध्यकाल में पान का प्रचलन बहुत अधिक था, जैसा कि अलबेरूनी के विवरण से स्पष्ट होता है इस जाति विशेष की स्त्रिया तम्बोलिनी अथवा तम्बोलिन पान लगाने से लेकर बेचने तक अपने यहां के पुरुषों का साथ निभाती थी।⁹² हमें इस काल में महिला लकड़ी काटने वालों के सदर्भ भी प्राप्त होते हैं जिन्हे लकड़हारिन या कठिहारी कहा गया।⁹³ इसी प्रकार घास काटने वाले या उस घास को बेचने वालियों के रूप में घासिन प्रसिद्ध थी।⁹⁴ तथा जो सब्जी उगाने और बेचने का कार्य करती थी उन्हें कुजड़ी कहकर सम्बोधित किया गया

89 वही, पृ०- 169

90 वही पृ०- 170

91 वही पृ०- 170

92 वही पृ०- 172

93 वही

94 वही

है ।⁹⁵ अवलोकित काल में कपड़ा उद्योग में वस्त्रादि की रगाई के लिए रगरेजो के साथ-साथ इसी वर्ग की महिलाओं अथवा रंगरेजिनों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है—

“जावक सौं कह पाग-रंगाई, रगरेजिनी-मिली को उबाल”⁹⁶

किन्तु सबसे दिलचस्प सदर्भ कलवार जाति की स्त्रियों को कलवारी अथवा कलवारिन कहा गया है—

“चलकति-निकरी रूप सुनारी, निकरी मालिनी अऊ कलवारी”⁹⁷ इनका सबसे दिलचस्प उल्लेख यही है कि ये अपने पुरुष वर्ग के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। जिसके परिणाम स्वरूप इनके सामाजिक स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ जैसा कि उपरोक्त पद से स्पष्ट होता है वे राजघराने की स्त्रियों के साथ बैठने लगी थी।⁹⁸ इसी प्रकार एक दिलचस्प उल्लेख हमें मध्यकालीन सामाजिक परिवेश में भटियारिन अथवा सराय स्वामिनी का मिलता है। इसकी सरायों में मात्र भूख-प्यास थकावट मिटाते तथा वे रात्रिविश्राम भी करते हैं। सराय की पूरी व्यवस्था भटियारिन ही करती थी।⁹⁹ इसी प्रकार हमें एक अन्य वर्ग का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके स्त्री समूह का योगदान

95 वही

96 सूरसागर-खण्ड 2 पृ० 147 पद-3103।

97 चादायन पृ०-238 पद-245।

98 हेरम्ब चतुर्वेदी का शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त पृ०-173।

99 वही।

कम नहीं था। इक साल मे चूकि बाग-बगीचो का बहुत महत्व था अतः माली से अपरिहार्य होते थे। अधिक कार्य होने की वजह से मालियो के साथ-साथ हमे इस वर्ग की महिला अथवा मालिन के भी उल्लेख हमे मिलते हैं—

“लै लौ बैठ फूल फुलहारी, पान अपूरब घरै सवारी”¹⁰⁰

इसके अतिरिक्त मालिने विवाहोत्सव पर दूल्हे द्वारा सिर पर बॉधा जाने वाला तोरण भी बनवाती थीं। इसीलिए विवाह तथा अन्य मागलिक अवसरो पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।¹⁰¹ इसी प्रकार हमे मध्यकाल मे नट जाति की स्त्रियो के प्रदर्शन का उल्लेख प्राप्त होता है।¹⁰² इनको जायसी बेडिनी कहता है¹⁰³ ये बॉस पर चढ़कर या रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरजन करती थी—

“बेडिनि बांस चढ़ति जनु आहा”¹⁰⁴

ये मुखौटे लगाकर नाच गाकर भी लोगो का मनोरजन करती थी।¹⁰⁵ मध्यकाल मे हमें महिलाओ द्वारा पुरुषो के समान ही श्रम करने के भी उल्लेख मिले है। उनमे से एक उल्लेख महिला पानी भरने वालों अथवा पनिहारिनो का भी है—

100 पदमावत - पृ०-45-46 पद-39।

101 हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध, पूर्वोक्त, पृ०-174-175।

102 सूरसागर खण्ड 1 पृ०-16 पद-45।

103 हेरम्ब चतुर्वेदी शोध प्रबन्ध पू० - पृ० 175।

104 चांदायन, माता प्रसादगुप्त पृ० - 186, पद - 191।

105 हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध पू० पृ०-175।

“‘कूउटा एकु पच पनिहारी, टूटी लाज भै मतिहारी कहू कबीर इक बुधि
भीचारी, न ओहू कूअरा न पनिहारी’”¹⁰⁶

कुए पर पानी भरने का वर्णन लगभग कई मध्यकालीन कवियों ने किया है
पनिहारी कह देखि भुलाना

जेहिरे गाव ऐसी पनिहारी’’¹⁰⁷

समाज मे एक वर्ग ‘दूती¹⁰⁸ का भी था जो आर्थिक रूप से आत्म निर्भर
था। दूती को ‘कुट्टिनी’ के नाम से भी जाना जाता था¹⁰⁹ ये मत्रों की शक्ति से
सामने वाले को वश मे कर लेती थी। इसका विवरण हमे जायसी कृत पदमावत मे
मिलता है-

“कुमुदिनी कहा देखु मै सो हौ, मानुस काह देवता भो हौ।

जस काँवरू चमारी लोना, को न छरा पाढित औटोना।

बिसहर नॉ चहि पाढित मारे, औ धरि यूँ दहि धालि पेटरें।

बिरिख चलै पाढित की बोला, नदी उलटि बह परबत डोला।

पाढित हरै पंडित मति गहरे औरू को अथ गुग औबहिरै

पाढित औसी देवतन्द लागा, मानुस का पाढित हुति भागा।

106 सत कबीर पृ०-14 पद - 12 तथा पू० सख्या -53 पद-50।

107 मृगावती पृ०-206, पद-172 तथा पदमावत पृ० 37 पद -32

108 पदमावत पृ० 780 पद-548

109 कही पृ० 780 पाद टिप्पणी-4

पाढित कै सुठि काढत बानी, कहा जाइ पटुभावति रानी ।

दूति बहुत पैज कै बोली पाढित बोल ।

जाकर सन्त सुमेरू है लागै जगत न डोल । ॥110

अर्थात् ये अपनी मत्र शक्ति से सभी को वश में कर लेती है । तथा वाकपटु होती थी । ये वर्ग समाज में अत्यन्त सक्रिय वर्ग था जिन्हे राजा महाराजा का सरक्षण प्राप्त था । तथा आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जाता था ॥111

दासी वर्ग -

मध्ययुगीन समाज में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग था जो आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन करता था, इनका प्रमुख कार्य उच्च वर्ग की सेवा करना था । ये वर्ग दासी वर्ग था । राज परिवारों और धनियों के वैभव वर्णन में सहस्रों दासियों का वर्णन समकालीन साहित्य में उपलब्ध होता है ॥112 दासी को अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता था जैसे-दूती अथवा चेरी ॥113 प्राय ये कार्यानुसार नाम भेद थे किन्तु यह विभाजन स्पष्ट नहीं है । राज कन्याएँ एवं रानियाँ सदैव ही अनेक दासियों से घिरी रहती थीं । कन्या के विवाह में दहेज में उनके साथ दासियों को भी प्रदान किया जाता था यह प्रथा मध्ययुगीन अभिजात्य वर्ग में विद्यमान थी-

110 पदमावत- पृ० 781 पद- 585

111 विद्यावती की पदावली प्रथम , पृ०-82 पद-60 तथा सूरसागर खण्ड-2 पृ० 207
पद- 3411

112 पदमावत- पृ० 746 - 747 पद- 564

113 पदमावत - पृ० 477 पद- 385

“‘डाडी सहस चली सग चेरी’”¹¹⁴

दासियों को सम्पत्ति के रूप में भी लेना देना चलता था।¹¹⁵ क्रय की हुई दासी को अपने स्वामी के परिवार में सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे।

यर्थात् मे दासी परिवार का एक अभिन्न अग मानी जाती थी। तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य से उसके प्रति सदृव्यवहार की अपेक्षा की जाती थी।¹¹⁶ कन्याओं की सखी के रूप में जो दासियाँ होती थीं उनके साथ कन्याओं का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होता था। तथा हास परिहास चलता रहता था उन्हे परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ आमोद प्रमोद के भी पर्याप्त अवसर मिलते थे।¹¹⁷

गणिका अथवा वेश्या

सौन्दर्य, यौवन व कला कौशल द्वारा धर्नाजन करने वाली स्त्रिया प्रायः गणिका कहलाती थी। समीक्षाधीन अवधि मे इनकी संख्या बहुत अधिक थी। सार्वजनिक भोजो, शादी-विवाह, त्योहारो आदि मे मनोरजन हेतु समय-समय पर नर्तकी व वेश्याओं को आमंत्रित किया जाता था। इनको सामान्यतः नर्तकी¹¹⁸

114 पदमावत पृ०-477 पद-385

115 वही

116 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० - 133 पद- 416

117 पदमावत, पृ० 746-447 पद-564

118 चैतन्य भागवत, पत्रिका हाउस बाग बाजार कलकत्ता पृ०-60

वेश्या अथवा बेसा¹¹⁹ छिनार¹²⁰ पातुर या पतुरिनी¹²¹ आदि नामो से पुकारा जाता था। इनके निवास हेतु नगरो में अलग से मुहळे बने हुए थे-

“पुनि सिगार हाट घनि देसा, कह सिगार तह बैठी बेसा
मुख तबोर तन चटि कुसुमी, कानन्ह कनक जराऊ खुँभी
हाथ बीन सुनि मिरिंग भुलाही, नर मोहहिं सुनि पैगुन जाही
भौह धनुक तह नैन अहेरी, मारही बान सान सौ फेरी
अलक जोल डोल हसि देही, लाइ कटाख मारि जिउ लेही
कुच कचुक जान हुँ जुग सारी, अचल देहि सुभा वहि ढारी
लेत खेलार हारि तेन्ह पासा, हाथ झारि होइ चलहि निरासा।”¹²²

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वे अलग से बाजार में निवास करती थीं। तथा हाव भाव से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती थीं। और उनका मन बहलाती थी तथा पान का सेवन करती थीं। विभिन्न प्रकार के सुन्दर वस्त्र व जडाऊ गहने पहनती थीं। जब तक उनके पास धन होता था तब तक उनकी जान पहचान रहती थीं। धन समाप्त हो जाने पर वे उन्हें पहचानती तक न थीं-

119 चादायन माता प्रसाद गुप्त- पृ०-244 पद- 252

120 वही पृ०-243 पद-251, तथा पृ०-260 पद-267

121 मृगावती , कुतुबन कृत पृ०-209- पद-246 तथा पृ०-212-213

122 पद्मावत- पृ०- 44-45 पद-38

“चेरक लाइ हरहि मन जौ लहि गथ है फेट

साठि नाठि उठि भए- बटाऊ न पहिचान न खेट।”¹²³

अलबेर्लनी वेश्याओं की चर्चा करते हुए लिखता है कि “ लोग वेश्याओं को अपमान की दृष्टि से नहीं देखते और उसके लिए उन्हे सामाजिक अनुमति मिली हुई है । वेश्याओं को दण्ड देने के मामले में हिन्दु क्रूर नहीं है । इस सम्बन्ध में दोष राजाओं का है न कि समस्त राष्ट्र का । यदि ऐसा न होता तो ब्राह्मण या पुरोहित नाच-गान और क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों को अपने मूर्ति मदिरों में घुसने नहीं देते । यही नहीं राजाओं ने उन्हे आर्थिक कारणों से नगर में आकर्षण के रूप में रखा था । ताकि प्रजाजन आनन्द ले सकें । इससे करो और दण्ड के रूप में जो आय होती थी उससे सेना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती थी ।”¹²⁴ ऐसा आर्थिक कारण से किया जाता था ।

मध्यकालीन कवि विद्यापति ने भी “कीर्तिलता” में जौनपुर की रूपवती स्त्रियों की, जो वार-वनिताओं के रूप में कार्य करती थी, उनकी विस्तृत चर्चा की है । जौनपुर की वेश्याएं अवैध तरीकों से अपनी जीविका चलाती थीं और लोग अपनी काम-पिपासा के लिए उनका इस्तेमान करते थे ।¹²⁵ ये लुभावनी औरते एक बाजार में एकत्र होती थीं और अन्य युवतियों को अपने पेशे में लाने के लिए

123 पद्मावत- पृ०- 44-45 पद- 38

124 अलबेर्लनी इण्डिया भाग-2 (सचाउ)-पृ०-157

125 विद्यावती रचित कीर्तिलता, सम्पादक बी एस अग्रवाल, प्र०- साहित्य सदन चिरगाव (झासी) प्रथम संस्करण 1962, द्वितीय पल्लव, छन्द, 16, दोहा-113-118, पृ० 78-79

प्रलोभन देती थी।¹²⁶ उनकी लज्जा अस्वाभाविक थी और रूप रग कृत्रिम। वे दूसरों को लुभाने के लिए विनम्रता का प्रदर्शन करती थी। जबकि उन्हें केवल धन से प्रेम था, साथ ही वे अपना धन बढ़ाने के लिए अत्यधिक लुब्ध थीं। अपने पति से वचित होते हुए भी वे अपनी माग में सिन्दूर भरती थीं जो वास्तव में उनकी बदनामी का प्रतीक था। इसका उल्लेख विद्यावती ने इस प्रकार किया है-

“लज्जा कित्तिम कपट तारूण

धन निमित्ते धाए प्रेम

लोर बिना सौभागे कामन

बिनु स्वामी सिदूर परा परिचय अपमान।”¹²⁷

जौनपुर की वेश्याएं सुलतान इब्राहिम शाह के संरक्षण में आनद और समृद्धि का जीवन बिताती थी।¹²⁸

जायसी ने अपने साहित्य पदमावत में भी सिघल की वार-वनिताओं की चर्चा की है, जो अपने मकानों के छज्जों पर बैठकर विविध हाव-भाव से लोगों को आकर्षित करती थी।¹²⁹ मध्यकालीन साहित्य में गणिकाओं की श्रृंगार विधियों

126 वही, छन्द-24, दोहा-138 पृ०-85

127 वही, द्वितीय पल्लव, छद-25, दोहा-132-133 पृ०- 82-83 तथा द्वितीय पल्लव छद-16 दोहा-113-118 पृ०-78-79

128 कीर्तिलता प्रकाशक साहित्य सदन चिरगाव (झासी), प्रथम सस्करण, 1962 द्वितीय पल्लव, छद-25, दोहा- 153 पृ०-911

129 जायसी का पदमावत, प्रकाशक साहित्य सदन चिरगाव (झासी) द्वितीय सस्करण वि० स०, 2018 सर्ग-2 छद -38 पृ०-44-45

का भी उल्लेख मिलता है। जैसे वे पत्रावली एवं तिलक का विधान पूरा करती थी।¹³⁰ तथापि कतिपय विवरणों से यह भी प्राप्त होता है कि समाज में उनके प्रति हेय दृष्टिकोण था।¹³¹

इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि गणिका का सर्वप्रथम धर्म धर्नाजिन करना था। समाज का एक ऐसा वर्ग था जो इनके सानिध्य में जाकर इनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करता था। इसका प्रधान कारण सगीत व नृत्य के प्रति आकर्षण व लोगों की सौन्दर्य व काम पिपासा थी।

130 विद्यावती की 'कीर्तिलता' द्वितीय पल्लव, छद-24, दोहा-136 पृ०-84

131 वही, छद-25, दोहा- 132-133

मध्यकालीन स्त्रियों के आमोद-प्रमोद के साधन

मध्य कालीन समाज में परदा प्रथा द्रढ़ होने के कारण स्त्रियों की स्वतत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लग चुके थे। किन्तु साहित्यिक उद्घरणों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इस युग में स्त्रियों की सर्वांगीण उन्नति का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। तथा साथ ही उनके आमोद प्रमोद की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। परम्पराओं के अनुसार बसत के अवसर पर कन्याएं, युवतियाँ और स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार की उद्यान क्रीड़ा, सलिल क्रीड़ा और कंदुक क्रीड़ा इत्यादि में भाग लेती थीं।¹

“काहूँ गही अॅब कै डारा । काहूँ बिरह जॉबु अति झारा ॥

कोइ नारग कोइ झार चिरौंजी । कोइ कटहर बडहर कोइ न्योजी ॥

कोइ दारिड़ कोइ दाख सोखीरी । कोइ सदाफर तुरंज जभीरी

कोइ जैफर औ लौग सुपारी । कोइ कमरख कोइ गुवा छुहारी

कोइ बिजौर कोइ नरियर जोरी । कोइ अॅबरा कोइ बेर करौदा

काहूँ गही केरा की धौरी । काहूँ हाथ परी निबकौरी

काहूँ पाई निअरै काहूँ कहूँ गए दूरि

काहूँ खेल भएउ बिरव काहूँ अब्रित भूरि ॥²

1 पदमावत पृ० 212, पृ० 187

2 वही

इसी प्रकार बसन्त का विविध चित्रण सूरदास जी ने किया है :

बार बार सो हीरा है सुनावति । ऋतु बसत आयो समुझावति ॥

विविध सुमन बन फूले डार । उन्मत मधुकर भ्रमत अपार ॥

नव पल्लव बन सोया एक । यबिहरत हरि सग सखी अनेक ॥

कुहू कुहू कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरषाई ॥

फाग चरित रस साध हमरै । खेलहि सब मिली सग तुम्हरै ॥

सुनि सुनि सूर स्याम मुसुकाने । ऋतु बसत आयौ हरषाने ॥³

बसन्त ऋतु मे ही बसत पंचमी का त्योहार होता है बसन्त के मौसम मे फूल पत्ती के लहराने से चारो तरफ प्रकृति के श्रृंगार का आभास होता है और इसी लिए बसन्तोत्सव के लिए बसंत पंचमी उपयुक्त दिवस प्रतीत होता है, जिसमे स्त्रियाँ नृत्य गान खेल कूद का आनन्द उन्मुक्त भाव से उठाती हैं-

“दैय दैय कै सिसिर गँवर, सिरी पचमी पूजी आई

भएउ हुलास नवल रितु भौहाँ, खिनुन सोहाई धूप औ छाहाँ

पदुमावति सब सखी हकॉरी, जाँवत सिहाँल दीप की बारी

आजु बसत नवल रितुराजा, पचमि होई जगत सब साजा

नवल सिगार बनाफति कीन्हा, सीस परासन्ह सेदुर दीन्हा

बिगासि फूल फूले बहु बाँसा, भँवर आई लुबुधे चहुँ पासाँ

3 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 229 पद 3461

पियर पात दुःख इरे निवाते, सुख पालौ अपने होई राते

अवधि आई सो पूजी जो इहाँ मत कीन्ह

चलहु देव मढ जोहने चहाँ सो पूजा दीन्ह” 4

पचमी के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारा जगत ही सज गया हो और प्रकृति और जगत की सज्जा के साथ स्त्रियाँ भी अपनी सज्जा शृंगार कर के पचमी की पूजा करने निकलती हैं ऐसा माना जाता था कि इसके पूजन से इच्छाओं की पूर्ति होती है । 5

जायसी कृत पद्मावत में भी जायसी ने बसन्त त्योहार के उत्सव का अत्यन्त रोचक वर्णन किया है। जिसमें स्त्रियाँ इस त्योहार को वाद्य यत्र के साथ नाच गाकर मनाया करती थीं-

“फर फूलन सब डारि औनाई। झुँड बॉधि कै पचमि गाई।

बाजे ढोल दुंद औ भेरी। मंदर तूर झाझ चहुँ फेरी।

सँख सींग डफ सगम बाजे। बसकारि महवर सुर साजे।

औरन कहा जेत बाजन भले। भाँति भाँति सब बाजत चले।

रथन्ह चढ़ी सब रूप सोहाई। लै बसत मढ मँडप सिधाई।

नवल बसत नवल वै बारी। सेंदुर बुक्का होइ धमारी।

खिनहि चलहि खिन चाँचरि होई। नाच कोड भूला सब कोई।

4 पद्मावत पृ० 207-208 पद 183

5 पद्मावत - वही

सेदुर खेह उठा नस गँगन भएउ सब रात

राति सकल महि धरती रात बिरिख बन पात ।''⁶

बसन्त पचमी के त्योहार मे झुण्ड बाध करके एक सखी को बीच मे करके और सब सखियाँ मण्डल बनाकर हाथो से ताल देती हुई धूमती और गाती हैं। इसे तालक रास भी कहा जाता था।⁷ साथ ही चाँचरि नामक नृत्य भी होता था। जिसमे हाथो मे छोटे छोटे डडे लेकर लड़के लड़कियो की टोली का 'मडली नृत्य' होता था जिसे लकुट रास भी कहते हैं।⁸ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार होता था।

बसन्त के ही मौसम मे होली का प्रसिद्ध त्योहार पडता है प्रकृति की भॉति स्त्री पुरुष सब रग खेलते हुए विभिन्न रगो मे रग जाते हैं -

"फाग चरित रस साध हमारै खेलहि सब मिली सग तुम्हारै

सुनि सुनि सूर स्याम मुसुकाने रितु बसन्त आयो हरसाने"⁹

चूंकि होली का त्योहार कृष्ण की गोपियों के साथ छेड़ छाड और होली खेलने का त्यौहार माना जाता है। अतः बृज की होली और उसमे कृष्ण की भूमिका की चर्चा के माध्यम से मध्यकालीन कवियो ने होली के माहौल का सफल चित्रण अपने काव्य मे किया है —

6 पदमावत - पृ० 215 पद 189

7 पदमावत - पृ० 216 पाद टिप्पणी 1

8 पदमावत् - पृ० 216 पाद टिप्पणी 7

9 सूर सागर खण्ड 2 पृ० 229 पद 3461

“होली खेलत बृज खोरिनि मै, बृज बाला बनि बनवारी
 डफ की धुनि सुनि बिकल भई सब, कोऊ न रहति घर घूघट नारी
 जाहि अबीर देत आँखिनि मै, ताही कौ छिरकत पिचकारी
 सौही तेल अबीर अगरचा, तैसी जरद केसरि चटकारी
 उडा गुलाल लाल भए बादर, रौंगे गए सिगरे अटा अटारी
 सूरदास बारी छवि ऊपर, कल न परति छिनु बिनु गिरिधारी”¹⁰

अबीर कुमकुम, गुलाल, चोवा एव चदन के साथ साथ पिचकारी से रग
 खेलने का व्यापक चित्रण मिलता है। होली गाने के साथ साथ मृदग, बीन, बासुरी,
 डफ आदि के बजने के उल्लेख भी हमे प्राप्त होते हैं तरुणि बालाए एव सभी
 सब कुछ भूलकर होली के रग मे रग जाते हैं।

“इत श्री राधा उत श्री गिरिधर, इत गोपी उत ग्वाल
 खेलत फाग रासिक ब्रज बनिता, सुदर स्याम तमाल
 चोबा चदन, अबिर कुमकुमा, छिरकत भरि पिचकारी
 उडत गुलाल, अबीर, जोतिरवि दिसि दीपक उंजियारी
 ताल मृदग बीन, बॉसुरि डफ, गावत गीत सुहाए
 रासिक गुपाल, नवल ब्रज बनिता, निकसि चौहरै आए
 झूमि झूमि झूमक सब गॉवति, बोलति मधुरी बानी

देति परस्पर गारि मुदित मन, तरूनि बाल सयानी

सुरपुर नरपुर नागलोक जल थल क्रीडा सुख पावै

प्रथम बसत पचमी लीला सूरदास जस गावै¹¹

गायन में भी विशेष रूप से होली के विशेष राग धमार के गायन का भी
उल्लेख मिलता है-

“चैत बसन्त होई धमारी मोही लेखे ससार पुजारी

पचम विरह पच सरमोरे रकत रोई सगरो बन ठारै ”¹²

इसी अवसर पर एक अन्य प्रकार का मनोरा झूमक नामक गीत गाया जाता
है ये एक विशेष प्रकार का राग भी होता है -

कवल सहाय चली फुलवारी । फर फूलन्ह कै इहा बारी

आयु आयु मह करहि जोहारू यह बसन्त सब कर त वहारू

चही ‘मनोरा झूमक’ होई । फर और फूल लेई सब कोई

फागु खेलि पुनि दाहब होली । सै तब खेह उड़ाउब झोली

आजु साज पुनि देबस न दूजा । खेलि बसत लेहु दै पूजा

भा आयसु पदुमावति केरा । बहुरिन आई करब हम फेरा

तस हम कैह होइहि रखवारी । पुनि हम कहाँ कहाँ महबारी

11 सूरसागर खण्ड 2 पृ० 232 पद 3472

12 पदमावत पृ० 427 पद 353

“पुनि रे चलब घर आपुन पूजि बिसेसर देड

जोहिका होई हो खेलना आलु खेलि हाँसि लेड ”¹³

इसी प्रकार हमे अन्य रगो के साथ साथ टेसू से बने रगो से निर्मित रगो से होली खेलने के सन्दर्भ प्राप्त होते हैं -

बूड़ि उठे सब तरिवर पाता । भीज मजीठ टेसू बन राता

मौरे आँब फैरे अब लागै । अबहुँ सँवरि घर आउ सभागे

सहस भाव फूली बनफती । मधुकर फिरे सँवरि मालती

प्रथम बसन्त नवल रितु आई । सुरितु चैत बैसाख सोहई

चदन चीर पहिरि धनि अगा । सेदुर दीन्ह बिहाँसि भरि मगा

कुसुम हार और परिमल बासु । मलयागिरि छिरिका कबिलासू

सौर सुपेति फूलन्ह डासी । धनि और कंत भिले सुखवासी

पिठ संजोग धनि जोबन बारी । भँवर पुहुप संग करहि धमारी

होइ फागु भलि चॉचरि जौरी । बिरह जराइ दीन्ह जसि होरी

धनि ससि सियरि तपै पिठ सुरू । नखत सिगाँर होहि सब चुरू

“जेहि घर कता रितु भली आउ बसता तितु

सुख बहरावहि देवहरै दुक्ख न जानहिकिन्तु ,¹⁴

13 पद्मावत, पृ० 211 पद 186

14 पद्मावत पृ० 403 पद 335

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि चाँचरि नृत्य इस मौसम का विशेष नृत्य था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हाथों में रगीन छोटे छोटे डडे लेकर गाते हुए मडल बनाकर नाचते हैं अब भी मध्यप्रान्त में इसे चाँचर कहा जाता है । इसे डॉडिया रास के नाम से भी जाना जाता है फागुन में अथवा विवाहोत्सव में चाँचर होती हैं चाँचर नृत्य में ताल की गति पर जिनके डडे नहीं मिलते वे रास से बाहर होते जाते हैं 15 चाँचरि नृत्य को लकुट रास भी कहते हैं ।¹⁶

इसी तरह बसन्त ऋतु की भाँति सावन भादो तक एक उन्मुक्त माहौल सा रहता है सावन में पानी बरसने से लेकर झूला झूलने तक दादर मोर की आवाजे बिजू के चमकने से लेकर हिडोलों या झूला झूलने तक का एक माहौल बना रहता है ।

“रितु पावस बिरसै पित पावा । सावन भादो अधिक सोहावा
 कोकिल बनै पैति बग हूरी । धनि बिसरी जेडँ बीर बहूटी
 चमकै बिजू बरसि जगसोना । दादर मोर सबद सुढिलोना
 रग राती पिय सग निसि जागें । गरजै चमकि चौक कठलागै
 सीतल बुदें ऊच चौबारा । हरियर सब देखिय ससारा
 मलै समीर बास सुख बासी । बेइलि फूल सेज सुखडासी
 हरियर भूमि कुसुमी गोला । और पिय सगम रचा हिडोला ”

15 पदमावत पृ० 405 पाद टिप्पणी 6 पद 335

16 पदमावत- पृ० संख्या 215 पाद टिप्पणी 7 पद 189

पौन झरकके हिय हरख लागै सियरि बतास

धनि जानै यह पौनु है पौनु सो अपनी आस ”17

इसी तरह सावन मे स्त्रियो का एक विशेष त्योहार तीज होता था तीज मे भी ब्रत पूजन नाचने गाने का एक वातावरण सा बनता था स्त्रियाँ पूरे श्रृगार के साथ अपने सुहाग की कामना करती थीं सावन मे होने के कारण तीज त्योहार मे भी झूला हिडोला या हिडोर झूलने का उल्लेख हमे मिलता है —

“गोपी गोविद कै हिडोरे झूलन आइ

रगमहल मै जहँ नद रानी । खेलै तीज सुहाइ ।

श्रीखंड खम्भ मयारि सहित । सुसमर मख बनाइ

तापर कितिक जु भ्रमत भॅवरा । डॉडी जटित जराइ

सुढि हेम पटुसि मध्य हीरा । पूलि रोचन लाइ

सखी बिबिध बिचित्र राग । मलार मगल गाइ

नद लाल पावसकल, दसिनी नागरि नव संग

बोलत जु ‘दादुर पपीहा’ करत कोकिल रग

तहँ बहि निर्बत बचन मुखरित, अलि चकोरविहग

बलभद् सहित गुपाल झूलत । रथिका अरधंग

जल भरित सरवर सधन तरूवर, इन्द्र धुनुष सुदेस

धन स्याम मध्य सुपेद बग जुरि। हरिन महि चँहुदेस

तहँ गगन गर्जत बीजु तरपत मधुर मेह असेस

झूलत विहळ स्याम स्यामा, सीस मुकुतित केस

तारक तिलक सुदेश झूलकत खचित चूनी लाल

नव अकृत विकृत बढन प्रहासित कमल नैन बिसाल

करज मुद्रिका किकिनी कटि, चाल गज गति बाल

सूर मुररिपु रंग रंगे, सखी सहित गुपाल ”’18

हमे अपने अध्ययन काल मे जैनियो तथा हिन्दुओ मे एक माह का व्रत करने वालो का अलग से उल्लेख मिलता है यह व्रत अश्विन शुक्ल ग्यारह से कार्तिक शुक्ल ग्यारह तक रखा जाता है और कार्तिक शुक्ल बारह को किया जाता है ।

यदि कोई व्रत करते हुए बीच मे मूर्छित हो जाए तो उसके लिए दुग्धाहार का विकल्प है । अर्थात यह व्रत अत्यन्त कठोर था और प्रायः लोग इसे पूरी शुद्धता के साथ नहीं कर पाते थे अतः फलाहार का विकल्प दिया जाता था ।

”’पैग पैगपर कुआँ बावरी । साजी बैठक औ पॉवरी,

औरु कुड बहु ठावहि ठाऊँ । सब तीरथ औ तिन्हके नाऊँ

मढ़ मंडप चहुँ पास सँवारे । जपा तपा सब आसन मारे

कोई रिखेस्वर कोइ सन्यासी । कोई रामजन कोई मसवासी
 कोई ब्रह्म चर्ज पैथ लागे । कोई दिगम्बर आछहि नाँगे
 कोइ सरसुती सिद्ध कोइ जोगी । कोई निरास पथ बैठ बियोगी
 कोइ महेसुर जँगम जती । कोइ एक परखे देवी सती
 सेवरा खेवरा बान परस्ती सिध साधक अवधूत
 आसन मारि बैठ सब जारि आतमा भूत''¹⁹

इसी तरह हमे दिवाली का उल्लेख मिलता है जो हिन्दुओं मे अत्यन्त ही
 हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । दिपावली मे दीप मालाओं के प्रकाश से ऐसा
 प्रतीत होता है कि जैसे धरती और आकाश सब तरफ दीप ही दीप जल रहे हैं ।
 दीवाली मे स्त्रियों के सज संवर के नाचने गाने का भी उल्लेख हमे मिलता है ।
 दिपावली कार्तिक की पूर्ण मासी को मनाया जाने वाले त्योहार है और इसी दिन
 मध्य काल में सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा मुनिवरा पूजा का भी उल्लेख हमे मिलता है
 यह पूजा सप्तऋषियों को अर्पित की जाती थी —

कार्तिक सरद चद उजियारी । जग सीतल हैं बिरहैं जारी
 चौदह करा कीन्ह परगासू । जानहुँ जरै सब धरति अकासू
 तन मन सेज करै अगिडाहू । सब कहैं चाँद मोहि होइराहू
 चेंदु खंड लागै अंधियारा । जौ धर नाहिन कत पियारा

अबहुँ नितुर आव एहिबारा । परब देबारी होइ ससारा

सखि झूमक गावहि अग मोरी । हौ झूरौ बिहुरी जेहि जोरी ।

जेहि घर पियु सो ‘मुनिवरा पूजा’ । मो कहैं बिरह सवति दुख दूजा ।

सखि मानहि तेवहार सब गाइ देवारी खोलि

हौ का खेलौ कत बिनु तेहि रही छार सिर मोति’²⁰

इसी प्रकार हमें ‘गोवर्धन पूजा’ के उल्लेख मिलते हैं इस दिन गोबर से निर्मित पहाड़ को पूजा जाता है। कृष्ण कथा से जुड़ी इस लोक प्रथा वस्तुतः कृष्ण द्वारा इन्द्र के प्रकोप से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत को तर्जनी पर उठा लेने की स्मृति में ऐसा आयोजन किया जाता है। इस दिन नाना प्रकार के पकवान बनाकर इन्द्र के प्रलयकारी प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन के प्रति ऋण चुकाया जाता है।

“तात गोवर्धन पूजहुँ जाइ मधुमेवा पकवान मिठाइ

व्यजन बहुत बनाइ ।”²¹

गोवर्धन की पूजा में अनाज के ढेर सारे पकवान बनाये जाते थे, इसीलिए इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता था—

“‘अन्न कूट’ विधि करत लोग सब नेम सहित करि करि पकवान”²²

20 पदमावत पृ० 421 पद 348

21 सूरसागर प्रथम खण्ड, पृ० स० 436 पद 1442 तथा पृ० 437 पद स० 1448

22 सूरसागर प्रथम खण्ड पृ० 434 पद 1434

इस पूजा का मध्य काल में इतना अधिक प्रचलन हो गया था कि लोगों के बीच इतनी मान्यता हो गयी थी कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी हो तो गोवर्धन की पूजा का व्रत ले लेना चाहिए —

“मेरी कहि सत्य करि मानहुँ गोवर्धन की पूजा ठानहुँ।”²³

मध्य काल मे स्त्रियों के मध्य निर्जला एकादशी नामक व्रत बहुत प्रचलित था। एकादशी के दिन स्त्रिया जल की एक बूँद भी नहीं ग्रहण करती थी। यह व्रत भी मनोकामना की पूर्ति हेतु था—

“तौ हम बात सीखि कै नाही हाँ बुधि कहौं जाइ जौ गही

मिरगावति रानी है भावा। करइ एकादसि निरजल आवा।”²⁴

इस काल मे स्त्रियों के आमोद-प्रमोद के बहुत सीमित साधन थे अतः वे हर तीज त्योहार पर सज सवर कर नाच गाकर अपना मनोरजन कर लेती थीं। मध्य कालीन साहित्य कार जायसी ने अपने साहित्य पदमावत मे जल क्रीडा की चर्चा की है जिसमें पदमावती अपनी सखियों के साथ जल मे क्रीडा करने जाती है—

“लागी केलि करै मझ नीरा, हँस कजाइ बैठ होइ तीरा।

पदुमावति कौतुकि करिराखी तुम्ह ससि होहु तराइन साखी।

बादि मेलि कै खेल पसारा। हारू देइ जौ खेलत हारा

23 सूरसागर, प्रथम खण्ड पृ० 454 पद 1517

24 मृगावती पृ० 57 पद 75

सवरहि सॉवरि गोरिहि गोरी । आपनि आपनि लीन्ह सो जोरी ।

बूझि खेल खेलहु एक साथा । हारून होइ पराएँ हाथा ।

आजुहि खेल बहुरिकित होई । खेल गए कत खेलै कोई ।

धनि सो खेल खेलाहि रस पेमा । रौताई औं कूसल खेमा ।

मुहमद बारि परेम की जेऊं भावै तेऊं खेल

तीलहि फूलाहि सग जेऊं होइ फुलाएल तेल ।²⁵

खेल कूद एवं मनोरंजन

मध्यकालीन स्त्रियो के बीच लुका छिपी का खेल भी प्रचलित था²⁶
जिसे चचरि भी कहा जाता था ।

चौपड़ भारत मे खेला जाने वाला एक बहुत पुराना खेल है जिसे कभी
कभी चौसर या पचीसी भी कहा गया है । यह खेल हिन्दुओं मे और भी विशेष
रूप से राजपूतों में बहुत लोकप्रिय था । इसका विविध वर्णन जायसी ने अपनी
प्रसिद्ध रचना पदमावत में किया है—

ऐसे राजकुँवर नाहि मानौ । खेलु साहिर पॉसा तौ जानौ ।

कच्चे बारह बार फिरासी । पक्के तौ फिरि घिरन रहासी

25 पदमावत पृ० 73 पद 63

26 जायसी ग्रथावली मे सग्रहित जायसी का अखरावट सम्पादक रामचन्द्र शुक्ल
नागरी प्रचारिणी सभा प्रथम सस्करण वि० स० 2008 पृ० 319

रहै न आठ अठारह भाखा । सोरह सतरह रहै सो राखा
 बसतएँ ढैरे सो खेलनिहारा । ठारू इग्यारह जासि न मारा
 तू लीन्हे मन आछासिदुवा । औ जुग सारि चहासि पुनिछुवा ।
 है नव नेह रचौ तोहि पाहॉं । दसौ दाउ तोरे हिय याहॉं ।
 पुनि चौपर खेलौ कै हिया । जौ तिरहेल रहै सो तिया ।
 जेहि मिली बिछुरन औतपनि अत तत तेहि नित
 तेहि मिली बिछुरन को सहै बरूबिनु मिलै निचित ।'27

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पदमावत का टीका लिखते हुए
 मध्यकालीन परिवेश में इस खेल के वास्तविक स्वरूप को उभारा है ।

चौपड के खेल में तीन पासे और चार रग की सोलह गोटे होती हैं ।
 प्रत्येक पासा हाथी दांत का बना चार या पांच अंगुल लम्बा चौपहल टुकड़ा होता
 है । उसमें एक पहल में एक बिदी (इक्का) और दूसरे में दो (दुआ) तीसरे में
 पाच (पजा) और चौथे में छः (छक्का) बिदिया होती है । ऐसे ही तीनों पासों पर
 बिदियों के एक से निशान होते हैं । तीनों पासों को हाथ में लेकर ढरकाते हैं जो
 बिदियों तीनों पासों के ऊपर के पहल में दिखाई पड़ती है उन्हीं का जोड दौव
 कहलाता है । चौपड़ के कपडे में चार फड़े होती हैं प्रत्येक फड़ पर तीन पक्कियों
 में घर बने रहते हैं । प्रत्येक पक्कि में आठ घर होते हैं । इस प्रकार एक फड़ में 24
 और कुल चौपड़ में 16 घर होते हैं । घर को स्स्कृत में पद कहते हैं चारों फडों के

बीच मे एक बडा सा घर होता है। जिसे कोठा कहते हैं। इस कोठे मे चारो फडो की गोटे बैठती या पुगती है तब इन्हें पक्की गोटे कहते हैं।

चार रग की सोलह गोटे में प्रत्येक रग की चार चार गोटें होती हैं। काली, पीली गोटो का जोड़ा और लाल हरी गोटो का जोड़ा प्रायः माना जाता है। जब चार व्यक्ति खेलते हैं तो काली पीली वाले आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के गुइयाँ होते हैं। इसी प्रकार लाल हरी गोटों के भी। गुइयाँ एक दूसरे की गोटे नही मारते बल्कि एक की चार गोटे पहले पहले पुग जाने पर गुइयाँ अपना दाँव साथी को दे देता है तब से दुपासिया अर्थात् दोनो पासो का सांझा करके खेलने वाले कहे जाते हैं।

चौपड़ का खेल दो प्रकार का है। सादा जिसमे चार व्यक्ति खेलते हैं और रगबाजी जिसमें दो व्यक्ति प्रायः स्त्री और पुरुष खेलते हैं। रंगबाजी का खेल कठिन है और उसमे प्रतिबन्ध अधिक है। जायसी ने यहाँ रंगबाजी के खेल का ही वर्णन किया है 28 चौपड़ को चौसर या पच्चीसी भी कहा गया है 29 शतरज का खेल भारतीयो के बीच प्राचीनतम काल से ही प्रसिद्ध रहा है। बाद मे यह खेल रईसो के बीच अधिक लोकप्रिय हो गया क्योंकि इस खेल को खेलने मे बहुत समय लगता था। जो आम आदमी नहीं दे सकता था। अलबेरूनी इस खेल मे हिन्दुओं की अभिरुचि का भी उल्लेख करता है 30 अमीर खुसरो ने भी समृद्ध वर्गो के मध्य इसके प्रचलन का उल्लेख किया है। उसके अनुसार “किसी परिवार या एक दूसरे से सम्बन्धित व्यक्तियो के मनोविनोद के साधनो मे इसका महत्वपूर्ण

28 पदमावत पृ० 366

29 किसोरी प्रसाद साहू मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष पृ० 244

30 अलबेरूनीज इण्डिया (सचाऊ) पृ० 183-185

स्थान है ३१ इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है ३२ ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि यह घर के अन्दर खेला जाने वाला खेल था तथा इसमें समय लगता था। अतः उस काल में स्त्रियों के बीच यह मनोविनोद के लिए प्रचलित रहा होगा। वाह्य मनोविनोद में चौंगान का उल्लेख हमें मिलता है—

“होई मैदान परी अब गोई । खेल हाल दहुँ काकर होई ॥ १ ॥

जोवन तुरै चढ़ी सो रानी । चली जीति अति खेल सयानी ॥ २ ॥

लट चोंगान गोई कुर्च साजी, हिम मैदान चली ले बाजी ॥ ३ ॥

हाल सो करे गोई लै बाढ़ा । कूरी दुहें बीच कै काढा ॥ ४ ॥

भये पहार दुर्वा वै कूरी । दिस्ति नियर पहूचत सुठि दूरी ॥ ५ ॥

ठाढ़ बान अस जानहुँ दोउऊ । सालहि हिय कि काढै कोऊ ॥ ६ ॥

सालहि तेहि न जासु हिय ठाढे । ‘सालहि’ तासु चहै ओन्ह काढे ॥ ७ ॥

मुहम्मद खेल पिरेम का धरी कठिन चौंगान

सीस न दीजै गोई जौ हाल न होई मैदान ॥”³³

जिस प्रकार से हम आज पिकनिक मनाने के लिए किसी वाह्यस्थल पर जाकर खेलकूद नाच गाना खाना पीना करते हैं। उसी प्रकार मध्यकाल में भी इस

31 अमीर खुसरो उद्धत साहू पृ० 243

32 पद्मावत पृ० 751-755 पद 567

33 पद्मावत पृ० 831 पद 628

प्रकार के अवसरों का लाभ उठाकर मनोविनोद किये जाने का हमें उल्लेख मिलता है। नदी तट पर इस प्रकार के आयोजनों की प्रथा बहुत थी—

“गई ब्रजनारि गगा तीर

सग राजति कुँवरि राधा भई शोभाभीर

देखि कहरि तरग हरषि रहत नहि मन धीर

स्थान कौ वे भई आतुर सुभग जल गभीर

कोऊ गई जल पैठि तरूनि और खडी तीर

तिनहि कई बुलाऊ राधा करति सुख बनु कीर

एक एकाहि भुज भरि एक हिरकति नीर

सूर राधा हसति दाढ़ी भीजि छवि तनु धीर ।”³⁴

इसी प्रकार मध्यकाल में कठपुतली का नाच भी मनोविनोद का एक प्रचलित साधन था जिसमें काठ की पुतलियों को पतले से धागे से सचालित करके उन्हे खेलता कूदता नाचता गाता अनेकानेक भाव भगिमाओं में दिखाया जाता था। कहानी नाटक कहने व खेलने का यह एक प्रचलित माध्यम था—

“कतहूँ कथा कहै कहु कोई। कतहूँ नाच कोउ भलि होई

कबहूँ छरहटा पेखन लावा। कतहूँ पाखड काठ नचावा।

कतहूँ नाद सबद होई भला। कतहूँ नाटक चेटक कला ।³⁵

34 सूरसागर द्वितीय खण्ड पृ० 1 पद 2368

35 पदमावत पृ० 45, 46 पद य39

मध्यकाल में स्त्रियों के लिए नाच गाने और उसी के दौरान वाद्य यन्त्रों में प्रशिक्षित प्रवीण होकर उनको बजाकर मनोरजन करने के उल्लेख मिलते हैं। इसमें नृत्य का सर्वाधिक महत्व होता था और हमें इसके विषय में विस्तृत जानकारी पदमावत के वर्णनों से होती है।

दूआौ नवल भर जोबन गाजी

अहरि जानु अखारे बाजी 36

वाद्य यन्त्रों में हमें सिगी का उल्लेख मिलता है—

“निकसा राजा सिगी पूरी झाड़ि नगर मेला होई दूरी

राये राने सब भये वियोगी। सोरह सहस्र कुँवर भये जोगी 37

इसी प्रकार हमें पदमावत में अनेक पदों में नाना प्रकार के वाद्य यन्त्रों के उल्लेख प्राप्त होते हैं—

“तबहूँ राजा हिय न हारा, राज पँवरि पर रचा अखारा।

सौहें साहि जहें उतरा आछा, ऊपर नाच अखारा काछा।

जत्र पखाउज आउझ बाजा, सुरमंडल रबाब भल साजा

बीन पिनाक कुमाइच कही, बाजि ऑकिरती अति गहगही

चग उपग नागसुर तूरा, महुवरि बाज बसि भल पूरा

36 पदमावत पृ० 555 पद 444

37 पदमावत पृ० 151 पद 134

हुरूक बाज डफ बाज गभीरा औ तेहि गोहन झॉझ मजीरा

तत वितंत सिखर धन तारा, पाचों सबद होइ झनकारा

जस सिंगार मन मोहन पातर नॉचहि पॉच

पातसाहि गढ छेंका राजा भूला नॉच 38

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि जंत्र भी एक प्रकार का यत्र होता था, लकड़ी की गज भर लंबी खोखली नली के दोनों सिरों पर तूबे के अधकटे भाग लगाए जाते हैं और गर्दन पर सोलह खूटियाँ होती हैं जिनमे पाच लोहे के तार बाधे जाते हैं। खूटियों के द्वारा ही स्वरो का उतार चढ़ाव किया जाता है 39 ज्ञात होता है पद्रहवी शती के लगभग पखावज अपनी भाषा में आया । पोपली के अनुसार पखावज का चलन उत्तरी भारत मे होता है और भृदग का दक्षिण मे होता है 40

38 पदमावत पृ० 687-688 पद 527

39 पदमावत पृ० 689 पाद टिप्पणी 3

40 पदमावत पृ० 689 पाद टिप्पणी 3

उपसंहार

स्त्री संस्कृति के उद्भव एवं विकास में न केवल केन्द्रिय भूमिका निभाती है बल्कि किसी भी देश की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड भी स्त्री वर्ग की दशा ही रही है। ये उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, क्योंकि स्त्री ही सांस्कृतिक धरोहर की मुख्य मूल वाहिका मानी जाती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजीकरण का पहला पाठ बालक अपनी माँ की गोद में ही पढ़ता है।

चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी की महिलाओं का सामाजिक स्तर तथा कन्या जन्म को लेकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थीं। भारतीय परम्पराओं के अनुसार पारिवारिक सतुलन के लिए पुत्र अथवा पुत्री में कोई भेद नहीं था, किन्तु बदलत हुए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवेश के कारण कालान्तर में पुत्री का जन्म बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। घीरे-घीरे इस्लामी प्रभाव के कारण स्त्रियों के क्षेत्र सीमित एवं उनके अधिकार कम होने लगे, विशेष रूप से हिन्दू राजघरानों में जायसी कृत 'पद्मावत' के इस उद्धरण से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है जब, रत्नसेन के घर पद्मावती का जन्म होता है।

तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों में पुत्र ही महत्वपूर्ण था, एक तो वंश चलाने के लिए दूसरा युद्ध के समय योद्धा के रूप में।

समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट है कि, हिन्दू राजकुलों में स्त्री शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। कन्याओं का शिक्षित व प्रशिक्षित होना उनकी सुन्दरता के साथ-साथ एक सकारात्मक गुण माना जाता था। चौदहवीं व पन्द्रहवीं शताब्दियों में धार्मिक ग्रन्थों के पठन-पाठन पर विशेष जोर दिया जाता था। विदुषी कन्याओं का परिवार व समाज में सम्मान होता था। समकालीन

परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण विवाह की आयु में भी परिवर्तन होने लगे। परिवर्तित राजनीतिक व सामाजिक परिवेश के कारण मध्ययुगीन भारत में अल्प आयु में विवाह का प्रचलन अधिक हो गया था तथा स्त्रियों की युद्धपरक परिस्थितियों में असुरक्षा के कारण ही बाल-विवाह का प्रचार हो गया था। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार हिन्दू बहुत कम आयु में अपनी कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराने लगे थे। बारह वर्ष तक की कन्या विवाह के लिए उपयुक्त समझी जाती थी।

हिन्दू सस्कृति में विवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक सामाजिक, धार्मिक सस्कार के रूप में ग्रहण किया गया। विवाह स्त्री व पुरुष की पूर्णता है। वश, कुल और परिवार की निरन्तरता विवाह सम्प्लान से ही बनी रहती है विवाह के उपरान्त पुत्री को माता-पिता से अलग होना पड़ता है। मध्यकालीन मान्यता के अनुसार वर प्राप्ति तथा विवाह हो जाना स्त्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। स्त्रियों में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। हॉलाकि साहित्यकारों ने इसे अशुभ या अनैतिक माना है। इस काल में स्त्रियों के लिए सुहागिन होना सम्मान जनक माना जाता था तथा वे प्रशसा की पात्र होती थी।

बहुविवाह तथा विशेषकर बहु पत्नीत्व की प्रथा राजधरानों एवं समृद्ध परिवारों तक सीमित थी। जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक क्लेश, गृह कलह, प्रतिद्वन्द्विता व राजनैतिक दांव-पेंच देखने को मिलते हैं। यही नहीं बहुविवाह प्रथा के कारण सपलियों में द्वेष होना स्वाभाविक था। जिसके परिणामस्वरूप गृह-कलह उत्पन्न होता था। भले ही स्त्री दूसरी पत्नी के रूप में किसी भी घर में प्रवेश करे फिर भी उससे आशा की जाती थी कि वह पति के समक्ष पूर्ण समर्पण करेगी।

वैदिक युग से ही कन्या विवाह के साथ कन्या को धन आदि से समृद्ध करके विदा करने का प्रचलन रहा है। विशेष रूप से वस्त्र-आभूषण इत्यादि प्रदान

किये जाते रहे हैं। इस प्रथा ने धीरे-धीरे दहेज प्रथा का रूप ले लिया था, अतः पूर्व मध्ययुग मे इसके सस्कार सामाजिक, धार्मिक न होकर सामाजिक-आर्थिक हो गये, क्योंकि उस युग के सामन्तीय परिवेश मे दहेज लेना व देना सामाजिक स्तर का द्योतक था। धनिक वर्ग तथा राज परिवार दहेज के रूप मे चल व अचल सम्पत्ति भी प्रदान करते थे। जिसमे वस्त्र, स्वर्ण, रत्नाभूषणो के साथ-साथ हाथी तथा घोडे भी दिये जाते थे। इसके अनेको उल्लेख हमें समकालीन साहित्यो मे मिलते हैं। दहेज के साथ-साथ दास-दासियां, नौकर-चाकर इत्यादि भी भेजे जाते थे।

जिस प्रकार वर्तमान मे ग्रामीण भारतीय परिवेश मे स्त्रियां अपने चेहरे को ढककर रखती थी इसके लिए वे पर्दे का प्रयोग करती थी। इस पर्दे को घूघट के नाम से जाना जाता था। पर्दे का ज्यादातर प्रयोग अभिजात्य वर्ग तथा समृद्ध परिवारो तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सभी वर्ग की स्त्रिया पर्दे व घूघट का प्रयोग करती थी। सामाजिक समारोहो तथा घर से बाहर जाते समय घूघट करना अनिवार्य सा हो गया था। पर्दा एक प्रकार से सम्मान का प्रतीक था। मध्यकाल में प्राचीनकाल से चली आ रही पर्दा प्रथा, मुस्लिम रीति रिवाजों से बल पाकर और भी सशक्त हो गयी थी। विवाह विच्छेद से सम्बन्धित एक भी साक्ष्य हमें मध्यकाल मे नहीं मिलते हैं।

सिद्धान्त रूप मे तो हिन्दू परिवार में स्त्री को गरिमायुक्त पद प्राप्त था तथा कोई भी अनुष्ठान उसके बिना पूर्ण नहीं होता था, किन्तु व्यवहार मे पतिव्रत धर्म एव पति-सेवा ही स्त्री का कर्तव्य माना गया। पति को स्वामी व पती को दासी के रूप मे प्रतिबिम्बित करने का प्रयास मध्यकालीन साहित्य मे किया जाता था।

विधवा स्त्री की अपेक्षा समाज मे सुहागिन स्त्री का ज्यादा महत्व था। विधवाओं का जीवन अत्यन्त कठिन तथा दुःखद था। सन्तान उत्पत्ति के समय स्त्री

को अत्यन्त कष्टदायी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। मातृत्व अपने आप में गौरव की बात समझी जाती थी। माँ के रूप में एक स्त्री में दयालुता, सहनशीलता, एवं सहदयता जैसे गुण होने की आशा की जाती थी, एवं यह आशा की जाती थी कि वह अपने सन्तान को गुणवान् एवं सुकर्मी बनायेगी।

जहा तक नारी की दशा के रूप में ससुराल के सम्बन्धों की बात आती है, ससुराल पक्ष में बहुओं को सासों द्वारा प्रताडित किया जाता था। समकालीन साहित्यिक स्रोतों से यह सुस्पष्ट हो जाता है, कि अपने जेठ से भी प्रायः बहुओं को एक भय सा बना रहता था। ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिसमें लगता है कि सास व ननद बहुओं की विरोधी रहा करती थीं साथ ही बहुओं को गाली देने तथा उसकी निन्दा करने में पीछे नहीं रहती थीं।

जहा तक हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के बारे में प्रश्न उठता है, सस्कारों का विशेष महत्व आदि काल से ही रहा है। सस्कारों से ही मनुष्य का व्यक्तिकृत तथा सामाजिक विकास किया जाता था। ताकि आगे चलकर मानव अपना तथा अपने समाज का समुचित विकास कर सकने में सफल हो सके। धर्म के बिना मानव का कल्याण हो सकना सम्भव नहीं माना जाता है, अतः धर्म ही संस्कार का मूल आधार माना गया है। सस्कार मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक साथ रहता है।

यदि सस्कारों के महत्व के बारे में प्रकाश डाले तो हम पायेगे कि, वैदिक युगीन जीवन से ही सस्कारों का प्रचलन रहा है। सूत्रों तथा स्मृतियों में सस्कारों पर विस्तार से लिखा गया है अधिकतर धर्म शास्त्रों ने मानव जीवन में मुख्य रूप से सोलह सस्कारों को माना है। फिर भी समाज में जिन सस्कारों का प्रचलन ज्यादा रहा है, उन सस्कारों को ही प्रचलन में लिया गया।

हिन्दू संस्कारो मे प्रथम गर्भाधान संस्कार माना गया है। बच्चे का गर्भ मे आना ही गर्भाधान संस्कार माना जाता है। वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक इस संस्कार का महत्व रहा। धीरे-धीरे इस संस्कार का प्रचलन कम हो गया।

पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भ के तीसरे माह मे पुस्वन संस्कार सम्पन्न किया जाता था। हिन्दू परिवारो मे उत्तराधिकार एव वशावली की प्रत्याशा मे पुत्र जन्म का अधिक महत्व था। पुत्र ही वश वृद्धि का द्योतक तथा श्राद्ध एव पिण्डदान मे सहायक था। अतः पुत्र पैदा होने में आने वाली विध्व-बाधाओं का नाश करने के लिए इस संस्कार को किया जाता था। धार्मिक महत्व के साथ इस संस्कार का आयुर्वेदिक महत्व भी था। गर्भ के चौथे माह में सीमान्तोन्नयन संस्कार होता था। इस संस्कार का उद्देश्य ये था, कि स्त्री स्वस्थ रहे तथा वीर पुत्र को जन्म दे सके।

हिन्दू समाज मे प्रचलित सोलह संस्कारो मे से कुछ का ही पालन हिन्दू समाज मे रहा जैस- जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, उपनयन, विवाह तथा मरणोपरान्त के कर्म अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण संस्कारो मे जातकर्म संस्कार था बालक के ऊपर अनिष्टकारी शक्ति का प्रभाव न रहे इसलिए इस संस्कार को सम्पन्न किया जाता था। ये संस्कार बाह्यणो द्वारा सम्पन्न करवाया जाता था। पूजनोपरान्त दान देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसमे धन व वस्तुओं के साथ गाय-दान महत्वपूर्ण होता था।

संस्कारो मे नाल काटने का संस्कार भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसको सम्पन्न करने के लिए दाई अधिक 'नेग' मागा करती थी विशेषकर पुत्र जन्म के समय यह नेग अपने आप में ही ज्यादा देना पड़ता था।

हिन्दू समाज में पुत्र जन्म के अवसर पर खुशी-खुशी मगल गीत गाने का प्रचलन था। इस अवसर पर चौक पूरा जाता था तथा इस खुशी के मौके पर गाने

के साथ ही नाचने का भी प्रचलन था। पुत्र जन्म के अवसर पर हर्ष एवं उल्लास के साथ नाच-गाकर खुशिया मनायी जाती थी तथा भोजनोत्सव का भी आयोजन होता था। पुत्र जन्म के शुभ अवसर पर अनेक प्रकार के आयोजन किये जाते थे। इसी अवसर पर बधाई दी जाती थी।

छठी पूजन एक विशेष सस्कार था जो कि सन्तानोत्पत्ति के छठवे दिन सम्पन्न किया जाता था। इसी दिन बच्चों को नहला-धुला कर साफ सुधरा किया जाता था तथा लोगों को इस शुभ अवसर पर आमन्त्रित करके भोजन कराया जाता था। पुत्रों के जन्म पर अधिक उल्लास का वातावरण रहता था। वैसे तो 'छठी पूजन' का महत्व जितना पुत्र जन्म के अवसर पर रहा करता था, उतना ही पुत्री के जन्म पर महत्वपूर्ण माना जाता था।

'छठी पूजन' के साथ ही हिन्दु समाज में 'बरही' नामक सस्कार का भी विशेष महत्व था। 'बरही' के शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक सस्कार सम्पन्न होते थे, साथ ही खाने-पीने का आयोजन भी सम्पन्न होता था। 'छठी पूजन' के दौरान 'गौरी-गणेश' के पूजन का विशेष महत्व था। इस शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक गीत गाये जाते थे, साथ ही ईश्वर की आरती करने के बाद बालक की भी आरती उतारी जाती थी। इस अवसर पर नाउन को नेंग मिलता था। नाउन सभी के महावर लगाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शुभ अवसर पर बच्चे को उपहार में झूला दिया जाता था, या शिशु के लिए पालना बनवाया जाता था। इसके अनेक उल्लेख हमें मिलते हैं। शिशु को काजल और रोली लगायी जाती थी।

'बरही' के इस अवसर पर विधि-विधान से बच्चे को स्नान कराया जाता था तथा साथ ही साथ मगल गीत गाये जाने का भी प्रचलन था। इस कार्यक्रम का आयोजन रनिवास तक ही सीमित था। मगल गीत गाने के साथ बच्चे का न्योछावर भी किया जाता था। प्रचलित प्रथा के अनुसार बालक की जन्मपत्रिका अथवा

कुण्डली भी इसी दिन ब्राह्मणों से बनवायी जाती थी। जन्म समय देखकर भविष्य बताने का काफी प्रचलन था।

हिन्दू सस्कारो में नामकरण सस्कार का भी विशेष महत्व था। इस सस्कार में सन्तान को नाम प्रदान किया जाता था। नाम का हिन्दू धार्मिक दर्शन में भी विशेष महत्व था। नाम ही शुभ कर्मों तथा भाग्य का आधार था।

संस्कारो में वर्षगांठ का विशेष महत्व था, जो आज भी प्रचलित है। बालक के जन्म के एक वर्ष पूरा होने पर इस सस्कार को धूमधाम से मनाया जाता था। आज भी भारतीय सस्कृति तथा पाश्चात्य सस्कृति दोनों में ही वर्षगाठ धूमधाम से मनायी जाती है।

सस्कारो में विद्याध्ययन सस्कार का भी विशेष महत्व था। मान्यता के अनुसार पाच वर्ष की आयु के बाद बालक तथा बालिका को विद्याध्ययन के लिए विधिवत् विद्यार्थी के रूप में विद्यालय भेजा जाता था। विद्यारम्भ के लिए सामान्यतया कोई अवस्था निश्चित नहीं थी। बच्चे विशेष रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना व्यवहारगत विधि-विधान से परिचित होने के साथ-साथ भाषा, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, धर्म एवं गणित का अध्ययन करते थे। जहा तक बालिका शिक्षा का प्रश्न है राजाओं के यहा की जो योग्य कन्यायें हुआ करती थी। उन्हे कामशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण धर्मशास्त्र, उपनिषद, तन्त्रविद्या, गणित, कल्पशास्त्र, सगीतशास्त्र तथा चित्रकला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

उस समय के साहित्यो से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि हिन्दू राजाओं ने अपनी पुत्रियों के सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। उन्हे वेद, वेदाग, व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र, स्मृति, काव्य, धर्मशास्त्र,

दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक तथा शारिरिक अथवा सैन्य शिक्षा सहगामी थी। प्रायः पाच वर्ष की आयु से ही राजाओं की पुत्रियों की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रारम्भ होता था।

सस्कारों में विवाह सस्कार का भी प्रत्येक समाज में विशेष महत्व था। व्यक्ति की नवीन सामाजिक, धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थिति विवाह के बाद ही प्रारम्भ होती है। एक नारी के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था ही विवाह सस्कार होता है।

विवाह शब्द के अनेक पर्याय हैं जैसे- उद्वाह, परिणय, उपनयन, पाणिग्रहण आदि। विवाह का सामान्य अर्थ या, विशिष्ट रूप से वहन करना अर्थात् विवाह में वधू को विशेष रूप से पिता के घर से पति के घर में ले जाना। विवाह का अभिप्राय है समाज द्वारा सन्तानोत्पत्ति के लिए स्थापित दाम्पत्य सम्बन्ध की स्वीकृत पद्धति /कन्यादान का समाज में विशेष महत्व था।

विवाह सस्कार पद्धति में समय-समय पर अनेक विधान प्राचीनतम् काल से ही जुड़ते चले गये। जो आज भी समाज में प्रचलन में है।

मानव जीवन में हिन्दू धर्म-दर्शन के अनुसार गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व था। हिन्दू दर्शन के अनुसार मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तानोत्पत्ति नहीं करता, वो पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता था। इसलिए सन्तानोत्पत्ति के लिए गृहस्थाश्रम में विधिवत् प्रवेश करना अनिवार्य है।

मानव जीवन में विवाह का अत्यन्त महत्व था। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि वैवाहिक अनुष्ठानों के अन्तर्गत सर्वप्रथम कन्या विवाह में उपयुक्त वर खोजने का विधान था। यथा सामर्थ्य धन-धान्य, फल-फूल मिठाई वगैरह 'वर' को प्रदान

कर कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा जाता था। बरीक्षा तथा तिलक भी विवाह के पूर्व होने वाली रस्म है। इसके बाद ही विवाह की तैयारी की जाती थी।

विवाह में सबसे पहले वधु पक्ष के घर बारात लेकर आने के पहले वर-पक्ष के लिए जनवासे की व्यवस्था की जाती थी। जहा पर बारात ठहराने की व्यवस्था रहती थी। जनवासे में खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। कन्या के घर में शुभ प्रतीक के रूप में बदनवार लगाया जाता था। पाच व्यक्तियों के सहयोग से मण्डप की स्थापना की जाती थी, जिसके नीचे विवाह सम्पन्न होता था। साथ ही विवाहायोजन में मगल-कलश की स्थापना भी शुभ मानी जाती थी। इस कलश को 'शुभ कलश' भी कहते थे। इसी के साथ मगल गान भी गाना शुरू हो जाता था। कन्या पक्ष द्वारा 'सुहाग' नामक गीत मुख्य होता था जो विवाह के समय गाया जाता था।

सर्वप्रथम विवाह में वर-पक्ष का आगमन होता था, जिसे 'बारात' कहते थे। इनके स्वागत में वधु पक्ष मगल गान करते थे। वेदी के निर्माण एवं हवन का भी महत्व था। वेदी के चारों ओर वर-पक्ष प्रदक्षिणा लेते थे, जिसे 'भावर' कहते थे। भावर के लिए पति-पत्नी के वस्त्रों को एक गाठ से जोड़ देते थे। भावर के बाद कन्यादान की रस्म में वधु के माता-पिता मत्रोच्चारण के मध्य कन्या को वर को सौप देते थे। इस तरह हिन्दू विवाह सम्पन्न होता था। 'कन्यादान' का सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के साथ ही धार्मिक महत्व भी था। कन्यादान मुक्ति के मार्ग में किये गये सत्कर्म के रूप में उल्लेखित किया गया है।

विवाह में दहेज देने का भी प्रचलन था। दहेज में जडाऊ वस्त्र, स्वर्ण, चादी, माणिक्य, मुक्ता तथा साथ में नौकर, नौकरानी भी कन्या के साथ भेजे जाते थे। जिसकी जितनी सम्पन्नता एवं समृद्धि थी उसके द्वारा उतना ही दहेज लिया दिया जाता था।

हिन्दू सस्कारो मे 'गौना' एक महत्वपूर्ण रस्म थी जो विवाह के बाद सम्पन्न होती थी। कम उम्र मे विवाह होने पर कुछ वर्षों बाद ही 'गौना' होता था। 'गौना' ही वस्तुतः कन्या की विदाई होती थी। कन्या के गौने के लिए मुहूर्त आदि निकालने का उसी प्रकार का प्रावधान था, जैसे विवाह मे होता था। गौने के समय घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कन्या को नये अथवा वैवाहिक जीवन के लिए शिक्षाएं देती थीं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कन्यादान, गौना, विदा की समस्त रीतियों के द्वारा ही विवाह सम्पन्न होता था।

मध्यकाल मे सती प्रथा अपने आप में सामाजिक कुरीति थी। विधवा स्त्री या तो सती हो जाती थी या जीवित रहकर कठोर सामाजिक नियमों का पालन करती थी। हिन्दू समाज मे स्वय को पति के शव के साथ प्रज्जवलित कर लेने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित थी। ऐसा माना जाता था कि विवाहित स्त्री का जीवन पति की सेवा मात्र था उसके बिना स्त्री का जीवन अधूरा था, अतः सती प्रथा मध्ययुगीन पुरुष प्रधान समाज की कुप्रथा थी।

मध्यकालीन साहित्यिक उल्लेखों से स्पष्ट है कि, जब स्त्री सती होने जाती थी उस समय वह हाथ में सिंघौरा (सिंदूर-पात्र) लिए होती थी, क्योंकि वही सुहाग का प्रतीक होता था।

पति की मृत्यु हिन्दू स्त्री के जीवन की सबसे दुखद घटना मानी जाती थी। जो महिलाएं सती नहीं होती थी, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे माता-पिता के घर सादगी से जीवन व्यतीत करें। जो स्त्री स्वेच्छा से सती होना चाहती थी उन्हे रोका नहीं जाता था।

‘जौहर प्रथा’ नारी की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। समकालीन साहित्यिक रचनाओं से हमें जौहर प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसको स्त्रियों के शौर्य का प्रदर्शन माना जा सकता है। उनसे यह आशा थी कि मध्यकालीन युद्धपरक परिस्थितियों में शत्रुओं के हाथ में पड़कर अपनी अस्मिता की रक्षार्थ यही वीरता एवं निःरता का उपाय अथवा विकल्प है। राजपूत युग के सामन्ती परिवेश की कुप्रथाओं में एक ‘जौहर प्रथा’ भी थी, जिसके अनुसार जीवित महिलाएं समूह में अग्नि में आत्मदाह कर लेती थीं, अथवा सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेती थीं। पुरुष पूर्ण वीरता से युद्ध में लड़ता था और उस युद्ध का मूल्य, स्त्री समूह “जौहर” द्वारा अदा करती थी।

साहित्य एवं कला में किसी भी युग की नारी की वेश-भूषा एंव आभूषण का जो वर्णन प्राप्त होता है उससे प्रत्येक वर्ग की नारी की सामाजिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भारत में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ही वस्त्र धारण किये जाते थे। साड़ी, चुनरी, लहंगा, चोली, कंचुकी या अगिया नामक वस्त्र इस युग की स्त्रियों में विशेष लोकप्रिय वस्त्र थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहनी जाने वाली साड़ी के विभिन्न रूपों का वर्णन भी इस युग के साहित्यिक ग्रन्थों में मिलता है।

‘सुरग पटोरी’ का उल्लेख भी समकालीन साहित्य से प्राप्त होता है ‘पटोरी’ रेशमी कपड़े से बनी एक साड़ी को कहा जाता था। सम्भवतः यह पटोर नामक वस्त्र से बनाया जाता था। इसी प्रकार ‘विरोदक साड़ी’ का उल्लेख भी हमें समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है।

सम्पन्न वर्ग की स्त्रियां मलमल या रेशम की साड़िया पहनती थीं। ये साड़िया महगी होती थीं। अतः साधारण वर्ग इसे पहनने में सक्षम नहीं था। साधारण वर्ग की स्त्रिया अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार साधारण कपड़ पहना

करती थी। महगे वस्त्रों के स्थान पर कुछ रगीन तथा कढ़े हुए कपडे पहन कर शौक पूरा किया जाता था।

खिरोदक नाम साड़ी का भी इस काल में प्रचलन था। साड़ी के साथ-साथ कोछा या कछनी भी महिला पहनती थी। वक्ष-स्थल को ढकने के लिए स्त्रिया 'अगिया' या कचुकी धारण करती थी जिसे 'चोली' भी कहा जाता था।

फुंदिया, कसनिया, हटागी, चोली, इत्यादि शरीर के ऊपरी भाग में धारण किये जाने वाले भारतीय स्त्रियों के प्रचलित परिधान थे। आन्तरिक वस्त्र के रूप में स्त्रिया आगिया का प्रयोग करती थी इस युग में लहगा तथा 'घाघरा' स्त्रियों में अत्यन्त लोकप्रिय था। 'पठोर' लहगे का विवरण भी हमें विवेच्युगीन साहित्य से प्राप्त होता है। घाघरा विशेषतः मुस्लिम स्त्रियों में अधिक प्रचलित था। महिलाएं चुनरी का प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग को ढ़कने के लिए करती थी। चीर (सूती कपड़ा) का भी पर्याप्त विवरण हमें समकालीन साहित्य से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार तथा रंग के चमाऊ (चमड़े के) जूते (पाई, पादत्री) पहनने का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

अपने सौन्दर्य में वृद्धि हेतु स्त्रिया अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती थी। सिर से पाव तक शरीर के प्रत्येक अंग को आभूषणों से सुसज्जि त करना स्त्रियों की सामान्य दुर्बलता थी। स्त्रियों की सौन्दर्य प्रियता प्राग्वैदिक काल से ही रही है। केवल वैथव्य की अवस्था में वह अपने आभूषणों को उतारती थी और सिर से सिन्दूर को मिटा देती थी।

स्त्रियों के विभिन्न आभूषणों का विस्तृत विवरण हमें मध्यकालीन इतिहासकारों व साहित्यकारों की कृतियों से प्राप्त होता है। शीश के आभूषणों में मुकुट, जडाऊ, टीका, एवं शीश फूल का भी विवरण मिलता है। शीशफूल

लोकप्रिय शीश आभूषण था। साथ ही बेदी का उल्लेख भी समकालीन हिन्दी साहित्य मे प्राप्त होता है। केश सज्जा हेतु महिलाएं बालों को वेणी से सजाती थीं। सिन्दूर की बिन्दी लगाने का प्रचलन था।

‘कर्णफूल’ कानों मे धारण किया जाता था। इसके अतिरिक्त ‘खूट’ का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कर्ण आभूषण के प्रति स्त्रियों मे विशेष रुचि थी। कुण्डल भी कानों मे पहनने का आभूषण था। राजकीय एव सम्पन्न वर्ग की महिलाएं कानों मे स्वर्ण कुण्डल पहना करती थीं। हरी-जवाहारात से जड़े हुए कुण्डल के अनेक उल्लेख भी हमे प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ‘खुम्भी’ नामक आभूषण कान मे पहना जाता था।

इस काल की स्त्रिया नाक को भी विविध प्रकार की कलात्मक आभूषणों से अलकृत करती थीं। नकफूली, बेसर, बेसनी, नथ या नथिया इत्यादि नाक मे धारण करने वाले अलंकारों का उल्लेख समकालीन साहित्य मे मिलता है।

हार गले मे पहने जाने वाले आभूषणों मे प्रमुख था। मोतियों तथा स्वर्ण निर्मित हार वक्ष स्थल तक लटकता रहता था। अन्य ग्रीवा आभूषणों मे सिकड़ी हँसली, कंठसिरी, दुलरी, तिलरी, आदि का उल्लेख हमे समकालीन साहित्यों में प्राप्त होता है अतः इनका प्रयोग विवेच्यकाल मे होता था। सुहागिन स्त्रियाँ गले मे मगल सूत्र पहनती थीं।

इस काल की स्त्रियाँ अपनी भुजाओं व हाथों को अलकृत करने हेतु विभिन्न प्रकार के हस्त अलंकारों का प्रयोग करती थीं, जिनमे बाजूबद, अगद, केयूर, टाड या टड्डे आदि का विवरण समकालीन साहित्य मे उपलब्ध होता है। कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलंकारों मे सलोनी नामक आभूषण का मध्ययुगीन साहित्य मे उल्लेख प्राप्त होता है। बाहुओं के अन्य आभूषणों में

बरया अथवा वलया तथा बाहुरखा अथवा बेरखा उल्लेखनीय है कलाई को सुशोभित करने वाले विविध अलंकारों में ककण हथपूर, चूड़े, चूड़ी, तथा वलय का उल्लेख मिलता है। ककण अथवा कगन कलाई पर धारण किया जाता था।

हथपूर से तात्पर्य पाँच जजीरों वाले उस वलय से है जो करमूल पर पहना जाता था। इसकी प्रत्येक जंजीर अगूठियों के साथ बधी होती है।

विवेच्य युग में दसों उगलियों में अगूठी धारण करना वैभव व सौन्दर्य का प्रतीक माना जाता था। उंगली के अन्य अलंकारों में आरसी का उल्लेख प्राप्त होता है।

स्त्रियों में कटि प्रदेश को अलकृत करने वाले आभूषणों के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। कटि प्रदेश में धारण किये जाने वाले अलंकारों में घुद्रघण्टी किनकिनी जैसे अलंकारों का वर्णन भी इस काल के साहित्य में उपलब्ध है।

पदाभूषणों में पाजेब पायल नूपुर झाझर, घुघरू आदि स्त्रियों के अत्यन्त प्रचालित चरणाभूषण थे। चूड़ा पिण्डलयों पर धारण किया जाता था, इसे पादचूड़ा भी कहा जाता था। अनबट तथा बिछुआ विवाहित महिलाओं के अत्यन्त लोकप्रिय आभूषण थे।

इस प्रकार अवलोकित काल की महिलाएँ शरीर के अन्य अंगों की भौति अपने पैरों को भी विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पदाभूषणों से अलकृत किया करती थीं। जो इसकी सौन्दर्य प्रियता एवं आभूषण प्रियता का परिचायक है।

इस प्रकार इस युग की स्त्रियों प्रायः सिर से पाँव तक कलात्मक आभूषण पहनती थीं। श्रृंगार एवं सौन्दर्य प्रतीक होने के साथ ही विभिन्न आभूषण स्त्री के लिए सौभाग्य एवं सुहाग के द्योतक भी माने जाते रहे हैं निस्सदेह

दुर्भाग्य वश यदि वह विधवा हो जाती थी तभी वह अपने अलकारो का परित्याग करती थी ।

सौन्दर्य तथा शारीरिक लावण्य में वृद्धि हेतु स्त्रियाँ विभिन्न प्रसाधनों का प्रयोग सदैव से करती रही हैं । इस युग की स्त्रियाँ सोलह श्रृंगार से भली भाँति परिचित थीं ।

षोडस श्रृंगार में उबटन, सुगन्धित स्नान वेणी माग भरना कालज, बिन्दी तिल, मेहदी महावर, पुष्प माला तथा पान रचना सुन्दर वस्त्र विविध आभूषण व दर्पण की गणना भी होती थी । स्वय को आकर्षक बनाने के लिए स्त्रियाँ कुमकुम सुगन्धित कस्तूरी विलेपनों तथा चंदन लेप का प्रयोग करती थी । श्रृंगार सज्जा से पूर्व सुगन्धित पदार्थ जैसे भृगमद व कर्पूर आदि से जल को सुवासित कर स्नान किया जाता था ।

उपर्युक्त विवेचनाओं द्वारा स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ अपने शारीरिक लावण्य तथा सौन्दर्य के प्रति जागृत थीं ।

केशों के सुरुचिपूर्ण विन्यास द्वारा सौन्दर्य में वृद्धि करना स्त्रियों को सदैव से प्रिय रहा है । केश विन्यास की कला में इस युग की स्त्रिया पर्याप्त निपुण थीं । धनिक वर्ग की स्त्रियों के केश दासियाँ प्रसाधित करती थीं । इन दासियों को समकालीन हिन्दी साहित्य में केश कारिणी कहा गया है । केशों को विभिन्न प्रकार के सुगन्धित पंदार्थों (अगरू चंदन तथा बेला चपा) से सुगन्धित कर कलात्मक ढग से गूँथकर सित्रिया अपनी केश राशि की वेणियाँ बनाती थीं ।

केशों को पुष्पों से सुसज्जित किया जाता था तथा पुष्पों को आभूषणों की भाँति पहना जाता था हिन्दू विवाहित स्त्रियों में माग में सिन्दूर भरना अत्यन्त शुभ माना जाता रहा है अतः स्त्रियाँ अपनी माग सिन्दूर एवं मोतियों से अलकृत

करती थीं बिन्दी अथवा तिलक कस्तूरी चदन एवं कुमकुम आदि से अकित किया जाता था ।

आलोच्यकाल में नारियाँ अपनी ठोड़ी पर तिल बना कर अपने मुख की शोभा में वृद्धि करती थीं। स्त्रियाँ अपनी सौन्दर्य वृद्धि हेतु नेत्रों एवं भौहों में शलाका द्वारा सुरमा और अजन अथवा काजल लगाया करती थीं।

अपने ओष्ठ को रगने के लिए स्त्रियाँ पान का प्रयोग करती थीं साथ ही मोम और अलतक के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियाँ हाथ पॉव को रजित करने के लिए मेहदी का प्रयोग करती थीं पैरों एवं ऐडियो के श्रृंगार हेतु जावक, महावर तथा आलता आदि द्रव्यों का प्रयोग करने का प्रचलन था।

पूर्व मध्य युगीन साहित्यिक रचनाओं में गणिकाओं की श्रृंगार विधियों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है।

इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण श्रृंगार एवं प्रसाधनों के प्रयोग द्वारा अपने प्राकृतिक सौन्दर्य को द्विगुणित करने का प्रयास करती थीं।

जहाँ तक विद्याध्ययन की बात आती है वैदिक युग से ही हम बालक बालिकाओं की शिक्षा में समानता पाते हैं। स्त्री शिक्षा में पर्दा प्रथा हिन्दू मुसलमान दोनों में बाधक रहा। मध्ययुगीन समृद्ध स्त्रिया निजी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करती थीं। कुलीन वर्ग में मुसलमान शासकों के यहाँ स्त्री शिक्षा की स्वतंत्रता थी। कुछ विद्यालयों में प्राथमिक स्तर तक सह शिक्षा भी थी। इस काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा में अन्तर नहीं प्रतीत होता है।

विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त बालिकाओं को गृह विज्ञान की विशेष शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। कुलीन स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। योग्य

राजकन्याए वेद, कालशास्त्र, छन्दशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्क शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, तन्त्र विद्या, गणित, उपनिषद, संगीत, शास्त्र, कल्प शास्त्र, चित्रकला, तन्त्र कला, गृह विज्ञान आदि की शिक्षा प्राप्त करती थीं। विश्व श्रेष्ठ विनय पाठ की विशेष शिक्षा हिन्दू बालिकाओं को दी जाती थी।

निरूपित काल की साक्षर हिन्दू नारियों में लखीमा देवी, विश्वास देवी, चन्द्रकला आदि थीं। तत्कालीन शिक्षित स्त्रियों में सूर्यमती लीला वती, राणकदेवी, लल्ले योगेश्वरी (लल्ले योगेश्वरी) आदि थीं। स्त्री शिक्षा की ओर अग्रसर कुछ तुर्क आफगान कालीन शासक स्त्री शिक्षा के लिए जागरूक थे, इसलिए अनेको विद्यालयों का निर्माण करवाया सल्तनत काल में गियासुद्दीन खिलजी (1463-1500 ई) नारी शिक्षा के लिए जागरूक थे। स्त्रियों को कला व्यवसाय संगीत की शिक्षा दी जाती थी, स्त्रियों के लिए अलग से मदरसा बनाया गया था।

इल्तुतमिश की पटरानी शाह तुरकान को शासन व्यवस्था का अच्छी तरह से ज्ञान था। इसी प्रकार रजिया सुल्ताना एक योग्य पिता की पुत्री थी। वह युद्धकला में प्रवीण योग्य शासिका विदुषी नारी, अश्वारोहण में कुशल, अच्छी सैन्य सचालिका थी। इसी प्रकार अन्य विदुषी नारियों में माहमालिका का नाम है इनके द्वारा लिखित लेख को “राजकीय मोती” की संज्ञा दी गयी है। मालिका जहाँ फिरोजा, खुदाबन्द, दिलदार गाचा आदि का नाम विदुषी नारियों में था।

नारी शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित थी पर्दा प्रथा के कारण धीरे धीरे नारी शिक्षा का पतन होता गया। निम्न परिवार की स्त्रियों को शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार स्त्रियों का यह वर्ग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका।

शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हिन्दू राजाओं ने भी अपने पुत्रों के लिए किया था। उन्हें वेद वेदाग व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र संगीत, स्मृति काव्य, धर्मशास्त्र दर्शनशास्त्र तथा मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने बहतर कलाओं की शिक्षा प्राप्त की।

इस समय मानसिक तथा शारीरिक दोनों शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा में अन्तर्गत पुराणों की व्याख्या, नाट्यशास्त्र, छन्दशास्त्र, अमर कोष अश्व विद्या, काम शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा संगीत आदि में निपुण किया जाता था। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि निश्चित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सुनियोजित शिक्षा का प्रबन्ध किया गया था। मदरसों, मकतबों के साथ साथ सूफी सन्तों को खानकाहों के विशेष उल्लेख मिलते हैं खानकाहों में धार्मिक अध्यात्मिक शिक्षा की प्रधानता थी।

हिन्दू समाज कई वर्गों में बंटा था। प्रारम्भ से ही चार वर्ण थे। इनमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को रखा गया। तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथा स्थान शूद्रों का माना गया। इन चारों के अतिरिक्त जो थे उन्हें अन्तर्यज कहा गया। इनकी गणना किसी जाति में नहीं होती थी। इनमें धोबी, चमार, मदारी, डोम, तथा ढाल बनाने वाला, नाविक मछुआ व्याधा और बुनकर लोग आते थे।

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु इस युग की स्त्रियों विभिन्न जीविका अपनाती थी। परिवार ही स्त्री के कार्य क्षेत्र का मुख्य बिन्दु रहा है। अपने परिवार को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में ही नारी अपने परिश्रम को सार्थक मानती है। गृहस्थ कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे भी कार्य थे जिनके द्वारा महिलाएं धनोपार्जन करती थीं तथा अपने परिवार को आर्थिक सहायता

प्रदान करती थी । इसके अतिरिक्त धनार्जन करने वाली स्त्रियों में गणिकाएं, देवदासियाँ, वारागनाएं, सेवावृत्ति में संलग्न दासिया ग्वालिन, नाउन, तथा वारवनिताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है । सार्वजनिक भोजों त्योहारों तथा शादी में वैश्याओं, नर्तकियों को बुलाया जाता था । इन्हे रंगी, गणिका, पातुर नर्तकी तथा वैश्या कहा जाता था । संगीत गणिकाओं का प्रधान व्यवसाय था मध्य काल में गणिकाओं का आदर व सम्मान था ।

मध्य युगीन सामन्ती परिवेश में ईश्वर की पूजा आराधना उन्हें प्रसन्न रखने तथा देव मन्दिर को गुजायमान रखने के लिए मन्दिरों में नर्तकियों का होना आवश्यक माना जाता था । इस विचार धारा के परिणाम स्वरूप देवदासी वर्ग की उत्पत्ति हुई । मध्यकाल की पेशेवर जातियों में ग्वालिन, धोबिन, नाउन, लकड़हारिन, घोसिन, कुजड़ी, कलवारिन, भटियारिन, मालिन, बेडिनी, परिहारिन, दूती आदि थीं । मध्ययुगीन समाज में स्त्रियों का एक वर्ग ऐसा था । जिनका कार्य था उच्च वर्गों की परिचर्या करना । राजपरिवारों और धनियों के बैंधन वर्णन में सहस्रों दासियों का उल्लेख मिलता है । रानियाँ सदैव दासियों से घिरी रहती थीं । सम्पत्ति के रूप में दासियों का आदान प्रदान भी होता था । कन्या के दहेज में तथा हस्तगत सम्पत्ति में दासियाँ भी सम्मिलित होती थीं ।

गणिकाएं सौन्दर्य, यौवन व कला कौशल द्वारा धनार्जन करने वाली स्त्रिया थीं । विशिष्ट अवसर पर इनको बुलाया जाता था । ये अलग अलग मुहल्लों में रहती थीं ये अपने हाव भाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं । इनका सर्वप्रथम धर्म धनोपार्जन करना था समाज का कुछ वर्ग ऐसा भी था जो इनके पास जाकर इनके कार्य को प्रोत्साहित किया करता था । इसका मुख्य कारण लोगों का संगीत प्रेमी होना था ।

उपर्युक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि इस काल की नारी का अर्थोपार्जन में योगदान था तथा न सिर्फ वे अपने परिवार घर गृहस्थी अपितु अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक रहती थीं। परिश्रम करके अपने परिवार की उन्नति में सहायक होती थीं। इस काल के साहित्य से यह आभासित होता है कि इस युग में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर किंचित प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, किन्तु इनके आमोद प्रमोद तथा मनोरजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। विभिन्न धार्मिक त्योहारों उत्सवों उद्यान क्रीड़ा, झूला नृत्य संगीत आदि में स्त्रियाँ भाग लेती थीं। इस युग के साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से स्त्रियों के आमोद प्रमोद मय जीवन की अभिव्यक्ति बड़ी सजीवता से की है। समीक्षाधीन अवधि में महिलाओं के मनोरजन एवं मनोविनोद के कई स्रोत थे। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ तो अभी लोकप्रिय है, भले ही समय में परिवर्तन के साथ साथ इनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो गया हो। इस युग के साहित्य में धार्मिक त्योहारों, उत्सवों, उद्यान क्रीड़ा, झूला नृत्य संगीत आदि में महिलाओं के भाग लेने के विवरण प्राप्त होते हैं।

सामाजिक उत्सवों में महिलाओं की स्थिति किंचित थी। हिन्दुओं के धार्मिक त्योहार संख्या में अनेक थे जो प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋतुओं में सम्पन्न होते थे इन धार्मिक त्योहारों के अवसर पर स्त्रियाँ विशेष रूचि प्रदर्शित करती थीं। इस काल के साहित्यकारों ने हिन्दू त्योहारों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है, इनके अनुसार हिन्दू त्योहार अधिकांश महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाये जाते थे।

सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में बसन्त पचमी, होली, तीज, दीपावली, गोवर्धन पूजा, एकादशी आदि का विस्तृत वर्णन इस युग के साहित्य में उपलब्ध

होता है। बसन्त पचमी का त्योहार बसन्त ऋतु का पूर्व सूचक है जो माघ मास में मनाया जाता है। इस अवसर पर बालिकाये व युवतियां और महिलाएं अनेक प्रकार की उद्यान क्रीड़ा सलिल क्रीड़ा और कदुक क्रीड़ा आदि में भाग लिया करती थीं। बसंत का विविध चित्रण सूरदास जी ने अपने साहित्य में किया है।

बसन्त ऋतु में फूल पत्ती के लहराने से ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति अपने पूरे सोलह श्रृंगार में है। इस अवसर पर महिलाएं नृत्यगान, खेलकूद आदि का भरपूर आनन्द उठाती है।

इस दिन ऐसा लगता है कि मानो पूरे संसार की सजा हो। प्रकृति और संसार की सजावट के साथ महिलाएं भी अपना श्रृंगार करके पचमी की पूजा करती हैं ऐसी मान्यता थी कि इस पूजन से इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस त्योहार को स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार से मनाती थीं जैसे - वाद्य यन्त्र के साथ नाच गाकर तालक रास चचरि नृत्य लकुट रास करके।

होली, जैसा कि आज भी ये हिन्दुओं का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है। यह प्रसिद्ध त्योहार बसन्त ऋतु में ही पड़ता है। इस अवसर पर सभी वर्णों और वर्ग के लोग एक दूसरे को रग लगाते थे। यह त्योहार कृष्ण की गोपियों के साथ छेड छाड और होली का त्योहार माना जाता है। अबीर, कुमकुम गुलाल, चोबा एवं चन्दन के साथ साथ पिचकारी से रग खेलने का व्यापक चित्रण मिलता है। इस अवसर पर गायन में विशेष रूप से होली, धमार के गायन का उल्लेख मिलता है। “मनोराज्ञूमक” नामक गीत भी गया जाता था। इसी प्रकार टेसू से बने रगों से भी होली खेलने का उल्लेख मिलता है। चौंचरी नृत्य इस मौसम का विशेष नृत्य था। इस नृत्य को ‘डाढ़िया रास’ के नाम से भी जाना जाता है।

इस प्रकार बसन्त ऋतु की तरह सावन, भादो तक एक उल्लासमय वातावरण बना रहता है। तीज सावन में मनाया जाने वाला स्त्रियों का एक विशेष त्योहार था। स्त्रियाँ पूरे श्रृंगार के साथ अपने सुहाग की कामना करती थीं। इसी प्रकार धार्मिक व्रतों में जैनियों और हिन्दुओं में एक माह का व्रत करने का उल्लेख मिलता है।

दीपावली जिसे सामान्यतः दिवाली कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हषोल्लास का पर्व है। यह दीप-मालाओं के प्रकाश का त्योहार है। रात में चारों तरफ दीपों की रोशनी अत्यन्त मनोहर लगती है। स्त्रियाँ हर्ष से सज सवर कर नाचती गाती हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन स्त्रियों द्वारा 'मुनिवर पूजन' का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है।

गोवर्धन पूजा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के अन्नों से पकवान बनाने के कारण इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त निर्जला एकादशी का व्रत भी स्त्रियाँ किया करती थीं।

आमोद प्रमोद के सीमित साधन होने के कारण स्त्रियाँ प्रत्येक तीज त्योहारों पर श्रृंगार करके एवं नाच गाकर अपना मनोरजन कर लिया करती थीं। इस काल के साहित्य में वर्णित जल क्रीड़ा, लुकाछिपी का खेल (चचरी), पौपड (चौसर या पचीसी) आदि इस युग के स्त्रियों के मनोरजन के अन्य लोकप्रिय माध्यम थे।

मध्यकालीन साहित्यकार जायसी ने अपने साहित्य पद्मावत में जल क्रीड़ा की चर्चा की है जिसमें पद्मावती अपनी सखियों के साथ जल में क्रीड़ा करने जाती है। लुकाछिपी का खेल भी मध्यकालीन स्त्रियों के बीच प्रचलित था। इस खेल को चचरी भी कहा जाता था। अन्य प्रमुख खेलों में चौपड़ का उल्लेख है। चौपड़ भारत में खेला जाने वाला एक अत्यन्त प्राचीन खेल है। इस खेल को चौसर

या पचीसी भी कहते हैं। यह खेल हिन्दुओं में और विशेष रूप से राजपूतों में बहुत लोकप्रिय था। इस खेल का वर्णन जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में किया है। इस खेल के वास्तविक स्वरूप को मध्यकालीन परिवेश में डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत का टीका लिखते हुए उभारा है।

वर्तमान में लोग पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर किसी रमणीक स्थान पर खेलकूद, नाच गाना, खाना पीना करते हैं। वैसे ही मध्य काल में ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर मनोविनोद किये जाने का हमें उल्लेख मिलता है। नदी तट पर जाकर ऐसे आयोजन किये जाते थे।

अन्य मनोरजन के साधनों में कठपुतली का नाच भी मनोविनोद का एक मुख्य साधन था। कहानी, नाटक कहने व खेलने का यह एक प्रचलित माध्यम था। महिलाओं के लिए नाच गाने और वाद्ययन्त्रों में प्रशिक्षित प्रवीण होकर उनको बजाकर मनोरजन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। नृत्य का अधिक महत्व था। वाद्ययन्त्रों में “सिगी” का उल्लेख मिलता था। “जंत्र” भी एक प्रकार का यन्त्र होता था।

उपर्युक्त विवेचनाओं द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इस काल में समाज में पर्दा प्रथा दृढ़ होने के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लग चुके थे। किन्तु साहित्यिक उद्धरणों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस काल में महिलाओं की उन्नति का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और साथ ही उनके आमोद प्रमोद एवं मनोरजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाती थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प्राथमिक स्रोत

अथर्ववेद

सम्पादक आर रौथ एव डब्ल्यू डी
हिटने, बर्लिन 1856, सपादक श्रीपाद
शर्मा, औंधनगर - 1938

बृहदाख्यक पुराण

सम्पादक - एच शास्त्री,
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल,
1891

चदायन

मौलाना दाऊद दलमई कृत, सम्पादक-
डा० परमेश्वरी लाल गुप्त, हिन्दी ग्रन्थ
रत्नाकर, प्रथम सस्करण - 1964

चाँदायन

माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक राम जी गुप्त,
प्रमाणिक प्रकाशन 35 लाजपत कुज,
सिविल लाइन, आगरा

चाँदायन

सम्पादक डा० विश्वनाथ प्रसाद,
प्रकाशक क० मू० हिन्दी तथा भाषा
विज्ञान, विद्यापीठ आगरा
विश्वविद्यालय

देवलरानी खिज्र खाँ

अमीर खुसरो कृत, अलीगढ - 1917

ढोला मारू रा दुहा	सम्पादक रामसिंह सूचकरण पारेख एवं नरोत्तम स्वामी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, द्वितीय संस्करण सवत् - 2011, सारनाथ, वाराणसी 1936
हशत -बहिश्त	अमीर खुसरो कृत, सम्पादक मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ- अलीगढ 1918.
कीर्तिलता	विद्यापति ठाकुर कृत, सम्पादक वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रकाशक- साहित्य सदन चिरगाँव (झासी) 1962
विद्यापति की पदावली	सम्पादक श्री बसन्त कुमार माथुर, प्रकाशक- भारतीय भाषा भवन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1952
लैला - मजनूँ	अमीर खुसरो कृत, नवल किशोर प्रेस, तृतीय संस्करण, दिसम्बर- 1880
मतला-उल-अनवार	अमीर खुसरो कृत, दो भागो मे, लखनऊ- 1884, पुनः वही, प्रकाशक मुर्तजाबाई प्रेस, दिल्ली

पृथ्वी राज रासो	चन्द्रबरदाई कृत, चार भाग, सम्पादक कविराज मोहन सिंह, साहित्य संस्थान विश्वविद्यालयीठ उदयपुर, राजस्थान, विक्रम सवत् -2011-2012
विद्यापति की पदावली	विद्यापति ठाकुर, सम्पादक श्री रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी, प्रकाशक- हिन्दी पुस्तक भण्डार, लहेरियासराय प्रथम संस्करण - 1892, सम्पादक बसन्त कुमार माथुर, प्रकाशक- भारतीय भाषा भवन दिल्ली- 1952
सत कबीर	सम्पादक - डॉ रामकुमार वर्मा, प्रकाशक- साहित्य भवन (प्रा०) लि०, इलाहाबाद - 1966
कबीर ग्रन्थावली	सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक - साहित्य भवन (प्रा०) लि०, जीरो रोड, इलाहाबाद द्वितीय संस्करण, 1992
मृगावती	सम्पादक माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक रामजी गुप्त, प्रमाणिक प्रकाशन, 35, लाजपत कुज, सिविल लाइन्स, आगरा- 1968

मधुमालती	सम्पादक - डा० शिव गोपाल मिश्र, प्रकाशक- हिन्दी प्रचारक प्रतिष्ठान, वाराणसी
मधुमालती	सम्पादक - डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक- मित्र प्रकाशन इलाहाबाद - 1961
सूरसागर	सम्पादक - नद दुलारे वाजपेयी, प्रकाशक- नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
सूरसागर सटीक	सम्पादक - हरदेववाहरी डा० राजेन्द्र कुमार, लोकभारती प्रकाशन तृतीय स्कन्द
पदमावत	मलिक मुहम्मद जायसी कृत सम्पादक - वासुदेव शरण अग्रबाल प्रकाशक - साहित्य सदन, चिरगाँव (झाँसी)
जायसी ग्रन्थावलि	अखरावट एव आखिरी कलाम, सम्पादक - डा० राम चन्द्र शुक्ल प्रकाशक- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी- पंचम संस्करण सवत 2008

चित्ररेखा	मलिक मुहम्मद जायसी कृत, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी प्रथम संस्करण, अप्रैल 1959
लोर कहा	सम्पादक - डा० माता प्रसाद गुप्त, प्रकाशक- प्र०क०मु०हिन्दी तथा भाषा विज्ञान, विद्यापीठ, आगरा वि०वि०
मीराबाई की पदावली	सम्पादक परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशक - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, एकादश संस्करण, शक् 1884
सहायक स्रोत - हिन्दी ग्रन्थ	
मोतीचन्द्र	प्राचीन भारतीय वेशभूषा, भारती भण्डार, प्रयाग संवत् - 2007.
रिजवी सैयद अतहर अब्बास	आदि तुर्क कालीन भारत (1206 ई० - 1290 ई०) हिस्ट्री डिपार्टमेन्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़- 1956
डा० किशोरी प्रसाद साहू	मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना - 1981

जयन्त कृष्ण दवे	गुजराती साहित्य का इतिहास, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, ३०प्र० लखनऊ
मनु शर्मा	राणा सागा हि०प्र०पु० बनारस
गौरी शंकर हीरा चन्द्र	मध्यकालीन भारतीय सास्कृति,
ओझा	हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तृतीय सस्करण १९५१
हरिश्चन्द्र वर्मा	मध्यकालीन भारत खड - १ (७५०-१५४०)
	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय
पी० एन० चोपड़ा, बी० एन०	भारत का सामाजिक, सास्कृतिक
पुरी, एम० एन० दास	और आर्थिक इतिहास, भाग - २ (मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड) प्र० स० १९७५
आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव	दिल्ली सल्तनत- ७११ से १५२६ प्रकाशक, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, अस्पताल मार्ग आगरा- ३

प्रारम्भिक मुस्लिम विद्वानों, विदेशी यात्रियों के वृत्तान्त आदि

अबूरहान अलबेरुनी

अलबेरुनी इंडिया (दो भागों में)

अनुवाद - डा० एडवर्ड सी सचाऊँ,
प्रकाशक एस० चॉड एण्ड कम्पनी, नई
दिल्ली प्रथम भारतीय पुर्नमुद्रण 1964

इन्बतूता

दि रेहला ऑफ इन्बतूता, सटिप्पणी,
अनुवादकर्ता, डा० मेंहदी हुसैन,
ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बडोदा 1953

जियाउद्दीन बर्नी

तारीख -ए-फिरोजशाही, सम्पादक
सैयद अहमद खाँ बिब इण्डिया,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगला,
कलकत्ता, 1862

मुहम्मद कासिम हिन्दू बेग

गुलशन-ए-इब्राहीमी उर्फ तारीख-

फरिश्ता

ए-फरिश्ता (फारसी मूल ग्रन्थ,
बम्बई 1832) पुनः जॉन ब्रिक्स द्वारा
अंग्रेजी अनुवाद हिस्ट्री ऑफ दि राइज
ऑफ मुहम्मदेन पावर इन इण्डिया टिल
द इयर 1612 (चार भागों में) प्रकाशन
आर० कम्बो एण्ड कम्पनी कलकत्ता
1909-10

मुल्ला अब्दुल बकी नहबन्दी

मासीर-ए-रहीमी भाग एक सम्पादक

शमशुल उल्मा, एम० हिदायत हुसैन

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल

1924

मिनहाज-उस-सिराज

तबकात-ए-नासीरी बिब इण्डिया,

कलकत्ता 1864 पुन. वही अंग्रेजी

अनुवाद दो जिल्दो मे अनुवादक मेजर

एच जी रे बल्टी, गिलवर्ड एवं

रिविगठन, लदन 1881

ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद

तबकाते-अकबरी भाग एक अनुवादक

ब्रजेन्द्र नाथ डे, बिब इण्डिया, वर्क न०

225 प्रकाशक रॉयल एशियाटिक

सोसायटी ऑफ बेगाल, कलकत्ता

1927 तथा पुनः वही भाग 3 कलकत्ता

1939

सहायक स्रोत - अंग्रेजी

ए एस अल्टेकर

एजूकेशन इन एन्शियेन्ट इंडिया, नन्द

किशोर एण्ड ब्रदर्स बनारस, तृतीय

संस्करण - 1948

ए एस अल्लेकर	राष्ट्र कूटाज एण्ड देयर टाइम्स पूना 1934
ए एस अल्लेकर	स्टेट एण्ड गवर्नमेन्ट इन एन्शियेन्ट इंडिया, बनारस 1949
के एम अशरफ	लाइफ एण्ड कडीशन ऑफ दि पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान नई दिल्ली- 1959
एस पी गुप्ता	कास्ट्ययूम्स, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड कॉफ्योर इन एन्शियेन्ट एण्ड मेडिकल इंडिया, दिल्ली – 1973
एस एम जाफर	एजूकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, प्रकाशक एन मुहम्मद सादिक खाँ, पेशावर- 1936
एस एम जाफर	सम कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पेशावर 1939
एस एम जाफर	एम एम लॉ एन्शियेन्ट हिन्दू पॉलिटी (एन सी मेहता) इलाहाबाद मई 1928
के पी जायसवाल	हिन्दू पॉलिटी कलकत्ता 1924, द्वितीय संस्करण, बंगलोर 1943

ए बी कीथ	ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 1953
एफ ई की	इण्डियन एजूकेशन इन एन्शियेन्ट एण्ड लेटर टाइम्स, डॅडली ब्रदर्स, किंग्सवे, लन्दन 1938
पी एन ओझा	नार्थ इण्डियन सोशल लाइफ, दिल्ली 1975
जान एच पूल	फेमस वीमेन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता 1954
ए राशिद	सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, कलकत्ता 1969
डा आशीर्वादी लाल	मेडिवल इण्डियन कल्चर, प्रथम सस्करण,
श्रीवास्तव	शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1964
शकुन्तला राव शास्त्री	बुमैन इन सेक्रेड लॉज, बम्बई 1953
बी ए स्मिथ	दि ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड द्वितीय सस्करण 1923

महदी हुसैन

दि तुगलक डाइनेस्टी, थाक्केर, सिंपक

एण्ड कम्पनी (प्रा) लि०, कलकत्ता

1963

आर के परम

ए हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन

काश्मीर (1320-1819) पीपुल्स

पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लि० दिल्ली

अगस्त 1969

आर आर दिवाकर

बिहार थू द एजेज, ऑरियन्ट लॉगमैन

1959

जर्नल तथा रिपोर्ट

अध्ययन, इलाहाबाद

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी

शोध प्रबन्ध

डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी

“दि सोसाइटी ऑफ नार्थ इण्डया इन
द 16वी सेन्चुरी एज डिपिक्टेड थू
कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर”, 1990,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय,
अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

डॉ० ऋषु जायसवाल

वूमेन्स पोजीशन एण्ड रोल इन नार्थ
इण्डयन सोसाइटी फ्रॉम द 10 टू दि
13 सेन्चुरी एज डिपिक्टेड इन दि
कन्टम्प्रेरी हिन्दी लिटरेचर 1997,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पुस्तकालय
अप्रकाशित शोध ग्रन्थ।